खण्ड-219, अंक-10
गुरूवार, 18 फाल्गुन, शक संवत् 1882
(9 मार्च, 1961 ई0)

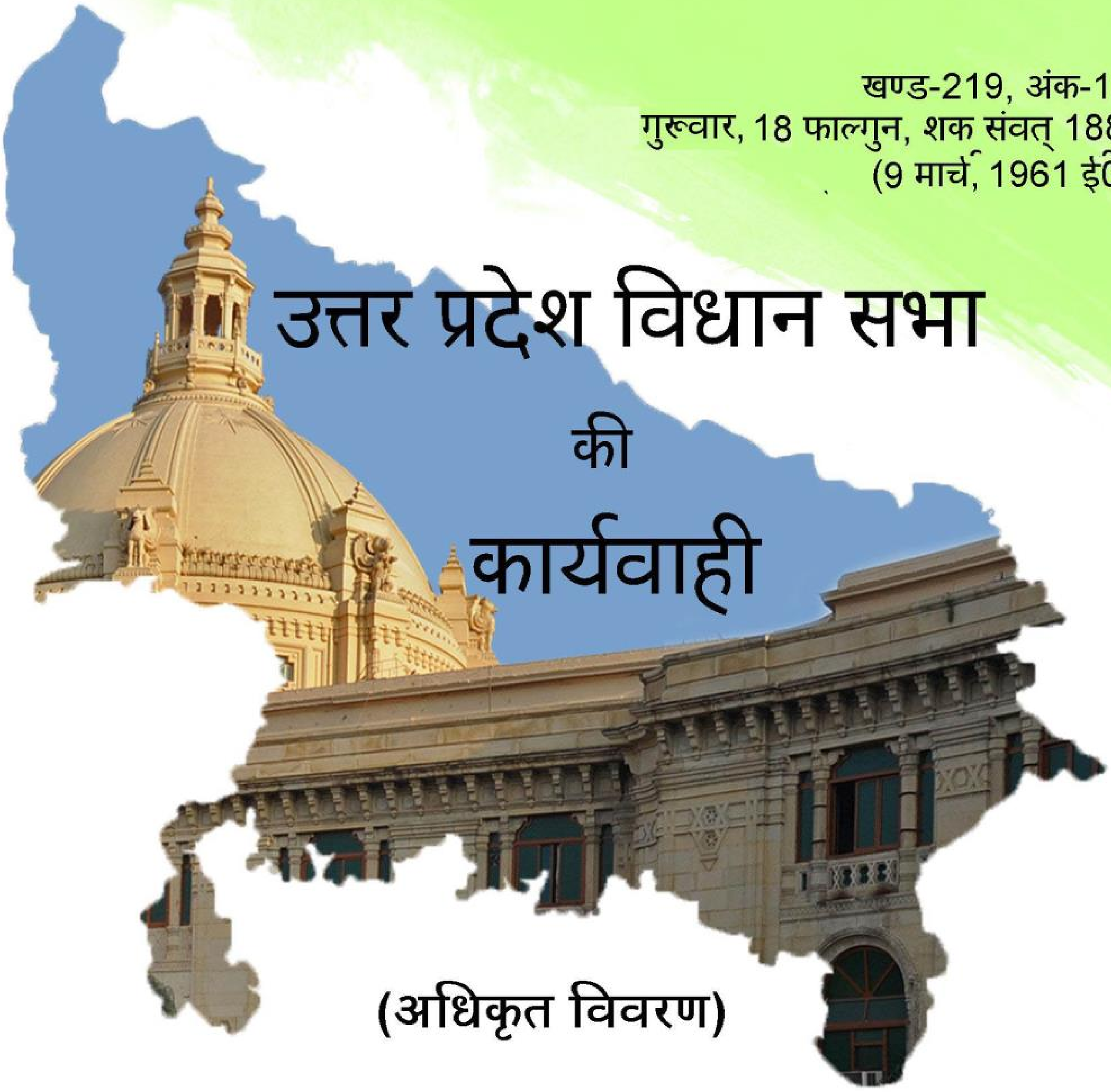

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 219 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६२

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, ९ मार्च, १९६१

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३२३

अक्षयबरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल लतीफ, नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय,श्री
आनन्दब्रह्मशाह, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
ओंकारनाथ, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकि, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव , श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
गरीबदास , श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री

गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छेदीलाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशशरण, श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ लहरी , श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी , श्री
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह , श्री
तेजबहादुर, श्री
तेज सिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री ए० जी०
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
देवदत्तसिंह, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पब्बरराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री

बुलाकीराम , श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भीमसेन, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मन्नालाल, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महादेवप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महेशसिंह, श्री
माता प्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद, 'हंस' श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशोदादेवी, श्रीमती
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पांडेय, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन ,श्री

रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रूमसिंह, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लखमीसिंह, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीपालसिंह, कुंवर
सग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्री
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार,
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन (राहत मौलाई), श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोटः—मुख्य मंत्री, श्री चन्द्रभानु गुप्त तथा श्रम मन्त्री, श्रीमती सुचेता कृपालानी भी उपस्थित थीं।

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, ९ मार्च, १९६१

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

शंकर फ्लावर मिल्स, बरेली में हड़ताल

**१—श्री उग्रसेन (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)—क्या श्रम मंत्री को शंकर फ्लावर मिल्स, बरेली के मजदूरों की ओर से फरवरी के प्रथम सप्ताह में तार द्वारा यह सूचना मिली है कि प्रबन्धकों ने गैरकानूनी ढंग से जबरदस्ती यूनियन मंत्री के परिवार को उनके क्वार्टर से निकलवा दिया यदि ? हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ?

श्रम मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—जी हां। श्रमायुक्त से रिपोर्ट मांगी गई है।

**२—श्री उग्रसेन (अनुपस्थित)—क्या सरकार को इस बात की भी सूचना है कि मजदूरों ने उक्त घटना के विरोध में हड़ताल कर दी तथा एक मजदूर नेता ने अनशन भी प्रारम्भ कर दिया यदि ? हां, तो अब स्थिति क्या है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जी हां। दोनों पक्षों में ६ फरवरी, १९६१ ई० को समझौता हो गया।

फतेहगंज, लखनऊ की सड़क से रुकावट हटाने की पुलिस की सहायता

**३—कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि दिनांक १३ फरवरी, १९६१ को लखनऊ की फतेहपुर मंडी की लगभग २० दूकानों को पुलिस ने उजाड़ दिया तथा उनका सामान उठा ले गई ? यदि हां, तो किसकी आज्ञा से यह कार्य किया गया ? क्या सरकार उक्त घटना का पूरा विवरण देने की कृपा करेगी ?

सार्वजनिक निर्माण उपमंत्री (श्री धर्मसिंह)—लखनऊ नगर में फतेहपुर मंडी कोई नहीं है। १३-२-६१ को लखनऊ की फतेहगंज मंडी की कोई दूकान पुलिस ने नहीं उजाड़ी और न कोई सामान उठाकर फेंका। महापालिका लखनऊ ने इस तारीख को सड़क के पास जमीन पर रुकावट (obstruction) को हटाया था और तहबाजारी वसूली की थी। नगरपालिका की प्रार्थना पर पुलिस मौके पर सुरक्षा व शान्ति कायम रखने हेतु भेजी गई थी।

कुंवर श्रीपालसिंह—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पुलिस ने इस बात की जांच करके विश्वास कर लिया था कि जिस कार्य में पुलिस सहायता देने जा रही है वह अवैधानिक तो नहीं है ?

गृह मंत्री (श्री चरणसिंह)—म्युनिसिपल कारपोरेशन की तरफ से पुलिस से दरख्वास्त की गई थी उनकी मदद करने की इसलिए पलिस उनकी मदद करने के लिए हकबजानिब था। इसलिये उसकी वैधानिकता या अवैधानिकता के प्रश्न पर पुलिस गयी नहीं, लेकिन जहां तक इस पर्टीकुलर केस का ताल्लुक है वह वैसे भी वैधानिक था क्योंकि कुछ लोगों ने हाईकोर्ट में रिट पेटीशन दायर की थी और वह १० फरवरी को खारिज हो चुकी थी।

कुंवर श्रीपालसिंह---क्या माननीय मंत्री जी इस बात की जांच कराने का प्रयत्न करेंगे कि वह रिट पेटीशन १० तारीख को खारिज नहीं हुई थी बल्कि उस पर फैसला रिजर्व रखा गया था १६ तारीख के लिये और यह नगर महापालिका अपना कब्जा जमाने के लिये वहां नाजायज तरीके से गई थी जिसमें उसने पुलिस को इस्तेमाल किया ?

श्री चरणसिंह---मेरी इत्तिला के अनुसार १० तारीख को पेटीशन खारिज हो गई थी, लेकिन अगर नहीं भी खारिज हुई थी तो भी मैं इसको जरूरी नहीं समझता कि इसकी एन्क्वायरी की जाय क्योंकि पुलिस ने जो किया वह बिलकुल सही किया। जो कुछ जिम्मेदारी है वह म्युनिसिपल कारपोरेशन की है। ला ऐंड आर्डर भंग न हो जाय इसलिए उन्होंने पुलिस की इमदाद माँगी थी।

कुंवर श्रीपालसिंह---श्रीमन्, उत्तर में कहा यह गया है कि नगरमहापालिका जमीन पर से रुकावट हटाने के लिए पुलिस को ले गई थी, लेकिन मेरे पास कुछ फोटोज मौजूद हैं जिसमें कि ३० साल पुराने छज्जे जो वहां लगे हुए थे उनको हटा दिया गया है। उनसे जमीन से कोई ताल्लुक नहीं था। तो यह देखते हुए कि इस प्रकार की अवैधानिक कार्यवाही की गई थी पुलिस ने उसमें मदद क्यों की ?

श्री अध्यक्ष---आपके पास ऐसा फोटो है कि पुलिस ने छज्जे हटाये ?

कुंवर श्रीपालसिंह---पुलिस श्रीमन्, वहां मौजूद थी।

श्री अध्यक्ष---वह तो यह कहते हैं कि महापालिका ने इस तारीख को सड़क के पास जमीन पर रुकावट को हटाया था और तहबाजारी वसूली की थी। नगरपालिका की प्रार्थना पर पुलिस मौके पर सुरक्षा व शान्ति कायम रखने हेतु भेजी गई थी।

कुंवर श्रीपालसिंह---श्रीमन्, हमारे पास फोटो मौजूद है।

श्री अध्यक्ष---यह सवाल नहीं है। उनका कहना है कि पुलिस ने यह कुछ नहीं किया, यह सारा म्युनिसिपैलिटी ने किया है। अगर अवैधानिक है तो म्युनिसिपैलिटी ने किया है। वह तो सिर्फ यह है कि वहां कहीं डंडेबाजी अगर होती तो पुलिस मदाखलत कर सकती थी।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---क्या माननीय पुलिस मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि पुलिस जिन लोगों की प्रार्थना पर उनकी सहायता के लिए भेजी जाती है उसमें इस बात का भी ध्यान रखती है कि जिसने सहायता मांगी है वह सहायता वह वैधानिक कार्य के लिए मांग रहा है या अवैधानिक कार्य के लिए मांग रहा है ?

श्री चरणसिंह---अगर कोई कारपोरेट बाडी इस तरह की सहायता मांगे और मैं पुलिस आफिसर हूं तो मैं इसका विचार कुछ नहीं करूंगा और फौरन चला जाऊंगा। अगर कोई इंडिविजुअल मांगे तो उस पर विचार करूंगा।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)---क्या माननीय गृह मंत्री इस बात को बताने की कृपा करेंगे, जैसा उन्होंने कहा, कि ला एन्ड आर्डर मेन्टेन करना पुलिस का कर्त्तव्य है तो क्या पुलिस ने मदद देने के पहले इस बात का पता लगाया था कि वहां पर नक्जे अमन का खतरा है इसलिये मदद देनी चाहिये ?

श्री चरणसिंह---मुझको इसका इल्म नहीं है।

ठाकुरद्वारा तहसील में मालगुजारी में छूट देने का आश्वासन

**४---श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद) (अनुपस्थित)---क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मुरादाबाद में गत ३० जनवरी व २ फरवरी को हुई उपल वृष्टि के कारण फसल को ५० नये पैसे से अधिक हानि किस-किस तहसील के कितने ग्रामों में हुई है और उक्त ग्रामवासियों को सहायता देने के लिये जिलाधीश के क्या सुझाव आये हैं ?

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)---३० जनवरी व २ फरवरी, १९६१ को हुई उपल वृष्टि के कारण जिला मुरादाबाद की तहसील ठाकुरद्वारा के केवल २१ ग्रामों में फसल को रुपये में ५० नये पैसे की व उससे अधिक की हानि हुई है। जिलाधीश ने बताया है कि उपल वृष्टि से हुई क्षति की पूरी जांच की जा रही है और नियमानुसार लगान व मालगुजारी में छूट दी जावेगी।

शाहगंज तहसील में ओलापीड़ितों को तकावी

****५---**राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर) (अनुपस्थित) तथा कुंवर श्रीपालसिंह---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जौनपुर जनपद में १ व २ फरवरी, १९६१ की रात्रि में जो उपल वृष्टि हुई उसमें किन-किन तहसीलों के कितने-कितने ग्रामों में फसल को ५० नये पैसे से अधिक क्षति हुई है?

शिक्षा उपमंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)---१ व २ फरवरी, १९६१ की रात्रि में उपल वृष्टि से केवल शाहगंज तहसील के कुछ गावों में ५० नये पैसे से अधिक क्षति फसल को पहुंची। इस तहसील में कुल ४४ गांवों में १२ से १०० प्रतिशत की हानि का अनुमान है। ५० प्रतिशत से अधिक हानि वाले गांवों की ठीक संख्या फसल की विस्तृत एवं सम्यक् परताल के पश्चात् ही बतायी जा सकती है।

कुंवर श्रीपालसिंह---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि शाहगंज तहसील के जिन गांवों में उपल वृष्टि से क्षति का अनुमान है उन गांवों के लिये कोई सहायता दी गई? यदि हां, तो क्या?

श्री रामस्वरूप यादव---अभी तकावी १० हजार रुपये की तहसील शाहगंज में भेजी गई है।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस तहसील में उपल वृष्टि से जो हानि हुई थी उसके सम्बन्ध में क्या एक दफा जांच करने के बाद दूसरी दफा जांच करने के आदेश जारी किये गये हैं?

श्री रामस्वरूप यादव---जहां पर हानि होती है उसकी जांच होती है जिससे पता लगे कि लगान में कितनी माफी हो या कितनी मुल्तवी हो। जैसे नियम बने हुये हैं उसके अनुसार ही जांच हो रही है।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३०(४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न।]

श्री बाबूराम अहीर की एस० पी० एटा के विरुद्ध शिकायत

***१---**राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (अनुपस्थित)---सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या उसके पास एटा जिले के थाना मारहरा के बाबूराम अहीर, पुत्र मेघ सिंह नामक व्यक्ति की इस बात की कोई शिकायत प्रप्ति हुई है कि दिनांक ३० अगस्त, १९६० को वहां के एस० पी० ने प्रार्थी को अपने बंगले पर रात्रि के समय अपने अर्दली से बुरी तरह डन्डे से इस कारण पिटवाया था कि उस (बाबूराम) ने एस० पी० के कहने के अनुसार अपना बयान बदलने से इनकार कर दिया था?

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)---जी हां, ऐसा एक शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ था।

*२—राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (अनुपस्थित)—सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि क्या उस व्यक्ति, बाबूराम, ने अगले ही दिन अपनी चोटों का डाक्टरी मुआयना एटा के सिविल अस्पताल के इंचार्ज से कराकर उसकी एक वास्तविक प्रतिलिपि भी सरकार को इस प्रार्थना के साथ भेजी थी कि प्रार्थी को उपर्युक्त एस० पी० द्वारा अपने विरुद्ध किये गये इस अत्याचार के खिलाफ न्यायालय में धारा १९७ सी० आर० पी० सी० के अन्तर्गत कार्यवाही करने की आज्ञा प्रदान की जाय ? यदि हां, तो, सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इस पत्र के साथ डाक्टरी मुआयने की प्रति सम्बद्ध की गई थी और धारा १९७ सी० आर० पी० सी० के अन्तर्गत अनुमति मांगी गई थी । इस पत्र पर सरकार ने जांच कराई । उस जांच के परिणामस्वरूप अनुमति प्रदान करना उपयुक्त नहीं समझा गया ।

*३—राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (अनुपस्थित)—क्या सरकार को यह भी सूचना है कि एटा के इन्हीं एस० पी० ने दिनांक २१ सितम्बर, १९६० को एक अन्य व्यक्ति बाबूराम जाटव, पुत्र हरदेव को भी स्वयं लात, घूंसे और थप्पड़ों से इस कारण अपने बंगले पर मारा था कि इस व्यक्ति ने भी कप्तान साहब के कहने के अनुसार अपने बयानात लिखाने से इनकार कर दिया था और तत्पश्चात् इस व्यक्ति ने अगले दिन वहां के ए० डी० एम० (जे०) की अदालत में एस० पी० के विरुद्ध इस्तगासा दायर कर दिया जिसकी प्रतिलिपि भी सरकार व अन्य उच्च अधिकारियों को भेजी ? यदि हां, तो सरकार ने उस पुलिस अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां । यह सूचना है कि बाबूराम जाटव ने ए० डी० एम० (जे०) की अदालत में एस० पी०, एटा के विरुद्ध एक इस्तगासा दायर किया मगर अदालत ने यह इस्तगासा खारिज कर दिया । सरकार की ओर से किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

*४—श्री मूलचन्द्र (जिला सीतापुर)—[२३ मार्च, १९६१ के लिये स्थगित किया गया ।]

[९ मार्च १९६१ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न ।]

टिड्डियों का आक्रमण तथा झांसी जिले में क्षति

*१—श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि झांसी जिले में किन-किन स्थानों पर १५ सितम्बर, १९६० को टिड्डियों का आक्रमण हुआ था तथा उससे कितना नुकसान हुआ ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—झांसी जिले में गत १५ सितम्बर को ८ ग्रामों में टिड्डियों का आक्रमण हुआ था जिन के नाम तथा फसल को नुकसान का विवरण इस प्रकार है —

ग्राम	नुकसान
घिसौली, सेंकर, सुकवा	•• रुपये में २५ नये पैसे से कम
मैसनवारा कलां मैसनवारा खुर्द उगरपुर गेवरा गदेरा गधारी कलां	रुपये में ७५ नये पैसे से अधिक

*२—श्री मदन पांडेय (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि राज्य के अन्य किन भागों से टिड्डियों के आक्रमण की सूचना प्राप्त हुई है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—सन् १९६० में प्रदेश के अन्य २१ जिलों में से भी टिड्डियों के आक्रमण की सूचना प्राप्त हुई जिनके नाम इस प्रकार हैं:—

अलीगढ़, बदायूं, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, उन्नाव, रायबरेली, सहारनपुर, मेरठ, बुलन्दशहर, मथुरा, आगरा, एटा, मैनपुरी, हमीरपुर, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, मुजफ्फरनगर, आजमगढ़, मिर्जापुर और वाराणसी ।

*३–४—**श्री ताराचन्द माहेश्वरी** (जिला सीतापुर)—[१० मार्च, १९६१ के लिये प्रश्न १३–१४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

बनस्पति घी को रंगने के लिये सेन्ट्रल-ड्रग-रिसर्च इंस्टीट्यूट में 'रतनजोत' पर शोध

*५—**श्री मदन पांडेय** (अनुपस्थित)—क्या यह सत्य है कि सरकार को अभी हाल में यह जानकारी प्राप्त हुई है कि सेन्ट्रल-ड्रग-रिसर्च इन्स्टीट्यूट में शोधन होने के बाद कुमायूं क्षेत्र में बहुतायत से पाई जाने वाली 'रतनजोत' नामक बूटी से वनस्पति घी को रंगने का काम लिये जाने से जन-स्वास्थ्य पर बुरा असर भी नहीं पड़ेगा और असली घी से उसका रंग भी निखर जायगा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इस रंग पर अभी सेन्ट्रल ड्रग रिसर्च इन्स्टीट्यूट में जांच हो रही है । अभी तक किसी निश्चित निर्णय पर नहीं पहुंचा जा सका है ।

किंग जार्ज मेडिकल कालेज, लखनऊ में बी० एम० बी० एस० कोर्स पर व्यय

*६—**श्री रामसुन्दर पांडेय** (जिला आजमगढ़)—क्या मुख्य मंत्री १ सितम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ९ के उत्तर के क्रम में बताने की कृपा करेंगे कि १९४९ में नियुक्त बी० एम० बी० एस० के पढ़ाने हेतु अध्यापकों एवं कर्मचारीगण का वेतन १९५३ तक प्रत्येक वर्ष में अलग-अलग कितना दिया गया ?

श्री धर्मसिंह—

			अध्यापकों पर	कर्मचारियों पर
			रु०	रु०
१९४९–५०	..	..	१४,८१३·६२	६,९८३·८१
१९५०–५१	..	..	२९,८८४·७५	१८,५७१·५६
१९५१–५२	..	..	४०,५३६·००	२७,२३०·६२
१९५२–५३	..	..	७३,५७७·०६	३२,९६६·३९

*७—**श्री रामसुन्दर पांडेय**—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १९५९ में समस्त शेष अध्यापकों एवं कर्मचारीगण पर कितना रुपया वेतन मद में व्यय हुआ है ?

श्री धर्मसिंह—

			रु०	रु०
१९५९–६०	..	..	४२,८१५·१७	२२,५८७·३७

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि १९५२ से १९५९ तक लगातार इन कर्मचारियों और अधिकारियों की वेतन-वृद्धि होने का क्या कारण है ?

श्री धर्मसिंह—यह टीचर्स और स्टूडेन्ट्स की तादाद के ऊपर होता रहा है। जैसे-जैसे यूनिवर्सिटी की मांग आती रही सरकार ने उस पर विचार किया और विचार करने के बाद मनी एलाट किया।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि १९५९ में कम होने का क्या कारण है ?

श्री धर्मसिंह—जहां तक १९५९-६० से सम्बन्धित इस मद का सवाल है बी० एम० बी० एस० के लड़कों के लिये कोई भी पैसा इस मद में सरकार की तरफ से नहीं दिया जा रहा है। यूनिवर्सिटी अपनी डैफिसिट ग्रान्ट से इस पर खर्चा करती चली आ रही है जैसा कि उत्तर में निवेदन किया गया है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या यह सही है कि इस बी० एम० बी० एस० की पढ़ाई के लिये यहां के बजाय टूड़ियागंज में इन्तजाम कर दिया गया है और फिर भी यह ७३ हजार और ४२ हजार खर्च किया गया, इसका कारण क्या है ?

श्री धर्मसिंह—जब यह प्रपोजल सरकार के पास स्वीकृति के लिये आया तो सरकार ने साफ मना कर दिया कि कोई स्वीकृति हम नहीं देते हैं, इस पार्टिकुलर ग्रान्ट में हम कोई पैसा नहीं दे रहे हैं और उन से बराबर पूछा जा रहा है कि जब विद्यार्थी आते नहीं हैं तो यह खर्च कैसे हुआ। इसके लिये विचार हो रहा है और लिखा-पढ़ी चल रही है।

जिला बोर्ड, कानपुर को सीमेंट व कोयले का कोटा

*८—**श्री रामस्वरूप वर्मा** (जिला कानपुर) (अनुपस्थित)—क्या खाद्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला बोर्ड, कानपुर के लिये १ मई, १९४८ से १ मई, १९५९ तक कितना कोयला व सीमेंट का कोटा प्रति वर्ष निर्धारित किया गया और कितना प्रति वर्ष दिया गया ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—विवरण संलग्न तालिका† १ तथा २ में दिया है।

*९—**श्री रामस्वरूप वर्मा** (अनुपस्थित)—क्या खाद्य मंत्री सूचित करने की कृपा करेंगे कि उपर्युक्त प्राप्त कोटा जिला बोर्ड के कामों में कहां-कहां किस हेतु प्रयोग में लाया गया ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जहां तक कोयले का प्रश्न है आवश्यक विवरण† तालिका १ के स्तम्भ ५ में अंकित है। जहां तक सीमेंट का प्रश्न है उन कार्यों की सूची जिसमें यह सीमेंट काम में लाई गई, तालिका† २ के स्तम्भ ८ के अन्तर्गत दी हुई है परन्तु उन स्थानों का ब्योरा, जहां यह कार्य सम्पन्न हुए हैं प्राप्त करने में बहुत समय लगने की सम्भावना है जो जनता के हित को ध्यान में रखते हुए उचित नहीं प्रतीत होता है।

वस्त्रोत्पादन बढ़ाने की योजना

*१०—**श्री ऊदल** (जिला वाराणसी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सरकार ने सहकारी क्षेत्र में वस्त्रोत्पादन बढ़ाने की योजना बनाई है ? यदि हां, तो उसकी रूप-रेखा क्या है और क्या वह द्वितीय योजना काल में चालू हो सकेगी ?

सूचना उपमंत्री (श्री रऊफ जाफरी)—(क) जी हां।

(ख) इस योजना के अन्तर्गत द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में ४ सूत तैयार करने के कारखाने तथा ७५० शक्ति चालित करघे लगाने का प्रस्ताव है।

(ग) जी हां।

---

†तालिकायें छापी नहीं गयीं।

*११—श्री ऊदल—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वह उपर्युक्त योजना में कितने विद्युत् चालित करघों तथा सूत की मिलों की स्थापना करने जा रही है ?

श्री रऊफ जाफरी—उपर्युक्त योजना के अन्तर्गत ४ सूत तैयार करने के कारखाने तथा ७५० शक्ति चालित करघे लगाने का प्रस्ताव है ।

*१२—श्री ऊदल—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रत्येक प्राथमिक सहकारी समिति को कितने विद्युत् चालित करघे एलाट किये जायेंगे ? क्या इनको कुछ कर्ज तथा अनुदान भी सरकार देने जा रही है ? यदि हां, तो कितना ?

श्री रऊफ जाफरी—(क) प्रत्येक सहकारी समिति को अधिक से अधिक १५ शक्ति-चालित करघे एलाट किए जा सकते हैं ।

(ख) जी हां ।

(ग) सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ८०९ पर)

श्री ऊदल—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह जो सूत तैयार करने के कारखाने लगने वाले थे वे कहां-कहां अब तक लग चुके हैं ?

श्री रऊफ जाफरी—दो कारखाने लग चुके हैं एक टांडा में और दूसरा खलीलाबाद, जिला बस्ती में । ये करीब-करीब तैयार हो चुके हैं और बकिया दोनों के सिलसिले में अभी कुछ तय नहीं हुआ है ।

श्री अध्यक्ष—मैं माननीय मुख्य मंत्री से कहूंगा कि वे भी अपने को श्रम मंत्री लिखते हैं और श्रीमती कृपालानी भी लिखती हैं श्रम मंत्री, तो इसका परिणाम यह होता है कि जब मैं श्रम मंत्री को बुलाता हूं तो उधर वे खड़े हो जाते हैं और बाद में पता चलता है कि प्रश्न आपका है ।

श्री रऊफ जाफरी—उनको, श्रीमन्, आप विकास मंत्री करके बुलायें ।

श्री अध्यक्ष—मैं स्पष्ट कर दूं इस बात को । जैसा मेरे पास लिखा हुआ आता है उसी तरह से मैं बुलाता हूं । इसमें श्रम मंत्री लिखा हुआ है, हमारे यहां डेजिगनेशन है श्रम मंत्री का । इसे जरा आप स्पष्ट कर दें ।

श्रीमती सुचेता कृपालानी—मैं श्रम मंत्री हूं और छोटे उद्योग की मंत्री भी । यह सवाल मेरे नाम पर है छोटे उद्योग की मंत्री होने की हैसियत से, और उसका जवाब जाफरी साहब दे रहे हैं ।

श्री ऊदल—मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उन दो मिलों के लिये जो अभी तक तैयार नहीं हुई हैं, क्या सरकार ने कोई स्थान चुन लिया है या नहीं और दूसरे जो ७५० शक्ति चालित करघे लगने वाले थे उनमें से कितने करघे सहकारी समितियों को एलाट कर दिये गये हैं ?

श्री रऊफ जाफरी—जैसा कि कहा गया है, शेष के मुताल्लिक अभी स्थान नहीं मिला है और उनकी सैंक्शन भी नहीं हुई है । २६८ पावर लूम एलाट हो चुके हैं । जो बकिया हैं उनकी जब सैंक्शन हो जायेगी तो वह भी वित्तीय वर्ष के अन्दर चालू हो जायेंगे ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि उनके पास क्या खादी बोर्ड की यह शिकायत आई है कि विद्युत् चालित करघों को मिलों के उद्योग से हानि पहुंचती है ?

श्री रऊफ जाफरी—यह सवाल तो इससे उठता नहीं । अलग सवाल है, लेकिन ऐसी शिकायत है ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—श्रीमन्, लघु उद्योग के दो मंत्री हो गये हैं और इससे बड़ी द्विविधा सी हो जाती है और यह पता नहीं लग पाता कि कौन से मंत्री सवाल का जवाब देंगे । अभी एक सवाल का उत्तर माननीय मंत्राणी जी देना चाहती थीं, किन्तु उसका उत्तर दूसरे डिप्टी मिनिस्टर साहब ने दे दिया । तो जब मंत्राणी जी खड़ी हो रही थीं, तो उनको उत्तर देना चाहिये था ।

श्री अध्यक्ष—दोनों को खड़े एक साथ नहीं होना चाहिये था ।

(हंसी)

श्री ऊदल—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन करघों को सहकारी समितियों ने लगाया था उनको भी सरकार ने कोई अनुदान दिया है क्योंकि जो उत्तर हमें मिला है उसमें अनुदान के संबंध में लिखा है कि "जी हां" ?

श्री रऊफ जाफरी—जहां तक इसका ताल्लुक है वह तो सूची में दिया गया है । सरकार इसमें ऋण देती है ।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बड़े उद्योगों को भी छोटे उद्योगों की मंत्राणी को दे देने का कष्ट करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—वह तो दिया ही है ।

श्री गेंदासिंह—जी नहीं । मैं चाहता हूं कि छोटे उद्योग के मंत्री ही बड़े उद्योग का कार्य भार संभाल लें और एक ही मंत्री प्रश्नों का उत्तर दिया करें तो आसानी हो ।

श्री अध्यक्ष—वह उनकी तरफ से तो दिया ही जाता है । इस समय वह गलत जगह पर बैठे हुये हैं, उनको उनके पास होना चाहिये था और अगर वे उनके ही पास बैठे होते तो यह गड़बड़ी न होती ।

(हंसी)

श्री गेंदासिंह—श्रीमन्, यह बड़ा उद्योग, छोटे उद्योग का दुश्मन है ।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वस्त्र उद्योग को बढ़ाने की कोई योजना इस सरकार ने अब तक क्यों नहीं बनायी है ?

श्री रऊफ जाफरी—यह सवाल इससे कहां उठता है ? यह तो पावर लूम के सिलसिले में है ।

श्री भजनलाल (जिला इटावा)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इटावा में वस्त्र उत्पादन के लिये जो मिल बनने जा रही है वह कब तक चालू हो जायेगी ?

श्री रऊफ जाफरी—श्रीमन्, यह तो पावर लूम के सिलसिले में सवाल है न कि सूती मिल आदि के बारे में । मैंने कहा कि यह इससे उठता नहीं ।

श्री अध्यक्ष—यह शब्द "वस्त्र" है, कपड़े से इसका मतलब है ।

श्री रऊफ जाफरी—जी हां, उसको मैंने समझ लिया है । वह इससे कहां उठता है ?

श्री अध्यक्ष—(श्री भजनलाल से) आप अपने प्रश्न को मूल प्रश्न से मिलाकर ही पूछ लें।

श्री भजनलाल—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इटावा नगर में वस्त्र-उत्पादन के हेतु नयी मिल खोलने की जो योजना चालू हो रही है, वह कब तक पूरी हो जायेगी ?

श्री रऊफ जाफरी—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री ऊदल—क्या माननीय मंत्री की बताने की कृपा करेंगे कि यह जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था ७५० करघों का और ४ सूती मिलों का, अब द्वितीय योजना का आखिरी वर्ष है तो क्या सारे के सारे लक्ष्य इस अवधि में पूरे हो जायेंगे ?

श्री रऊफ जाफरी—जी हां, ऐसी उम्मीद की जाती है।

नवीन ढंग के शौचालय

*१३—श्री मुक्तिनाथ राय (जिला आजमगढ़)—सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या राज्य सरकार के विकास अन्वेषणालय द्वारा बनाई आधुनिक शौचालयों की डिजाइन के अनुरूप अपने घरों पर शौचालयों के निर्माण के लिये प्रदेश के जिलों के ग्रामीण अंचल में व्यक्तिगत आधार पर आर्थिक सहायता देने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

श्रम उपमंत्री (श्री वसी नकवी)—जी नहीं।

*१४—श्री मुक्तिनाथ राय—यदि हां, तो वह योजना क्या है ?

श्री वसी नकवी—प्रश्न नहीं उठता।

श्री मुक्तिनाथ राय—क्या मंत्री जी कृपा कर बतायेंगे कि वह ग्रामीण क्षेत्रों में इसका पूरा प्रचार हो और उसका उपयोग हो, इसकी वह व्यवस्था कर रहे हैं ?

श्री वसी नकवी—यह योजना व्यक्तिगत रूप से अनुदान देने के लिये नहीं है, अथवा उसके प्रचार का सवाल नहीं है, लेकिन शौचालयों का जो नव-निर्माण हो रहा है तो उसके लिये ब्लाक के लोग प्रचार करते हैं।

श्री मुक्तिनाथ राय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह देखते हुये कि ब्लाक को खुले काफी दिन हो गये, इस दिशा में काम बिलकुल नहीं हो रहा है, तो इसको सूचना मानकर ब्लाक स्तर पर ऐसे आदेश भिजवायेंगे कि इस संबंध में ज्यादा काम किया जाय और प्रचार किया जाय ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—इस काम के ऊपर रिसर्च हो रहा है और दो पायलट एरियाज में जहां शौचालय खोल दिये हैं, वहां व्यक्तिगत रूप से मदद मिलती है, वह हैं चिनहट और मेरठ, लेकिन जो मदद मिलती है वह केंद्रीय सरकार की तरफ से ५० फीसदी और हमारी स्टेट से २५ फीसदी दी जाती है। मगर आम स्कीम को व्यक्तिगत रूप से मदद का कोई प्रबन्ध नहीं है। यह स्कीम अच्छी तरह चलाने के लिये हिदायत सब जगह दी गयी है और कोशिश की जा रही है कि यह स्कीम बहुत पापुलर बनायी जाय।

चौधरी दाताराम (जिला सहारनपुर)—माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह शौचालय की स्कीम कामयाब भी हो सकती है या नहीं, इसका कोई तजुर्बा कर लिया गया है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—पायलट स्कीम चलते हुये बहुत तजुर्बा कर लिया गया है। मैं खुद भी जाकर देखती हूं और समझती हूं कि यह अच्छी और सस्ती स्कीम है, सिर्फ लोगों में आदत डालने की जरूरत है। यह थोड़े पैसे में चल सकती है।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या माननीया मंत्राणी बताने की कृपा करेंगी कि आधुनिक शौचालयों की उपयोगिता को देखते हुये विकास क्षेत्रों में इसका अधिक से अधिक प्रचार हो सके, इसके लिये भी सरकार ने विचार किया है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—इसका जवाब तो मैंने दे दिया कि यह अच्छी स्कीम है। इसका प्रचार करने के लिये डिपार्टमेंट को हिदायत दे दी गयी है और कोशिश की जा रही है कि सभी ब्लाकों में यह स्कीम चालू हो जाय।

श्री इन्दुभूषण गुप्त (जिला आजमगढ़)—इसके लिये गांव सभाओं को वह अनुदान देने के लिये इजाजत देंगे ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—यह सजेशन है, इसके ऊपर विचार करेंगे। गांव सभाओं को अनुदान देने की कोई खास स्कीम नहीं है।

*१५-१६—**श्री ताराचन्द माहेश्वरी** (अनुपस्थित)—[२३ मार्च, १९६१ के लिये स्थगित किया गया।]

डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल आफ पुलिस का लखनऊ रेंज में दौरा

*१७—**श्री ताराचन्द माहेश्वरी** (अनुपस्थित)—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डिप्टी इन्स्पेक्टर जनरल आफ पुलिस, सेंट्रल रेंज (लखनऊ रेंज), उत्तर प्रदेश ने सितम्बर, १९६० को किन-किन तारीखों में रेंज के अन्तर्गत कौन-कौन से जिलों का निरीक्षण किया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—डिप्टी इन्सपेक्टर जनरल आफ पुलिस, लखनऊ रेंज ने सितम्बर, १९६० में निम्नलिखित जिलों का, उनके सामने लिखी हुई तिथियों को, बरसाती निरीक्षण किया :—

(१) सीतापुर १९-९-६० से २२-९-६० तक।

(२) खीरी २२-९-६० से २५-९-६० तक।

मिर्जा गालिब, नजीर अकबराबादी तथा सूरदास से सम्बन्धित स्थानों के विकास के लिये सुझाव

*१८—**श्री लक्ष्मणराव कदम** (जिला झांसी)—सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या उसके टूरिस्ट विभाग ने प्रसिद्ध शायर मिर्जा गालिब के आगरे के उस "काला महल" नामक निवास-स्थान को जिसमें उनका जन्म हुआ था ऐक्वायर करने के लिये कोई सुझाव भेजा था और वह तृतीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित कर लिया गया है ?

श्री वसी नकवी—जी नहीं।

*१९—**श्री लक्ष्मणराव कदम**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या उक्त टूरिस्ट विभाग ने हिन्दुस्तान के प्रथम श्रेणी के शायर नजीर अकबरावादी के उस मकबरे के डेवलपमेन्ट के लिये भी कोई सुझाव भेजा है जो कि ताजमहल के पास स्थित है ?

श्री वसी नकवी—जी नहीं।

*२०--श्री लक्ष्मणराव कदम--सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि क्या उक्त विभाग ने आगरा से ग्यारह मील के अन्तर पर आगरा-बम्बई सड़क पर स्थित "सूर कुटी" नामक भक्त व कवि शिरोमणि सूरदास जी के स्थान के भी डवलपमेन्ट के लिये सिफारिश की है ?

श्री वसी नकवी--जी नहीं ।

श्री लक्ष्मणराव कदम--क्या माननीय मंत्री जी उक्त सुझावों को मेरा सुझाव मानकर, उनके महत्व को देखते हुये अगले द्वितीय बजट के अथवा तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत उनपर विचार करने की कृपा करेंगे ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--इसके ऊपर हम कोई पक्का वादा नहीं कर सकते, लेकिन इसपर विचार जरूर करेंगे।

मेंटल हास्पिटल, बरेली से श्री जैतसिंह की रिहाई

*२१--श्री गोविन्दसिंह विष्ट--बरेली मेंटल अस्पताल से ३० मई, १९५८ को छोड़े गये श्री जैतसिंह के लापता हो जाने के बारे में क्या मुख्य मंत्री, १२ दिसम्बर, १९५८ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १२८ के उत्तर के क्रम में कृपया बतायेंगे कि जांच किस ने की और उसका नतीजा क्या हुआ ?

श्री धर्मसिंह--बरेली मेंटल अस्पताल से ३० मई, १९५८ को छोड़े गये श्री जैतसिंह के लापता हो जाने के बारे में शासन ने जिलाधीश, नैनीताल द्वारा जांच करवाई। जांच से पता चला कि रोगी की मृत्यु ज्योलिकोट, जिला नैनीताल के निकट हो गई, किन्तु इस मृत्यु में किसी का कोई हाथ अथवा षड़यंत्र नहीं था।

*२२--श्री गोविन्दसिंह विष्ट--क्या यह सही है कि अपने लड़के को पागलखाने से ले जाने की बाबत श्री खीमसिंह को जो पत्र लिखा गया था वह ऐसे वक्त स डाला गया कि श्री खीमसिंह ३० मई प्रातः तक बरेली नहीं पहुंच सकते थे ?

श्री धर्मसिंह--जी हां।

*२३--श्री गोविन्दसिंह विष्ट--क्या सरकार को शिकायत मिली है कि उक्त पागल की हत्या कर के किसी ने उसकी लाश दूर फेंक दी ?

श्री धर्मसिंह--नवम्बर, १९५८ में श्री खीमसिंह की एक शिकायत शासन को प्राप्त हुई थी जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि उनके पुत्र की हत्या करवा डाली गई। लाश को फिकवा देने की कोई शिकायत शासन को नहीं मिली। किन्तु जांच करने पर उक्त आरोप भी गलत सिद्ध हुआ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब रोगी छोड़ा गया था तो उसका दिमाग ठीक नहीं था, पागल की हालत में था ?

श्री धर्मसिंह--यह बात ठीक नहीं है, वह बिलकुल ठीक था। जहां तक मेंटल हास्पिटल के अधिकारियों का संबंध है उन्होंने टिकट लिवाकर उसको स्टेशन पर बिठलवा दिया था। उस वक्त उसकी हालत बिलकुल ठीक थी।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब वह पागल था और इसीलिये भरती किया गया था तब क्या वजह है कि उसके पिता को इतनी देर से सूचना दी गई जोकि दूसरे सवाल में स्वीकार भी किया गया है कि उसको खबर पहुंच नहीं सकती थी और उसके पहले ही उसको छोड़ दिया गया ?

श्री धर्मसिंह--यह ठीक है कि मेंटल हास्पिटल के नियमों के अनुसार इत्तिला नहीं दी गई और उसमें देरी हुई।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जांच किस अधिकारी ने की और उसकी रिपोर्ट क्या है ?

श्री धर्मसिंह--जैसा मैंने निवेदन किया डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के द्वारा रिपोर्ट मंगाई गई, उन्होंने पुलिस इत्यादि से रिपोर्ट ली और जैसा कि पुलिस का तरीका है एस० ओ० से रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि जैसा प्रार्थना-पत्र में कहा गया है कि उसको किसी ने मरवा डाला, यह बात गलत है।

कुंवर श्रीपालसिंह--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या उसकी लाश का पोस्टमार्टम किया गया या नहीं ? यदि हां, तो पोस्टमार्टम की क्या रिपोर्ट है ?

श्री धर्मसिंह--पोस्टमार्टम नहीं किया गया, उसकी नेचरल डेथ थी। चूंकि पता नहीं था कि किसकी लाश है इसलिये पंचनामा भरवा कर पुलिस द्वारा वहीं पर उसको समाप्त कर दिया गया था।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--इस बात को देखते हुये कि एक पागल को ऐसे मौके से छोड़ा गया जो नियम के विरुद्ध था, उसके घर को भी इत्तिला नहीं भेजी गई, पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ और जो जांच हुई वह पुलिस के निम्न अधिकारियों द्वारा हुई जबकि उसका पिता कहता है कि उसको मरवा डाला गया, क्या मन्त्री जी खुफिया पुलिस द्वारा इसकी जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री धर्मसिंह--पूरे तरीके से जांच करवा ली गई है और उसके आधार पर कहा जाता है कि नेचुरल डेथ हुई, उसको किसी ने नहीं मारा।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या सरकार बतायेगी कि जिस अधिकारी ने समय से उसके पिता को सूचना नहीं दी उसके खिलाफ सरकार ने अबतक क्या कार्यवाही की है ?

श्री धर्मसिंह--जहांतक उस अस्पताल के सुपरिन्टेन्डेन्ट का सम्बन्ध है उनको सख्त हिदायत (वार्निंग) दी गई है कि भविष्य में इस बात का ध्यान रखें और हेड क्लर्क जिसने कि देर से इत्तला दी उनका इंक्रीमेंट इत्यादि रोक दिया गया है।

श्री गेंदासिंह--क्या सरकार ने इस बात का इत्मीनान कर लिया है कि वह ऐसी हालत में पागलखाने से नहीं छोड़ा गया जबकि मरने की सूरत में था या वहीं मरा हो और फर्जी कागज बना लिये गये हों कि वह बाहर मरा ?

श्री धर्मसिंह--ऐसी बात नहीं है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--क्या मंत्रीजी को ज्ञात है कि दरअसल वह मर गया था और उसके बाद उसको छोड़ा और चिट्ठी नकली भेजी गई थी इसीलिये वह घर पर नहीं पहुंची, सिर्फ केस बनाने के लिये यह कह दिया कि वह भेज दिया गया था ?

श्री धर्मसिंह--जी नहीं, यह बात सत्य नहीं है।

पुखरायां तहसील में लेखपालों की पुनर्नियुक्ति

*२४--श्री रामस्वरूप वर्मा (अनुपस्थित)--क्या न्याय मंत्री कृपया बतायेंगे कि उपसचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, राजस्व (ख) विभाग के सरकारी आदेश संख्या ८७९८-आई० बी०--१५७५८, दिनांक ३० अगस्त, १९५८ के अनुसार कानपुर जिले की पुखरायां तहसील में कितने लेखपाल पुनः नौकरी पर लिये गये और जो नौकरी पर पुनः नहीं लिये गये उनके नाम क्या हैं तथा उनके न लेने के क्या कारण हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--प्रालोच्य राज्यादेश से सम्बन्धित कोई भी प्रकरण (case) पुखरायां तहसील में नहीं था। अतः यह प्रश्न नहीं उठता।

*२५--२६--**श्री प्रतापसिंह**--[२३ मार्च, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

गोंडा जिले में विभिन्न चिकित्सालयों पर व्यय

*२७--**श्री रघुरनतेजबहादुरसिंह** (जिला गोंडा) (अनुपस्थित)--क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला गोंडा में निम्नलिखित एलोपैथिक एवं आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में प्रतिवर्ष कितने मूल्य की दवा दी जाती है तथा उन चिकित्सालयों में कर्मचारियों के ऊपर वेतन आदि के रूप में कितना धन व्यय किया जाता है--

(१) ऐलोपैथिक जिला अस्पताल, गोंडा, (२) सादुल्ला नगर और (३) मनकापुर;

(१) आयुर्वेदिक अस्पताल मजगवां, (२) मछलीगांव और (३) रेहरा बाजार?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--वित्तीय वर्ष १९५९-६० में राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय, मजगवां में दवा पर ३९४ रु० ६० नए पैसे तथा कर्मचारियों के वेतन पर ४,०९२ रु०, राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय, मछलीगांव में दवा पर ४२३ रु० ३२ नए पैसे तथा कर्मचारियों के वेतन पर ४,१२८ रु०, राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय, रेहराबाजार में दवा पर ४८२ रु० १ नया पैसा तथा कर्मचारियों के वेतन पर ४,१०४ रु० और जिला एलोपैथिक चित्सिालय, गोंडा में दवा पर २७,८४९ रु० ९ नए पैसे तथा कर्मचारियों के वेतन पर ३५,५२६ रु० व्यय हुआ।

एलोपैथिक चिकित्सालय, सादुल्लानगर तथा मनकापुर से सम्बन्धित सूचना एकत्र की जा रही है।

हाथरस क्षेत्र में उद्योग प्रोत्साहन योजना

*२८--**श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ** (जिला अलीगढ़)--श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में किन-किन छोटे उद्योगों को हाथरस क्षेत्र में प्रोत्साहन दिया जा रहा है और वे कब तक चालू हो सकेंगे?

श्री रऊफ जाफरी--(क) तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत हाथरस क्षेत्र में निम्नलिखित उद्योगों को प्रोत्साहन देने का विचार है :--

१--काष्ठ-कला, लोह-कला, फिटर-कम-मेकेनिक आदि शिल्पों में औद्योगिक प्रशिक्षण के एक कुंज की स्थापना, तथा

२--औद्योगिक आस्थान योजना के अन्तर्गत लघुस्तर उद्योगों की स्थापना के लिये ३५ एकड़ भूमि में एक औद्योगिक आस्थान की स्थापना,

(ख) उक्त औद्योगिक प्रशिक्षण कुंज १९६२-६३ में तथा औद्योगिक आस्थान १९६१-६२ में आरम्भ करने का प्रस्ताव है। स्थापना के बाद ही वे चालू हो सकेंगे।

*२९--**श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ**--उक्त उद्योगों पर सरकार कितनी आर्थिक सहायता, कितना ऋण और कितनी अन्य प्रकार की सहायता देने का अनुमान करती है?

श्री रऊफ जाफरी--राज्य सरकार की ऋण व अनुदान योजना के अन्तर्गत सभी आर्थिक सुविधायें इस क्षेत्र के लिये भी उपलब्ध होंगी। औद्योगिक आस्थान की स्थापना के लिये भूमि के क्रय एवं उसके समतल करन में ७ लाख रुपया सरकार स्वयं व्यय करेगी।

*३०—श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त उद्योगों से कितने लोगों को काम मिल सकेगा और कितना उत्पादन बढ़ जायेगा ?

श्री रऊफ जाफरी—प्रशिक्षण कुंज में १२८ व्यक्तियों को प्रशिक्षित कर उन्हें सहकारी समितियों में संगठित करके विभिन्न प्रकार की सहायताओं द्वारा कार्य में लगाने का आयोजन है ।

औद्योगिक आस्थान में कारखाने स्थापित हो जाने के पश्चात् लगभग ५,००० व्यक्तियों को कार्य मिलने तथा लगभग ३० लाख रुपये मासिक का उत्पादन होने की आशा की जाती है ।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि क्या सरकार इन औद्योगिक आस्थानों में ऐसे उद्योगों को प्रोत्साहन देने जा रही है जिनमें छोटे-छोटे पुर्जे घरेलू उद्योगों में बनें और फिर उनका असेम्बलिंग और फिनिशिंग इन बड़े आस्थानों में हो ?

श्री रऊफ जाफरी—अभी तो जमीन एलाट होगी । जब कारखाना लग जायगा तब इस बात को जरूर देखा जायगा कि प्रायरिटी किस काम को दी जाय। एडमिनिस्ट्रेशन इस बात को देखेगा ।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि यह आस्थान शासनिक होंगे अथवा नागरिक औद्योगिक कारपोरेशन के ? इनका निर्माण कार्य कब तक आरम्भ हो जायगा ?

श्री रऊफ जाफरी—ये तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्दर रखे गये हैं । उसके आरम्भ में ही शुरू हो सकेंगे ।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि इन उद्योगों में उत्पादित वस्तुओं को शीघ्र खत्म कराने के लिये, क्रेडिट मार्केटिंग फैसिलिटीज के लिये सरकार ने क्या कोई योजना बनायी है ? सस्ते मूल्य पर चीजों को दिलाने की क्या योजना है ?

श्री रऊफ जाफरी—क्रेडिट मार्केटिंग की जो सुविधायें और स्थानों पर हैं वे यहां भी दी जायंगी । ये कारखाने प्राइवेट सेक्टर के अधिकार में होंगे । जहां तक कच्चा माल तथा दूसरी चीजें सस्ती देने का सवाल है , प्राइवेट सेक्टर को जो सहूलियतें दी जाती हैं, वही उनको भी हासिल रहेंगी ।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—मैंने यह निवेदन किया कि बिजली सस्ते मूल्य पर औद्योगिक कार्यों के मिलने की क्या सम्भावनायें हैं ?

श्री रऊफ जाफरी—इसके लिये कोई खास योजना तो इस वक्त नहीं है, लेकिन सरकार को इस बात का ध्यान बराबर रहता है कि इंडस्ट्रियल कामों के लिये कम दामों पर बिजली दी जाय और इसकी कोशिश बराबर रहेगी ।

वृद्धावस्था पेंशन

*३१—श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)—श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ओल्ड एज पेन्शन जो १५ रुपये मासिक दी जाती है उसे बढ़ाने पर विचार कर रही है ?

श्री वसी नकवी—जी नहीं ।

श्री भगवतीसिंह विशारद—क्या माननीय श्रम मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि यह ओल्ड एज पेन्शन की योजना जो सन् १९५७ में चालू की गयी थी तब से जीवन निर्वाह का व्यय बहुत बढ़ गया है, महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जाती है, तो इस समय भी जो १५ रुपये मासिक पेन्शन दी जाती है उस रकम को बढ़ाने की कृपा करेंगे ?

श्री वसी नकवी—जी नहीं, गवर्नमेंट के रिसोर्सेज कम हैं क्योंकि अगर हम ५० हजार लोगों को ओल्ड एज पेन्शन दें तो वह जाकर करोड़ों तक रकम पहुंच जाती है।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—मुझे सूचना है कि ६५ वर्ष की उम्र से ऊपर वालों को पेंशन दी जाती है, लेकिन ६५ वर्ष से ऊपर उम्र वालों में से बहुतों की अर्जियां ऐसे ही पड़ी रह जाती हैं। तो क्या सरकार सभी ६५ वर्ष की उम्र से ऊपर वालों को यह १५ रुपये की पेंशन देने की कोई व्यवस्था करेगी ?

श्री अध्यक्ष—मेरा खयाल है कि यह प्रश्न करके आप सरकार से डबल कमिटल कराना चाहते हैं क्योंकि सरकार ने तो ७० वर्ष से ऊपर वालों के लिये यह योजना बनायी है, लेकिन आप ६५ वर्ष तक वालों के लिये इसे कराना चाहते हैं।

श्रीमती सुचेता कृपालानी—माननीय सदस्य की इन्फार्मेशन गलत है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय श्रम मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि किस उम्र तक के लोगों को ओल्ड एज पेंशन देने का नियम है और क्या प्रदेश के सभी उस उम्र तक के लोगों को ओल्ड एज पेंशन देने की कोई सोशल वेलफेयर स्कीम है जैसाकि और देशों में है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—७० वर्ष से ऊपर उम्र वालों को यह पेंशन दी जाती है। जब सेंसेस हो जायगा तब पता चलेगा कि ७० वर्ष से ऊपर उम्र वाले अपने प्रदेश में कितने हैं, लेकिन पहले वाले सेंसेस के मुताबिक भी ७० वर्ष से ऊपर की उम्र वालों में से १० फीसदी को भी यह पेंशन दी जाय तो करीब १.५ लाख लोगों को वह देनी पड़ेगी और अगर १५रुपये मासिक के हिसाब से ही पेंशन दी जाय तो दो करोड़ रुपया सिर्फ उन्हीं को देना पड़ेगा। ऐसी हालत में नामुमकिन है सब को तथा अधिक देना। इसलिये ही १५ रुपये मासिक का फैसला किया गया है।

श्री भगवतीसिंह विशारद—क्या श्रम मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जब यह योजना चलायी गयी थी तो इसका मूल उद्देश्य क्या था ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जो बुड्ढे और गरीब लोग हैं उनकी मदद की जाय।

श्री गेंदासिंह—मैं यह जानना चाहता हूं कि सिर्फ १० फीसदी बुड्ढों को ही पेंशन दिये जाने की बात है, तो उन बुड्ढों की तमीज कैसे की जाती है कि ये बुड्ढे पात्र हैं उस पेंशन के ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—इसके नियम बने हुये हैं। डेस्टिच्यूड बुड्ढा उनको माना जाता है जिनके यहां सहारे के लिये कोई रोजगार वाला नहीं होता। उन्हीं को यह पेंशन दी जाती है।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जो इस प्रदेश में पेंशन के हकदार हैं और ७० साल के हैं, उनको भी पेंशन मिलनी चाहिये, इस पर कभी सरकार ने विचार किया है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—पोलिटिकल सफरर्स को भी मदद देने के नियम बने हुये हैं। पोलिटिकल पेंशन के तौर पर देने के लिये श्री मुजफ्फर साहब के पास कुछ फंड है, उन से आप कहें।

श्री ऊदल--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि अभी हाल में ८-१० दिन पहले वृद्धावस्था पेंशन कमेटी की कोई बैठक माननीया श्रम मंत्री की अध्यक्षता में हुई थी और उसने सरकार से सिफारिश की है कि जो नियम पहले के हैं वे बहुत जटिल हैं और उनका सुधार किया जाय और इस ६५ या ७० की उम्र को भी तब्दील किया जाय ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--पिछली मीटिंग में जो फैसला हुआ था उसमें उम्र घटाने की बात नहीं थी बल्कि रूल्स में कुछ रेलेक्सेशन करने की बात थी ताकि उसका लाभ कुछ ज्यादा लोगों को मिल सके । रिलेशनशिप के सम्बन्ध में कुछ कठिनाई थी उसमें रिलेक्सेशन करने का विचार है ।

गोरखपुर डिवीजन से कोल्हुओं के लिये आवेदन-पत्र

*३२--श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर कमिश्नरी में गोरखपुर, देवरिया, बस्ती व आजमगढ़ जिलों से अलग अलग उन्नतिशील कोल्हू प्राप्त करने के लिये कितने आवेदन-पत्र उद्योग विभाग को वित्तीय वर्ष १९६०-६१ के लिये प्राप्त हुये हैं ?

श्री रऊफ जाफरी--गोरखपुर से १२८, देवरिया से २७०, बस्ती से ६३ एवं आजमगढ़ से ७७ आवेदन-पत्र प्राप्त हुये ।

*३३--श्री ब्रजनारायण तिवारी--उक्त प्रार्थना-पत्रों के सम्बन्ध में किन-किन जिलों में कितने कोल्हू विभाग की ओर से तकावी पर दिये गये हैं और कितने नकद कीमत पर दिये गये हैं ?

श्री रऊफ जाफरी--गोरखपुर में २१, देवरिया में १४, बस्ती में १० तथा आजमगढ़ में १५ कोल्हू तकावी पर दिये गये ।

नकद कीमत पर कोई कोल्हू नहीं दिया गया ।

श्री ब्रजनारायण तिवारी--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिस अनुपात से प्रार्थना-पत्र दिये गये हैं उस अनुपात से कोल्हुओं का वितरण बहुत कम हुआ है, गोरखपुर में १० प्रतिशत, देवरिया में ५ प्रतिशत, आजमगढ़ में २० प्रतिशत और बस्ती में १६ प्रतिशत ? यदि प्रार्थना पत्रों के अनुपात से कोल्हू वितरित किये गये हैं, तो इतने कम क्यों किये गये और वे कब वितरित किये गये ?

श्री रऊफ जाफरी--असल में यह था कि हर जिले का कोटा मुकर्रर था कि वहां इतने कोल्हू दिये जायेंगे । चुनांचे वितरण इस तरह से हुआ है कि गोरखपुर में २१, बस्ती में १०, आजमगढ़ में १५, देवरिया में १४ और यही हिसाब रुपये का था ।

श्री ब्रजनारायण तिवारी--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह उन्नतिशील कोल्हू सरकार कहां से मंगा कर देती है और क्या यह सही है कि यह कोल्हू प्रार्थना-पत्रों के अनुसार नहीं मंगाये गये ?

श्री रऊफ जाफरी--जैसा कि मैंने पहले कहा कि प्रार्थनापत्रों के अनुसार कोल्हू नहीं मंगाये गये। इतने हम दे नहीं सकते थे, लेकिन अब इस साल से यह हुआ है कि कोल्हुओं की तादाद बढ़ाई गई है और अब जो कोटा रखा गया है वह इस प्रकार है कि गोरखपुर में १००, बस्ती १२५, आजमगढ़ १५० और देवरिया के लिये २५० । इस तरह से अबकी दफा वितरण होगा और दूसरी तब्दीली यह हुई है कि पहले उनको सिर्फ कोल्हू दिये जाते थे अब उनको नकद तकावी दी जायगी वे खुद खरीद लें ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कोल्हू के लिये जो तकावी दी गई वह फी कोल्हू कितनी दी गई ?

श्री रऊफ जाफरी—फी कोल्हू का हिसाब तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं यह बता सकता हूं कि हर जिले में कितने कोल्हुओं पर कितना रुपया खर्च हुआ—गोरखपुर में २१ कोल्हुओं पर ८,६१० रुपया, बस्ती में १० कोल्हुओं और १० पेन पर ४,९२० रुपया, आजमगढ़ में १५ कोल्हुओं पर ६,१५० रुपया और देवरिया में १४ कोल्हुओं पर ५,७४० रुपया।

श्री गेंदासिंह—अभी माननीय मंत्री जी ने जो यह २५० और १०५ के आंकड़े बताये तो यह कोटा कोल्हुओं के लिय कब निर्धारित किया गया था ?

श्री रऊफ जाफरी—इसके लिये नोटिस चाहिये, मुझे ठीक तारीख नहीं मालूम है कि कब निर्धारित किया गया था।

चौधरी दाताराम—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह उन्नतशील कोल्हू कौन से महीने में किसानों को तकसीम किये गये थे ?

श्री रऊफ जाफरी—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री गेंदासिंह—क्या सरकार मेरी जानकारी से फायदा उठाने की कृपा करेगी कि यह कोटा जो २५० कोल्हुओं का मुकर्रर हुआ था वह इस सीजन के पहले मुकर्रर हुआ था और उसके लिये तकावी की रकम भी एलाट कर दी गई थी परन्तु न कोल्हू ही दिये गये, न तकावी ही बांटी गई कि इसका क्या कारण है ?

श्री रऊफ जाफरी—माननीय गेंदासिंह जी जो कहते हैं यह बात बिलकुल सही है। उसमें देर हुई। देर की वजह यह थी कि रूल्स में कुछ ऐसी बातें थीं कि बड़ा लम्बा मामला चला करता था। उन त्रुटियों को दूर कर दिया गया है और उम्मीद है कि जो देर हुआ करती थी अब नहीं होगी।

श्री रामकृष्ण सारस्वत (जिला फर्रुखाबाद)—क्या सरकार उन रूल्स को सुधारने की कृपा करेगी कि जिनके कारण काश्तकारों को कोल्हू देने में विलम्ब हुआ है ?

श्री अध्यक्ष—इसका जवाब तो उन्होंने दे दिया है।

श्री मुक्तिनाथ राय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कोल्हुओं का जो एलाटमेंट जिलों को किया गया है वह किस आधार पर किया गया है ?

श्री अध्यक्ष—नया एलाटमेंट या पहले का ?

श्री मुक्तिनाथ राय—कोटा जो निर्धारित हुआ था जिलों को वह और भविष्य में किस आधार पर किया जायगा ?

श्री रऊफ जाफरी—वहां जो गन्ने की खेती होती है और कितने काश्तकार ऐसे होंगे जो खरीद सकते हैं, यही सब आधार होगा। ठीक तो नहीं बतला सकता, लेकिन मेरा ऐसा खयाल है।

श्री गौरीराम गुप्त (जिला गोरखपुर)—क्या यह सही है कि बहुत से काश्तकार अब तक सीरदार हैं, भूमिधर नहीं हैं और सीरदार होने की वजह से—वह दरख्वास्त दे देते हैं—उनको तकावी नहीं मिलती है बहुत कम मिलती है—जिससे वह सुल्ताना कोल्हू नहीं खरीद सकते ?

श्री रऊफ जाफरी—यह बात सही है।

श्री गेंदासिंह—क्या सरकार इस बात की जांच करायेगी कि इस रकम को न बंटवाने के लिये मिल-मालिकों की साजिश है और इसलिये रूल की बात कह कर उसे नहीं होने दिया गया ?

श्री रऊफ जाफरी—मैं माननीय गेंदा सिंह जी से यह अर्ज करना चाहता हूं कि वह हर एक काम के लिये यह न समझें कि उसके पीछे कोई और कूवत काम कर रही है।

श्री अध्यक्ष—आप कृपा करके उनके प्रश्न को समझ लें। उन्होंने गवर्नमेंट पर तो कोई लांछन नहीं किया। वह कहते हैं कि इसमें साजिश मिल मालिकों की थी, उसकी जांच सरकार कराने को तैयार है क्या ? सरकार को तो उनका प्रश्न निर्दोष साबित करता है, लेकिन सरकार को जानकारी नहीं है, ऐसा उनका भावार्थ है।

श्री रऊफ जाफरी—मुझे माफ करें, अगर मैं गलत समझा, लेकिन मेरा अपना यह खयाल है कि कोई साजिश नहीं थी। अगर थी तो कम से कम मुझे उसका पता नहीं। अगर जांच की जरूरत गेंदा सिंह जी बतलावें, उस साजिश का कुछ टोक धरावें, तो जरूर जांच करायी जायगी।

कुंवर श्रीपालसिंह—उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट के हर काम ऐसे नहीं हैं जिसमें कि....

श्री अध्यक्ष—उनके उत्तर को तो मैंने काट दिया।

कुंवर श्रीपालसिंह—उसी में मुझको पूछना था कि सरकार के कितने परसेंट ऐसे काम होते हैं जिनमें इस तरह की बात होती है ?

श्री रऊफ जाफरी—मैंने तो यह कहा था कि गेंदासिंह जी गवर्नमेंट के हर काम को ऐसा समझते हैं। यह मैंने नहीं कहा कि ऐसा करते हैं।

श्री ब्रजनारायण तिवारी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि देवरिया जिले से २७० दरख्वास्तें दी गई और उनमें से केवल १४ कोल्हू आज तक दिये गये, तो बाकी दरख्वास्तों के लिये तकावी देने की व्यवस्था सरकार करेगी ?

श्री रऊफ जाफरी—यह फिर से देखा जायगा। इन प्रार्थना-पत्रों को या जो और आवें, सबको देखकर विचार किया जायेगा।

श्री रूमसिंह (जिला शाहजहांपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह जो कोल्हू देने की व्यवस्था है वह सारे उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में है जहां गन्ने की काश्त होती है या कुछ सीमित जिलों के लिये है ?

श्री रऊफ जाफरी—ऐसा तो नहीं है कि किसी खास जिले में हो। यह जरूरी है कि जो बैकवर्ड जिले हैं उनके लिये लिबरेलाइज्ड स्कीम है जिसके मातहत उन्हें ज्यादा सुविधायें हासिल हैं।

*३४—**राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे** (अनुपस्थित)—[हटा दिया गया।]

*३५—**श्री रामस्वरूप वर्मा**—[१६ मार्च, १९६१ के लिये स्थगित किया गया।]

खीरी—लखीमपुर हाउस एलाटमेंट एडवाइजरी कमेटी

*३६—**श्री शिवप्रसाद नागर** (जिला खीरी) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला खीरी-लखीमपुर में हाउस एलाटमेंट कमेटी की स्थापना कब हुई थी और उसका कार्यकाल कितने दिन का था ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—खीरी-लखीमपुर में हाउस एलाटमेंट एडवाइजरी कमेटी की स्थापना ३०-१२-४९ को की गई थी और उसका कार्यकाल ८-४-५३ तक था।

*३७—**श्री शिवप्रसाद नागर** (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि हाउस एलाटमेंट कमेटी के निर्माण की प्रक्रिया क्या है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—हाउस एलाटमेंट एडवाइजरी कमेटी में ५ सदस्य होते हैं जिनमें दो पदेन सदस्य-जिलाधीश और अध्यक्ष, नगरपालिका और तीन गैर-सरकारी सदस्य होते हैं जिसमें एक नगर के किसी विद्यालय का प्रधानाचार्य और दो नगर के प्रतिष्ठित पुरुष होते हैं। गैर-सरकारी सदस्य जिलाधीश की सिफारिश पर सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं और उनका कार्य-काल दो साल का होता है। इस कमेटी का अध्यक्ष जिलाधीश होता है।

*३८—४०—**श्री रामदुलारे मिश्र** (जिला कानपुर)—[२३ मार्च, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

सूती मिल मजदूर सभा, कानपुर के प्रतिनिधि मण्डल से मुलाकात

*४१—**श्री चन्द्रजीत यादव** (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित) तथा **श्री ऊदल**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ३ फरवरी, १९६१ को सूती मिल मजदूर सभा, कानपुर का कोई प्रतिनिधि मन्डल राज्य के श्रम मंत्री से मिला था ? यदि हां, तो किस सम्बन्ध में और सरकार ने क्या उन्हें कोई आश्वासन भी दिया है ?

श्री वसी नकवी—जी हां। उक्त तिथि को कानपुर के सूती मिलों में अभिनवी-करण के संबंध में श्रमिकों के प्रतिनिधि बुलाये गये थे। उनमें सूती मिल मजदूर सभा के प्रतिनिधि भी थे। सरकार ने प्रतिनिधि मंडल को कोई भी आश्वासन नहीं दिया।

*४२—**श्री चन्द्रजीत यादव** (अनुपस्थित) तथा **श्री ऊदल**—सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या उपर्युक्त संगठन की ओर से २५ जनवरी, १९६१ को सरकार को कोई पत्रक दिया गया है ? यदि हां, तो उसमें मुख्य मांगें क्या हैं ?

श्री वसी नकवी—जी नहीं।

श्री मोतीलाल अवस्थी—मंत्री जी बतायेंगे कि अभिनवीकरण के बारे में जो शिष्ट मंडल मिला था उसने कौन-कौन सी बातें सरकार के सामने रखी थीं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—उन्होंने तो बहुत सी बातें रखी थीं, सारी बताना तो मुश्किल है। पूरी रैशनेलाइजेशन स्कीम के बारे में, वेज बोर्ड की रिकमन्डेशन के बारे में, उनसे बहुत सी बातें हुई थीं।

श्री ऊदल—मंत्री जी बतायेंगे कि शिष्ट मंडल ने वेज बोर्ड की जो सिफारिशें हैं जिनको कुछ मिलों ने लागू कर दिया है और कुछ ने नहीं किया है, उसके संबंध में भी सरकार से उन्होंने बात की थी ? यदि हां, तो सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—वेज बोर्ड की रिकमन्डेशन्स करीब-करीब सभी जगह लागू हैं, कुछ जगहों में नहीं लागू हैं जहां कुछ अड़चनें हैं और इसके बारे में बातचीत चल रही है। हमने ऐम्प्लायर्स और ऐम्प्लाईज से बात की है और इस मामले में हम लोग पूरा ध्यान दे रहे हैं।

श्री भगवतीसिंह विशारद—मंत्री जी बतायेंगे कि उस प्रतिनिधि मण्डल ने कानपुर में अथर्टन वेस्ट काटन मिल जो कि एक तरह सरकार द्वारा ही चलाई जा रही है उसमें भी वेज बोर्ड की सिफारिशें लागू करन की मांग की थी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—उन्होंने जिक्र किया था, इसके बारे में ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—मंत्री जी बतायेंगे कि ३ फरवरी, १९६१ को जो मीटिंग बुलाई गई थी उसमें दिये गये सुझावों के आधार पर रैशनेलाइजेशन के संबंध में सरकार ने क्या निर्णय लिये ह ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—विचाराधीन हैं ।

श्री ऊदल—क्या सरकार बतायेगी कि प्रतिनिधि मण्डल ने जो दूसरी सिफारिश सरकार से की थी कि कानपुर की मिलों में क्लर्कों को सेमीक्लर्क बना दिया है और उनकी तरक्की रोकने के लिये मिलों ने ऐसा किया है उसके संबंध में सरकार ने क्या किया है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—क्लर्कों के संबंध में पूरी जांच की जा रही है और इस संबंध में कई रिप्रेजेन्टेशन उनके सुन चुके हैं । जब रेशनेलाइजेशन का मामला तय होगा तब इस मामले पर भी विचार किया जायगा ।

गन्ना समिति, जिला बदायूं से किसानों को पास बुक न मिलना

*४३—श्री टीकाराम (जिला बदायूं)—क्या सरकार को ज्ञात है कि जिला बदायूं की गन्ना सोसायटी न पिछली बचत योजना के काटे हुये रुपये से संबंधित किसानों की किताबें अभी तक नहीं दी गई हैं ?

श्री धर्मसिंह—जी हां, जिला बदायूं की गन्ना समिति की सालाना बैठक ने जो कि १६-१२-५९ को हुई थी, यह निश्चय किया था कि किसानों का अल्प बचत योजना से गन्ने की कीमत से कटौती का रुपया समिति की पास बुक में ही जमा किया जाय । अतः किसानों को पास बुक बांटने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री टीकाराम—मंत्री जी बतायेंगे कि जब आपने पास बुक तो दी नहीं और हमारा रुपया बचत योजना का जमा है हमें जब वापस करना होगा तो कैसे वह रुपया मिलेगा ?

श्री धर्मसिंह—गन्ना समिति के ऊपर है । उनकी पास बुकों में उनके निर्णय के अनुसार जमा कर दिया गया है । किसी को लौटाने का प्रश्न पैदा नहीं होता ।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)—मंत्री जी बतायेंगे कि किसानों को इस बात की सूचना कैसे हो सकती है जब कि उनको पास बुक नहीं मिली कि उनका जितना रुपया काटा गया वह पास बुक में जमा कर लिया गया है या नहीं ?

श्री धर्मसिंह—जहां तक इस योजना का संबंध है किसानों के कार्ड बनाये गये हैं और उसमें रुपया लिखा हुआ है । कार्ड बांट दिये गये हैं, कुछ रह गये हैं जिनको बांटने की हिदायत दे दी गई है ।

श्री बलदेवसिंह (जिला गोंडा)—जो किसानों का रुपया जमा हुआ है पास बुक में तो क्या सरकार ऐसा आदेश देने की कृपा करेगी कि पास बुक किसानों को वापस कर दी जाय ?

श्री धर्मसिंह—मैंने निवेदन किया कि पास बुक वापस करने का कोई सवाल पैदा नहीं होता । उससे संबंधित जो कार्ड हैं जिनमें ये बातें लिखी गयी हैं, वे वापस कर दी गई हैं या कर दी जायंगी ।

श्री टीकाराम—जो सम्बन्धित कार्ड हैं वे क्या किसानों को दे दिये गये हैं ?

श्री धर्मसिंह—जी हां, कुछ को दे दिये गये हैं और आपकी जानकारी के लिये बतलाना चाहता हूं कि १६-१-६१ को बदायूं समिति का सालाना जलसा हुआ था जिसमें डेलीगेट इत्यादि आये थे, उन्होंने कहा कि हमारे बहुत से लोगों को कार्ड मिल गये हैं ।

श्री जागेश्वर प्रसाद पांडेय को पेंशन देने पर विचार

*४४—श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मध्य प्रदेश सरकार ने २२ नवम्बर, १९६० को उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव के पास सिविल जज, छतरपुर, मध्य प्रदेश, के २४ अप्रैल, १९६० के एक फैसले को भेज कर श्री जागेश्वर प्रसाद पांडेय की पेन्शन की अदायगी की ओर ध्यान दिलाया था जो उन्हें रियासतों से मिलती थीं जो अब उत्तर प्रदेश के अन्दर हैं ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री रऊफ जाफरी—जी हां । यह प्रश्न अभी विचाराधीन है ।

श्री भगवतीसिंह विशारद—क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि इस प्रश्न के निश्चय करने में इतनी देर क्यों लग रही है ?

श्री रऊफ जाफरी—यह पेंशन जो बन्द हुई तो विन्ध्य प्रदेश ने गवर्नमेंट आफ इंडिया की सलाह से बन्द की । अब गवर्नमेंट आफ इंडिया से पूछा जा रहा है क्योंकि उनका भी हिस्सा है । उनसे बातचीत की जा रही है कि क्या हो । जब तक उनका जवाब स्पष्ट नहीं हो जाता तब तक कोई फैसला नहीं किया जा सकता ।

श्री भगवतीसिंह विशारद—क्या माननीय मुख्य मंत्री बतलायेंगे कि जब इस प्रश्न पर अदालत का फैसला हो गया है तो फिर सरकार से लिखा पढ़ी करने की क्या आवश्यकता रह गयी ?

श्री रऊफ जाफरी—उसमें हिस्से की बात है कि १/३ गवर्नमेंट आफ इंडिया दे और १/३ हम दें । उस सिलसिले में बात हो रही है, देना तो है ही । देने से इन्कार नहीं किया जा सकता । अपील का वक्त गुजर गया । रुपया तो देना ही पड़ेगा ।

श्री प्रतापसिंह—अदालत के फैसले के बाद प्रदेशीय सरकार ने केन्द्रीय सरकार को कब खत लिखा और केन्द्रीय सरकार ने प्रत्युत्तर में क्या जवाब दिया ?

श्री रऊफ जाफरी—यह तारीख मैं बतला नहीं सकता । राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सरकार के दर्मियान जो खतों किताबत होती है वह कानफिडेंशियल होती है । जब तक कोई नतीजा न निकल आये तब तक उसे डिसक्लोज नहीं किया जा सकता ।

जिला अधिकारियों द्वारा विधायकों के साथ पत्र व्यवहार सम्बन्धी आदेश

*४५—श्री शिवप्रसाद नागर (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि १ जनवरी, १९५७ से अब तक इस प्रकार के कोई आदेश जारी किये गये हैं कि जिलों के विभागीय उच्च अधिकारी विधायकों के लिखित प्रश्नों के उत्तर सीधे-सीधे लिखित रूप में दे दिया करें ? यदि हां, तो क्या मुख्य मंत्री उपर्युक्त आदेश की एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सरकार ने यह आदेश जारी किये हैं कि विधान मंडल के सदस्यों से प्राप्त पत्रों का उत्तर भेज दिया जाय । उत्तर कैसा हो, यह विषय और अधिकारी के विवेक पर निर्भर होगा । यह आदेश गोपनीय प्रकृति के हैं, इसलिये उनकी प्रति सदन की मेज पर रखना लोकहित में न होगा ।

*४६-४७—श्री टीकाराम—[१६ मार्च, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

*४८-५०—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—[२३ मार्च, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

उर्सला अस्पताल, कानपुर, में डाक्टर बी० एल० पांडेय का वेतन न लेना

*५१—श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा) (अनुपस्थित)—क्या मुख्य मंत्री को यह ज्ञात है कि उर्सला अस्पताल, कानपुर, में काम करने वाले एक डाक्टर ने लगभग ७ वर्ष से अधिक से अपना वेतन नहीं लिया है? यदि यह सही है, तो इसका क्या कारण है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां। डाक्टर के वेतन न लेने का कारण निम्नलिखित है:

सन् १९४८ में जिस समय डाक्टर बी० एल० पांडेय जिला अस्पताल, इटावा, में नेत्र चिकित्सक के रूप में कार्य कर रहे थे उस समय नेत्र विभाग में एक डायग्नोस्टिक सेट (Diagnostic set) की चोरी हो गई थी। मामले की छानबीन करने पर चोरी के लिये डा० पांडेय को भी अंशतः उत्तरदायी समझा गया और उनसे उपर्युक्त यंत्र का आंशिक मूल्य अर्थात् १२३ रु० १० आ० सरकारी कोष में जमा करने को कहा गया। इस रकम को जमा करने के बजाय डा० पांडेय ने इस सम्बन्ध में कई प्रत्यावेदन (representations) दिये जो सरकार द्वारा अस्वीकृत कर दिये गये। इस ध्येय से कि उक्त धनराशि की कटौती उनके वेतन से न की जा सके डा० पांडेय ने नवम्बर, १९५१ से वेतन नहीं लिया। डा० पांडेय गजटेड आफिसर हैं। वे स्वेच्छा से वेतन नहीं ले रहे हैं। उनका वेतन शासन द्वारा नहीं रोका गया है।

इटावा जिले के पारपट्टी क्षेत्र में चकबन्दी समाप्त करने पर विचार

*५२—श्री भुवनेशभूषण शर्मा (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इटावा जिले के जमुना और चम्बल नदी के बीच के क्षेत्र पारपट्टी के निवासियों ने बड़ी मात्रा में एकत्र होकर माह दिसम्बर, १९६० में स्थानीय जनसंघ के विधायक के नेतृत्व में जिलाधीश के निवास स्थान पर पारपट्टी से चकबन्दी समाप्त कराने के लिये प्रदर्शन किया था? यदि हां, तो क्या सरकार ने चकबन्दी समाप्त की जाने के लिये कोई आदेश निकाला है?

श्री हुकुमसिंह बिसेन—जी हां। इस सम्बन्ध में जिलाधीश इटावा के निवास स्थान पर २१ दिसम्बर, १९६० को एक प्रदर्शन हुआ था। प्रदर्शन के कुछ समय पहले से ही यह विषय विचाराधीन था। कुछ ग्रामों को अलग करने के सुझाव भी आये हैं जिन पर शीघ्र निर्णय किया जायगा।

सदर अस्पताल, इटावा, की मरम्मत का आश्वासन

*५३—श्री भुवनेशभूषण शर्मा (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इटावा नगर के सदर अस्पताल के जनरल वार्ड की इमारत पिछले साल भारी वर्षा के कारण क्षतिग्रस्त हो गई है जिससे उसमें कार्य करने वाले सरकारी कर्मचारियों तथा रोगियों को खतरा पैदा हो गया है? यदि हां, तो सरकार ने इसके ठीक करने की क्या व्यवस्था की है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सदर अस्पताल, इटावा, के जनरल वार्ड की इमारत पिछले साल वर्षा के कारण क्षति ग्रस्त हुई परन्तु उसमें कोई रोगी या सरकारी कर्मचारी नहीं रखा जा रहा है।

धनाभाव व समय की कमी के कारण इसकी मरम्मत का कार्य इस वित्तीय वर्ष में स्वीकृत नहीं किया जा सका। यह कार्य अगले वित्तीय वर्ष के आरम्भ में स्वीकृत हो जायेगा।

बरेली में नकली रबड़ तथा गोरखपुर में रासायनिक खाद का कारखाना खोलने का आयोजन

*५४—श्री गेंदासिंह—क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि नकली रबर का कारखाना बरेली में तथा रासायनिक खाद का कारखाना गोरखपुर में कब तक बन जायेगा और वे उत्पादन कब से करने लगेंगे ? अब तक इनके बनने में विलम्ब होने का क्या कारण है और दोनों के लिये कितने-कितने धन की आवश्यकता होगी ?

श्री रऊफ जाफरी—आशा है कि बरेली में नकली रबर का कारखाना सन् १९६२ में, तथा गोरखपुर में रासायनिक खाद का कारखाना सन् १९६४ में उत्पादन प्रारम्भ करेगा। चूंकि ये दोनों कारखाने तृतीय पंच वर्षीय योजना काल में चालू होंगे अतः विलम्ब का प्रश्न नहीं उठता। रबड़ व खाद के कारखानों में क्रमशः १४ १ २ करोड़ तथा १९ करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी।

*५५—श्री गेंदासिंह—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या उक्त दोनों कारखानों के लिये भूमि तथा अन्य साधनों की व्यवस्था कर ली गई है ? यदि नहीं, तो क्या कारण है ?

श्री रऊफ जाफरी—रबड़ के कारखाने के लिये, जो निजी क्षेत्र में लगाया जायगा, भूमि तथा अन्य साधनों जैसे, बिजली, अलकोहल, पानी आदि की व्यवस्था की जा रही है। खाद का कारखाना स्थापित करने के लिये चूंकि भारत सरकार ने अभी हाल ही में फैसला किया है अतः इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ की जायगी।

*५६—श्री गेंदासिंह—क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि उक्त दोनों कारखानों में कितने लोगों को रोजगार मिल सकेगा और कच्चा माल कितना खपेगा ?

श्री रऊफ जाफरी—रबड़ व खाद के कारखानों में क्रमशः लगभग १,००० तथा २,००० व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा और उनमें कच्चे माल के रूप में क्रमशः अलकोहल तथा पेट्रोलियम नैपथा का उपयोग किया जायगा, जिनकी मात्रा अभी निश्चित नहीं है।

श्री गेंदासिंह—यह रबड़ का कारखाना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लगने वाला था तो रबड़ की कमी और मुलेसिस जो कच्चा माल है उसकी बहुतायत को देखते हुये तथा फर्टिलाइजर की कमी को देखते हुये क्या सरकार इस बात का यत्न करेगी कि यह जल्दी से जल्दी दोनों कारखाने लग सकें ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जहां तक रबड़ के कारखाने का संबंध है, वह तो प्राइवेट सेक्टर में लगने वाला है और उसके लगाने वाले सरकार के अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं और इस बात का प्रयास किया जा रहा है कि वह जल्दी से जल्दी लग जाय।

जो खाद की फैक्टरी लगने वाली है उसके लिये अभी केंद्रीय सरकार ने हमें सूचना दी है कि पब्लिक सेक्टर में वह फैक्टरी लगाई जाय और वह गोरखपुर में लगेगी। उसकी योजना बनाई जा रही है। प्रदेशीय सरकार का जहां तक संबंध है, उसकी अभिलाषा है कि जल्दी से जल्दी यह कारखाने लगा दिये जायं।

सुपरवाइजर कानूनगो

*५७—आचार्य दीपंकर (जिला मेरठ)—क्या यह सही है कि उत्तर प्रदेश में सुपरवाइजर कानूनगो के स्थायी पद केवल ७५० हैं जबकि प्रति वर्ष प्रशिक्षित किये जाने वाले व्यक्तियों को मिलाकर उनकी कुल संख्या इस समय लगभग १,४०० तक पहुंच गई है ?

नोट—तारांकित प्रश्न ५६ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री हुकुमसिंह विसेन--सुपरवाइजर कानूनगोओं के स्थायी पद ७६० हैं सुपरन्यूमरेरी कानूनगोओं की संख्या १०० तथा कानूनगो अभ्यर्थियों (प्रशिक्षित अभ्यर्थियों) की ४२३ है। इस प्रकार इनका योग केवल १२८३ सिद्ध होता है।

*५८--आचार्य दीपंकर--क्या यह भी सही है कि ऐसे प्रशिक्षित व्यक्तियों से ऐसा सेवा बांड भरवाया जाता है कि वे प्रशिक्षण के पश्चात् कम से कम ३ वर्ष तक विभागीय सेवा करें अथवा ५०० रुपये का बांड भरें?

श्री हुकुमसिंह विसेन--केवल २ वर्ष तक विभागीय सेवा का बांड भरवाया जाता है।

*५९--आचार्य दीपंकर--यदि हां, तो क्या न्याय मंत्री कृपया बतायेंगे कि वे इस प्रकार के प्रशिक्षित नवयुवकों को विभागीय कार्य देने के लिये क्या कार्यवाही कर रहे हैं?

श्री हुकुमसिंह विसेन--एतदर्थ सुपरन्यूमरेरी कानूनगोओं की संख्या में वृद्धि का प्रश्न शासन के विचाराधीन है।

रौजा चीनी मिल के दंडित कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति

*६०--श्री हरदयालसिंह (जिला शाहजहांपुर)--क्या यह सही है कि १९६० में ५०,००० रु० गन्ना सोसाइटी, रौजा, जिला शाहजहांपुर, के कर्मचारियों द्वारा १९५१ स १९६० तक की unpaid सूची में से जाली परची बनाकर भुनाया गया? क्या यह भी सही है कि जिन कर्मचारियों के खिलाफ केस चला और जो दंडित हुये, उनको पुनः काम पर लगा लिया गया? यदि हां, तो क्यों?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--सूचना एकत्रित की जा रही है।

*६१--श्री गौरीराम गुप्त--[२३ मार्च, १९६१ के लिये स्थगित किया गया।]

सम्बन्धी सरकारी कर्मचारियों का एक ही जिले में होना

*६२--श्री इन्दुभूषण गुप्त--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उसने कोई ऐसा आदेश दिया है कि सरकारी कार्यालयों में यदि किसी कर्मचारी के निकटवर्ती संबंधी हों तो उन्हें एक ही जिले में न रखा जाये?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जी नहीं।

*६३-६४--श्री तेजासिंह (जिला मेरठ)--[२३ मार्च, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

मैनपुरी जिले में लेखपालों के विरुद्ध शिकायतें

*६५--श्री रामदीन (जिला मैनपुरी)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मैनपुरी जिले में ऐसे कितने लेखपाल हैं जिनके खिलाफ जनता ने १ जनवरी, १९६० से ३१ जनवरी, १९६१ तक जिला अधिकारियों के पास शिकायती-पत्र भेजे?

श्री हुकुमसिंह विसेन--२६।

*६६--श्री रामदीन--क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि उक्त प्रार्थना-पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गई?

श्री हुकुमसिंह विसेन--सब प्रार्थना-पत्रों पर आवश्यक कार्यवाही की गई जिनका विवरण† सदन में प्रस्तुत है।

---

†नत्थी छापी नहीं गई।

लेबर वेलफेयर आफिसर्स के बिना फैक्ट्रियां

*६७—श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस समय विभिन्न श्रेणियों की कौन-कौन ऐसी फैक्टरियां हैं जिनमें फैक्ट्री के नियमों के अनुसार श्रम अधिकारी (लेबर वेलफेयर अफसर) नियुक्त नहीं हैं और इनकी नियुक्ति न करने का क्या कारण है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—इस समय राज्य में कुल ६ ऐसी फैक्ट्रियां हैं जिनमें यू० पी० फैक्टरीज वेलफेयर आफिसर्स रूल्स, १९५५ के अन्तर्गत लेबर वेलफेयर आफिसर्स की नियुक्ति नहीं की गयी है। इन फैक्ट्रियों की सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

इन फैक्टरियों में लेबर वेलफेयर आफिसर्स की नियुक्ति का प्रश्न भारत सरकार से संबंध रखता है और उनके विचाराधीन है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ८१० पर)

*६८—श्री नागेश्वरप्रसाद (जिला जौनपुर)—[२० मार्च, १९६१ के लिये प्रश्न २६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

खाद्य आन्दोलन के बन्दी विधायक मरीजों के साथ उर्सला अस्पताल में असावधानी की शिकायत

*६९—श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि सरकार को तथा सिविल सर्जन, कानपुर, को अक्तूबर, १९५८ में यह शिकायतें प्राप्त हुईथीं कि जिला जेल कानपुर से गंभीरावस्था में लाये गये खाद्य आन्दोलन के बन्दी विधायक मरीजों को उर्सला अस्पताल, परेड, कानपुर, में २८ घंटे तक भोजन नहीं दिया गया और न समुचित उपचार ही किया गया ? यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सरकार तथा सिविल सर्जन, कानपुर, को इस विषय की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी।

भैंसियाछाना, तल्ला रीठागढ़ हेल्थ यूनिट में डाक्टर न होना

*७०—श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भैंसियाछाना, तल्ला रीठागढ़, जिला अल्मोड़ा, में प्राइमरी हेल्थ यूनिट कब खुला और वहां अब तक (१) कोई डाक्टर भेजा गया या (२) किसी डाक्टर को भेजने की कभी कोई आज्ञा की गई ? यदि नहीं, तो क्यों तथा कब तक वहां डाक्टर भेजा जायेगा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—भैंसियाछाना, तल्ला रीठागढ़, जिला अल्मोड़ा, में प्राइमरी हेल्थ यूनिट फरवरी, १९५९ से खुल गया है। डाक्टरों की भारी कमी के कारण अब तक वहां कोई डाक्टर भेजना सम्भव न हो सका। डाक्टर उपलब्ध होते ही उसे तुरन्त भैंसियाछाना में भेज दिया जायगा।

*७१—श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जो कम्पाउन्डर उपर्युक्त प्राइमरी हेल्थ यूनिट में है वह कब से है ? जब वह रक्खा गया था तो उसकी योग्यता क्या थी तथा अनुभव कितना था ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—उपरोक्त प्राइमरी हेल्थ यूनिट में जो कम्पाउन्डर है वह ९ फरवरी, १९६० से कार्य कर रहा है तथा उसे कम्पाउन्डर का प्रशिक्षण प्राप्त है।

*७२—श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ऐलोपैथिक अस्पताल जैंती, तल्ला सालम, जिला अल्मोड़ा, कब मंजूर हुआ था ? इसमें डाक्टर व दवाइयां कब तक आ जायेंगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जैंती, जिला अल्मोड़ा, में बने चिकित्सालय भवन में एलोपैथिक चिकित्सालय प्रारम्भ करने की स्वीकृति अभी सरकार द्वारा नहीं दी गई है। अतः अभी वहां डाक्टर तथा दवायें भेजने का प्रश्न नहीं उठता।

विभिन्न कम्पनियों में राजकीय शेयर

*७३—श्री गेंदासिंह—क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश अथवा इसके बाहर प्रादेशिक सरकार का धन इंडियन कम्पनीज ऐक्ट के अन्तर्गत निबंधित किन-किन कम्पनियों में लगा है और वह कितनी-कितनी रकम का है तथा कब से लगा है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—विभिन्न कम्पनियों में राजकीय शेयर तथा ऋण सम्बन्धी वांछित सूचना जो उपलब्ध है, क्रमशः तालिका† (क) के स्तम्भ २, ३ तथा ५ में तथा तालिका† (ख) के स्तम्भ संख्या २ से ४ में दी हुई है।

*७४—श्री गेंदासिंह—क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि राज्य सरकार का धन उपर्युक्त जिन कम्पनियों में लगा है उनके संचालक मण्डल में सरकार के कौन-कौन प्रतिनिधि हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—वांछित सूचना संलग्न तालिका†(क) के स्तम्भ २ व ४ तथा †तालिका (ख) के स्तम्भ २ व ५ में दी हुई है।

जिला जालौन में विकास खण्डों के हेडक्वार्टरों पर चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी

*७५—श्री गोविन्दनारायण तिवारी (जिला जालौन)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला जालौन के विकास खंडों के हेडक्वार्टरों पर कुल कितने कर्मचारी चतुर्थ श्रेणी के हैं और उनमें से कितनों की नौकरी मुस्तकिल कर दी गई है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जिला जालौन के विकास खंडों के हेडक्वार्टरों पर कुल २८ कर्मचारी चतुर्थ श्रेणी के हैं जिसमें से ३ की नौकरी मुस्तकिल कर दी गई है।

शाहगंज तहसील में सरकारी वसूली में मुल्तवी

*७६—कुंवर श्रीपालसिंह—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सितम्बर, १९६० में अतिवृष्टि से पीड़ित जौनपुर जनपद की तहसील शाहगंज में जो सरकारी वसूलियां मुल्तवी की गईं वे किस तारीख से की गईं तथा मुल्तवी के समय सम्पूर्ण वसूली का कितना प्रतिशत बाकी था जो मुल्तवी किया गया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—सितम्बर, १९६० में अतिवृष्टि पीड़ित जौनपुर की तहसील शाहगंज में सरकारी वसूलियां दिनांक २३ सितम्बर, १९६० से मुल्तवी की गईं थीं। उस समय मांग (demand) का लगभग ३२ प्रतिशत वसूली के लिये शेष था जो कि मुल्तवी किया गया।

---

†तालिकायें छापी नहीं गईं।

शाहगंज केन यूनियन में कामदारों का वेतन

*७७—श्री रूर्मासिह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनवरी, १९५० से केन कामदारों का वेतन गवर्नमेंट जी० ओ० के हिसाब से ३०-१-३५ हुआ था ? यदि हां, तो शाहगंज जिला जौनपुर केन यूनियन में समिति वेतन भोगी कामदारों को सन् ५६ में जब बकाया जोड़ कर मिलने लगा तो बजाय जनवरी, १९५० के जुलाई, १९५० से जोड़ कर क्यों दिया गया ?

श्री चन्द्र भानु गुप्त—जी हां । परन्तु उक्त राजाज्ञा केवल राजकीय वेतन भोगी कामदारों के लिये ही लागू थी । सम्भवतः केन युनियन शाहगंज, जिला जौनपुर, ने अपनी आर्थिक अवस्था को देखते हुये सरकारी आदेशों के अनुसार बढ़ा हुआ वेतन समिति वेतन भोगी कामदारों को १ जुलाई, १९५० से ही देना उपयुक्त समझा ।

*७८—श्री राजाराम शर्मा (जिला बस्ती)—[२३ मार्च, १९६१ के लिये स्थगित किया गया ।]

टेक्सटाइल वेज बोर्ड तथा शुगर वेज बोर्ड की सिफारिशें

*७९—श्री उग्रसेन—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि टेक्सटाइल वेज बोर्ड तथा शुगर वेज बोर्ड की रिपोर्टों को उत्तर प्रदेश में अभी तक किन अंशों में लागू किया गया है और उससे मजदूरों को क्या लाभ पहुंचा है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—शुगर वेज बोर्ड की रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन थी । उनका निर्णय गत ६ मार्च को राज्य सरकार को प्राप्त हुआ है । उस पर उचित कार्यवाही की जा रही है । टेक्सटाइल वेज बोर्ड की सिफारिशों को उत्तर प्रदेश की टेक्सटाइल मिलों में लागू किये जाने तथा उससे मजदूरों को प्राप्त लाभ का विवरण सूची "क" में हैं, जो सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'ग', आगे पृष्ठ ८११ पर)

पूराकलां में अस्पताल खोलने की प्रार्थना तथा मऊरानीपुर व झांसी सिविल अस्पताल की विस्तार योजना

*८०—श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पूराकलां, तहसील ललितपुर, जिला झांसी, में अस्पताल खोलने की प्रार्थना वहां के निवासी बहुत दिनों से कर रहे हैं ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां । पूरा कलां स्टेज १ ब्लाक का हेडक्वार्टर न होने के कारण वहां प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करना सम्भव नहीं है ।

*८१—श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मऊरानीपुर, जिला झांसी, के अस्पताल के प्रान्तीयकरण करने की योजना उसके समक्ष है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां ।

*८२—श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या झांसी के सिविल अस्पताल के विस्तार की कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या-क्या विस्तार होना है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जी हां। झांसी के सिविल अस्पताल के विस्तार की कई योजनाएं हैं जो निम्न प्रकार हैं :

इसके उच्चस्तरीयकरण, बाल रोग चिकित्सा, ३२ शय्याओं के रोगी कक्ष, नर्सेज होम तथा क्षय रोग क्लीनिक के लिये भवन निर्माण हेतु स्वीकृति दी जा चुकी है।

राज भवन, नैनीताल के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता

*८३--श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार को यह सूचना है कि राज भवन, नैनीताल के सभी कर्मचारियों को ५।। रु० का बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता नहीं दिया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--इस समय राजभवन नैनीताल के सभी कर्मचारियों को स्वीकृत महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। दूसरा प्रश्न नहीं उठता।

लेखपालों संबंधी आदेश

*८४--श्री मुक्तिनाथ राय--क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजस्व परिषद् या राज्य सरकार द्वारा लेखपालों के सम्बन्ध में समय-समय पर गत तीन वर्षों में कुछ आदेश प्रसारित किये गये हैं? यदि हां, तो कितने?

*८५--क्या सरकार उन आदेशों की प्रतिलिपि सदन के सम्मुख रखने की कृपा करेगी?

*८६--क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार के पास ऐसी कोई सूची है जिसमें यह उल्लिखित हो कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में कुल स्थायी और अस्थायी लेखपालों की संख्या कितनी-कितनी है?

श्री हुकुमसिंह विसेन--सूचना तैयार हो रही है।

नियोजन विभाग में पिछड़ी व अनुसूचित जातियों के कर्मचारी

*८७--श्री भोखालाल (जिला उन्नाव)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में नियोजन विभाग में ३१ अगस्त, १९६० को निम्नलिखित पदों पर कितने अधिकारी व कर्मचारी कार्य कर रहे थे और प्रत्येक में पिछड़ी व अनुसूचित जातियों के अलग-अलग कितने-कितने अधिकारी व कर्मचारी थे और उनका प्रतिशत क्या था और प्रत्येक पद के लिये कितनी शैक्षिक योग्यता अनिवार्य है:--

(१) विकास क्षेत्र अधिकारी,

(२) सहायक विकास क्षेत्र अधिकारी,

(३) ग्राम सेवक,

(४) विकास क्षेत्र कार्यालयों के लिपिक।

श्रीमती सुचेता कृपालानी--विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ८१२-८१३ पर)

राजनीतिक पीड़ित बहुधंधी गृह उद्योग समिति, अल्मोड़ा

*८८--श्री गोविन्दसिंह बिष्ट--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि राजनीतिक पीड़ित बहुधन्धी गृह उद्योग समिति, अल्मोड़ा, के ऊपर सरकार का कितना रुपया शेष है और इसकी वसूली के लिये क्या-क्या कार्यवाही की जा रही है?

*८९—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उपर्युक्त समिति के कितने शेयर होल्डर हैं और अब तक समिति ने क्या-क्या कार्य किये तथा उसकी कितनी वार्षिक रिपोर्टें निकल चुकी हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—आवश्यक सूचना एकत्रित की जा रही है ।

सासनी-विजैगढ़ सड़क का निर्माण

*९०—श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सासनी-विजगढ़ सड़क जो गत वर्ष ही पक्की कंकड़ की बन कर तैयार होने को थी और जिसके लिये ४० हजार रुपया भी नियोजन विभाग से स्वीकृत हुआ था अभी तक किन कारणों से पूरी नहीं हो सकी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—इस वर्ष बर्षा अधिक होने के कारण कंकर की खानों में १५ दिसम्बर, १९६० तक पानी भरा रहा, जिससे कार्य की प्रगति धीमी रही ।

*९१—श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस सड़क पर कितना काम बाकी रहा है और वह कब तक अन्तिम रूप से मुकम्मिल तैयार हो जायेगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—उक्त कार्य का लगभग दो-तिहाई भाग पूर्ण हो चुका है । शेष एक तिहाई का अधिकांश भी मार्च, १९६१ तक पूरा हो जायगा । कुटाई कंकर आदि का जो कार्य फिर भी बाकी रह जायगा उसके आगामी वर्षा-ऋतु में पूरे हो जाने की आशा है ।

*९२—श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गत वर्ष इस सड़क पर जो ग्रामीण जनता और भारत सेवक समाज ने मिल कर श्रमदान से तीन मील लम्बाई में मिट्टी डालने का काम किया था उसकी माप क्या थी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—ग्रामीण जनता और भारत सेवक समाज ने श्रमदान के रूप में, तीन मील की लम्बाई में मिट्टी डालने का कार्य सम्पूर्ण रूप से सम्पन्न नहीं किया, किन्तु जो मिट्टी उन्होंने इस प्रकार डाली, उसकी माप ३ लाख घन फुट थी ।

इटावा जिले में ग्राम सेवकों का कथित चुनाव

*९३—श्री भजनलाल—क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या दिसम्बर, १९६० में इटावा जिले में ग्राम सेवकों का चुनाव हुआ था ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जी नहीं ।

*९४—श्री भजनलाल—यदि हां, तो कितने व्यक्ति चुने गये और उसमें कितने पिछड़े वर्ग व कितने परिगणित जाति के लोग थे ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—प्रश्न नहीं उठता ।

बभनजोत व रेहरा विकास क्षेत्रों में नलकूप

*९५—श्री रघुरनतेजबहादुरसिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत जिला गोंडा के विकास क्षेत्र बभनजोत व रेहरा बाजार में मार्च, १९५८ से मार्च, १९६० तक कितने छोटे नलकुप लगाये गये ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—विकास क्षेत्र बभनजोत में १ छोटा नलकूप तथा रेहरा में ८ नलकूप लगाये गये ।

*९६--श्री रघुरनतेजबहादुरसिंह--क्या यह सही है कि इस प्रकार के छोटे नलकपों पर सरकार द्वारा कोई अनुदान नहीं दिया जाता ? यदि हां, तो क्यों ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--जी हां। छोटे नलकूप समृद्ध किसान ही बनवाते हैं। उन्हें अनुदान देना उचित नहीं है।

ग्राम समाज वाजपेयी खेड़ा के प्रार्थना-पत्र

*९७--श्री भगवतीसिंह विशारद--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या जिलाधीश उन्नाव को दिनांक ९ नवम्बर, १९५८, १३ अथवा १४ जनवरी, १९५९ और १ जून, १९६० के ऐसे पत्र मिले हैं जिनमें ग्राम समाज वाजपेयी खेड़ा, परगना भगवन्तनगर, तहसील पुरवा, जिला उन्नाव, की भूमि को टाउन एरिया भगवन्तनगर से वापस दिलाने की प्रार्थना की गयी है ?

*९८--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या उन्हीं पत्रों के संदर्भ में जिलाधीश उन्नाव ने सरकार से पत्र-व्यवहार किया है ?

*९९--यदि हां, तो अब तक इस सम्बन्ध में सरकार की ओर से क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--सूचना अभी एकत्रित की जा रही है।

हड्डी से खाद बनाने के कारखाने

*१००--श्री कल्याणचन्द मोहिले--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कितने कारखाने हड्डी से खाद बनाने के प्रदेश में चल रहे हैं ?

*१०१--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में हड्डी से खाद बनाने के कितने कारखान सरकारी चल रहे हैं तथा कितनों को खाद बनाने के लिये किस-किस रूप में कितना-कितना धन १९५९-६० में दिया गया ?

*१०२--क्या यह सही है कि प्रदेश से हड्डी दूसरे प्रदेश को और विदेशों में भेजी जाती है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--आवश्यक सूचना एकत्रित की जा रही है।

गन्ने की उपज तथा खपत

*१०३--श्री गेंदासिंह--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में गत वर्ष गन्ने की कितनी उपज हुई थी कितने एकड़ में, तथा उसकी खपत गुड़, खंडसारी तथा चीनी मिलों द्वारा किस प्रकार हुई ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--प्रदेश में सन् १९५९-६० में गन्ने का क्षेत्रफल २९,४३,७१५ एकड़ था तथा उपज ३,२२,३१,८६५ टन हुई जिसमें से ३४.२६ करोड़ मन चीनी मिलों में खपत हुई। गन्ने की कितनी खपत गुड़ और खंडसारी में हुई, की सूचना नहीं दी जा सकती क्योंकि इसके आंकड़े एकत्रित नहीं किये जाते।

कसया तथा देवरिया केन यूनियन क्षेत्र में परिवर्तन के लिये आवेदन पत्र

*१०४--श्री ब्रजनारायण तिवारी--क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम प्रेमबलिया, मल्लूडीह, कुड़वा उर्फ दलीपनगर तहसील पडरौना, जिला देवरिया, के गन्ना उत्पादकों से पिछले तीन वर्षों में कितने आवेदन-पत्र इस आशय के "कि उक्त गांव केन डेवलप-

मेंट यूनियन, देवरिया से निकाल कर केन यूनियन, कसया, जिला देवरिया, के क्षेत्र में मिला दिया जाय" केन कमिश्नर उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुये हैं और उनपर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—यह नहीं कहा जा सकता कि इस आशय से सम्बन्धित कितने आवेदन पत्र गन्ना आयुक्त उत्तरप्रदेश को प्राप्त हुये क्योंकि उनके कार्यालय के बहुत से कागजात पिछली बाढ़ में नष्ट हो गये। प्रश्न गन्ना समितियों के कार्यक्षेत्र में परिवर्तन से सम्बन्ध रखता है। ऐसा परिवर्तन गन्ना समितियों के आम जलसा द्वारा स्वीकृत किये जाने पर ही सम्भव होता है। ऐसी स्वीकृति न तो कसया यूनियन और न देवरिया केन यूनियन ने दी है। अतएव इस विषय पर गन्ना आयुक्त उत्तर प्रदेश द्वारा कार्यवाही करने को प्रश्न ही नहीं उठता।

झांसी में अदालती कागजों की कमी

*१०५—श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या सरकार को पता है कि अदालत में इस्तेमाल होने वाले फार्म सम्मन इन्किसाल, सम्मन तनकीह तलब, सम्मन गवाह, नोटिस आम फेहरिस्त दस्तावेज, टेन्डर ३ व ४ पर्त, रुपया उठाने की दरख्वास्त, दरख्वास्त नकल, दरख्वास्त मुआइना तथा वाटर मार्क बहुत समय से झांसी में अप्राप्त हैं ? यदि हां, तो उनके सप्लाई न किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—इन सब फार्मों के लिये हर जिले का कोटा निश्चित है। जैसे-जैसे यह फार्म समाप्त होते जाते हैं जिला जज राजकीय मुद्रणालय को इनकी पूर्ति के लिये लिखते रहते हैं। जिला जज झांसी की रिपोर्ट से ज्ञात होता है कि उन्होंने इन सब फार्मों की पूर्ति क लिये लिखा था लेकिन राजकीय मुद्रणालय से यह फार्म प्राप्त नहीं हुये। परन्तु राजकीय मुद्रणालय न यह सूचना दी ह कि इनमें से कुछ फार्मों के लिये जिला जज का मांग-पत्र उन्हें मिला ही नहीं और जो इनमें से कुछ फार्म जिला जज को हाल में भेज दिये गये हैं। सरकार ने शेष फार्मों के बारे में जिला जज से निश्चित सूचना मांगी है। वाटर मार्क कागज उपलब्ध नहीं है और डंडी रोल के बिना यह कागज मिलों में तैयार नहीं हो रहा है। इसके लिये सम्बन्धित विभाग में उचित कार्यवाही हो रही है। इस समय वाटर मार्क कागज के स्थान पर सादे कागज को उपयोग किये जाने की आज्ञा है।

अल्मोड़ा जिले में बन्दोबस्त के विरुद्ध शिकायत

*१०६—श्री गोविन्दसिंह विष्ट—न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन्हें दानपुर के सभापति व सरपंचों का पत्र प्रश्नकर्त्ता के प्रश्न पत्र संख्या एल० एक्स० भी० आई०/७ पो० ओ० ८/६०, दिनांक १-१-६० के साथ मिला था जिसमें जिला अल्मोड़े में चल रहे बन्दोबस्त की गड़बड़ियों व भ्रष्टाचार की शिकायत की गई थी ? अगर हां, तो उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—आवश्यक विवरण एकत्रित किया जा रहा है।

*१०७—श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या न्याय मंत्री तारांकित प्रश्न संख्या ३४-३५, दिनांक ८-९-६० के सम्बन्ध में दिये गये उत्तरों के क्रम में यह आज्ञा जारी करेंगे कि कुमायूं में जिन खेतों में फल के पेड़ हों पर पानी (सिंचाई) न लगता हो तो उन्हें उप्राऊ (असिंचित) दर्ज कर बन्दोबस्त रिकार्ड में सुधार किया जाय ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—इस विषय में विस्तृत विवरण एकत्रित किया जा रहा है।

कलेक्टरियों की पुनर्गठन योजनान्तर्गत बचत

*१०८—श्री ताराचन्द माहेश्वरी—कलेक्टरियों के पुनः संगठन के सम्बन्ध में दिनांक २६-२-१९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ११३-११४ के लिखित उत्तर के क्रम में क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या योजना के लागू होने पर कुछ नये पदों का सृजन भी किया गया और कुछ पदों को उसी समय क्रमोन्नति करके स्थायी बना दिया गया ? यदि हां, तो ऐसे पदों की संख्या क्या है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—वांछित सूचना अभी एकत्रित की जा रही है ।

प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के सम्बन्ध में जानकारी

श्री गोविन्दसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)—श्रीमन्, प्रश्नों के सम्बन्ध में मेरा निवेदन यह है कि मेरे प्रश्न संख्या ७०, ७१ और ७२ के आधे आधे उत्तर दिये गये हैं, जैसे . . . .

श्री अध्यक्ष—यह तो आप मेरे कमरे में बतायें ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—तो आप इन्हें स्थगित कर दें ।

श्री अध्यक्ष—आप मेरे पास सूचना भेज दें, मैं देख लूंगा ।

बलिया जिले में कटहर नाले के पानी पर सिंचाई-कर लिये जाने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य की मांग

श्री अध्यक्ष—नियम ५२ के अन्तर्गत जो ध्यान आकृष्ट करने वाला विषय माननीय गौरीशंकर राय ने भेजा है उसे मैंने स्वीकार किया है । वह इस प्रकार है—

"बलिया जिले में कटहर नाला सुरहा झील को गंगा नदी से मिलाता है । यह एक प्राकृतिक नाला है । इस नाले के पानी से नाले के किनारे करीब ४० गांवों के लोग सिंचाई करते रहे हैं । पिछले फरवरी महीने में सिंचाई विभाग की ओर से एक लिखित सूचना प्रसारित की गई है कि १ मार्च, सन् १९६१ के बाद सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियन्ता की स्वीकृति के बिना पानी लेने पर इस नाले द्वारा सिंचित भूमि पर सिंचाई महसूल लिया जायगा । सर्वदा से किसान इस प्राकृतिक नाले से सिंचाई करते हैं । १ मार्च से इस नाले के पानी से सिंचाई पर प्रतिबन्ध लगाने से किसानों की गन्ने की बोआई का कार्य रुक जाने से उत्पन्न गम्भीर परिस्थिति की ओर मैं माननीय सिंचाई मन्त्री का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं ।"

माननीय सिंचाई मंत्री, इसके बारे में आप कब सूचना देंगे ?

शिक्षा उप मंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)—श्रीमन्, १४ तारीख को वक्तव्य दूंगा ।

श्री अध्यक्ष—अच्छी बात है ।

उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय विधेयक, १९६१

शिक्षा उप मंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)—अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय विधेयक, १९६१ [The Uttar Pradesh Universities Bill, 1961] को पुरःस्थापित करने के लिये सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय विधेयक, १९६१ [The Uttar Pradesh Universities Bill, 1961,] को पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री रामस्वरूप यादव—अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय विधेयक, १९६१ [The Uttar Pradesh Universities Bill, 1961] को पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'ङ', आगे पृष्ठ ८१४–८३० पर)

उत्तर प्रदेश भूमि-विधि संशोधन विधेयक, १९६०*

शिक्षा उप मंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश भूमि-विधि संशोधन विधेयक, १९६० [The Uttar Pradesh Land Laws Amendment Bill, 1960.] जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार किया जाय।

अध्यक्ष महोदय, पिछले वर्षों में भूमि सम्बन्धी बहुत से कानून बने जिनके द्वारा किसानों को अधिकार दिये गये। जहां तक भूमि व्यवस्था का सम्बन्ध है यदि पिछले वर्षों का इतिहास देखा जाय तो यह व्यवस्था ऐसी बदली जिससे कि यह आवश्यक हो गया कि कानून भी उसी के अनुसार समय-समय पर तब्दील किये जायं। लेकिन कुछ ऐसे कानून थे जिनके बनने के बाद स्थायी स्थिति पैदा करने के लिये मुकदमेबाजी भी ज्यादा शुरू हो गयी। इसके अतिरिक्त कि किसानों को अधिकार दिये जायं, कुछ ऐसे भी आवश्यकीय कानून बने जिनसे उत्पादन बढ़ा और उनमें से चकबन्दी का एक कानून था। इन कानूनों के बनने के साथ-साथ जो माल विभाग के अधिकारी थे उनके ऊपर भी काम का भार बढ़ा। जब काम का भार बढ़ जाता है तो मुकदमेबाजी भी उसके साथ साथ जैसा कि मैंने निवेदन किया था कि सुधारों के समय शुरू में मुकदमेबाजी ज्यादा हुआ करती है। इसलिये इसका यह असर हुआ कि बहुत से ऐसे भी मुकदमे उच्च न्यायालय में गये जिनमें बहुत से ऐसे फैसले हुये जिनके अनुसार यह आवश्यक है कि जो हमारे भूमि संबंधी कानून हैं उनमें तरमीम लाई जाय। श्रीमन्, बहुत से ऐसे फैसले हुये, जिनको यदि ऐसे ही छोड़ दिया जाय तो लाखों व्यक्ति ऐसे होंगे जिन्होंने अपना काफी समय और खर्चा उन मुकदमों के लड़ने में किया और जिनके फैसले हो जाने के बाद, वह अपनी भूमि पर जिसका फैसला हो चुका था, काबिज हैं और वास्तविक रूप से महसूस करते हैं कि कोई कानूनी बाधा उनके उस भूमि के रखने में नहीं है। लेकिन किसी मुकदमे में जब कोई फैसला हो जाता है और उसका असर होता है तो वह, श्रीमन्, सामने था। अगर इन कानूनों को ठीक नहीं किया जायगा तो ऐसे लाखों मुकदमे पड़े रह जायंगे जो अवैध घोषित हो जायंगे। अलावा इसके सरकार का नुकसान होगा और इसके अतिरिक्त लाखों आदमियों का निजी नुकसान होगा और वह झगड़े में पड़ जायंगे। इसलिये आवश्यक है कि दो तीन वर्षों में जो ऐसे फैसले हुये हैं उनके अनुसार कानूनों को तरमीम किया जाय।

श्रीमन्, यह भी है कि जहां तक हो शासन को चाहिये कि कानून देखभाल कर बनाये और यह कोशिश करे कि कोई खामी न रहे। जैसा कि मैंने निवेदन किया कि पिछले वर्षों का इतिहास बताता है कि भूमि व्यवस्था का सुधार करने के लिये, किसानों को प्रगतिशील बनाने के लिये जो शासन कानून लाया वह आवश्यक थे। कानून की धाराओं का इंटरप्रिटीशन अदालतें करती हैं। जिस समय वह बन रहे थे सम्भव हो सकता है उस समय हमारे सलाहकार जिनका शासन से संबंध रहता है, उनके दिमाग में यह बात न आई हो या आई भी हो तो वह इस राय के न हों जिस पर उच्च न्यायालय का निर्णय आधारित है.....

---

*६ अक्तूबर, १९६० की कार्यवाही में छापा गया।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैं नियम १३१ की ओर ध्यान दिलाऊंगा। आपने एक व्यवस्था यह दी थी कि किसी विधेयक के पुरःस्थापित होने के बाद कागजात मांगे जायं। अभी, श्रीमन्, मंत्री जी हवाला दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—वह तो टेबिल पर रखा हुआ है। आप देख लें।

श्री मोतीलाल अवस्थी—श्रीमन्, अगर पहले मिल जाय तो ज्यादा अच्छा है। भाषण होने के बाद मिलने से क्या फायदा होता है?

श्री अध्यक्ष—जी नहीं, वह तो टेबिल पर रखा हुआ है। आप देख सकते थे।

श्री रामस्वरूप यादव—श्रीमन्, मैं निवेदन कर रहा था कि उन फैसलों के अनुसार जो कुछ भी कार्यवाही हुई है, आवश्यक है कि कानूनों में सुधार किया जाय जिससे लाखों व्यक्तियों का नुकसान न हो और अव्यवस्था न हो जाय।

श्रीमन्, यह छोटा सा बिल है और इस विधेयक में पहला क्लाज २ है। इसमें संशोधन के द्वारा यह अधिकार दिया गया है कि एस० डी० ओ० के अतिरिक्त एडीशनल एस० डी० ओ० को भी मुकर्रर किया जा सके। चकबन्दी के काम के सिलसिले में एक हाकिम परगना से कार्य नहीं चल सकता था। इसलिये अतिरिक्त हाकिम परगना बनाया गया। यह अपना काम करते थे और साथ साथ में जो पंचायत राज ऐक्ट में एस० डी० ओ० को अधिकार हैं, उनके बाद सुनने के, उस सिलसिले में ऐडीशनल एस० डी० ओ० के सामने पंचायत राज ऐक्ट के अन्तर्गत मुकदमें आये। हाईकोर्ट ने पहले निर्णय यह दिया कि एस० डी० ओ० से मतलब हाकिम परगना है उसमें अतिरिक्त हाकिम परगना शामिल नहीं हो सकता और कुछ फैसले इस बिना पर अवैध, घोषित किये गये। एक तरमीम पंचायत राज ऐक्ट में लाई गई जिसमें यह प्राविधान किया गया कि हाकिम परगना के अतिरिक्त, अतिरिक्त हाकिम परगना भी उन मुकदमों की सुनवाई कर सकते हैं। फिर एक दूसरा मुकदमा उच्च न्यायालय में गया। उस वक्त उन्होंने यह निर्णय दिया कि इस तरह से कोई लाभ नहीं होता क्योंकि लैंड रेवेन्यू ऐक्ट में ही, एस० डी० ओ० के अतिरिक्त, अतिरिक्त हाकिम परगना की नियुक्ति का कोई प्राविधान नहीं है। इस वजह से यह आवश्यक हो गया। यह भी भय था कि न केवल पंचायत राज ऐक्ट के मुकदमें बल्कि सैकड़ों मुकदमें जो कि चकबन्दी के सिलसिले में ऐडीशनल एस० डी० ओज करते हैं उन पर असर पड़ेगा। इस वजह से इस विधेयक के क्लाज २ में यह प्राविधान किया गया है कि हाकिम परगना के अतिरिक्त ऐडीशनल एस० डी० ओज की भी नियुक्ति हो सकती है। श्रीमन्, जमींदारी उन्मूलन कानून पुराना है। उसके अतिरिक्त ऐग्रीकल्चर टिनैंट्स अक्वीजीशन आफ प्रिविलेज ऐक्ट, १९४९, यह जो पहले से लागू हुआ था, इस अधिनियम के अन्तर्गत भूमिधरी सनद हासिल करने के लिये या उसकी दुरुस्ती के लिये या उसके संबंध में जो वाद होते थे, उनकी सुनवाई करने के लिये नायब तहसीलदार को असिस्टेंट कलेक्टर द्वितीय श्रेणी के अधिकार शासन की ओर से दे दिये गये थे।

श्रीमन्, उच्च न्यायालय ने १९५९ में एक फैसला दिया कि नायब तहसीलदार को धारा १२, ऐग्रीकल्चरल टिनैंट्स अक्वीजीशन आफ प्रिविलेजज ऐक्ट में भूमिधरी सनद के भंग करने का अधिकार नहीं है। चूंकि उनका यह निर्णय है कि मालगुजारी कानून के अन्दर नायब तहसीलदार को शासन द्वितीय श्रेणी के असिस्टेंट कलेक्टर के अधिकार नहीं प्रदान कर सकता है, और लाखों व्यक्तियों को भूमिधरी सनदें मिलीं, उसमें बहुत से विवाद हुये, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या थी उन सनदों की और अधिकतर उनमें ऐसे कानूनी झगड़े हुआ करते थे, इस वजह से सोचा गया था कि सनद के कुछ विषय नायब तहसीलदार द्वारा निर्णीत कर दिये जायं जिससे किसानों

को भी सुविधा हो उनको भाग कर दूर न जाना पड़े, और काम का भी ऐसा बटवारा हो जाय जिससे ज्यादा अफसर भी न लगाने पड़ें, लेकिन उस निर्णय के कारण जो असर पड़ने वाला था इस वजह से आवश्यक हुआ कि कानून के अन्दर यह तरमीम की जाय कि नायब तहसीलदार को अधिकार दिया जा सकता है और जो अधिकार दिये गये हैं वे अवैध नहीं थे ।

इसी दौरान तहसीलदारों को भी प्रथम श्रेणी के असिस्टेंट कलेक्टर के अधिकार दिये गये । तदनुसार १९५८ में एक संशोधन लाया गया । उस वक्त यह निगाह में नहीं रहा कि यह आवश्यक था कि जो भी निर्णय उन्होंने प्रथम श्रेणी के तहसीलदार के रूप में सरकारी आदेश के अनुसार दिये हैं, उनके संबंध में भी उल्लेख कर दिया जाय । लेकिन वह नहीं हो सका जिसके कारण यह आवश्यक हो गया कि इस वक्त तरमीम इस विषय में लाई जाय कि जो उन्होंने प्रथम श्रेणी के असिस्टेंट कलेक्टर के नाते कार्य किये हैं वे अवैध नहीं हैं । श्रीमन्, कानून (मालगुजारी लैंड रेवेन्यू ऐक्ट) जैसा कि उसकी तरमीम सन् ५८ में लैंड रिफार्म्स ऐक्ट से हुई थी, उससे यह माना गया कि दुरुस्ती की या म्यूटेशन की जो दरख्वास्तें हैं वह एस० डी० ओज के यहां दी जायं । यह देखा गया कि ऐसे बहुत से मुकदमे हुआ करते हैं दुरुस्ती के, इस वजह से उनको बजाय इसके कि खुद हाकिम परगना करे, जिससे कि उनके ऊपर भी काम का भार ज्यादा न रहे और साथ ही में किसानों को बजाय जिले के हेडक्वार्टर पर जाने के तहसील के हेडक्वार्टर पर ही उसका काम चल सके, ऐसी सुविधा देना आवश्यक था कि वह मुकदमात तहसीलदार के यहां ही दायर कर दिये जावें और स थ साथ उसकी जो जांच है और शहादत वगैरह है वह भी वहीं ले ली जावे । कानूनी नुक्स को दूर करने के लिये जिससे कि कोई ऐसी बात न रहे जो कानून के खिलाफ हो यह आवश्यक था कि इस संशोधन बिल में इसको भी लाया जावे ।

श्रीमन्, एक सेक्शन २१४ लैंड रेवेन्यू ऐक्ट का है जिसका कि जमींदारी उन्मूलन बिल में संशोधन किया गया था । उसमें रिकार्ड आफिसर और कमिश्नर की अपील के बारे में तो समय का जिक्र है, लेकिन किसी वजह से जो कलेक्टर की अदालत में अपील दायर होती है उसके बारे में समय का निर्धारण उस धारा में नहीं है । यह आवश्यक था । इसलिये इसका संशोधन इस विधेयक में करने का प्राविधान किया गया है ।

श्रीमन्, जमींदारी एबालीशन के पहले यह जो सम्पत्ति के मुकदमें थे उसमें म्युटेशन के मुकदमें तो अदालत माल में हुआ करते थे और उनकी मिल्कियत का प्रश्न अदालत दीवानी में तय हुआ करता था । उस वक्त यह ठीक था कि जो म्युटेशन के मुकदमें हों उनकी भी अपील की इजाजत दी जावे । अब जमींदारी एबालीशन के बाद स्थिति में फर्क पड़ गया है । लिहाजा यह एक अनावश्यक सा प्रतीत होता है कि म्युटेशन के मुकदमों की भी अपील हो बल्कि म्यूटेशन के निर्णयों के खिलाफ अगर कोई जाना चाहे तो अदालत दीवानी व अदालत माल में जा सकता है । इसलिये इसमें भी संशोधन आवश्यक था जिससे कि २१० के अन्तर्गत मुकदमेबाजी ज्यादा न बढ़ सके । यू० पी० लैंड रेवेन्यू ऐक्ट की धारा ४०—ए जो है उसके संबंध में भी आवश्यक संशोधन लाया गया है । इस प्रकार मैंने इस संशोधन विधेयक को भी लाने के कारणों को संक्षेप में इस आदरणीय सदन के सामने रख दिया । परिस्थिति को देखकर, इस वजह से नहीं कि उच्च न्यायालय के किसी फैसले को पार करने का तरीका निकाल रहे हैं, बल्कि लाखों व्यक्तियों को राहत देने के लिये यह किया गया है । वास्तविक रूप से इस तरमीम से किसी विशेष व्यक्ति को नुकसान नहीं होगा बल्कि सहायता मिलेगी । साथ ही मुकदमेबाजी कम होगी और जो शासन का नुकसान भी हो सकता है वह भी नहीं होगा । इस वजह से यह संशोधन विधेयक लाना आवश्यक हुआ । मैं आदरणीय सदन से निवेदन करता हूं कि इस विधेयक पर विचार करे ।

*श्री मोतीलाल अवस्थी—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि यह सदन निश्चय करता है कि उत्तर प्रदेश भूमि-विधि संशोधन विधेयक, १९६०,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

को, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जावे जिसे अपनी परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो और जो अपना प्रतिवेदन एक सप्ताह में प्रस्तुत कर देवे ।

मैंने आज उत्तर प्रदेश भूमि-विधि संशोधन विधेयक के बारे में जो यादव जी की वक्तृता सुनी उससे मुझे ऐसा लगा कि यादव जी कितने विभागों में दखल रखते हैं । शिक्षा में, राजस्व में, पुलिस में और बिजली में, सभी में वह आलराउन्ड मैन दिखाई पड़ते हैं । आज उन्होंने बहुत सी दलीलें हमारे सामने रखीं तो मुझे यह याद आया कि अभी तक तो हम लोग लेखपाल के प्रकरणों से ही ऊबे हुये थे और उनके सम्बन्ध में जो दिक्कतें थीं उनको गैरसरकारी प्रस्तावों के द्वारा या मौके मौके पर अनहोनी कहानियों में सुनता था किन्तु आज मैं यह प्रार्थना करूं कि लेखपालों से आगे कानूनगो, नायब तहसीलदार और तहसीलदारों की अनहोनी कहानी हमको सुनने को मिलेंगी । यह संशोधन विधेयक एक प्रकार से इन कानूनगो, नायब तहसीलदार और तहसीलदार, इन तीनों को एक तानाशाही अधिकार देने जा रहा है । इस तानाशाही अधिकार को पाकर अब राजस्व विभाग एक स्वतंत्र विभाग हो जाने वाला है ।

अब माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि इसके अतिरिक्त जो उद्देश्य और कारणों में लिखा हुआ है उसको देखते हुये हमको यह समझ मिली कि सरकार यह कहने जा रही है कि हम कुछ मुकदमेबाजी रोकेंगे, जो दोहरी मुकदमेबाजी होती है । सरकार यह कहने जा रही है कि उच्च न्यायालय में जो फैसले हुये हैं उससे सरकार को कठिनाई पैदा हुई और उस कठिनाई के उपरान्त कुछ खामियां हुईं और उन खामियों का वैधीकरण करने यह सरकार जा रही है । यही इसके उद्देश्यों में लिखा हुआ है । प्रारम्भ में ही उप मंत्री जी ने बहुत सी बातें बतलाईं कि अब हम तहसीलों के मुकदमें के फैसले के लिये शहर में नहीं जायेंगे । इस बात को देखकर मुझे ऐसा लगा कि जैसे एक अच्छा वकील अपने खराब केस के लिये तरीका अपनाता है । वह तरीका आपने भी अपनाया । यह जो विधेयक हमारे सामने है, इस विधेयक को लाने में इसलिये जरूरत पड़ी कि जिन लोगों के ऐसे मुकदमे हैं उनके साथ हकतलफी हो जायगी । अगर इस विधेयक को पास नहीं किया जाता है तो उनके साथ न्याय नहीं हो सकेगा । कानूनी शकल आप चाहे जो कुछ इस विधेयक के द्वारा कर लें, मुझे उसमें कोई एतराज नहीं है । लेकिन हमको इस बात का खेद है कि सरकार कुछ थोड़ी सी शिकायतों को देखकर कुछ अधिकार अपने हाथ में ले लेना चाहती है जिसको हम जान नहीं पाये या धोखे में रह गये हैं । आज इस कानून के अन्तर्गत सरकार कुछ ऐसे आवश्यक कार्यों को, जिनका ताल्लुक किसानों से है, प्रत्येक गरीब किसानों से है, ग्रामीण क्षेत्र से है, उन सारे अधिकारों को, फैसला करने के अधिकारों को कानूनगो की मारफत नायब तहसीलदार और तहसीलदार के पास पहुंचाने वाली है । इस विधेयक में मुझे यह अवश्य सन्देह है—राजस्व मंत्री जी यहां पर मौजूद नहीं हैं नहीं तो मैं उनके सामने अपनी बातें रखता—कि राजस्व विभाग सचमुच उतना ही बदनाम है जितने कि पुलिस और नहर विभाग हैं । पुलिस और नहर विभाग के खिलाफ जितनी बातें कही जाती हैं उसी प्रकार की आलोचनायें राजस्व विभाग के लिये भी होती हैं और आज इस विधेयक के द्वारा यह कोशिश की जा रही है कि कुछ और मजबूती कर ली जाय और किसानों के इन कामों में और मनमानी की जाय ।

श्रीमन्, आज किसान खेती करता है, उसका एक रजिस्टर होता है और उसमें सारा खेती का हवाला दर्ज होता है । इसके बाद उसकी मृत्यु पर उसके उत्तराधिकार का प्रश्न आता है या कभी कभी खेती में ही हेरफेर होते हैं, उसमें शुद्धियां, अशुद्धियां होती हैं । तो यह उत्तराधिकार, मुंतकिली, काबिज—बेकाबिज ऐसी बातें हैं कि जो प्रत्येक किसान के साथ किसी न किसी समय आती हैं और उन्हें हल करने के लिये किसान परेशान है और उन्हीं सब के सम्बन्ध में यह विधेयक यहां प्रस्तुत है । कानूनगो को जो अधिकार दिये जा रहे हैं, यह तहसीलदार के पास जो मामला आये उसके बाद उसे कलेक्टर के पास जाने की जो गुंजायश है, उसके सिलसिले में सरकार अब चाहती है कि वे सारी बातें अब अधिक प्रकाश में न आयें और उनके सम्बन्ध में जो

अपीलों की बात चल रही है उसे भी सरकार अब खत्म करना चाहती है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या अब सरकार अपीलों की आवश्यकता नहीं महसूस करती जो सारे अधिकार अपने हाथ में ही रखना चाहती है या यह मौका देना चाहती है तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों को कि वे किसानों के साथ अपनी मनमानी करते रहें। हम इसी कसौटी पर इस विधेयक को कस कर देखना चाहते हैं कि सरकार कौन सा पक्ष अधिक पसन्द करती है।

जो प्रस्तावित विधेयक है उसकी कुछ दफायें मैं आपकी आज्ञा से सदन के सम्मुख रखना चाहता हूं और मैं यह कहना चाहूंगा कि जो हेरफेर सरकार करना चाहती है वे आमूल हैं, वे बहुत प्रभावी होंगे और उन्हीं के सम्बन्ध में मैं सरकार का ध्यान और सदन के सदस्यों का ध्यान आकर्षित करूंगा।

दफा ४०, जो रेवेन्यू ऐक्ट की है उसमें यह संशोधन किया जा रहा है कि—

"No order passed under sections 33, 35, 39 or 40 shall debar any person from establishing his right to the property in any civil or revenue court having jurisdiction".

इसका अर्थ यह हुआ कि हमको पूरी दफाओं का हवाला दे कर देखना चाहिये कि सरकार इसमें कौन सा हेरफेर करना चाहती है। इसके बाद ही, दफा २१० में संशोधन किया जा रहा है कि—

"No appeal shall lie against an order passed under sections 33, 35, 39 or 40".

ये दफायें कौन सी हैं कि जिनका प्रयोग सरकार करना चाहती है और यह कहना चाहती है कि उनमें अपील की आवश्यकता नहीं है? इसलिये मैं आपकी आज्ञा से इन दफाओं पर भी सरसरी निगाह डालूंगा और देखूंगा कि सरकार इन में कैसे परिवर्तन करना चाहती है और कैसे अपना एकाधिकार बढ़ा रही है और बजाय इसके कि किसानों को वह कुछ सहूलियत दे, अपने हाथ में सहूलियत ले रही है।

ऐक्ट की दफा ३३ में एनुअल रजिस्टर रखने की बात है। इसमें है:

"*The annual registers*—The Collector shall maintain the record of rights and for that purpose shall, annually or at such longer intervals as the State Government may prescribe, cause to be prepared an amended (Register mentioned in section 32).

The register so prepared shall be called the annual register.

(2) The Collector shall cause to be recorded in the annual register all changes that may take place and any transaction that may affect any of the rights or interests recorded and shall therein correct any errors proved to have been made in the record of rights or in any annual register previously prepared.

(3) No such change or transaction shall be recorded without the order of the Collector or as hereinafter provided of the Tahsildar or the Panchayati Adalat as constituted under section 42 of the United Provinces Panchayati Raj Act, 1947".

श्रीमन्, जो मैं पढ़ रहा हूं यह मूल अधिनियम अंग्रेजी में ही है और इसका हिन्दी उल्था अभी तक नहीं हो पाया है, इसलिये मैंने उसी रूप में इसे पढ़ा है। मैं यह अर्ज करूं कि अभी हाल ही में जो भूमि सुधार कानून पास हुआ था उसमें सारे अधिकार कानूनगो के हाथ में दे दिये गये थे। जब हमें स्वतंत्रता मिली, तभी से हमने कहा, यह आवाज बुलन्द की, कि जो भी आज शक्तियां हैं, वे विकेन्द्रित हों और जो पंचायतें गांव में बने उनको न्याय के भी अधिकार प्राप्त हों। पंचायतों को कुछ न्याय सम्बन्धी अधिकार दिये भी गये, उनमें आगे चल कर बढ़ोत्तरी भी की

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

गयी, जो २५० रुपये तक के मुकदमे के अधिकार थे, उनको बढ़ाकर ५०० रुपये कर दिये गये। तो यह सब तो हुआ, लेकिन इतना ही काफी नहीं है। कुछ और भी मुकदमे उनको मिलने चाहिये थे। लेकिन अभी हाल में सरकार ने उनसे कुछ अधिकार इस सम्बन्ध में छीन लिये हैं, और क्यों छीना गया इसको, मैं चाहता हूं सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण आना चाहिये। जब भूमि सुधार कानून पास हुआ, उस समय पंचायतों को मिले हुये अधिकारों को छीन कर कानूनगो को दे दिया गया। मैं इस सरकार से जानना चाहूंगा कि उसने ऐसा क्यों किया? आज हम उसकी अपील तक नहीं कर सकते हैं। सरकार जरा इस बात को सोच ले कि पंचायत अदालत के अधिकार लेकर कानूनगो को वह अधिकार दे देना कहां तक उचित है, और फिर ऐसा अधिकार देना जिसकी अपील तक न की जा सके, यह उचित नहीं है। यह बड़ी अनुचित बात इस विधेयक के अन्दर की जा रही है।

श्रीमन्, आपको याद होगा, सन् १९५८ में जिस समय यह भूमि सुधार कानून बना उस समय यह विरोधी दल भी यहां न था, उस समय विधान सभा में कुछ ऐसी घटना हुई थी कि जिसमें सोशलिस्ट पार्टी के सदस्यों को बलपूर्वक सदन से बाहर निकाला गया था। उसके विरोध स्वरूप विरोधी दलों ने यहां न रहना ही पसन्द किया था और उसी समय इस सरकार ने उस कानून को पास कराया था। उस कानून को हम अंधेरे काल का कानून कह सकते हैं। जो कानून उस समय पिछले दरवाजे से पास हुआ उसी पर आज भी यह सरकार फिर से मोहर लगवाना चाहती है। यह जो दफा ३३-ए कानून की है, इसके अनुसार कानूनगो को पूरा पूरा अधिकार दे दिया गया है कि वह जहां चाहे वहां इन्क्वायरी कर ले। किस तरह से वह इन्क्वायरी करता है उसको भी हम सभी जानते हैं। यह जांच उसके द्वारा न होकर लेखपाल द्वारा हुआ करती है और वह जो लिख देता है वही कानूनगो द्वारा पास हो जाता है और वही फिर तहसीलदार और नायब तहसीलदार द्वारा पास होता है। तो इस तरह से आप देखें कि कानूनगो को ही सब अधिकार होता है, वह जो चाहे करे।

इसके बाद, श्रीमन्, जो और दफायें हैं—दफा ३५ वगैरह वह भी इसी तरह की हैं। इसकी मंशा भी यही है कि वह स्वयं जांच करेगा और उसमें यदि विवाद होगा तो वह उसे कलेक्टर के पास डिस्पोज आफ करने के लिये भेज देगा। तो मैं यह जानना चाहूंगा कि जो तरीका हमारा इस सम्बन्ध में पहले था उसको इस सरकार ने क्यों बदला? यह जांच जो पहले पंचायत द्वारा थी, उसको क्यों अब कानूनगो, तहसीलदार और नायब तहसीलदार द्वारा कराने का प्राविजन किया गया? आज इस तरह से क्यों हमारे अधिकारों को छीना गया? आज इस तरह से ग्राम पंचायतें अपना कार्य ठीक प्रकार से नहीं कर पा रही हैं। ग्राम पंचायतों को हम ज्यादा विश्वसनीय मानते आये हैं, मगर सरकार कहना चाहती है कि उनमें हमारा विश्वास नहीं रह गया। उनमें कुछ द्वेष हो, लड़ाई झगड़ा हो तो बात दूसरी है, लेकिन मैं इस दोषारोपण को मानने के लिये तैयार नहीं हूं। आज पंचायतों में जो मामले उत्तराधिकार या मुन्तकली के हैं उनकी वह ज्यादा जानकारी रखती हैं।

पिछली बार माननीय चरणसिंह जब राजस्व मंत्री थे तो उन्होंने एक सुधार सोचा जो कि बहुत प्रशंसनीय साबित हुआ। वह यह था कि कागज दुरुस्ती के काम में अगर एम० एल० एज मदद देना चाहें तो परगना हाकिमों को किन्हीं ५ गांवों का मुआयना करा सकते हैं और उसके मुताबिक बहुत से सदस्यों ने रुचि ली और कागज दुरुस्तियां करायीं। मैंने स्वयं कई ग्रामों को दिखलाया और दुरुस्तियां करायीं। लेकिन जो स्कीम स्वयं चरणसिंह जी ने चलायी खुद ही उसका घात भी कर दिया, प्राणांत कर दिया। उन्होंने कहा कि इसके द्वारा सदस्य फायदा उठा लेवेंगे। वह तो बड़ा दम भरा करते हैं कि जब कोई करप्शन की बात आती है तो मैं जांच करता हूं। मैं उनसे अपनी शिकायतों को कह देना चाहता हूं कि उन्होंने बराबर कहा कि बागों की लगान वसूली के लिये दो साल से ज्यादा का लगान न लिया जाय और चालू साल और पिछले सालों में से एक साल का लगान वसूल किया जाय, लेकिन आपके अमीनों ने ४—४ और ६—६

सालों का लगान बड़ी खुशी से वसूल किया। मैंने स्वयं लिख कर शिकायत की कानपुर के तहसीलदार के बारे में, सबूत दिये और रसीदें पेश कीं। उन्होंने दिखलाने के लिये अमीन से जवाब तलब कर लिया, लेकिन वह अभी तक वहीं पर तैनात हैं जबकि सारा कसूर उन्हीं का है।

धारा ३९ जो है, जिसमें कहा गया कि अब जब कोई एरर या गलती या ओमीशन के बारे में कोई दरख्वास्त आवेगी तो वह तहसीलदार के पास पेश होगी और जांच करने के बाद तहसीलदार उसको कलेक्टर के पास जांच के लिये भेजेगा कि जांच की जाय। तो यह दो दो जांचों की क्यों जरूरत पड़ी मामूली सी दुरुस्ती के लिये, यह समझ में नहीं आया। कलेक्टर के पास कोई अलग से व्यवस्था नहीं है, अलग विभाग इस काम के लिये नहीं है, वह तहसीलदार के द्वारा ही कराता है। यह एक मखौल सा है। ये गलतियां लेखपालों द्वारा किसानों से रुपया ऐंठने के लिये जान-बूझ कर खातों में की जाती हैं, जैसे बाप-बेटों के नामों में फर्क डाल देना, मुकामों और रुपये में फर्क डाल देना।

मेरा सौभाग्य है कि न्याय मंत्री आ गये।

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—आपका सौभाग्य बहुत बेमौके भी हो जाता है। परसों भी हो गया था।

श्री मोतीलाल अवस्थी—उसी की दुरुस्ती कर रहा हूं। मैं कहने जा रहा था कि आज आपने जो कानून प्रस्तुत किया है उसमें आप शुद्धियां, नाम परिवर्तन और कब्जे की बातें करते हैं। इसमें भय है कि इसकी आड़ में आप नायब तहसीलदार, तहसीलदार और कानूनगो को तानाशाही अधिकार देना चाहते हैं ताकि वे किसानों को परेशान कर सकें। दफा ३९ में जो मैंने एक बात बतलाई उसके साथ साथ ४० में एक बात और कही गई है कि ४०-ए और बढ़ा दी जाय:

"No order passed under sections 33, 35, 39 or 40 shall debar any person from establishing his right to the property in any civil or revenue court having jurisdiction".

पहले की जो ४०(३) है वह इस प्रकार से है:

"No order as to possession passed under this section shall debar any person from establishing his right to the property in any civil or revenue court having jurisdiction".

इसमें सेक्शनों का हवाला नहीं था। अब ३३, ३५, ३९ और ४० सभी में अधिकार बढ़ा दिया गया है। ठीक इसी प्रकार से दफा २१० में जो सुधार किया गया है उसमें कहा है कि ३३, ३५, ३९ और ४० में कोई अपील नहीं हो सकेगी। मैं आपका ध्यान आकर्षित करूं कि ३३ और ३५ के बाद जो ३७ और ३८ हैं उसमें कहा गया है कि अगर कोई काबिज आदमी अपने संबंध में रिपोर्ट न कर सकें तो उसको ५ रुपये फीस देनी पड़ेगी और इसके अलावा अगर तीन महीने का मौका हो जाय तो इसका पांच गुना जुर्माना देना पड़ेगा। अब आप देखें कि अगर किसी का पिता फौत हो जाता है तो उसका लड़का आशा करता है कि लेखपाल उसका कब्जा रिपोर्ट कर देगा। कभी कभी कम लिखे पढ़े भी लड़ैत होते हैं वह लेखपाल के पीछे २ घूमते हैं लेकिन लेखपाल रुपया लेने के लिये उसको टालता है। अगर सौदा नहीं पटा तो लेखपाल टालते-टालते इतना मौका निकाल देगा, इतनी लम्बी अवधि हो जायगी कि वह तीन महीने की अवधि में आ जाय। अब वह कानूनगो के पास आयेगा और वह इससे सौदा करेगा। इन दोनों जगहों पर यदि उसकी रिपोर्ट नहीं होती तो उसको तहसीलदार के पास जाना चाहिये। तहसीलदार भी तारीखें डालेंगे और सबूत मांगेंगे और कई तारीखों पर उसको दौड़ाया जायगा। यह साधारण सा काम है, उसके पिता का उत्तराधिकार दर्ज हो जाना चाहिये, लेकिन इसके लिये कोई सरल तरीका नहीं है। जितने भी तरीके हैं सभी उलझे हुये हैं और उनको और भी उलझाने की कोशिश की जाती है। पहले जो पंचायतों में स्थानीय

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

लोगों को जांच का अधिकार दिया गया था वह अब हटा लिया जाय और कानूनगो को कर दिया जाय। सरकार ने कानूनगो पर ज्यादा विश्वास किया पंचायत के पंचों की जगह पर। अब अगर लेखपाल या कानूनगो की गफलत हो तहसील में आकर रिपोर्ट करने में तो उसके लिये आपने क्या दंड व्यवस्था रखी है ?....

श्री हरदयालसिंह (जिला शाहजहांपुर)--माननीय अध्यक्ष महोदय, कोरम नहीं है।

(गणना के उपरान्त)

श्री अध्यक्ष--कोरम पूरा है। भाषण जारी रहे।

श्री मोतीलाल अवस्थी--मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे सामने कब्जे की रिपोर्ट लिखने की बात बहुत महत्व रखती है। इस बात को रिपोर्ट लिखने के लिये जो नियम बने हुये हैं उनमें लिखा हुआ है कि तहसीलदार मौके पर जांच करके, सरसरी जांच करके, जिसका उचित समझे, उसका कब्जा लिख दे। उसी का कब्जा सही माना जायगा जब तक कि इसके बारे में कोई विशेष विवाद न पैदा हो। मैं कहना चाहता हूं कि इसके बारे में हजारों विवाद देहात में आज भी चल रहे हैं। इस कब्जे के लिखने के बारे में हमने इसी विधान सभा में एक प्रस्ताव रखा था कि कब्जा तब तक न लिखा जाय जब तक गांव समाज के सभापति और गणमान्य व्यक्तियों के द्वारा जांच न कर ली जाय। लेकिन फिर भी कब्जे को लिखने के पूरे अधिकार इस सरकार ने अधिकारियों को ही दे रखे हैं। पहले कानूनगों को अधिकार दिया गया है और अगर विवाद हो तो तहसीलदार को अधिकार दिया गया है। इसके बाद अपील न होने का जो विधान किया गया है, वह बहुत ही आश्चर्यजनक है। इस उत्तराधिकार और मुन्तकिली के बारे में किसानों को हमेशा ही परेशानी उठानी पड़ती है। इसमें सरकार को अवश्य सुधार करने की आवश्यकता है। सरकार को वास्तविक रोग का इलाज करना चाहिये और ऐसा इलाज भी न करना चाहिये जिससे किसान मुसीबत में पड़ जाय। मैं तो इस पक्ष में हूं कि तहसीलदार को सारे अधिकार न दिये जायं क्योंकि मेरा खयाल है कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार तहसीलदार, नायब तहसीलदार से लेकर लेखपाल तक है। सरकार का कहना है कि इससे मुकदमेबाजी कम होगी लेकिन यह बात सही नहीं है। इसलिये सरकार को उत्तराधिकार और कब्जे के बारे में जो दिक्कतें हैं उनको सही तरीके से सरकार को हल करना चाहिये और इस कार्य को पंचायती आदालतों के द्वारा कराने से अधिक अच्छा होगा।

इन पंचायतों में नये नये नौजवान लोग चुनकर आये हैं। उन लोगों में उत्सुकता है कि अगली बार अदालती पंचायतों के चुनाव किस प्रकार से होंगे। वे चाहते हैं कि उनको अधिक से अधिक अधिकार दिये जांय। वे गांव की समस्या को बुद्धिमत्ता से हल करना चाहते हैं। लेकिन सरकार उनको यह अवसर नहीं देना चाहती है। जो अधिकार उनको पहले मिले हुए थे उनको भी सरकार उनसे छीन कर अधिकारियों को दे रही है। सरकार की इस बात से हमें बार-बार विरोध है। इस एडीशनल एस० डी० ओ० को अधिकार देने से लाखों लोगों पर इसका असर पड़ेगा। इन पदों को बढ़ा करके सरकार कुछ सुधार करने की बात सोचे तो वह उसी प्रकार का सुधार करना होगा जैसा नीचे से निकले हुये फोड़े पर मरहम लगा दिया जाय। ऊपर से मरहम लगाने से तो नीचे से और भी फोड़े फुंसियां निकल आती हैं, तो बजाय मरहम लगाने के सरकार को चाहिये कि वह वास्तविक दिक्कतों को देखे, सोचे, समझे और यह कोशिश करे कि ये जो सामने झगड़े बढ़े हैं कब्जे बेकब्जे के, इन सब पर विचार करके अगर उस मामले की सही जांच की जाय तो वह दिक्कत जहां की तहां दूर हो जाय। लेकिन सही जांच न करके, उसे तोड़ मरोड़ करके और तूल बढ़ा करके क्या किया जा रहा है उसका हम लोगों को अनुभव है। आज लेखपालों और कानूनगोओं को देहात के रहने वाले किसान प्रभु मानते हैं। वे जिस तरह से किसानों को चलाना चाहते हैं चलाते हैं, उनसे जो कराना चाहते हैं कराते हैं। वे लेखपाल जिनको उस समय के राजस्व मंत्री ने पटवारियों को हटा कर.....।

श्री अध्यक्ष—आप लेखपाल पर कह चुके उसके बाद आप तहसीलदार, नायब तहसीलदार के बारे में कहने वाले थे, वह भी कह चुके और फिर आप लेखपाल पर लौट कर आ गये।

श्री मोतीलाल अवस्थी—ये लेखपाल और कानूनगो ही हैं जिनके यहां सारी रकम इकट्ठा होकर आती है। लेखपालों के द्वारा ही कानूनगो का सारा काम चलता है। जैसे डेवलपमेंट लोन की बात है, चन्दे की रकम की बात है, वह लेखपालों की तनख्वाह से काट ली जाती है क्योंकि उनसे आशा की जाती है कि वे उसे वसूल करके लावें। और आज हालत यह है कि ये लोग किसानों से जबरिया दो दो सौ रुपये तक चन्दा वसूल करते हैं और उसकी रसीद तक नहीं काटते हैं। यह सारा रुपया लेकर वे तहसीलदार को दे देते हैं।

मैं इस राजस्व विभाग के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। इस विभाग का किसानों से काम कराने का जो तरीका है वह एक अजीब सा है। उनकी गर्दन उनके हाथ में है; वे जब जिस तरह से भी चाहें उनकी गर्दन तोड़ करके उनसे जितना चाहें चन्दा मांग लाते हैं। जब यह भूमि-विधि संशोधन विधेयक हमारे सामने आया तभी हमें यह मौका मिला कि मैं सरकार को चेतावनी दे दूं। श्रीमन्, मैंने तहसीलदार और नायब तहसीलदारों के सामने भी प्रदर्शन किया है और उनको जागृत करने की कोशिश की है। अभी भी मैं उनके सामने प्रदर्शन कर चुका हूं। लेकिन क्या होता है? वे तो ऐसी मजबूती के तौर पर बैठ गये हैं जैसे कि कोई पहाड़ हो। आजकल जो राजस्व मंत्री के पद पर विराजमान हैं उनके लिये मैं क्या कहूं। उनके पास अगर कोई शिकायत आती है तो वे यही कहते हैं कि यह सब गलत है, जो मैं कहता हूं वह सब सही है। जब मैंने अपनी बातें सुनानी शुरू कीं तो वे एक मिनट ही बैठ कर चले गये। अब यादव जी "जो जैक आफ आल बट मास्टर आफ नन" या "मास्टर आफ आल बट जैक आफ नन" इन दोनों में से एक हैं, यहां बैठे हुये हैं और कुछ न कुछ लिखा हुआ जवाब दे देंगे। जो शिकायतें मैंने की हैं, वह मैंने जिम्मेदारी से, जानकारी से और देखी हुई की हैं और सैकड़ों शिकायतें मैं पेश कर सकता हूं लेकिन तो भी आप न विश्वास करें तो मैं क्या कहूं?

इस विधेयक को आप वापस लें या इसको प्रवर समिति के पास भेजें क्योंकि अभी जो आपने कहा कि हम दुरुस्ती जल्दी करेंगे, या यह कि दोहरा न्याय का मौका नहीं देंगे या तहसील में ही यह हो जायगा, ये तीनों बातें गलत हैं। इसमें कम खर्चा नहीं होगा, इससे किसान तबाह हो जायेंगे। आपने उन सारे अधिकारियों, तहसीलदारों तथा और अधिकारियों के कारनामों को खोलने का मौका नहीं रखा, नहीं तो कभी कभी एस० डी० ओ० परगना जो रिश्वत आदि लेते थे वह भी खुल जाता था। हाकिम परगना के यहां काफी रिश्वत चलती है। आज जो मैजिस्ट्रियल कोर्ट है वह पुलिस कोर्ट हो गयी। यह सब जिले के अधिकारियों की एक प्राइसपोस्ट हो गई है और उस का नतीजा यह है कि किसान मारा जा रहा है। छोटे-छोटे मामलों में, दुरुस्ती के मामलों में या उत्तराधिकार के विषयों में या और छोटी-छोटी बातों में न्याय लेने के लिये आज किसानों के पास इतना धन, इतना वक्त और जरिया नहीं है कि वह अपने स्वत्व को पाने के लिये आगे बढ़ सकें। वह तो अपने छोटे दायरे में ही लेखपाल, कानूनगो, तहसीलदार और नायब तहसीलदार के हाथों में खेलता रहता है और उनके ही हाथ जोड़ता रहता है और उसकी पहुंच आगे नहीं हो पाती। मैं स्वयं एक मिसाल जानता हूं कि एक.....

श्री अध्यक्ष—अब आप फिर रिपीट कर रहे हैं, मैं आपको रिपीट नहीं करने दूंगा, आप कुछ और नई बातें कहें।

श्री मोतीलाल अवस्थी—यानी एक केस में इतनी तारीखें पड़ीं कि ६ मास तक तारीखें पड़ती रहीं लेकिन कोई बड़ा सा त्योहार आया और तहसीलदार साहब गोश्त के शौकीन थे, उनको गोश्त की दावत खिलाई गई और उसके बाद उसका फैसला फौरन हो गया। यह

[श्री मोतीलाल अवस्थी[

हालत तहसीलों और तहसीलदारों की है। इस वक्त सारे अधिकार तहसील के ही अधिकारियों को दे रखे हैं, जितने भी मिलकियत के या तस्दीक के मामले हैं सब तहसील से ही होते हैं, जितनी छोटी-छोटी बातें हैं सब अधिकार तहसील में ही केंद्रित हैं और वह भी अगर अपील करें तो कलेक्टर के पास। जितनी बात है वह सब तहसील में ही गोलमाल होती रहती है, कोई बाहर नहीं जा सकता, थोड़े से घेरे में .....

श्री रामस्वरूप यादव--अध्यक्ष महोदय, मैं जरा एक स्पष्टीकरण दे दूं। यह अपील रोकने का जो प्राविधान किया जा रहा है वह इसलिये कि डुपलीकेशन न हो। किसान अदालत माल में मुकदमा दायर कर सकता है। दुरुस्ती के सूट्स में या म्यूटेशन में पहले अपील में जाय और फिर डिक्लेरेटरी सूट करे इस डुपलीकेशन को दूर करने के लिये ऐसा किया गया है। रुपये वाले लोग गरीब किसान को अपील में न सताये इस चीज को अवायड करने के लिये अपील की इजाजत नहीं दी है और इसी कठिनाई को दूर करने के लिये यह बिल लाया गया है।

श्री मोतीलाल अवस्थी--जो बात आपने कही मैं उस को समझता हूं और आप यह न समझें कि मैं आप की बात पहले से नहीं समझता। आप कह रहे हैं कि हम उसको सिविल सूट्स में जाने का मौका देंगे, लेकिन यहां जो आप कहते हैं कि सीधे फैसला....

श्री रामस्वरूप यादव--डिक्लेरेटरी सूट्स तो अदालत माल में .....

श्री अध्यक्ष--अब आप उन्हें बीच में न टोकें, बाद में ही आप जवाब दे दें।

श्री मोतीलाल अवस्थी--जो बात आप कहने जा रहे हैं वह उसी जगह पर लागू है लेकिन जो मामूली करेक्शन वगैरह के मामले हैं जिनमें अपील न होगी उन्हीं में तो गोलमाल का डर है, छोटे किसान किस तरह से न्याय पा सकेंगे और किस तरह से न्याय हो सकेगा। मैं चाहता हूं कि मेरी बात माननीय राजस्व मंत्री जी तक पहुंचाई जाय और वह मेरी बात को समझें और मैं फिर उन से अपनी फरियाद करता हूं।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय अवस्थी जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी तथा इस हाउस से निवेदन करूंगा कि गलत इन्दराज, नाम परिवर्तन का यह जो छोटा सा बिल सदन के सामने प्रस्तुत है

(इस समय १ बजकर १ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री गेंदासिंह, पीठासीन हुए।)

इस पर बहुत ही गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिये क्योंकि इस हाउस में गलत इंदराज दुरुस्त करने के संबंध में कितने कानून बने और कितना हाउस का समय और रुपया बरबाद हुआ, सारे प्रदेश को इसकी जानकारी है। समझ में नहीं आता कि राजस्व विभाग का कौन-सा कानून सही है और कौन-सा गलत। जब हाउस में इस तरह के विधेयक पास होते हैं तो सदा इधर के बैठने वालों ने गांव के रहने वालों की तकलीफें बतलाई हैं और पुराने और आज के दोनों ही राजस्व मंत्री उसका खंडन करते रहे हैं कि गांव के जो गलत इन्दराज की बात आप कर रहे हैं वह ठीक नहीं है। श्रीमन्, आपको याद होगा कि गलत इन्दराज करने के सम्बन्ध में कानून १९५२ में पास हुआ था। उस वक्त के राजस्व मंत्री माननीय चरणसिंह जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि इस प्रदेश में गलत इंदराज नहीं है और उनके कहने के बाद एक सुल्तानपुर जिले में केवल एक ही तहसील में ४० लाख गलतियां मिली थीं। इसी प्रकार सारे प्रदेश में आज भी गलतियां हैं और उन गलतियों को दुरुस्त करने का जो साधन इस विधेयक के जरिये न्यायालय को सुपुर्द किया जाता है मैं समझता हूं इससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। उनको और मारने के लिये रास्ता साफ किया जा रहा है।

श्रीमन्, आपको जानकारी है कि इस विधेयक में साफ तौर से कह दिया गया है कि पंचायतों को जो गलत इंदराज, नाम परिवर्तन आदि के संबंध में रिपोर्ट का अधिकार दिया गया है अब वह कानूनगो को सुपुर्द कर दिया जाय। मैं समझता हूं कि अब तक कानूनगो के जो काले कारनामे रहे हैं वह शायद राजस्व मंत्री जी को भूल-से गये हैं। मैं अपने क्षेत्र की बात कहता हूं। एक नहीं हजारों दरख्वास्तें मेरे पास आती हैं और लेखपाल जो इंदराज करता है कानूनगो ठीक उसका समर्थन करता है। परती जमीन जो गांव-समाज की है उसके बारे में भी, हाईकोर्ट ने जो फैसला दे दिया उसके बाद लेखपाल को काबिज लिखने की इतनी छूट मिल गई कि तालखोय एक गांव है, वहां के लेखपाल ने हजारों एकड़ परती जमीन जोकि गांव-समाज की सम्पत्ति है उसको बड़े अच्छे-अच्छे लोगों के हाथों दे दिया, लिख दिया। तो मैं समझता हूं कि इस तरह का अधिकार देना बिलकुल जनतंत्र के खिलाफ है। जहां न्याय पंचायतों को अधिकार दिया था कि वह रिपोर्ट दें वहां पर अब कानूनगों को अधिकार दे रहे हैं। एक तरफ तो खर्चा घटाने की बात सरकार करती है और दूसरी तरफ कानूनगों, नायब तहसीलदार, तहसीलदार और परगना हाकिम के जिम्मे काम दे रही है। कैसे खर्चा कम होगा? यह तो ठीक है कि माल के मुकदमे की एक जगह अपील है। लेकिन जहां इंदराज करने की बात आप कानूनगो को दे रहे हैं यह ठीक नहीं है। इससे और घूसखोरी फैलेगी और जो तहसीलदार, कानूनगो वगैरह हैं उनको पूरा अवसर मिलेगा। अब तक का यही तजुर्बा है।

पुराना क्या तरीका था? नया इंदराज करने का लाल रोशनाई से जहां अधिकार लेखपाल को था वहां यह भी सिस्टम था कि नया इंदराज करने के साथ लेखपाल प्रधान को नोटिस दे, जिसके खिलाफ इंदराज होने वाला है उसको नोटिस दे, जिसके पक्ष में होने वाला है उसको नोटिस दे, तीनों व्यक्तियों को बुलावे, खुद रोजनामचे में दर्ज करे और तब इंदराज करे। मैं मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि ९९ फीसदी लेखपाल ऐसे हैं प्रदेश में जिन्होंने प्रधानों को कोई नोटिस नहीं दिया है, जिसके खिलाफ इंदराज होने वाला है उसको कोई नोटिस नहीं दिया और इंदराज कर दिया और कानूनगो ने उन्हीं इंदराजों का समर्थन किया है। अभी एक दरख्वास्त एक महीने पहले मेरे पास आयी, गांवों के काफी लोगों ने दस्तखत करके दी कि परती जमीन है, हम लोग खलिहान करते हैं और लेखपाल ने फलाने आदमी के नाम उस परती जमीन को लिख दिया है। मैंने मौके पर जा कर देखा कि वह परती जमीन है। मैंने कानूनगो से कहा कि तुमने यह क्या किया, तो उसने कहा कि गलती हो गई। तो आज अधिकार का दुरुपयोग हो रहा है। जब अच्छे आदमी के हाथ में अधिकार मिलता है तो जनता का लाभ होता है और खराब आदमी के हाथ में अधिकार होने से जनता को नुकसान होता है।

श्रीमन्, राजस्व विभाग के कायदे कानून बहुत साफ होने चाहिये। अपने प्रदेश में ८० से ९० फीसदी किसान रहते हैं, रोजाना कानून बदलते हैं और राजस्व के कानून ऐसे हैं कि वे हमें तो क्या अच्छे-अच्छे वकीलों को मालूम नहीं होते।

श्री हुकुमसिंह विसेन—बहुत दिनों के बाद यह बिल लाये हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—इसमें भी वही घपला है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि पुराने तरीके को बदल कर गांव पंचायत और न्याय पंचायतों को यह अधिकार मिलना चाहिये। कानूनगो क्या है न्याय पंचायत के मुकबाले में? नायब तहसीलदार का रिश्ता क्या है कानूनगो से, मंत्री जी जानते हैं? बहुत बड़ा उनका रिश्ता है और एक भी श्रीमन्, लेखपाल ऐसा नहीं है जिसके कान नायब-तहसीलदार गरम न करता हो। आपके हाथ में पावर तो है, लेखपाल का ट्रांसफर कौन करे? एस० डी० ओ० करता है। लेकिन सारी मशीनरी नायब-तहसीलदार चलाता है तहसीलों में। मैं कहता हूं इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा।

अपील की जो बात इस विधेयक में की गई है वह तो मैं पसन्द करता हूं। लेकिन जहां तक नाम परिवर्तन और शुद्धि करने की बात है उस हक को पंचायतों से न छीनिये। अगर उनसे

[श्री रामसुन्दर पांडेय]

छीनेंगे तो जनता का नुकसान होगा और उसकी परेशानी बढ़ेगी। इन शब्दों के साथ में निवेदन करता हू कि अगर प्रवर समिति में इसको भेज दिया जाय तो शायद इसमें परिवर्तन करके और नई बातें सोच करके एक ऐसा विधेयक आये जिससे सही माने में इंदराज, नाम परिवर्तन का जो किसानों का हक है उसको दिलाने में यह विधेयक समर्थ हो सकेगा।

*श्री रूर्मासिह (जिला शाहजहांपुर)---अधिष्ठाता महोदय, जो विधेयक मंत्री जी ने पेश किया है उनकी मंशा है कि काश्तकारों को हम सुविधा दें और उनके इंदराजात सही तरीके से हो जायं। मंत्री जी कहते हैं कि हाकिम परगना जिले के सदर मुकाम में रहता है इसलिये हमने तहसीदार, नायब-तहसीलदार और कलेक्टर को यह अधिकार दिया है। तो मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि हाकिम परगना हफ्ते में दो बार तहसील के मुकाम पर इस समय भी जाते हैं और मंत्री जी अगर काश्तकारों की और तहसील की जनता की भलाई चाहते हैं तो मेरा खयाल है हाकिम परगना को सदा तहसील के मुकाम पर रहना चाहिये और जितने भी झगड़े हैं उनको निपटाना चाहिये। आज माननीय मंत्री जी ने नायब तहसीलदार, तहसीलदार तथा कानूनगो को यह अधिकार दिया है। कलेक्टर साहब के मुताल्लिक उन्होंने कहा कि वह अपनी शक्ति उनको दे सकते हैं। होता यह है कि आज अगर किसी काश्तकार के नाम गलत इन्दराज हो गया है तो मंत्री जी कानून बनाने बैठे हैं कि किसी हाकिम को वह मालूम हो जाय, या मालूम नहीं होता, देर हो जाय तो जो कोई भी अपने इन्दराज या उत्तराधिकार की दरख्वास्त दे तो व्यवस्था देनी पड़ेगी और फीस वक्त पर दाखिल नहीं की तो उस का ५ गुना हर्जाना देना पड़ेगा। तो आज यह कांग्रेसी सरकार किसी प्रकार का विधेयक पास करे उससे जनता की दिक्कत बढ़ती है, जनता को कोई आराम नहीं मिलता है। मंत्री जी को सीधे सीधे यह दुरुस्ती कागजात के सारे मामले न्याय पंचायत को दे देना चाहिये। जो मामला निर्विवाद हो उसे तो कम से कम न्याय पंचायत को दे देना चाहिये और उसके बाद किसी मामले में कोई उलझन हो, उज्रदारी दाखिल हो तो सफाई दे कर उस मामले को हाकिम परगना के पास भेज देना चाहिये और हाकिम परगना तहसील के केन्द्रीय स्थान पर रह कर इन तमाम मामलों का फैसला करे तभी काश्तकार को वास्तव में सहूलियत हो सकती है। अब देखा जाय तो गांव के अन्दर एक ही परिवार के व्यक्तियों के नाम एक खेत मौरूसी है और उसके दूसरे भाई के नाम उसी को अधिवासी कर दिया और अधिवासी करके दुगुना व तिगुना लगान एक ही परिवार से सरकार वसूल कर रही है।

मैं कहना चाहता हूं कि जलालाबाद परगना में एक मौजा इकौना शिवपुरी है उसमें एक परिवार के लोग बदल बदल कर इन्दराजात कराते गये हैं। यहां पर सवाल किया गया तो कहा गया कि वह अपना मुकदमा हाकिम परगना की जांच में दाखिल करें। तो गलती है लेखपाल की लेकिन उसका खामियाजा भुगते काश्तकार। अगर वास्तव में काश्तकारों से कोई हमदर्दी है तो सरकार का यह फर्ज होना चाहिये कि ऐसी व्यवस्था की जाय जिससे उनको सहूलियत हो और फायदा हो और वे अपना समय बेकार इन मामलों में खर्च न करें और पैसा भी उन्हें ज्यादा न खर्च करना पड़े। इसलिये कृपा करके न्याय पंचायतों को ये सारे मामलात दे देना चाहिये और जो मुश्किल मामले हों उन्हें हाकिम परगना तहसील के हेडक्वार्टर पर रह कर फैसल करें।

आज अगर देखा जाय तो इस उत्तराधिकार के बारे में बड़ी परेशानियां पैदा हो गयी हैं। इत्तिफाक से अगर किसी का सम्बन्धी मर गया है, तो उसको अदालत में जाना पड़ता है और पैसा खर्च करना पड़ता है, सफाई देनी पड़ती है और उसको बड़ी भारी तकलीफ होती है। हम लोगों ने पहले भी इस बात की पूरी कोशिश की थी कि मंत्री महोदय लेखपाल ो इस

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

किस्म के आदेश दें कि जितने गांव के काश्तकार उन्हें हरएक फसल के जिन्सवार इन्तखाब मिल जाने चाहिये और इससे सारे के सारे झगड़े तय हो सकते हैं और गांव में अमन कायम हो जाता और जितने इन्दराजात के मामले हैं सारे के सारे दुरुस्त हो जाते। लेकिन यह सरकार मानने वाली नहीं है और इस बात का प्रयत्न कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा उसे मिले। ऐसे मामले उलझें कि ज्यादा से ज्यादा काश्तकारों को टिकट लगाना पड़े और कानूनगो, तहसीलदार और नायब तहसीलदार की लोगों को खुशामद करना पड़े। इस तरह का विधेयक यह सरकार पेश करती है।

मैं बहुत नम्रता से कहना चाहता हूं कि जो संशोधन अवस्थी जी ने पेश किया है उसे मंत्री जी मान लें और इस विधेयक को प्रवर समिति में जाने दें। वहां अच्छी तरह से इस पर विचार हो कर कोई दूसरा अच्छा विधेयक फिर सदन के सामने पेश किया जाय तो जनता तथा काश्तकारों के लिये अच्छा होगा और मंत्री जी की बड़ी प्रशंसा होगी और विरोधी दल के सदस्यों ने जो सूची भेजी थी उसे वह मान लें।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो संशोधन का प्रस्ताव है उसका मैं समर्थन करता हूं। उसके साथ एक बात आपके जरिये सरकार से अर्ज करना चाहता हूं कि जब जब माल महकमे के सिलसिले में कोई बहस हुई या माल महकमे की कोई शिकायत इस सदन में किसी ने उठायी या अगर कोई सब से अधिक विवाद का मामला रहा है तो यह इन्दराज दुरुस्ती का मामला रहा है। आज से नहीं, बराबर, हर साल जब कभी कोई मामला आता है तो इन्दराज दुरुस्ती पर एतराज होता है। जैसा कि हमारे माननीय रामसुन्दरजी ने कहा, पहले जो माल मंत्री थे माननीय चौधरी चरणसिंह जी, उनका कहना था कि हमारे सूबे में कोई इन्दराज गलत नहीं है, सब सही हैं। श्रीमन्, आपको तो हमसे ज्यादा जानकारी है, आप इस मामलें को बराबर उठाते रहे हैं और जब कंसालिडेशन शुरू हुआ तो जैसा कि माननीय रामसुन्दरजी ने कहा, एक एक जगह पर ७०—७० फी सदी तक इन्दराज गलत पाये गये। इसीलिये जो चकबन्दी का कानून बना उसमें पहली व्यवस्था यह है कि इन्दराज दुरुस्ती करते हैं और जब इन्दराज दुरुस्ती करने जाते हैं तो ५० से ७० फी सदी तक इन्दराज ऐसे मिलते हैं जिनको दुरुस्त करना पड़ता है। अगर महकमे से इसकी फाइल मंगाई जाय कि कंसालिडेशन करने के लिये जिन जगहों पर पेपर्स के करेक्शन हुये हैं उनमें कितने फीसदी खातों को दुरुस्त करना पड़ा है तो हर जगह की औसत से मालूम होगा कि आधे से ज्यादा इन्दराज गलत हैं।

श्रीमन्, जो यह तरमीम पेश की जा रही है मेरी समझ में यह कोई तरमीम नहीं है। ऐसा वह बेकायदा करते चले आ रहे थे, अब वह कायदे में करेंगे। अभी तक वैसे तो ऐक्ट में एस० डी० ओ० को प्राविजन है लेकिन वह पावर डेलीगेट करके नायब तहसीलदार और तहसीलदार से करा लेते हैं। अब उसको खत्म करना चाहते हैं। तरमीम तो इतनी है लेकिन परिधि बढ़ाने की बात मैं इसलिये कहता हूं कि जब बार बार यह प्रश्न हमारे सामने आता है तो क्यों नहीं प्रदेशीय सरकार यह सोचती है कि कौन सा उपाय करें जिससे एक बार सारे प्रदेश के लैंड के रेकार्डस् ठीक हो जांय। मैं कोई निश्चित सुझाव इस सिलसिले में इसलिये नहीं देना चाहता क्योंकि आज यह सवाल ही विचाराधीन नहीं है। मैं तो यह समझता हूं कि जिस प्रकार एस० डी० ओ० चकबन्दी के लिये कार्यक्रम बनाता है उसी प्रकार का कार्यक्रम बना कर एक बार एक महीना या दो महीने के अन्दर कोई ड्राइव चला कर सारे प्रदेश के इन्दराजात दुरुस्त कर लिये जायं या कानून में कोई ऐसी तरमीम करें जिसके करने से यह जो कागजात बनाने का तरीका है उसमें जो तब्दीली करने की जरूरत हो वह कर के एक बार तो सरकार को यह गम्भीरतापूर्वक सोचना चाहिये कि कागजात की दुरुस्ती हो जाय। इधर से हम लोग कहते हैं कि इन्दराज गलत हैं, मंत्री जी कहते हैं कि गलत सही का सवाल नहीं है, मैं तो अदालत वाली तरमीम चाहता हूं। मैं फिर आपके जरिये मंत्री जी का ध्यान दिलाऊं कि

[श्री गौरीशंकर राय]

परिधि बढ़ाने की बात इसलिये आयी कि परिधि बढ़ा कर मंत्री जी एक बार सोच लें और रोज-रोज के सिर दर्द को खत्म करें। जब इस सरकार ने यह मान लिया है कि प्रदेश के इन्दराज काफी तादाद में गलत हैं, ५० फी सदी से ऊपर तक गलत हैं तो मेरी समझ में नहीं आता कि वह क्यों नहीं इस पर विचार करती कि ये कागजात दुरुस्त कर दिये जायं। अगर एक बार ये कागजात दुरुस्त हो जायं तो बिना तरमीम किये एस० डी० ओ० से काम चल जायगा, करेक्शन के मुकदमे कम हो जायंगे, अदालत में जाने के मामले कम हो जायेंगे। तो इस प्रकार तो सरकार सोचती नहीं है। वह तो सिर्फ एक पेच वर्क कर लेती है। अगर गाड़ी कहीं रुकी तो एक पहिया लगा दिया और किसी तरह से इनकी गाड़ी चल रही है। मैं ऐसे चलने को चलना नहीं मानता कि अगर गाड़ी रुक गयी तो उसको चलाने के लिये थोड़ा-सा तेल पानी दे दिया। तो मैं समझता हूं कि आप ईमानदारी के साथ किसानों के साथ न्याय करने नहीं जा रहे हैं। यह जरूर है कि इस मौके पर जो एक खामी थी उसको आप कानून के द्वारा दूर करने जा रहे हैं। मैं, श्रीमन्, यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगले साल में हमारे उपमंत्री जी यदि एक ही काम कर सकें कि तमाम इंदराज दुरुस्त हो जायं तो यह बड़ा भारी काम होगा और मैं यह कहने में संकोच नहीं करूंगा कि भविष्य में माल विभाग द्वारा ऐसा कार्य शायद नहीं हो सकेगा और भूतकाल में भी नहीं हुआ होगा।

श्री अधिष्ठाता—एक साल में बिलकुल दुरुस्त हो जायं यह बात न कहें बल्कि एक साल में शुरू होने की बात कहें।

श्री गौरीशंकर राय—श्रीमन्, मैं तो थोड़ा और इधर आना चाहता हूं। अगर वह एक साल में इस कार्य को शुरू कर दें तब तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन अगर वह इस बात को सोच लें और हमको वह इसके लिये आश्वासन दे दें तो हम समझते हैं कि इससे हमको तस्कीन होगी और प्रदेश के किसानों को भी तस्कीन होगी।

मान्यवर, मैं भ्रष्टाचार का जिक्र करना नहीं चाहता हूं लेकिन आप स्वयं, हमारे मंत्री जी तथा इस सरकार के उच्च अधिकारी सभी भली प्रकार जानते हैं कि नीचे का जो लेखपाल का स्तर है या कानूनगो का स्तर है वह मामलों को कैसे चलाता है, यह सबको मालूम है। हमारे उपमंत्री जी भी वकील रहे हैं और वह सब कर्मों की प्रक्रिया से यहां पर पहुंचे हैं। उनकी जानकारी में है कि किस तरह से इंदराज होते हैं और कैसे झगड़े होते हैं। इतना मैं मानूंगा कि भ्रष्टाचार में डिग्री का प्रश्न है। लेखपाल के स्तर पर सब है, कानूनगो के स्तर पर भी सब है, नायब तहसीलदार के लिये छांटने में मुश्किल सब मान लीजिये, तहसीलदारों में एक आध फीसदी निकल जायगा। लेकिन जहां तक सवाल एस० डी० ओज का है तो उनमें हमें बहुत से अच्छे लोग मिलेंगे और काफी तादाद में अच्छे लोग मिलेंगे बल्कि बुरे लोग कम तादाद में पाये जायेंगे इसलिये अगर इस चीज को एस० डी० ओज के हाथ में रखते हैं तो हमारी थोड़ी सी हिफाजत है। लेकिन अगर इस पावर को नायब तहसीलदार को दे दिया जायगा तो उसके पास जो देने के लिये आगे पहुंच जायगा उसके नाम से इंदराज हो जायगा।

श्री अधिष्ठाता—नायब तहसीलदार ने अब तक काम किया है और आगे कुछ भी हो।

श्री गौरीशंकर राय—यही तो कठिनाई है, मान्यवर। अब तक जो बेकायदगी हुई उसको कायदे में लाना चाहते हैं। हालांकि इर्रेगुलर को रेगूलराइज नहीं किया जा सकता है लेकिन कानून में ऐसा जोर है और इसको वह कानून में कर लेंगे।

श्री रामस्वरूप यादव—उस समय इसकी शिकायत नहीं थी।

श्री गौरीशंकर राय—श्रीमन्, मुझे निहायत अफसोस है कि हमारे उपमंत्री जी उस समय शिकायत समझेंगे जब उनसे साफ कहा जाय। भले ही नायब तहसीलदार ने गड़बड़ किया हो। आप समझते हैं कि शिकायत नहीं थी। माल महकमे को सब से ज्यादा परेशानी इंदराज की ही है। हमारे पहले माल मंत्री जी इसको सुनकर नाराज हो जाया करते थे और वह हाथ (आस्तीन चढ़ाने का संकेत) यों यों किया करते थे। लेकिन जब कंसोलिडेशन में सारे मामले सामने आये तो वे यों यों हाथ करना छोड़ गये और उन्होंने अपने स्वभाव के विपरीत सिर झुकाकर कहा कि इंदराज गलत है। अगर उपमंत्री जी यह कह दें कि सरकार इस मामले में सैटिसफाई है तो हमें कुछ नहीं कहना है। हमारे उपमंत्री जी के जितने जान पहचान के किसान हैं उनके भी गलत है।

मान्यवर, मेरी एक बड़े सरकारी अफसर से मुलाकात हुई। वह जुडीशियरी के आफिसर हैं। बातचीत के दौरान में बात लेखपाल की आई। उन्होंने कहा कि मैं छुटियों में घर गया था। वह अच्छी खेती वाले हैं। उन्होंने बताया कि लेखपाल के लिये उनके यहां से सालाना दस्तूर बंधा हुआ है। एक बार उनके भाई घर पर नहीं थे और वही घर पर थे जब आदमी आया तो उन्होंने लेखपाल का दस्तूर दे दिया मैंने कहा कि आपने क्यों दे दिया जब कि आप जज है। इस पर उन्होंने कहा कि क्या करें जब हम घर जाते हैं तो जो दस्तूर बंधा हुआ है वह करना पड़ता है। मैं समझता हूं कि उप मंत्री जी के घर भी लेखपाल और कानूनगो के लिए जरूर कुछ बंधा हुआ होगा। यदि नहीं बंधा हुआ होगा तो जब से उपमंत्री हो गये हैं उस रोब से फायदा होगा। हम लोगों को इस रोब से बड़ा फायदा हुआ है। इस पोजीशन का अगर कोई फायदा है तो यह कि कहीं कहीं पटवारी डर जाता है कि इसका भाई या लड़का एम० एल० ए० है और इधर के बैठने वालों को ज्यादा फायदा हुआ है क्योंकि वह कहते हैं कि असेम्बली में शोर मचायेगा और जा कर कह देगा कि घूस लिया। कांग्रेस वालों के बारे में तो कहते हैं कि भले आदमी हैं दे लिवा लेते हैं कुछ झंझट नहीं करते। मैं समझता हूं कि इससे हम लोगों को थोड़ा सा फायदा हुआ है। (व्यवधान) हमारे पास टाटा और डालमिया का असर तो है नहीं। अपना ही असर है। अगर असर नहीं होता तो यहां आना मुश्किल हो जाता। न चीनी वालों का असर है और न बड़े बड़े लोगों का असर है थोड़ा असर है, वह असर कम पड़ जायगा तो नहीं आयेंगे।

मान्यवर, मैं यह कह रहा था कि मुझ को सुविधा इसलिए है। पूर्वी जिलों में एक कहावत है—बनरा के लुवाठी—लुवाठी जलते हुए डंडे को कहते हैं। अगर बन्दर को हाथ में जला हुआ डंडा दे दिया जाय तो वह घूम घूम कर सारे गांव को फूंक देगा इसी प्रकार नायब तहसीलदार के हाथ में जो स्पेशल पावर दे दिये गये थे या जो पावर अभी तक रहे हैं उनमें तो सोच रहे हैं कि डेलीगेटेड पावर्स हैं लेकिन अगर उनको यह पावर्स दे दिये गये तो उनको बड़ी छूट हो जायगी। एक सुविधा जरूर होगी कि अब जो किया कराया है गोलमाल उसको ढक देंगे। कोर्ट ने जो फैसला किया है वह सिर्फ टैक्निल नहीं है। कोर्ट के सामने बराबर नायब तहसीलदार के फैसलों के खिलाफ अपीलें जाती है और उन पर कोर्ट ने यह जरूर विचार किया होगा कि ये फैसले ठीक नहीं है और नायब तहसीलदारों को ये पावर्स नहीं दिये जाने चाहिये। मैं समझता हूं कि यह पावर्स नायब तहसीलदार और तहसीलदार को नहीं दिये जाने चाहिएं। उसके साथ ही साथ इसकी परिधि को बढ़ायें और यह सोचें कि इंदराज के झगड़े को हमेशा के लिए खत्म करने के लिये कोई उपाय हो सकता है। अगर वह समझते हैं कि यह असम्भव चीज है तब तो बात दूसरी है लेकिन अगर वह इसको सम्भव समझते हैं तो यह सोचें कि यह इतना महत्वपूर्ण सवाल कैसे हल होगा।

***चौधरी दाताराम** (जिला सहारनपुर)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह जो भूमि व्यवस्था बिल चल रहा है इसमें इंदराज के लिये जो खास बात कही गयी है इसमें तो कोई दो

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[चौधरी दाताराम]
राय नहीं हैं कि इंदराज बहुत गलत हैं और बहुत ज्यादा गलत हैं । जहां पर चकबन्दी होती है वहां पर काफी इसके दुरुस्ती करने की कोशिश भी की जाती है । तभी इसका पता चलता है कि कितनी गलतियां हैं । मेरे खयाल में या तो प्रान्त में इसकी तहकीकात हो कि कितनी गलतियां हैं तो शायद करोड़ों की तादाद में गलतियां पायी जायेंगी; इससे कोई इनकार नहीं कर सकता ।

दूसरी बात यह है कि माननीय गौरीशंकर राय जी ने भ्रष्टाचार की बात कही है । उससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता । वह भी है इस मुल्क में और करीब-करीब सभी जगह है । यह कहना फिजूल है कि फलां आदमी रिश्वत लेता है । बल्कि यह कहना चाहिए कि फलां आदमी रिश्वत नहीं लेता है ।

(इस समय १ बजकर ३० मिनट पर अधिष्ठाता, श्रीमती चन्द्रावती पीठासीन हुईं ।)

रिश्वत लेते हैं । उसमें तो कोई इनकार नहीं है । अब तो सिर्फ यही कहा जा सकता है कि फलां आदमी लेता नहीं । और वह उंगलियों पर गिने जा सकते हैं । इसलिए इसकी बार-बार चर्चा चलाना और उसका कोई सुधार न हो तो यह कुछ ज्यादा मेरी समझ में नहीं आता लेकिन एक बात मैं सुझाव के तौर पर कहना चाहता हूं माननीय मंत्री जी इसे नोट कर लें कि जो कागजात में इन्दराज का सवाल है उसमें जो नये बाग लगाये जाते हैं हमारे सहारनपुर जिले का मुझे पता है वहां पर वह बाग दर्ज नहीं होते और पता यह लगा है कि यहां से कोई आर्डर गया हुआ है कि बाग दर्ज न किये जायं । जब सीलिंग का सवाल था उस वक्त तो ठीक था कि बहुत लोग बड़े बड़े जमींदार फर्जी बाग लिखाकर उससे बरी हो जाने की कोशिश कर सकते थे । लेकिन जब सिलिंग खत्म हो गई और सीलिंग का बिल भी पास हो गया तो अब बागों का दर्ज न किया जाना मेरे ख्याल में यह किसी भूल से अब तक चला आ रहा है और इसे दुरुस्त किया जाना चाहिए ।

दूसरी बात जिस तहसील में चकबन्दी की जायगी वहां उस कानून में यह है कि छः महीने पहले का जो बाग लगा हुआ है वह चकबन्दी में नहीं जायगा । लेकिन आज जब तीन तीन, चार चार साल के बाग लगे हुए हैं तो उनको कैसे सबूत दिया जायगा कि यह पहले के लगे हुए हैं सिवाय इसके कि उसके लिए पैसा मांगा जायगा ? जो अमीन या कानूनगो वहां जायगा वह कहेगा कि हम नहीं जानते कि यह कब लगाया गया है । उसको तो जब पैसा मिलेगा तभी वह दर्ज किया जायगा । तो यह छोटी-छोटी गलतियां क्यों होती हैं ? इसकी तरफ माननीय मंत्री जी खास तौर से तवज्जह देंगे । जब एक लेखपाल मौके पर जाता है और उसे बाग लगा हुआ वहां पर दीखता है तो क्या वजह है कि वह दर्ज न हो ? जब वह गेहूं लिखता है, धान लिखता है, जौ लिखता है, तो पेड़ क्यों नहीं लिखता ? तो इस तरफ मुझे मंत्री जी का ध्यान आकर्षिक करना था । मैंने लिखकर भी दिया था लेकिन पता नहीं उसका क्या हुआ क्योंकि ६ महीने के पहिले तो किसी चीज का जवाब आता ही नहीं। इसलिये मैंने यह सुझाव दिया है कि माननीय मंत्री जी अगर कोई भूल यहां से हो रही है तो उसे दुरुस्त कर लें और अगर हमें गलत बताया है अफसरों ने, तो उसकी बाबत हमें बता दें ताकि हम उनसे कह दें कि भाई तुम तो गलत कहते हो।

*श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—माननीय अधिष्ठात्री महोदया, जिस विधेयक पर आज यहां वादविवाद हो रहा है वह बहुत महत्वपूर्ण है । वह इस माने में, माननीया, कि इसका सम्बन्ध सीधे किसानों से है और आज मुझे इस बात का दुख है कि यह सारे विधेयक आते हैं, कानून पास हो जाता है लेकिन जो आम किसान है साधारण किसान है उसको इन कानूनों का कोई भी अनुभव या ज्ञान नहीं होता । इसलिये इस विधेयक पर बोलने से पहले मैं माननीय मंत्री जी को सुझाव दूंगा कि जो नये कानून और संशोधन विधेयक पास होते हैं अब हमारे पास गांव सभा जैसी इकाइयां हैं जिनमें इन विधायकों का ज्ञान कराया जाना चाहिए ताकि काश्तकारों को मालूम हो कि उनके लाभ के लिए कौन-सा कानून बना है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जहां तक माननीय मंत्री जी की मंशा का सवाल है, उसका मैं स्वागत करता हूं। वह इस माने में कि म्युटेशन के मामले दो अदालतों में लड़ने पड़ते थे। अब सीधे सीधे एक ही जगह लड़ना पड़ेगा। इसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं, माननीया, कि यह संशोधन विधेयक सेक्शन १८ के मातहत आया है जिसमें यह था कि कम्पीटेंट अथारिटी एस० डी० ओ० अप्वांइट कर सकती है लेकिन एडीशनल को नहीं अप्वाइन्ट कर सकती है। अब उन्होंने यह कर दिया है मैं पूरा ऐक्ट नहीं पढ़ना चाहता उसके बाद एक फैसला हुआ जज ने यह फैसला दिया कि लैंड रेवेन्यू ऐक्ट की धारा १८ के मातहत जो एक एडीशनल आफिसर को यह अधिकार दिया गया इस फैसले को करने का वह ठीक नहीं था। मैं उस फैसले की एक पंक्ति पढ़ देना चाहता हूं। मैं तो यह भी कहूंगा कि जब कभी ऐसा विधेयक आये जो किसी फैसले पर आधारित हो तो सदन की जानकारी के लिए उसके रेलीवेंट पोर्शन को पेश करना चाहिए, केवल कापी रख देना ही काफी नहीं है। वह भी तब रखी जाती है जब हम उसकी मांग करते हैं। तो मैं यह व्यवस्था भविष्य के लिए चाहूंगा कि ऐसे केसेज में रेलीवेंट पोर्शन पढ़ा जाना चाहिये ताकि सबको उसकी जानकारी हो सके और बहस सही तरीके से हो सके। मैं पूरा फैसला नहीं पढ़ता हूं, उसकी तीन लाइन पढ़ना चाहता हूं:—

"The amendment is, therefore, practically infructuous so far as the present writ petition is concerned. The Sub-Divisional Officer, Sitapur, in whose jurisdiction the Gaon Sabha of which the Pradhan was elected lay, was the only competent authority to entertain and hear an election petition under the provisions of rule 25 of the U. P. Panchayat Raj Rules and he had no authority to transfer it to any other person designated as an additional Sub-Divisional Officer unless that designation had been made by an authority competent to do so."

इसमें कहा गया है कि एक एडीशनल मैजिस्ट्रेट को अप्वाइन्ट करने का उसको अधिकार नहीं था। इसी के लिये इस संशोधन विधेयक को लाया जा रहा है।

इस विधेयक से तीन अधिनियमों का सम्बन्ध है, पंचायत राज ऐक्ट, लैंड रेवेन्यू ऐक्ट और जमींदारी अबालिशन ऐक्ट। इसके बारे में माननीय मंत्री जी ने उन धाराओं के विषय में कोई विशेष प्रकाश नहीं डाला है जब कि यह विधेयक इन तीन ऐक्ट्स के आधार पर लाया जा रहा है। उनके लिये यह जरूर था कि माननीय मंत्री जी इस विषय में हमको बतला देते। मंत्री जी की योग्यता पर हमको भरोसा है लेकिन मैं समझ नहीं पाया वे अपनी योग्यता का लाभ इस सदन को क्यों नहीं देना चाहते हैं। मैं पंचायत राज रूल्स के बारे में एक दूसरा उद्धहरण देना चाहता हूं जो इस प्रकार है कि:—

Provided that an order of the prescribed authority removing or dismissing a secretary shall be appealable within a period and in the manner to be prescribed, to the District Magistrate, or if any authority is prescribed in this behalf to such other authority.

साथ ही साथ मुझे यह भी कहना है कि इसी लैंड रेवेन्यू ऐक्ट के सेक्शन १८ के अनुसार जो फैसला दिया गया है उसी के आधार पर यह संशोधन विधेयक लाया जा रहा है। मैं माल विभाग के कर्मचारियों की नालिज पर सन्देह नहीं करता लेकिन जैसा विधेयक की धारा १३, १४-ए के अनुसार यह अधिकार देने वाले हैं कि कलेक्टर अप्वाइन्ट किया जा सकता है तो उसके आधार पर ही यह कार्य होना चाहिये।

दूसरी बात यह है कि नायब तहसीलदार को आप वह तमाम अधिकार देने जा रहे हैं जो पहले एस० डी० ओ० को थे। यादव जी इस बात को स्पष्ट करने की कृपा करें। आज मुझे वह लाइन याद आती है जो संविधान के ऊपर बहस होते समय अम्बेदकर साहब ने कही थी जब कि राष्ट्रपति को अधिकार दिया जा रहा था। डाक्टर अम्बेदकर ने कहा था कि:—

"How bad or good a Constitution may be, it depends upon the working lot how it works."

[श्री प्रतापसिंह]

हमारा संविधान कितना ही अच्छा क्यों न हो, लेकिन यह उनके ऊपर डिपेन्ड करता है जो उसको कार्य में लायेंगे। आज मेरा यह चार्ज है कि इस विभाग के कर्मचारी भोले भाले गरीब किसानों को सुनना नहीं चाहते हैं। गरीब किसान गांव से आता है किसी मामले को लेकर चाहे वह दाखिल खारिज का मामला हो, चाहे जमीन के खरीदने का मामला हो या और किसी मामले में जिसकी बाबत उनको पूरा अधिकार है, लेकिन उनको इस विभाग के कर्मचारी सुनना नहीं चाहते हैं। तब किसान को पता चलता है कि वह स्वतन्त्र राष्ट्र का नागरिक है या नहीं। एक प्रार्थना-पत्र अगर कोई किसान देता है तो ६ महीने तक उस पर गौर नहीं होता है। तो जितना रैड टेपिज्म इस विभाग में है उतना मुझे दूसरी जगह नजर नहीं आता है। मैं यह समझता हूं कि इस विभाग की मनोवृत्ति में परिवर्तन होना चाहिये।

तीसरी बात यह है कि आप ग्रामसभा के अधिकारों को नायब तहसीलदार को देने जा रहे हैं। इसमें मुझे सन्देह है कि वह कैसे इन कामों को कर पायेगा क्योंकि कोई भी ऐसा विधेयक नहीं है जिसका सम्बन्ध निर्माण-कार्य से नहीं है। एक तरफ तो आप विकेन्द्रीयकरण करना चाहते हैं और दूसरी तरफ ग्रामसभा के अधिकार नायब तहसीलदार को देने जा रहे हैं। इसका क्या मतलब है? एक तरफ तो आप कलेक्टर की जगह नान-आफिशियल सभापति जिला परिषद् में बना रहे हैं और दूसरी तरफ इस प्रकार का बिल लाये हैं कि ग्राम सभा जो दुरुस्ती का अधिकार रखती थी वह उससे लेकर नायब तहसीलदार को दिया जाय। इसका मतलब यह है कि आप नान-आफिशियल एजेन्सी के हाथ से इस शक्ति को लेकर आफिशियल एजेन्सी के हाथ में इसको देने जा रहे हैं। इससे जनतन्त्र के लिये खतरा है। मैं चाहता हूं कि सरकार इस बात की गारन्टी दे कि माल विभाग के जिले के स्तर पर जो कर्मचारी हैं उनकी मनोवृत्ति में परिवर्तन लाने का प्रयत्न किया जायगा।

चौथी बात यह है कि माल विभाग में निम्न स्तर के कर्मचारियों को डेमोक्रेटिक सेट-अप के लिये कोई ट्रेनिंग की व्यवस्था नहीं है। जो नये नये विधेयक पास किये जाते हैं उनको कैसे कार्यान्वित किया जाय, इसके लिये यदि कर्मचारियों को किसी स्तर पर ट्रेनिंग दी जाती हो तो माल मंत्री जी बतलाने की कृपा करें और ऐसा न होने से इस विधेयक का मंशा पूरा नहीं हो सकेगा। इसकी व्यवस्था होनी चाहिये।

इसके अलावा एक चीज और है। आपने तथा दूसरे सदस्यगण ने तजुर्बा किया होगा कि अधिकारी तथा कर्मचारी किसी भी रूल का इंटरप्रेटेशन सरकार के भले में लगाते हैं, जब कि किसी रूल का इंटरप्रेटेशन किसान के भले के लिये लगना चाहिये। आज तक यह नहीं हो पाया है। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी को सुझाव दूंगा कि एक तो वह माल विभाग के एटीट्यूड में चेंज लायें, दूसरे जो रेडटेपिज्म है उसको समाप्त करें और तीसरी माल विभाग के कर्मचारियों को डेमोक्रेटिक टाइप की ट्रेनिंग देने की व्यवस्था करें ताकि किसानों के साथ वे उसी प्रकार का व्यवहार करें जिस प्रकार का व्यवहार वे किसी कुर्सी वाले के साथ करते हैं और इसके अतिरिक्त निम्न स्तर के जो कर्मचारी हैं, इसी सिलसिले में मैं कहना चाहता हूं कि उनकी इतनी कम तनख्वाह है कि वे मजबूर हो जाते हैं कि वे किसानों से घूस लें। किसी न किसी रूप में ब्राइब इतनी खतरनाक नहीं है जितनी कि हैरेसमेंट। यदि एक किसान के पास पांच रुपया है और वह तहसील में अपने किसी काम के लिये आता है और कर्मचारी उससे तीन रुपया घूस मांगता है तो वह कैसे अपना काम चला सकेगा? इस प्रकार की बात समाप्त होनी चाहिये। जहां तक इस विधेयक का यह मंशा है कि काश्तकारों को सहूलियत देना चाहिये, मैं उसका स्वागत करता हूं।

*श्री बालक राम (जिला शाहजहांपुर)—अधिष्ठात्री महोदया, प्रस्तुत बिल में जो श्री अवस्थी जी का संशोधन है उसका मैं समर्थन करता हूं। कुछ कहने के पहले मुझे एक शेर

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

याद आ गया जिसे मैं आपकी आज्ञा से निवेदन करना चाहता हूं: "इन लोगों को बदमस्ती है, दरिया भी तुगियानी पर है।

या इलाही खैर कर, कश्ती किनारे से लगे"।

सरकार तो मस्ती में है। जो मंत्री हैं वे अपने विभाग के छोटे से छोटे अफसर की गलती भी मानने को तैयार नहीं होते। कहते हैं कि हमार अधिकारी ठीक हैं, लकिन जैसा गौरीशंकर राय जी ने बतलाया, पहले के माल मंत्री श्री चरणसिंह जी से जब उनके विभाग की कोई शिकायत करता था तो वे बड़े नाराज होते थे, लेकिन जब चकबन्दी हुई और उससे उन्हें पता चला कि एक एक जगह हजारों और लाखों गलतियां हैं तो उन्हें पता चला कि विभाग कैसा है।

इसमें शक नहीं कि माननीय मंत्रीजी की मंशा है कि इस विधेयक से काश्तकारों को थोड़ी-सी सहूलियत मिले और उनके इंदराजात वगैरह सही हों, लेकिन नतीजा इसका उल्टा होगा। यदि किसी आदमी की मौत हो जाय तो उसके वारिसैन सभापति से कह कर लेखपाल से अपने नाम का इंदराज कागजात में करा लेते; इतने से काम चल सकता था। इसमें न काश्तकार का खर्च होता और न सरकार को कोई आदमी बढ़ाने थे, लेकिन इसके लिये आपने अधिकार कानूनगो और नायब तहसीलदार के हाथ में रखा है और इसका नतीजा यह होगा कि कानूनगो और नायब तहसीलदार तक पहुंचने के लिये बेचारे किसान को १०,१५ या २० रुपये खर्च करने पड़ेंगे, वहां पहुंच कर दरख्वास्त देनी पड़ेगी और फिर बिना वकील के तहसील में कोई बात सुनी नहीं जाती; वकील को भी १०,२० रुपये देने पड़ जायंगे। मतलब यह कि एक मुर्गी को मारने के लिये लाखों इंतजाम करने पड़ेंगे। सीधी बात थी कि सभापति लेखपाल से कह देता कि इसका बाप मर गया है, उसके तीन लड़के हैं, उनके नाम आप इंदराज कर दें। यूं तो आपने अदालती पंचायत के सरपंच को बड़े अख्तियार दिये हैं, लेकिन इस बात का पंचायत को कोई अधिकार नहीं दे रहे हैं कि अगर कोई कागजात में गलती हो तो वह उसका सबूत लेकर उसकी दुरुस्ती कर सके। इतना अधिकार तो सरपंच को कम से कम जरूर देना चाहिये कि वह उसकी जांच वगैरह करके उसको ठीक कर सके। इससे काश्तकारों को भी लाभ होगा, उन्हें आराम पहुंचेगा, उनका खर्चा भी कम होगा और सरकार का काम भी चलता रहेगा। मगर यह सरकार हमारी बात को क्यों मानने लगी ?

श्रीमन्, मैं भी एक पटवारी रहा हूं। सन् १९२८ में मैं भी पटवारी था और इसलिये मैं इस बात को अच्छी तरह जानता हूं कि एक पटवारी क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, किस तरह वह इन्दराज करता है, किस तरह अपना काम चलाता है। इस बात को मैं अच्छी तरह जानता हूं। अगर एक बार भी यह सरकार इस बात को मान ले कि जो भी पटवारी गलत इन्दराज करेगा और उसकी गलती पायी जायेगी तो उसे जरूर सजा मिलेगी और यदि गलती होने पर यह सरकार उसे सजा दे, तो मैं यह विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इसमें काफी सुधार होगा और पटवारी लोग सचेत हो जायेंगे। अगर अदालत से एक बार भी किसी पटवारी के बारे में यह साबित हो जाये कि उसने गलत इन्तराज किया तो उसको जरूर सजा मिलनी चाहिये। अगर बालक राम का खेत है और वह पटवारी ने माननीय मंत्री जी के नाम दर्ज करा दिया, तो उसे जरूर सजा मिलनी चाहिये। अगर इतनी बात मान लें तो जितने भी गलत इन्दराज हैं वे सब ठीक हो जायेंगे। पटवारी लोग डरेंगे और अपना काम ठीक करने लगेंगे किन्तु इस सरकार ने तो उनको अपना लड़ैता बना लिया है, वह उनको अपने लड़ैत मानती है। फिर क्यों वह इस तरह की सजा उनको दे ?

आज, श्रीमन्, किस तरह लेखपाल लोग अपना कार्य करते हैं यह मैं आपके सामने बताना चाहता हूं। इसके पहले मैं एक मिसाल देना चाहता हूं। गांव में लोग पटवारी को ही सबसे बड़ा आफिसर मानते हैं। इसका ही उदाहरण मैं देना चाहता हूं। एक बार एक बुढ़िया एक कलेक्टर के पास गयी और उसने उसके सामने कुछ प्रार्थना की। कलेक्टर को उसकी बात सुन कर उस पर दया हो आई और उसने उसका कार्य कर दिया। बुढ़िया खुश

[श्री बालकराम]

हो गयी और उसने उसको यह दुआ दी कि ईश्वर उसे पटवारी या लेखपाल बना दे। तो कहने का मतलब यह है कि वह पटवारी को कलेक्टर से भी बड़ा अफसर समझती थी। यह बात सही है कि उसका स्थान गांव में एक महत्व का स्थान होता है। जो जांच वह करता है और जिन नम्बरों की वह जांच करता है उसी की जांच ऊपर के और अफसर लोग करते हैं। ये पटवारी लोग जांच इस तरह से करते हैं कि १२, १३ नम्बरों की तो जांच कर लेते हैं, और शेष की जांच नहीं करते और कहीं चौपाल आदि में बैठ कर और नम्बरों की खाना पूरी कर लेते हैं। जिन नम्बरों की यह जांच करते हैं, उन्हीं नम्बरों की कानूनगो भी जाकर जांच करते हैं। मैं उदाहरण के लिये बताता हूं कि बदायूं जिले में एक ताल था और उसको लेखपाल ने गन्ने और गेहूं का खेत दिखा रखा था। तो यह गलती जो वह करता है इसमें सुधार नहीं हो पाता क्योंकि जिन नम्बरों की वह जांच करता है उसी की कानूनगो, नायब तहसीलदार, तहसीलदार व और अधिकारी करते हैं। अगर माननीय मंत्री जी भी जायेंगे तो वे भी उन्हीं नम्बरों की जांच करेंगे। तो अगर ऐसा हो जाय कि जिन नम्बरों की जांच पटवारी करेगा, दूसरे अधिकारी उन नम्बरों के अलावा दूसरे नम्बरों की जांच करेंगे, तो गलत इन्दराज होना बन्द हो जायेंगे। क्योंकि फिर उसको डर बना रहेगा और वह सब नम्बरों की सही-सही जांच करेगा।

मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार ने दिखावे के लिये तो यह बिल किसान की भलाई के लिये पेश किया है, मगर है वह पैसा पैदा करने के लिये। क्यों? मैं कह चुका हूं कि इस तरह से तो काश्तकार को तरह तरह से पैसा खर्च करना पड़ेगा और वह पैसा सरकार के पास ही आयेगा। आज, इस तरह से, जो कुछ भी किसान के पास रह गया है, वह भी सब हजम हो जायेगा। अब तो जितनी १५ अगस्त, १९४७ को हिन्दुस्तान में खुशी नहीं हुई उतनी इस विधेयक के पास होने के बाद नायब-तहसीलदार और कानूनगो के घरों में खुशियां होंगी, क्योंकि वह समझेंगे कि अब तो मौका लग गया। पहले किसी का बाप मर जाता था तो पटवारी इन्दराज कर लेता था, अब नायब तहसीलदार और कानूनगो करेंगे। इसलिये पटवारी के हाथ से तो बात गयी। फिर जितना बड़ा अफसर, उतनी बड़ी रिश्वत लेगा। पटवारी १० रु० लेता था तो कानूनगो २५ रुपया लेगा और नायब-तहसीलदार ५० रु० .....

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—आप पटवारियों के सब गुणों को कैसे जान गये ?

श्री बालकराम—मैंने खुद पटवारीगीरी की है १९४७ से पहले और जब गांधी जी की स्पीच सुनी तो इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस में आया। इसलिये मैंने पहले ही बता दिया था कि मैं यह सब जानता हूं। मैं दावत देता हूं कि अगर मेरी बात को गलत मानें मंत्री जी, तो सूबे के किसी भी गांव में चलें जिसको वह समझते हों कि यहां के इंदराज सही हैं। मैं उनके साथ चलूंगा और गलती निकाल कर दिखला दूंगा।

मुझे ज्यादा नहीं कहना है। अगर मंत्री जी मानें मेरी बात तो एक ही बात मान लें कि फौती के इन्दराज सभापति द्वारा लेखपाल से कराये जायं और जो झगड़ा हो तो उसकी सफाई सरपंचों के हाथ में रहे और सरपंच उसको हाकिम परगना के पास भेज दे और वह फैसला कर दे। तब न आपको नायब-तहसीलदार को कुछ बनाना पड़ेगा, न कानूनगो को कुछ बनाना पड़ेगा। यह जो आप करने जा रहे हैं इसका नतीजा उलटा होगा और वह आपको भुगतना पड़ेगा।

***श्री कुंवरकृष्ण वर्मा** (जिला सुल्तानपुर)—माननीया अधिष्ठात्री महोदया, जो विधेयक आज आदरणीय सदन के सामने प्रस्तुत हो रहा है, उसका दायरा सीमित है। वह चन्द बातों के लिये यहां पर पेश किया गया है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पहली बात तो यह है कि कुछ एडीशनल, जायद, हाकिम परगना पहले मुकर्रर किये गये थे, जिनकी बाबत कि मुकदमात दो चले और उनमें यह तय पाया कि जो कुछ भी संशोधन हुए थे। उनसे किसी को यह अधिकार नहीं मिला था कि जायद एस० डी० ओ० मुकर्रर कर सके। इन फैसलों के बाद जो मुकदमात इस वक्त में चल रहे थे और एडीशनल एस० डी० ओ० ने उनका फैसला किया था, वह रद्द हो गये और उन मुकदमात को, जोकि एस० डी० ओ० महोदय थे, उनको देखना पड़ा। तो हमारे जो पंचायत के लोग गये हुए थे या और किसी धारा के मुताबिक एडीशनल एस० डी० ओ० ने फैसले किये थे, उनको ज्यादा खर्च करना पड़ा और ज्यादा तवालत हुई। अब इस संशोधन के जरिये से सरकार को यह अधिकार मिला कि वह जायद एस० डी० ओ० रख सके। उससे सिर्फ यह नहीं कि जो एक गलतफहमी चल रही थी और हमारी हाई कोर्ट ने यह फैसला किया कि कोई अधिकार पहले से था ही नहीं, वह चीज साफ हो गयी और जो एस० डी० ओ० महोदय को ज्यादा काम करना पड़ता था, पूरा भार वह उठा नहीं पाते थे जिसके कारण जितने मुकदमा लड़ने वाले लोग हैं, वह किसी सीगे के हों उनको बहुत ज्यादा तवालत होती थी, बहुत समय लगता था, हर पेशी पर आने जाने से खर्चा और अगर वकील वगैरह किया तो उसका भी खर्च बर्दाश्त करना पड़ता था, यह मानी हुई चीज है कि अब यह अधिकार मिल जाने से जो मुकदमे एडीशनल एस० डी० ओ० करेंगे वे बिल्कुल जायज होंगे और जनता को अब तक जो परेशानी हो रही थी, उनका जो खर्चा हो रहा था उसमें बचत होगी।

दूसरी चीज़ यह कि तहसीलदारों को तो असिस्टेन्ट कलेक्टर फर्स्ट क्लास के अधिकार दिये गये थे और नायब-तहसीलदार को असिस्टेंट कलेक्टर सेकिन्ड क्लास के अधिकार दिये गये थे। उस वक्त शायद यह समझ में आया था कि सरकार को यह अधिकार है कि लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट के मातहत वह नायब तहसीलदारों को असिस्टेन्ट कलेक्टर सेकेन्ड क्लास की पावर्स दे सके और वह बहुत से मुकदमों का फैसला कर सके लेकिन एक मुकदमा हाई कोर्ट में गया जिसमें भूमिधरी सनद के मन्सूख होने की बात थी। उसमें असिस्टेन्ट कलेक्टर सेकिन्ड क्लास ने तो वह भूमिधरी सनद दी थी और जब नायब तहसीलदार के यहां वह चीज़ गई तो उनको चूंकि समझा जाता था कि यह अधिकार है असिस्टेन्ट कलेक्टर सेकिन्ड क्लास का इसलिये उन्होंने उस मुकदमे को देखा और उसका फैसला किया कि यह सनद मंसूख की जाती है। लेकिन जब वह मुकदमा हाई कोर्ट पहुंचा तो वहां से यह फैसला हुआ कि सरकार को ऐसा कोई अधिकार नहीं था कि वह नायब तहसीलदार को असिस्टेन्ट कलेक्टर सेकिन्ड क्लास के पावर दे सके। तो यह जो गलती या गलतफहमी थी इसको दूर करने के लिये यह संशोधन बिल आया हुआ है। इसमें अब सरकार को यह अधिकार दिया जा रहा है कि लैंड रेवेन्यू ऐक्ट के मातहत नायब तहसीलदारों को असिस्टेन्ट कलेक्टर सेकिन्ड क्लास के पावर्स दे सके। तो इससे यह साफ जाहिर होता है कि अब नायब तहसीलदार जो मुकदमे करेंगे जो कि असिस्टेंट कलेक्टर सेकिन्ड क्लास कर सकता है उसमें कोई गलतफहमी नहीं होगी और वह फैसले बाजाब्ता होंगे, कोई अनाधिकार चेष्टा नहीं होगी। इससे जिन लोगों को अदालत में जाकर मुकदमा लड़ना पड़ता है उनके लिये सिवाय सहूलियत के और कोई बात नहीं है। हर तरह से उनको सहूलियत होगी। लोगों का जो ज्यादा समय बर्बाद होता था जाहिर है कि जब कई आफिसर्स होंगे मुकदमा करने के लिये तो आसानी से मुकदमें हो जायंगे। फिर भी विरोधी दल के सदस्यों ने नायब तहसीलदारों को जो अधिकार दिया जा रहा है उस पर विरोध प्रकट किया है और उनकी मंशा यह है कि बजाय इसके कि नायब तहसीलदार को यह अधिकार हो पंचायती अदालत को यह अधिकार होने चाहिये।

मैं यह समझता हूं कि कागजात देही में जो इन्दराज होते हैं उनमें बहुत ही कम ऐसे इन्दराज होते हैं जिनमें हक्कियत के मसले पेश नहीं होते, उनमें से हर जगह ज्यादातर, ७५ प्रतिशत, मसले यहीं आते हैं कि किसका हक है और किसका नहीं है। कई मामूली से इन्दराज सेहत के भी होते हैं लेकिन उसमें भी बहुत ऐसी बातें आ जाती हैं जिनमें हमको कानून का काफी

[श्री कुंवरकृष्ण वर्मा]

सहारा लेना पड़ता है और जिनमें बहुत ही बहस मुबाहिसे की बात आ जाती है कि किस कानून के मातहत उन फरीकेन का फैसला किया जा सकता है। हमारी पंचायती अदालतों के जो सदस्य हैं उनको अभी न तो उन कानूनों की पूरी-पूरी जानकारी है और न उनको अभी इसकी ट्रेनिंग ही है इसलिये मैं समझता हूं कि अगर उनको इसका फैसला करने को दे दिया जायगा तो सिवाय इसके कि आंय बांय-शांय फैसला ये कानून की जानकारी में कर दें और आखिरकार हमारी अदालत में जाने वाली जनता को एक ओर परेशानी उठानी पड़ेगी।

इस लिहाज से जो पंचायत अदालतों को पहले अधिकार दिये गये थे वे अधिकार नहीं रह गये हैं। अब वे फैसले नायब तहसीलदार को करने पड़ेंगे। वे कानून को जानते हैं। इसके अलावा यह सहूलियत भी दी गयी है कि हक्कियत के मुकदमे अदालत माल ही में हुआ करेंगे जहां पर कोर्ट फीस कम लगती है। दीवानी में जाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई फरीक समझता है कि उसके साथ ठीक फैसला नहीं हुआ है तो उसके लिये भी दरवाजा खुला हुआ है। वह नम्बरी दावा अदालत माल में कर सकता है।

अब यह भी पाबंदी लगायी जा रही है कि बहुत से मुकदमात में अपील नहीं होगी। एक परेशानी मुकदमा लड़ना होता है फिर अदालत में जाने पर परेशानी होती है। अब इसमें उसको बचत हो जायगी कि उसको सीधे सीधे नम्बरी दावा नहीं करना पड़ेगा और अपने फैसले को वह कतई करा सकता है। इस लिहाज से इस कानून के द्वारा ज्यादा सहूलियत ही दी जा रही है। इसके बारे में जो टीका-टिप्पणी हो रही है वह निराधार है। अगर माननीय सदस्य ने इस विधेयक को गौर से पढ़ा होता तो उनको यह टीक-टिप्पणी करने की आवश्यकता न थी क्योंकि नायब तहसीलदारों को दाखिलखारिज के अधिकार नहीं दिये गये हैं। दाखिल खारिज के मुकदमे तहसीलदार ही करेगा। वह उन्हीं मुकदमों को करेगा जो गैर निजाई होंगे। अगर उसमें झगड़ा है दोनों फरीक को एतराज है तो उसे उसको कलेक्टर को भेज देना पड़ेगा। इसलिये माननीय सदस्य की इस बात की चिन्ता नहीं होनी चाहिये कि नायब तहसीलदार को अधिकार दे दिया गया है और वह जैसा चाहेगा करेगा। तो ऐसी हालत में मेरी समझ में जो संशोधन बिल इस वक्त पेश है उस पर जो टीका टिप्पणी की जा रही है वह ठीक नहीं है। लेकिन एक चीज जरूर मैं माननीय मंत्री जी की सेवा में प्रस्तुत करूंगा कि इसमें जो पहले संशोधन था .....

श्री मोतीलाल अवस्थी—माननीया, सदन में कोरम नहीं है।

श्री अधिष्ठाता—माननीय सदस्य बैठ जायं; कोरम पूरा हो जाने दीजिये।

(गणपूर्ति के लिए घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री कुंवरकृष्ण वर्मा—माननीया अधिष्ठात्री महोदया, मैं यह निवेदन कर रहा था कि भूमि-व्यवस्था संशोधन विधेयक जो १९५८ में पास हुआ था उसमें दफा ८४ के जरिये जो संशोधन दिया गया था उसमें धारा ३३ में पहले मामला सेहत वगैरह की चीजें थीं कागजात की, वह पंचायत अदालतों को अधिकार दिया गया था लेकिन उसके बजाय यह संशोधन कर दिया गया कि पंचायत अदालतों को हटा कर कानूनगो को वह अधिकार दे दिया गया और यह भी संशोधन हुआ कि धारा ३४ में जो दरख्वास्त पड़ती है जो कोई भी दाखिल खारिज कराना चाहता है कोई विरासत मिली है और विरासत के जरिये उसको कब्जा मिल गया है तो वह दरख्वास्त तहसीलदार को दे सकता है लेकिन चूंकि इस किस्म का अधिकार कानूनगो को भी मिल चुका था कि जहां दाखिल खारिज निजाई न हो वह खुद इन्दराज उसका कर सकता है। इसलिये अब उसके लिये यह पाबन्दी हो गयी है कि अगर कानूनगो ने इन्दराज कर दिया है तब वह दरख्वास्त दाखिल खारिज की तहसीलदार को नहीं दे सकता है हालांकि यह बात उधर से नहीं कही गई, लेकिन मेरी समझ में अगर पिछली बातों का कुछ जिक्र करना है तो इस तरफ मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान जरूर आकर्षित करना चाहूंगा कि

कानूनगो के स्तर के बारे में तो सब को मालूम है कि वह बहुत ऊंचा स्तर नहीं है और उनको जो यह अधिकार मिला हुआ है कि गैरनिजाई दाखिल खारिज में वह इन्दराज कर सकते हैं उसका दुरुपयोग होता है और उसमें खामख्वाह के लिये जिस फरीक के खिलाफ वह दाखिलखारिज का इन्दराज होता है उसको नम्बरी मुकदमा दायर करना होता है । हालांकि इस संशोधन विधेयक में तहसीलदारों को इस तरह का अधिकार है, लेकिन वह चीज अब भी कायम है कि अगर कानूनगो ने इन्दराज कर दिया है किसी गैर निजाई दाखिलखारिज को समझ कर तो वहां तहसीलदार के यहां कोई दरख्वास्त नहीं पड़ सकती ।

इसलिए मैं चाहूंगा कि इस संशोधन विधेयक के दायरे को जरा और बढ़ा लिया जाय और जो कानूनगो को दाखिलखारिज के मामले में अधिकार है कि जिसको वह गैरनिजाई समझे और तहकीकात न आये वहां वह इन्दराज कर दे, यह अधिकार उनसे ले लेना चाहिये और हर तरह के दाखिलखारिज की रिपोर्ट तहसीलदार को हो और तहसीलदार जिस को गैरनिजाई समझे उस को वह खुद कर देंगे और जो निजाई होंगे उनको वह कलेक्टर के पास भेज देंगे । अगर इतना संशोधन इसमें और बढा दिया जाय फिर कोई शिकायत की बात नहीं रह जायगी कि वहां पर बड़ा भ्रष्टाचार होता है और रुपया पैसा लूटा जाता है क्योंकि निजाई होने पर जैसा कि यह संशोधन आया है और पहले भी कुछ था अब साफ हो गया है कि तहसीलदार को दरख्वास्त दी जायगी या तहसीलदार को किसी जरिये से मालूम हो जाय कि ऐसी विरासत हुई है जिसका दाखिलखारिज हुआ है तो वह खुद उस की कार्यवाही शुरू कर दे । मैं जरूर प्रार्थना करूंगा कि इतना संशोधन और आना चाहिये ।

जहां तक लेखपालों की बात है, यह जो इस वक्त हमारे सामने बिल पेश है इसम लेखपालों का कोई जिक्र भी नहीं है लेकिन ठीक है किसी भी संशोधन पर विचार करते समय बहुत सी बातें कही जाती हैं । उसका सुधार किस तरह से होगा और किस तरह से न होगा वह तो किसी वक्त इस तरह का कोई बिल आयेगा तो उस पर हम विचार करेंगे । यह बात सही है कि अभी जितने सुधार होने चाहिये उतने नहीं हुये और लेखपालों का मनमाना रवैया हो गया है जो कि हमारी जनता के लिये बहुत ही चिन्ताजनक है और उनके रवैये और व्यवहार से हानि पहुंचती है । मैं मंत्री जी से कहूंगा कि वह इसके सुधार के लिये कुछ न कुछ कदम उठावें ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मुझे बहुत ज्यादा इस बिल पर तकरीर करना नहीं है । मैं केवल आपकी आज्ञा से इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि इस में २–३ बड़े अधिकार जो लोगों के थे उनको सरकार छीन रही है, यह सरासर गलत बात है । जैसे इसमें कहा गया है खंड ३ में नम्बर एक "Assistan Collector of the Second Class" को जोड़ना चाहते हैं और नम्बर दो, अपील का जो हक था धारा २१० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट के मुताबिक , उसको सरकार छीन रही है ।

(इस समय २ बजकर १६ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री राम नारायण त्रिपाठी, पीठासीन हुए ।)

जहां तक अपील का सवाल है, आज तक यह व्यवस्था थी लैंड रेवेन्यू ऐक्ट की दफा ३४, ३५ से ४० तक के मुताबिक कि उसमें म्यूटेशन की कार्यवाही होती है या दाखिल-खारिज-होता है । इसी तरह सैटिलमेंट के आपरेशन में असिस्टेंट रेकार्ड आफिसर की अपील उससे बड़े रेकार्ड आफिसर के यहां होती है, और भी लैंड रेवेन्यू ऐक्ट के मातहत अपीलें प्रोवाइडेड हैं । इसी तरह असिस्टेंट कलेक्टर के यहां से कलेक्टर के यहां और कलेक्टर के यहां से कमिश्नर के यहां होती है । तो दो-दो अपीलों का जो अधिकार है उसको सरकार छीन रही है । यह गलत चीज है । इससे क्या होगा.....

श्री रामस्वरूप यादव—वकीलों का नुकसान होगा ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि इससे वकीलों का नुकसान होगा। लेकिन गरीबों को जो सस्ती दवा मिल सकती है सरकार उसको मंहगी करने जा रही है। माननीय मंत्री जी का इशारा मैं समझता हूं। उनका मतलब है कि एक ही बात दो-दो बार होती है। जैसे म्यूटेशन कोर्ट में हम गये। उसके बाद कोई एग्रीव्ड पार्टी है तो वह जस्टिस पाने के लिये नेक्स्ट हायर कोर्ट में जाती है। फर्स्ट अपील में यह बात होती है कि फैक्ट्स में भी आप जा सकते हैं और ला में भी। सेकिन्ड अपील में, पिछली बार माननीय चरणसिंह जी ने कहा था कि हमने उसको लिमिट कर दिया है, केवल ला के पाइंट पर ही सुना जाता है। इसके बाद बोर्ड आफ रेवेन्यू का सवाल है तो केवल रिवीजन का सवाल है। फैक्ट्स कतई नहीं सुने जाएंगे, केवल ला की बात होगी। माननीय मंत्री जी कहते हैं कि बोर्ड में तो जा सकते हैं। तो वहां फैक्ट्स में तो जा ही नहीं सकते और इन दाखिल-खारिज के मामलों में केवल कब्जे की बिना पर ही केस होता है। तो एक बहुत बड़ा हक छीना जा रहा है।

मंत्री जी का तर्क था कि पुरानी पद्धति में पुनरावृत्ति होती है। तो, श्रीमन्, डुप्लीसिटी तो जरूर होती है, लेकिन पहली कोर्ट में अगर वही इंसाफ किसी आदमी को मिल सकता है, मिसलेनियस एप्लीकेशन जिसमें कि सवा रुपये की कोर्ट फीस लगती है उससे मिल सकता है तो क्यों वह रैग्युलर सूट के झगड़े में जाने लगा? बहुत बार यह होता है कि मातहत अदालत कानूनी पेचीदगियों को समझने में उतनी सफल नहीं होती जितना कि उसको हायर कोर्ट समझ सकती है।

माननीय मंत्री जी के पास कुछ फैसले हैं। मैंने देखा। एक तो सीतापुर के इलेक्शन पेटीशन का सवाल था। उसमें सवाल यह था कि क्या कोई एडीशनल एस० डी० ओ० वैध तरीके से नियुक्त हो सकता है। एस० डी० ओ० को पंचायतराज कानून के मुताबिक इलेक्शन एडीपेटीशन सुनने का अधिकार है और माननीय न्यायाधीश ने उसमें जिक्र किया है कि एडीशनल एस० डी० ओ० वैध रूप से नहीं हो सकता है, इसलिये वह फैसला अल्टरा-वायरस करार दिया गया। इसी तरीके से एक दूसरा केस है, जस्टिस रणधीरसिंह का, शायद मंत्री जी के पास है। ११-९-५९ को उन्होंने होल्ड किया कि नायब तहसीलदार असिस्टेंट कलेक्टर की पावर नहीं एक्सरसाइज कर सकता था, और आज सरकार ने जो संशोधन दिया है वह इसी बेसिस पर है। नायब तहसीलदार को भी आन रेलेवेंट डेज रेट्रास्पेक्टिस इफेक्ट दिया है कि पिछले दिनों भी सन् ५३ के बाद बराबर उसने जो कार्यवाही की है अगर असिस्टेंट कलेक्टर की हैसियत से की तो वह वैध थी और वह कर सकता था, यह इस बिल के द्वारा किया जा रहा है।

अब दूसरी रैमेडी जो रैग्युलर सूट से मंत्री जी बताते हैं, जहां पर जमीन पर कब्जा पाने का सवाल है, उसमें एक तो टायटिल का हो सकता है और फिर जब पजेशन वह मांगे तो उस पर ऐडवलोरम कोर्ट फीस पूरी पड़ेगी, पूरी की पूरी फीस जैसे दीवानी दावों में पड़ती है। और जहां टाइटिल का सवाल है वहां भी फीस ज्यादा पड़ती है। यानी रेगुलर सूट में बहुत ज्यादा पेचीदगियां होती हैं, काफी खर्चा होता है, जब कि मिसलेनियस प्रोसीडिंग्स चीपर बैठती है, जल्दी खत्म हो जाती है। वकीलों को भी फीस कम मिलती है। मेरा खुद का तजुर्बा है एक केस में खुद मिसलेनियस प्रोसीडिंग्स में बोर्ड आफ रेवेन्यू तक गये और दोनों पार्टियों को शान्ति हो गई जब आनरेबिल कोर्ट ने एक निर्णय दे दिया उस प्वाइन्ट पर जिस पर हमारा मत-भेद था। कहने का मतलब है कि बहुत से केसेज वहीं पर समाप्त हो जाते हैं और उनको अपील का हक मिल जाता है।

इसी तरह से सेटिलमेंट आपरेशन्स में मैंने देखा, हमारे यहां पर्वतीय क्षेत्र में बन्दोबस्त चल रहा है, ज्यादातर ए० आर० ओज० कहते हैं कि कानूनी मसला हमें नहीं तय करना है। तो रेकार्ड अफसर के पास जाते हैं और अक्सर न्याय मिल जाता है और बहुत से मामलों में फिर कोर्ट में लाये नहीं जाते। हां, यह जरूर है कि अदालत के बाद अपील का हक खत्म कर देते हैं तो

लामुहाला पीड़ित व्यक्ति को रेगुलर सूट में जाना पड़ेगा और सरकार की आमदनी बढ़ेगी। तो कहने को तो सरकार को यह है कि हम गरीब को बचा रहे हैं लेकिन वास्तविकता यह है कि आदमी को जो सस्ती रेमेडी पहले मिलती थी उसे अब सरकार ले रही है। रिवीजन उसका कोई सबस्टीट्यूट नहीं है। सन् १९५८ में जब तरमीम आयी उस समय भी नायब तहसीलदार को ताकत दिये जाने की बात मिस हो गयी, जो शेड्यूल है उसमें है कानूनगो को अनडिस्प्यूटेड केसेज में तय करने का हक दिया गया। अंग्रेजी में है, मैं उसको पढ़ देना चाहता हूं।

"(33) where a person obtains possession of any land.....

श्री रूर्मासिह—उपाध्यक्ष महोदय, सदन में कोरम नहीं है।

(गणपूर्ति के लिये घंटी बजायी गई और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—मैं निवेदन कर रहा था :

"Where a person obtains possession of any land by succession, the Kanungo shall make such enquiry as may be prescribed and if the case is not disputed record the same in the annual registers."

तो कानूनगो को यह जो अधिकार दे दिया गया है यह विचारणीय है। यह एक किस्म की भूल होगी। हमारे पर्वतीय प्रदेश में कानूनगो पुलिस आफिसर की भी हैसियत रखता है। वह इंक्वायरी में जाता है, तमाम तहकीकात करता है और फिर प्रासिक्यूशन भी करता है। तो ऐसे आदमी के बारे में जो राय माननीय गौरीशंकर राय तथा अन्य सदस्यों ने जाहिर की वह ठीक है उसमें कोई दो रायें नहीं हैं। ऐसे आदमी को बहुत बड़ी पावर देना गलत होगा।

हमारी ओर से परिधि बढ़ाने की बात इसीलिये कही जा रही है कि जो गलती आप पहले कर बैठे हैं वह इसी वक्त दुरुस्त कर दें। नायब तहसीलदार के लिये कहा जा रहा है कि उसको डेलीगेट कर दी जाय असिस्टेंट कलेक्टर की पावर, सो यह भी उचित नहीं है। हमारी वर्तमान सरकार कानून को ऐसा पास करना चाहती है कि कोई जाने ही नहीं कि वह क्या पास करना चाहती है। ये बड़े टेक्निकल लाज होते हैं। क्या क्या फैसले बोर्ड आफ रेवेन्यू तथा हाई कोर्ट के हो चुके हैं उनके सिलसिले में अगर कोई संशोधन इस आदरणीय सदन में आये तो क्या ही अच्छा हो माननीय मंत्री जी एक काम्प्रिहेंसिव नोट बनवायें ताकि पता चल सके कि वर्तमान कानून में क्या-क्या खामियां हैं, क्या क्या गलतियां रह गयी हैं, और किस तरह से मीट करने के लिये आज नया कानून लाया जा रहा है। ऐन मौके पर एक बिल आ जाता है। आज सौभाग्य से एक दो फैसले मंत्री जी ने मुहइया किये हैं, वह भी पहले मुहइया नहीं होते थे।

श्री हुकुमसिंह विसेन—अब तो शिकायत नहीं है ?

श्री उपाध्यक्ष—आज कोई शिकायत नहीं है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—कोई टैक्निकलीटीज का झगड़ा नहीं होना चाहिये। यहां कोई ५, १० फैसले हाई कोर्ट तथा बोर्ड आफ रेवेन्यू या सुप्रीम कोर्ट के पहले से मुहइया हो जायं तो उनका अध्ययन किया जा सके। कानून ऐसी कोई चीज नहीं है कि फौरन उसे देख कर उसी वक्त उसके इम्पलीकेशंस मालूम हो जायं। वह सोचने तथा समझने की बात होती है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जब कोई ऐसा कानून का मामला आता है, ऐसा पेचीदा कानून आता है तो उसके सिलसिले में एक काम्प्रिहेंसिव बिल बनायें। इससे बहुत-सी बेकार की बहस नहीं होगी। पेपर न रहने से माननीय सदस्यों को बहुत-सी बातों की जानकारी नहीं होती और न वह कुछ स्टडी ही कर पाते हैं।

[श्री गोविन्दसिंह विष्ट]

नायब तहसीलदार को यह ताकत देना सिर्फ इसलिये कि उसने कुछ गलत काम कर दिये हैं जिन्हें सरकार ठीक कराना चाहती है, कुछ उचित नहीं मालूम होता। पुराना जो बिल आया था उसमें तहसीलदार तक की बात रखी थी। वह बात समझ में आ सकती थी, क्योंकि तहसीलदार को मैजिस्टीरियल पावर्स होती है कि वह विश्वसनीय आदमी होता है। पुराना तजुर्बा कहता है कि तहसीलदारों में बेईमानी बहुत कम होती है लेकिन उनके नीचे का जो तबका है, जो पुलिस आफिसर्स हैं उनमें एक्सेप्शनल में ही कोई ईमानदार निकलेंगे। आज तक का तजुर्बा यही कहता है। अभी इस आदरणीय सदन में माननीय गौरीशंकर राय और कुछ कांग्रेसी सदस्यों ने भी कहा कि इन्दराज बहुत गलत होते हैं और यही लेखपाल और कानूनगो वगैरह किया करते हैं। तो जब ये लोग गलत इन्दराज करते हैं फिर भी इन्हीं को अधिकार दिया जाता है कि ये दाखिल खारिज आदि के इन्दराज करें। ये लोग चुपचाप खतौनी और खसरे के इन्दराज कर देंगे, किसी को पता नहीं चलेगा और कहेंगे कि भाई, यह तो डिस्प्यूटेड था ही नहीं। माननीय मंत्री जी कहेंगे कि गांव सभाओं में ढिंढोरा पिटवाने के बाद में सारे इन्दराज किये जाते हैं। मैं उनसे कहना चाहूंगा कि बहुत सी जगह अभी गांव समाज बने नहीं हैं। चूंकि एक सा कानून सारे प्रदेश में नहीं है इसलिये इस बात की जरूरत है कि जहां जिस तरह की समस्या हो उसका भी समावेश इसमें हो जाय। लिहाजा इसको प्रवर समिति में जाने दें। मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि इस पर इधर बैठने वाले सदस्यों ने काफी प्रकाश डाल दिया है केवल मंत्री जी से यही प्रार्थना करूंगा कि कृपा करके वह इसे प्रवर समिति में जाने दें।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय अवस्थी जी ने जो प्रस्तुत विधेयक में संशोधन का प्रस्ताव रखा है उसके सम्बन्ध में मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। इस विधेयक के उद्देश्य और कारण में लिखा है कि उच्च न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया है कि उक्त ऐक्ट के वर्तमान उपबन्धों के अधीन अतिरिक्त परगना अधिकारी की नियुक्ति करना या नायब तहसीलदारों को द्वितीय श्रेणी के असिस्टेंट कलेक्टर के अधिकार देना संभव नहीं है। अतएव, उपर्युक्त कठिनाइयों को इस उद्देश्य से दूर करने के लिये कि विलम्ब न हो और मुकदमा लड़ने वालों को कम खर्च में तथा शीघ्रतापूर्वक न्याय प्राप्त हो सके तथा उन कार्यों के वैधीकरण के निमित्त यह विधेयक पुरःस्थापित किया जाता है। मैं तो कई बार पहले भी जब ऐसे विधेयक सरकार द्वारा प्रस्तुत किये गये यह कह चुका हूं कि इस तरह से जो अवैध कार्य होते हैं उनके वैधीकरण के लिये सरकार विधेयक लाती है। खंड ६ में इसी में दिया हुआ है कि जहां पर नायब तहसीलदार नहीं होना चाहिये वहां पर यह मान लिया जाय। उसमें जो अवैधानिकता रह गयी है उसको वैध समझा जाय। तो यह तो समझा जाय मगर उनके अवैध कार्यों के कारण जो लाखों किसानों का गला घोटा गया है उनको न्याय नहीं मिल सकेगा। उनके हक हकूक की जो हत्या की गयी है उसकी क्षति पूर्ति कौन करेगा? मैं उदाहरण के लिये बताता हूं कि जिन दिनों दसगुने की वसूली हो रही थी और हम लोगों ने उसका विरोध किया था तो जल्दी-जल्दी में सेकिंड क्लास के मैजिस्ट्रेट और तहसीलदारों को यह अधिकार दिया गया था कि दसगुने में संशोधन कर सकते हैं। बहुत से नायब तहसीलदारों ने इस अधिकार को इस्तेमाल किया था और इससे इतनी अव्यवस्था सारे प्रदेश में फैली थी कि आज भी बहुत से किसान हैं जिनके खेत में दूसरे जोतते हैं और उन्होंने फर्जी इन्दराज कराके दसगुना जमा करके सनद ले ली, नायब तहसीलदार ने करेक्शन कर दिया। इस तरह के हजारों मुकदमें आज भी तहसीलदारों के यहां चल रहे हैं। एक तो नायब तहसीलदार ने अवैध कार्य किया, उसको कोई हक नहीं था।

इस कानून से यह होगा कि जो लाखों किसानों का नुकसान हुआ था उसका वैधीकरण हो जायगा और जो गड़बड़ियां हुई थीं उनको दरुस्त करने की कोई जरूरत नहीं होगी। इस प्रदेश के काश्तकार बहुत दुखी हैं क्योंकि अस्थायी तौर से उनके कागजात और खातों का

बन्दोबस्त है। इतने परिवर्तन उसमें हुये हैं और इतनों को अधिकार है परिवर्तन करने का और कानून जो बनते जा रहे हैं वे इतने अपूर्ण हैं कि आज काश्तकार बहुत परेशान हैं। जब जमींदारी विनाश विधेयक सदन के सामने पेश हुआ था उस वक्त भी बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा था कि इसमें बहुत खामियां हैं और बहुत कुछ संशोधन भी आये और आज भी एक संशोधन आया। खंडों में सरकार जो संशोधन लाती है उसका मैं विरोध करना चाहता हूं। श्रीमन्, अगर किसी धारा को चुनौती उच्चतम न्यायालय दे देता है और वह मान ली जाय तो उसके लिये दूसरा विधेयक आ जायगा। इसको सरकार क्यों नहीं वापस लेती है और इसकी परिधि क्यों नहीं बढ़ाती है? क्यों नहीं सरकार ठीक ढंग से विचार करके एक सम्पूर्ण विधेयक लाती है जिससे प्रदेश के किसानों का भला हो?

श्रीमन्, आज जनता जितनी खसरा और खतौनी से दुखी है उतनी किसी बात से दुखी नहीं है। चरणसिंह जी ने विधायकों को अधिकार दे दिया था कि वह गांवों में तहसीलदार और डिप्टी कलेक्टर के साथ जाकर गलतियों को देखें। श्रीमन्, मैं भी गया था और मैंने देखा, खसरे की गलतियों को छोड़ दीजिये लेकिन खतौनी में एक एक गांव में ५० से अधिक गलतियां थीं। आजमगढ़ में एक रिकार्ड आपरेशन हुआ था और घोसी तहसील में २०-३० हजार गलतियां निकलीं। जब इतनी गलतियां निकलीं तो उनकी शुद्धि कौन करेगा? आपका कानूनगो ही करेगा और कानूनगो को अधिकार है कि जो अनडिसप्यूटेड हैं, उनमें कोई वाद न हो तो कानूनगो जायगा और पड़ताल करेगा। श्रीमन्, गांवों में विरोध होता है लेकिन तहसीलदार के इशारे पर वह दबा दिया जाता है। कानूनगो जाता है तो कहता है कि मेरे सामने कोई एतराज नहीं किया गया इसलिये दुरुस्त कर दिया गया। नायब तहसीलदार उस पर अपनी मुहर लगा देता है। जब मामला कोर्ट में जायगा और उस पर कार्यवाही होगी और अगर डिसप्यूटेड है तो उससे कलेक्टर के यहां भेजेगा। तब जाकर उसकी सुनवाई होती है। इसमें इतनी तारीखें पड़ती हैं कि किसान की कमर टूट जाती है।

श्री रामस्वरूप यादव—मोतीलाल जी चाहते हैं कि कलेक्टर के यहां भेज दिया जाय।

श्री उग्रसेन—ठीक है। लेकिन मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इस बीच में दुहरी मुकदमेबाजी हुई, उनको जो क्षति हुई है उसकी जिम्मेदारी किस पर है। आप अपनी गलतियों को तो ठीक कर रहे हैं कि आपके तहसीलदार को तकलीफ न हो, कलेक्टर को तकलीफ न हो, दरोगा का झब्बा नीचे न खिसके, इसका इंतजाम कर रहे हैं, लेकिन किसानों की जो क्षति हुई है उसके लिये क्या कर रहे हैं? यही कर रहे हैं कि जिनमें मुकदमेबाजी हुई उनको वैध करना चाहते हैं।

श्रीमन्, आज कचहरियों में मंत्री जी ने कोर्ट फीस भी सौ प्रतिशत से अधिक बढ़ा दी है। अब जब किसान कोर्ट में जायंगे तो क्या कोर्ट फीस नहीं लगेगी? अभी एक विधेयक आया था और उच्चतम न्यायालय का फैसला था। जिस दिन वाद निर्णीत होता है उसी में अपील भी निहित होती है। श्रीमन्, मैंने कानून नहीं पास किया है इसलिये मैं नहीं जानता कि मंत्री जी कैसे अपील को रोकेंगे उसी अदालत में। कम से कम एक अदालत में तो जाने दें.....

श्री उपाध्यक्ष—यह विषयान्तर है।

श्री उग्रसेन—श्रीमन्, अपील कैसे रोक सकते हैं, इसको मंत्री जी बतादें।

श्री हुकुमसिंह विसेन—कानून के जरिये।

श्री उग्रसेन—जब आपका कानून हाई कोर्ट में जायगा तो उसकी धज्जियां उड़ जायंगी। आप रिट्रासपेक्टिव अफेक्ट से कर देते हैं। हाई कोर्ट की रूलिंग हो चुकी है कि जिस दिन से रोकें उसी दिन से वह वैध होगा। यह नेचुरल जस्टिस के विरुद्ध है। इसको मंत्री जी स्वयं समझते हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि यदि प्रदेश के किसानों को भूमि के अधिकार

[श्री उग्रसेन]

देना चाहते हैं और लेखपाल, कानूनगो तथा तहसीलदार की भूलभुलइया से अलग रखना चाहते हैं तो जितने खेत वह जोते हैं, उनको कागजात में दुरुस्त किया जाय। इसलिए इसकी परिधि बढ़ा कर जब सभी प्रकार के कब्जों की व्यवस्था नहीं होगी, तब तक किसान का लाभ होने वाला नहीं है। माननीय मंत्री जी पुनः इस विधेयक को वापस लें और इसमें जो कुछ कमियां रह गयी हैं उनको दूर करें।

माननीय मंत्री जी का ध्यान मैं उनके वक्तव्य की ओर दिलाना चाहता हूं। माननीय ब्रजनारायण तिवारी के गैर सरकारी प्रस्ताव पर कि लेखपाल को कागजात में विवरण के खाने में इंतराज करने का अधिकार दिया जाय या न दिया जाय, माननीय मंत्री जी ने सदन को आश्वस्त किया था कि वह किसी कमेटी को बिठा रहे हैं।

श्री हुकुमसिंह विसेन—कमेटी कायम कर दी।

श्री उग्रसेन—तो ठीक है। वह कमेटी बैठी, उसके पहले विधेयक आ गया। अन्त में मेरा निवेदन यह है, माननीय मंत्री जी को एक कहानी सुना दूं जिसको सात अंधों की कहानी कहते हैं। सात अंधे एक हाथी को देखने गये। जिसने कान छुआ उसने कहा कि हाथी सूप की तरह है। जिसने पूंछ छुआ उसने कहा कि रस्सी की तरह है। जिसने पैर छुआ उसने कहा कि पेड़ की तरह से है। अपनी अपनी जगह पर सब ठीक थे लेकिन हाथी के पूरे आकार को लेकर सब गलत थे। उस कहानी की तरह से माननीय मंत्री जी हाथी को न देखें। सम्पूर्ण राजस्व कानून, हक हकूक, नाम इंदराज करने पर अधिकारियों के अधिकार, सबको एक जगह रख कर, सम्पूर्ण विधेयक लाएं तभी हम जैसे लोगों का समर्थन उनको प्राप्त हो सकता है। इन शब्दों के साथ मैं माननीय अवस्थी जी के संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्तुत विधेयक का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं और जो प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव है उसका मैं विरोध करता हूं।

मैं बोलना नहीं चाहता था लेकिन अभी जो मैं बहस सुन रहा था उसको सुनने के बाद मेरी इच्छा हुई कि मैं भी कुछ कहूं। यह प्रस्तुत विधेयक अभी कौंसिल से आया हुआ है और बहुत सी जरूरी बातें इसके अन्दर आ गयी हैं। वहां पर विचार विनिमय के दौरान में सारी चीजों पर प्रकाश डाला जा चुका है। इसमें जो चीजें रखी गई हैं, वे बहुत मामूली चीजें हैं। उनको बहुत थोड़े समय में पास कर देना चाहिये। अगर यह विधेयक प्रवर समिति में जाता है तो उसमें महीनों का समय लगेगा और उसके बाद लौट कर फिर आयेगा। मैं समझता हूं कि उससे अधिक लाभ होने वाला नहीं है। कोई खास संशोधन आने वाले नहीं हैं। तमाम समय लगने के बाद फिर आकर जैसा विधेयक है वैसा पास हो उससे कोई लाभ नहीं है। हां, यह जरूर है कि अगर कोई ऐसी चीज थी तो यह विधेयक काफी समय से सदस्यों के सामने है। इसकी प्रतियां अक्तूबर में बंट गई थीं। तब से आज तक अगर उसमें कोई ऐसी चीज दिखलाई पड़ रही थी तो वह संशोधन के रूप में आ सकती थी। इतने दिन विधेयक के सामने रहने के बाद फिर सोचा जाय कि अभी इसे प्रवर समिति में जाने की जरूरत है, यह काफी बात नहीं है।

मैं कुछ बातें सुझाव के रूप में अवश्य रखना चाहता था। वह यह है कि जहां तक भूमि के अलाटमेंट का सवाल है, मैं पिछले समय में भी कह चुका हूं; इस बार फिर से सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं। गांव समाजों में जो भूमि पड़ी हुई है, उसको अलाट करने के पंचायतों को जो अधिकार दिये गये हैं, उससे कहीं पर जरूरत से ज्यादा अधिकार बरते जा रहे हैं, कहीं पर लापरवाही होती है और जिन लोगों को वह भूमि मिलनी चाहिये उन लोगों को भूमि मिल नहीं पा रही है। कहीं पर जितनी भूमि परती छोड़ी जानी चाहिये चरागाह वगैरह के लिये वह नहीं छूटती है और लोग उसे अपने-अपने कब्जे में कर लेते हैं। उसके बाद ११५-डी के

मुकदमें होते हैं, तमाम परेशानियां होती हैं तब भी नहीं छुड़ा पाते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास जमीन है और जमीन होने के बावजूद भी अगर पंचायतों के अन्दर उनका बहुमत है तो उस पर जबर्दस्ती अपना कब्जा कर लेते हैं। इसलिये मैं समझता हूं कि इसके ऊपर फिर से विचार होना चाहिये और यह भूमि के एलाटमेंट के जो मामले हैं उन पर जो हमारे तहसीलदार, डिप्टी क्लेक्टर या कलेक्टर हैं उनको इस सम्बन्ध में कुछ अधिकार मिलना चाहिये। उनको अधिकार इतना है कि ग्राम समाज अगर किसी जमीन का एलाटमेंट करता है तो वह उसको खारिज तो कर सकते हैं लेकिन बार बार अगर ग्राम समाज उसी को एलाट करता चला जाय तो न परगनाधीशों को कोई अधिकार है, न जिलाधीशों को कोई अधिकार है और न तहसीलदार को है कि इस बार बार के एलाटमेंट को वह किसी तरह से रोकें और सही आदमी को अगर भूमि नहीं मिल रही है तो उसको एलाट करायें। इसका कोई प्राविजन उसके अन्दर नहीं है। यह बहुत महत्वपर्ण मसला है। इसके कारण जमीन जिन लोगों के हाथों में जानी चाहिये उनके हाथ नहीं जा रही है।

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि सहकारी खेती के संबंध में जब हमने एक उद्देश्य तय कर लिया है.....

श्री उपाध्यक्ष—सहकारी खेती से इससे क्या सम्बन्ध है? सहकारी खेती के बारे में यह नहीं है। उस बारे में अगर आपको कोई सुझाव देना हो तो लिखकर भेज दीजिये। इसमें मैं इजाजत नहीं दूंगा।

श्री मुरलीधर कुरील—दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि उत्तराधिकार के मामले जो हैं तहसीलदारों को उसका अधिकार दिया गया है और उसके बाद उसकी अपील नहीं हो सकती है। तो इसमें भी मैं समझता हूं कि तहसीलदार के ऊपर जो अधिकारी हैं उनको अपील सुनने का अधिकार होना चाहिये। तहसीलदार के बाद फिर उनको बोर्ड आफ रेवेन्यू में जाना पड़ता है जहां कि बहुत ज्यादा खर्चा पड़ता है और छोटे-मोटे आदमी वहां नहीं पहुंच सकते हैं। इसलिये तहसीलदार के यहां अगर कोई त्रुटि रह जाती है तो बहुत से लोगों को न्याय नहीं मिल पाता है। इसलिये इस मामले पर भी विचार होना चाहिये और इसमें भी कम से कम ऊपर के अधिकारियों को अपील सुनने का अधिकार होना चाहिये। इन शब्दों के साथ में इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)—उपाध्यक्ष महोदय,....

श्री मोती लाल अवस्थी—मैं एक व्यवस्था चाहता था, यह ग्राम विवाद इस पर कब तक चलेगा।

श्री उपाध्यक्ष—मेरा खयाल है साढ़े तीन, चार तक यह चलेगा।

श्री मोतीलाल अवस्थी—संशोधन बहुत काफी हैं।

श्री उपाध्यक्ष—इसके बाद में माननीय मंत्री जी को बुला लेता हूं और फिर संशोधन ले लिये जायेंगे।

श्री मोतीलाल अवस्थी—मुझे भी जवाब देना है।

श्री उपाध्यक्ष—हां, आप तो जवाब देंगे ही।

*__श्री ब्रजनारायण तिवारी__—श्रीमन्, यह जो विधेयक रखा गया है और उस पर जो मोतीलाल जी ने प्रवर समिति में भेजने का संशोधन रखा है मैं इसका समर्थन करता हूं और प्रस्तावित विधेयक का विरोध करता हूं। वह इसलिये कि अभी कहा गया है कि कुछ ऐसे काम हो गये थे असिस्टेंट क्लेक्टरों द्वारा जिनके अधिकार उनको विधिवत नहीं दिये गये थे। वह काम

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री ब्रजनारायण तिवारी]

किस प्रकार के हैं ? श्रीमन्, दो काम हैं। एक तो यह है कि जहां कहीं वरासत के झगड़े हुये हैं उनकी दुरुस्ती हुई है उनके जरिये और दूसरे कब्जे की दुरुस्ती के सिलसिले में जहां कहीं गलतियां रह गई हैं भूमि अभिलेखों में उनकी शुद्धि का कार्य कराया गया है, जो अदालत में अवैध हो गया। उसको ठीक करने के लिये यह विधेयक लाया गया है। सरकार का जो संशोधन है वह मैं जरा पढ़ दूं। जो पुस्तिका हम लोगों को बांटी गई है उसके साथ जो विवरण दिया है उसमें दिया है---धारा ३५ पहले इस प्रकार थी---

"On receiving a report of succession under section 34, the Tahsildar shall make such inquiry as appears necessary and in an undisputed case of succession if it appears to have been taken place, direct the annual registers to be amended accordingly. If the succession is disputed he shall dispose it off after deciding the dispute in accordance with the provisions of section 40."

अब इसमें संशोधन इस प्रकार से किया जा रहा है कि वर्तमान धारा ३५ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :---

"(1) On receiving a report of succession under section 34, or on fact otherwise coming to his knowledge, the Tahsildar shall make such enquiry as appears necessary and if, in an undisputed case, succession appears to have taken place, direct the annual registers to be amended accordingly. If the succession is disputed he shall dispose it off after deciding the dispute in accordance with the provisions off section 40."

इसमें केवल एक शब्द बढ़ाया गया है। पहले में यह था कि जब उनके पास कोई एप्लीकेशन दी जाय तब उस पर अपना विचार प्रकट करें। इसमें यह शब्द बढ़ा दिये गये हैं कि किसी प्रकार से उनकी जानकारी में आ जाय कि फलां आदमी मर गया है और उसका नाम छूट गया है तो उस केस को डिसाइड कर दे। यह संशोधन इसमें किया जा रहा है।

दूसरा संशोधन धारा ३९ में गलती को दुरुस्त करने के बारे में है। पहले मैं मूल अधिनियम की धारा को पढ़ देता हूं :---

"Notwithstanding anything contained in the U. P. Panchayat Raj Act, 1947, the Collector may on his own motion and shall in the application of any person correct any error or omission in the annual register".

अब इसमें संशोधन इस प्रकार से किया जा रहा है कि वर्तमान धारा ३९ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :---

"An application for correction of any error or omission in the annual register shall be made to the Tahsildar.

On receiving an application under sub-section (1) or any error ar omission in the annual register coming to his knowledge otherwise, the Tahsildar shall make such inquiry as apears necessary and then refer the case to the Collector who shall dispose it off after deciding the dispute in accor dance with the provisions of section 40".

इसमें केवल यह बढ़ाया गया है कि तहसीलदार को किसी की प्रार्थना पर या अपने आप यह स्वप्न हो जाय कि फलां जगह गलती रह गई है, फलां आदमी मर गया और उसका नाम छूट गया है तो उसको दुरुस्त कर दे। उसके आगे संशोधन अपील के बारे में है वह भी आपकी इजाजत से पढ़ देना चाहता हूं। धारा ४० में पजेशन के आधार पर कब्जे के लिये फैसला करने का अधिकार दिया गया है इसमें खास संशोधन नहीं है। वह अपील की धारा २१० इस प्रकार से है.....

श्री बालकराम—श्रीमन्, सदन में इस समय कोरम नहीं है।

(गणपूर्ति के लिये घंटी बजाई गई।)

श्री उपाध्यक्ष—मेरे सामने भी यह दूसरा मौका है। मैं सरकारी पक्ष से निवेदन करूंगा कि इस सम्बन्ध में वह उचित व्यवस्था कर ले जिससे मुझे कोई कार्यवाही न करनी पड़े।

(गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री ब्रजनारायण तिवारी—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से धारा २१० के बारे में पढ़ रहा था कि :—

"(1) Appeals shall lie under this Act as follows :

(*a*) to the Record Officer from orders passed by any Assistant Record Officer ;

(*b*) (i) to the Commissioner from orders passed by a Collector or any Assistant Collector first class or Assistant Collector incharge of Sub-division ;

(ii) to the Collector from orders passed by an Assistant Collector second class or Tahsildar".

अब इसके बारे में जो संशोधन है उसे भी मैं आपकी आज्ञा से पढ़ देना चाहता हूं। इसमें है कि धारा २१० में निम्नलिखित नयी उपधारा (६) के रूप में बढ़ा दिया जाय—

"No appeal shall lie against an order passed under section 33, 35, 39 or 40".

अब यह प्रतिबन्ध हमारे लिये है। चाहे किसी प्रकार का फैसला तहसीलदार कर दें, कब्जे के बारे में, वरासत के बारे में, कागजात दुरुस्ती के बारे में, उसकी कोई अपील नहीं हो सकती। इस बारे में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल दो घटनाओं की मिसाल आपकी इजाजत से देना चाहूंगा।

एक घटना है मेरे क्षेत्र के एक गांव खिरिया की। वहां सूबा नाम की एक मुसम्मात मर गई। उसने अपनी विरासत में अपनी चचाजाद लड़की का नाम लिख दिया। उसका कब्जा बरकरार, वह लगान देती थी, सिंचाई कर देती थी, लेकिन तहसीलदार को अधिकार मिलने के कारण उसने एक ऐसे आदमी का नाम फर्जी विरासत में दर्ज कर दिया कि जिसका न कहीं जिक्र है और न कहीं नाम। मैं नहीं कह सकता कि यह रुपये के आधार पर हुआ या किस तरह से किया गया। वह एक ब्राह्मण हैं और बहुत पूजा पाठ करते हैं। हो सकता है कि पूजा पाठ के जोर पर ही उनका कुछ असर पड़ता हो। और उसकी अपील जो हाई कोर्ट तक जा सकती थी उसकी हत्या हो गई इस विधेयक के द्वारा। इस प्रकार की सारी गलतियों पर इसके द्वारा सरकार पानी फेरना चाहती है।

सरकार का एक विभाग नया बना है करेक्शन आफ लैंड रेवेन्यू डिमांड। इसके जरिये छानबीन की जाती है उस जमीन की जिस पर कोई लगान नहीं पड़ता है और वे लगान तय करते हैं उस जमीन का। यह भी उन्हीं अफसरों द्वारा किया जाता है जिनके कामों को सरकार इस विधेयक द्वारा वैध ठहरा रही है। मेरा तजुर्बा है कि इसमें गड़बड़ी काफी है।

इसके अलावा हमारे यहां एक गांव है कुंडवा। इसमें एक जमींदार जिद्दी टाइप के थे। जब जमींदारी एबालिशन हुआ तो सारे जमींदारों ने, जो जमीन वे समझते थे कि उनके कब्जे से निकल जायगी, उसको बेच कर पैसा बना लिया, लेकिन वे एक ऐसे जमींदार थे कि जिन्होंने कहा कि मेरे पास रहेगी नहीं तो गांव की हो जायगी। उन्होंने अपनी जमीन बेची नहीं। जिस-जिस गांव में उनकी जमीन थी उस-उस गांव समाज को काफी जमीन मिली है और उसमें

[श्री ब्रजनारायण तिवारी]

उनका अपना भी एक गांव है जिसके वे निवासी हैं। ग्राम समाज की ओर से वह ३०० एकड़ भूमि दी गई। जिन भूमिहीनों ने वह भूमि पाई है उनके पास सनदें हैं, वह पक्की सनदें मौजूद हैं, उन पर नम्बर और रकबा लिखा हुआ है, लेकिन उनकी ऐन्ट्री नहीं हो सकी और सभापति, कानूनगो और तहसीलदार ने, इन तीनों ने मिल कर, रुपया लेकर सारा जितना उस गांव का बंजर है, करेक्शन आफ लैंड रेवेन्यू डिमांड के आधार पर उसका नया बन्दोबस्त कर दिया है, लगान बांट दिया है। अब यह हुआ कैसे ? उपाध्यक्ष महोदय, आपको ताज्जुब होगा कि जब यह लैंड रेवेन्यू का नया काम शुरू हुआ तो सारे कागजात पिछले सात साल के कानूनगो, तहसीलदार और लेखपाल को दे दिये गये और इसलिये उनको पिछले सात सालों की एन्ट्री करने में बड़ी आसानी हुई और उसी आधार पर ये कहते हैं कि उसमें लगान छोड़ा हुआ था। इसीलिये वे लगान ले रहे हैं नये तौर पर। मैं सरकार को इसकी सूचना देना चाहता हूं और वह चाहें तो इंक्वायरी कर लें। दूसरे लोगों के नाम से एंट्री हो गई है और वे नम्बर दूसरे लोगों को दे दिये गये हैं। भूमिदान में जिनको परचा मिला हुआ है उनको कुछ नहीं मिला, उनका कब्जा नहीं, उनकी एन्ट्री नहीं और उनका कोई कागज दुरुस्त नहीं है। तो सरकार इन गलतियों पर परदा डालना चाहती है।

श्री उपाध्यक्ष—आप इस घटना को लिख कर माननीय मंत्री जी के पास भेज दें।

श्री ब्रजनारायण तिवारी—जी, बहुत अच्छा इसमें एक और संशोधन है जिसे मैं आपकी आज्ञा से पढ़ देना चाहता हूं। इसी सूची में एक बात और लिखी हुई है जिसे मैं आपकी आज्ञा से पढ़ देना चाहता हूं। इसी अनुसूची में धारा ३३ में यह लिखा है कि "शब्द तथा अंक Panchayat Adalat as constituted under section 42 of the U. P. Panchayat Raj Act, 1947". के स्थान पर शब्द "Kanungo" रख दिया जाय।

पहले जो पंचायतों को अधिकार दिया गया था, वह अब यह सरकार कानूनगो को देना चाहती है। इससे ऐसा लगता है कि इस सरकार का विश्वास जनता पर से उठता जा रहा है। आज उसे जनता पर विश्वास नहीं रहा है और उसके स्थान पर नौकरशाही पर उसका विश्वास बढ़ता जा रहा है। माननीय मंत्री जी डरते हैं कहीं गांव पंचायत को यह अधिकार चला गया तो उससे जनता को फायदा होगा। और यह सरकार जनता का फायदा देख नहीं सकती।

आप जानते हैं, श्रीमन्, कि कोई प्रधान तो रिश्वत लेगा नहीं, न वह देगा। तहसीलदार और कानूनगो ही को उसके द्वारा प्रभावित किया जा सकता है। उनको ही रिश्वत दी जा सकती है। तो जब प्रधान यह सोचेगा कि उसके पास पैसे का तो कोई साधन है नहीं लिहाजा क्यों न किसी से दुश्मनी मोल ली जाय। इसलिये वह न्याय ही करेगा। कोई सभापति रिश्वत नहीं लेगा। इस संशोधन के द्वारा तहसीलदार को इतनी पावर्स दी जा रही हैं कि वह जो चाहें कर दे। चाहे वह सफेद करे या स्याह करे, वह मालिक है, उसको सब तरह के अधिकार हैं। इससे आप देखें, श्रीमन्, कि पब्लिक को बड़ा नुकसान होगा, उनकी सम्पत्ति को इससे बड़ा नुकसान होगा। पब्लिक सम्पत्ति का इससे नुकसान होगा बजाय इसके कि उनका व्यक्तिगत नुकसान हो। इसलिये माननीय मंत्री जी इन बातों पर विचार करें और जरा सोचें।

आज, श्रीमन्, आप देखेंगे कि भूमि संबंधी कितने ही कानून बने हुये हैं। एक कानून १९०१ का है उससे हम गाइड होते हैं, एक यू० पी० टेनेन्सी ऐक्ट है, उससे हम गाइड होते हैं, एक जमींदारी एबालिशन ऐक्ट है उससे गाइड होते हैं, चकबन्दी ऐक्ट हैं, उससे गाइड होते हैं, तो इस तरह से कितने कानून भूमि के मामले में बने हुये हैं और वे सब मिल कर एक तरह से खिचड़ी सी बन जाते हैं। आज हमारे सामने कोई ऐसा कानून एक नहीं है जिससे यह सब बातें गाइड हों। इस सरकार को चाहिये कि इन सभी कानूनों को खत्म करके भूमि संबंधी सभी मामलों के लिये एक ऐसा विधेयक लाये जिसमें यह सभी कानून एक में हों। आज कहीं तो हमसे सहकारी खेती करने के

लिये कहा जाता है, दूसरी ओर से कुछ और कहा जाता है, कभी और कुछ कहा जाता है। इस सरकार की कोई स्थिर नीति है ही नहीं। इसमें, श्रीमन्, जो धारा ४० है उसके द्वारा आप उसके हुक्मों की हिफाजत करेंगे। तो मैं आपके द्वारा यह कहना चाहता हूं कि इस सरकार की नीयत साफ नहीं है। उत्तर प्रदेश के किसानों के आज क्या झगड़े हैं और किस प्रकार उन्हें निबटाया जाय, किस प्रकार उत्पादन बढ़ाया जाय, इस ओर इस सरकार का तनिक भी विचार नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं माननीय अवस्थी जी के संशोधन का समर्थन करता हूं। मैंने जो सुझाव दिये हैं उनमें एक तो मैंने उनके पास भेज दिया है। दूसरे भी लिखकर भेज दूंगा।

*श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस विधेयक को सेलेक्ट कमेटी में भेजने के लिये कहने में भी थोड़ा संकोच होता है और सोलोहों आना स्वीकार करने में भी संकोच होता है। थोड़े धर्म संकट में जरूर हूं। इस विधेयक में कुछ ऐसी बात हैं जिनसे शायद कुछ लोगों को राहत भी मिल सके, लेकिन एक बात मैं यह कहना चाहता कि यह लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट करीब २९४ धाराओं का कानून है और जहां तक मेरी जानकारी १९०१ का बना हुआ है। उसमें १९४८ में कुछ अमेंडमेन्ट हुये थे। उसके बाद इस अमेंडमेंट के अलावा और कोई अमेंडमेंट अब तक नहीं हुआ।

अब मैं आपका और माल मंत्री जी का भी ध्यान देश की भूमि व्यवस्था की ओर खींचना चाहता हूं कि उसमें कितना बड़ा परिवर्तन हुआ। उत्तर प्रदेश की भूमि व्यवस्था में जमींदारी अबालिशन होने के बाद एक प्रकार से यह कहा जा सकता है कि बहुत ही रेडिकल चेंज हुआ और लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट जो १९०१ में बना था जिसमें यह था कि काश्तकार से मालगुजारी कैसे वसूल की जायगी तो उस टेंडेंसी और विचारधारा से इस सरकार की कभी पटरी नहीं बैठ सकती। उस कानून में बड़े भारी परिवर्तन की जरूरत है और अवस्थी जी का जो प्रस्ताव है कि इसकी परिधि बढ़ायी जाय उसका हमें बलात समर्थन करना पड़ता है। मैं समझता हूं कि इसकी परिधि को बढ़ा करके लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट को इस योग्य बनाना चाहिये कि देश के किसानों के हित में उसका इंटरप्रिटेशन हो सके।

इसमें संदेह नहीं और यह सबको स्वीकार होगा कि गांव का कागज बहुत गलत है और जब गौर से इस विधेयक को मैंने देखने की कोशिश की तो इसमें इस बात की व्यवस्था की गयी है कि कागजात को दुरुस्त करने में कुछ जल्दी हो जाय और इसमें यह भी है कि एक कनफ्यूजन और विवाद मालूम होता है—मैं कोई कानून का पंडित तो नहीं हूं—लेकिन हम को दिखाई देता है कि उसमें एक मर्तबा तो बोर्ड आफ रेवेन्यू के यहां जाया जाय और फिर मुन्सिफ के यहां से शुरू होकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाय, इन दोनों सेक्शन को हटाने को कोशिश की गयी है। आप चाहते हैं कि बोर्ड आफ रेवेन्यू तक तो न जाय, लेकिन सिविल कोर्ट तक जाय।

श्री हुकुमसिंह विसेन—अब रेवन्यू कोर्ट में दोनों जायंगे।

श्री गेंदासिंह—अगर ऐसी बात है तो हमारे सामने यह बात आती है कि इसमें थोड़ा कम खर्च हो सकता है।

अब रही न्याय मिलने की बात। हम यह जरूर समझते हैं कि जुडिशियरी कुछ अधिक न्याय देने में समर्थ होती है। तो जुडिशियरी को रखना चाहिये मौके पर, और किसानों के टाइटिल और पजेशन के मामलों के सम्बन्ध में फैसला करने के लिये उसके हाथ में अख्तियार रहे, यह जरूरी मालूम होता है।

मैं यह नहीं कह सकता कि इसमें क्या होने वाला है, लेकिन इतनी बात जरूर है कि इससे तीन कानूनों में, पंचायत राज ऐक्ट, लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट और जमींदारी अबालिशन ऐक्ट, इनमें संशोधन होने वाला है, क्योंकि एक का दूसरे से जहां परस्पर सम्बन्ध है, उसको भी इसमें बदला गया है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री हुकुमसिंह विसेन—इसको उसके मुताबिक लाया गया।

श्री गेंदासिंह—इसमें अब आप देखेंगे, श्रीमन्, तो जैसा कि ब्रजनारायण जी ने कहा, आठवें पेज पर धारा ३३ में यह है कि शब्द तथा अंक "Panchayat Adalat as constituted under section 42 of the U. P. Panchayat Raj Act, 1947", के स्थान पर शब्द "Kanungo". रख दिया जाय। उसी तरह से जब आप दूसरे सफे पर देखेंगे तो वहां भी लिखा है कि मूल अधिनियम की धारा २२४ के, जैसी कि वह उन क्षेत्रों में प्रवृत्त है जिनमें १९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम प्रचलित है, अंत में निम्नलिखित शब्द बढ़ा दिये जायं और सदैव से ही बढ़ाये गये समझे जायं :—

"Or an Assistant Collector of the second class".

इस प्रकार से तीनों में कुछ न कुछ, जहां आवश्यकता पड़ी है, संशोधन किया गया है। बहुत अच्छा होता कि इसको रेवेन्यू स्टैंडिंग कमेटी में लाया गया होता और वहां पर इस पर विचार हो गया होता। इससे मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों और सरकार को भी बड़ी मदद मिली होती क्योंकि वहां पर जो सदस्य होते उनकी समझ में आ गया होता कि कहां किस बात की आवश्यकता है और सरकार भी उनके विचारों से अवगत होती और इसमें अगर कोई बात बढ़ाने की होती तो वह भी इतने ही समय में बढ़ाकर किसानों के काम का यह कानून बनाया जा सकता था।

उपाध्यक्ष महोदय, लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट जो २९२ या २९४ धाराओं का है उसको हमारे दोस्त पढ़ सकते हैं और मैं माननीय मोती लाल अवस्थी जी से जरूर आग्रह करूंगा कि उसको पढ़ें तो मालूम होगा कि उसमें कुछ सेक्शन्स अनावश्यक हैं। इन संशोधनों के बाद भी मैं समझता हूं कि उसमें खेवट का नाम रह जायगा। अभी चूंकि शहरों में जमींदारी एबालिशन नहीं हुआ है इसलिये शायद इस नाम की आवश्यकता हो लेकिन इसके अलावा भी मैं कहता हूं कि इसमें कुछ ऐसे अंश हैं जिनको निकाल देने की आवश्यकता है।

अब मैं माननीय राजस्व मंत्री का दो, एक बातों की ओर ध्यान ले जाना चाहूंगा। अगर मुझे स्टैन्डिंग कमेटी में इसके सम्बन्ध में कुछ कहने का मौका मिला होता तो मैं माननीय माल मंत्री जी को यह जरूर समझाने की कोशिश करता कि यहां पर जो सकसेशन वगैरह का कानून बनने जा रहा है उसकी जिम्मेदारी विलेज रिकार्ड्स दुरुस्त करने की जिम्मेदारी किसी इंडिवीजुवल पर, जमीन के मालिक पर न छोड़ी जाय बल्कि सोलह आने इसकी जिम्मेदारी रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट अपने ऊपर ले। इसमें हम जो अमेंडमेंट करने जा रहे हैं उसमें अब भी वह सेक्शन रहेगा कि अगर कोई आदमी रिपोर्ट न करे तो कागज दुरुस्त न किया जाय .....

श्री हुकुमसिंह विसेन—"or otherwise coming to the notice".

श्री गेंदासिंह—यह तो है लेकिन फिर आप मेहरबानी करके उसको पढ़ें। उसमें फिर रुकावट है। अगर रुकावट नहीं है तो फिर मैं उस तरफ ध्यान ले जाऊंगा कि अगर तीन महीने की देर हो जाय तो जुर्माना किस पर होगा। लेखपाल या कानूनगो पर नहीं होगा जिसकी कि कागजात दुरुस्ती की ड्यूटी है। उसकी सजा नहीं होगी बल्कि सजा उसकी होगी जिसका बाप मर गया। मान लीजिये, कोई नाबालिग लड़का है, उसने तीन महीने तक रिपोर्ट नहीं किया, तो जुर्माना हो जायगा।

श्री हुकुमसिंह विसेन—और अगर बालिग हुआ ?

श्री गेंदासिंह—तो फिर आप इसमें नाबालिग के लिये लिख दिये होते। मैं तो वर्स्ट केस ही ले रहा हूं कि चाहे कोई बूढ़ा या बच्चा हो, किसी उम्र का हो उसको तीन महीने के बाद जुर्माना देना होगा।

श्री हुकुमसिंह विसेन—ला में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिये ।

श्री गेंदासिंह—मैं तो कहता हूं कि अगर जुर्माना हो तो वह सरकार के ऊपर होना चाहिये । मैं यही मुनासिब समझता हूं कि सरकार को कागजात दुरुस्ती की जिम्मेदारी लेनी चाहिये । माननीय माल मंत्री जी को यह जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी चाहिये । आपने यह तय किया है कि हम लोग छोटी गाड़ियां रखेंगे लेकिन क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि वे जिन आफिसरों को ये अधिकार दे रहे हैं वे गांवों में किन सवारियों पर जाते हैं और वहां जहां पर सड़कें नहीं हैं, जहां मोटरेबिल रोड नहीं है, अगर ग्रिड सिस्टम के अनुसार हमारे सूबे में सड़कें सारी बन भी जायं फिर भी हर खेत पर तो मोटर जा नहीं सकती । तो आपका कमिश्नर, कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर वहां किन सवारियों में जाता है ? मोटर में जाकर किस तरह से वह खेतों की पड़ताल कर सकता है ? पुराने जमाने में कलेक्टर घोड़े पर चढ़ कर जाता था और किसी जगह जाकर खड़ा हो जाता था । खसरा, खतौनी और नक्शा लेकर कोई ५० नाम वह छांट लेता था । वहीं गांव के लोग भी इकट्ठे हो जाते थे । उस समय कानूनगो और लेखपाल को मौत की घंटी याद आ जाती थी । लेकिन माननीय मंत्री जी आज बतायें कि उनके कितने कलेक्टर घोड़े पर चढ़ कर जाते हैं और खसरा, खतौनी लेकर स्वयं छानबीन करते हैं ? और कितने कानूनगो और लेखपाल अपनी ड्यूटी अंजाम न देने की वजह से सजायाब हुये । जो गलती करने वाला कर्मचारी है, जिसकी जिम्मेदारी कागजात दुरुस्त करने की है, उसको तो इनाम देने की व्यवस्था आपने रखी है, और जो बूढ़ा है, अंधा है, नाबालिग है, अगर वह तीन माह के अन्दर रिपोर्ट न करे तो आप कहते हैं कि उस पर जुर्माना होगा । इन बातों की तरफ सरकार का ध्यान नहीं जाता है ।

आजकल काफी कलेक्टर ऐसे हैं जो खसरा खतौनी को जानते तक नहीं हैं । मुझे इसका जाती तजुर्बा है । जब वे खसरा, खतौनी को समझते ही नहीं तो उनके लिये मजबूरी है और किस तरह से वे कागजात की पड़ताल कर सकते हैं । लेखपाल उनको जानता है और वह उस काम में बहुत माहिर है । इन बातों को देखते हुये लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट और पंचायत राज ऐक्टों में कुछ तब्दीली करने की जरूरत है और अपने यहां की जो ८० प्रतिशत जनता किसान है, उनको कुछ रियायत देनी चाहिये । आपके सी० एल० और डी० को गांवों में लोग सियार-डी कहते हैं । उसने वहां बड़ी मुसीबत पैदा कर रखी है । माननीय माल मंत्री जी ने पिछले साल कुछ ऐलान किया था मैं फिर आप से कहता हूं कि लोगों को उसका लाभ नहीं उठाने दिया गया और न उन्होंने उठाया । इतना मैं जरूर निवेदन कर दूं कि इस तरह का संशोधन अवश्य होना चाहिये जिसमें उनको यह अवसर मिल सके कि वे अपनी सही बात बता तो सकें ।

श्री हुकुमसिंह विसेन—यही स्टैंडिंग आर्डर है ।

श्री गेंदासिंह—तो ठीक है । इन छोटे अधिकारियों को बड़ा अधिकार देने से डर जरूर लगता है, लेकिन मैं अपने साथियों से यह कहना चाहता हूं कि जो कुछ छोटे अधिकारियों को करना था वह बीत चुका, जो किसानों के ऊपर बीतने वाला था वह तहसीलों में बीत चुका और अगर हमारे साथियों को तहसीलों का ज्ञान है तो तहसीलों में जो बीता है उसकी चर्चा करके मैं किसी को तकलीफ नहीं देना चाहता । खास करके माननीय माल मंत्री जी को मैं बतलाना चाहता हूं कि मेरा ऐसा तजुर्बा जरूर है कि तहसीलों की हालत पहले से ज्यादा खराब है और तहसीलों में म्यूटेशन और कब्जे के सिलसिले में जो कार्यवाही होती है उस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है और विशेष ध्यान देने की आवश्यकता कमिश्नरों और कलेक्टरों पर है, क्योंकि कमिश्नर्स और कलेक्टर्स आपके सबसे बड़े हाथ, बांह हैं । अगर उन्होंने इस काम में दिलचस्पी नहीं ली तो रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट जो सबसे ज्यादा एफिशियेंट डिपार्टमेन्ट है और जो सबसे ज्यादा प्रभाव रखने वाला तथा ग्रामीण किसानों से सबसे ज्यादा सम्पर्क रखने वाला डिपार्टमेन्ट है, वह रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट इस वक्त बहुत परेशान करने वाला डिपार्टमेन्ट हो गया है ।

[श्री गेंदासिंह]

मैं माननीय माल मंत्री जी से आज यहां यह तो नहीं बतलाना चाहता कि आज ५ रुपये तकावी लेने के लिये भी किसानों को तहसीलों में कितनी दिक्कत होती है लेकिन माननीय मंत्री जी को उस दिक्कत को जरूर जानना चाहिये।

श्री उग्रसेन—उसके लिये १० रु० घूस देना पड़ता है।

श्री गेंदासिंह—मुझे यह कहने की हिम्मत नहीं पड़ी, लेकिन इतना मैं जरूर कह दूं कि जो लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट है उसको बदलने की कोशिश करनी चाहिये और स्टैंडिंग कमेटी में इस चीज को रखकर पूछना चाहिये कि इस ऐक्ट में कहां क्या करना है। मैं समझता हूं कि इस मामले में सरकार को कुछ सुझाव भी प्राप्त होंगे और सरकार भी उससे लाभान्वित होगी।

अन्त में मैं फिर वही बात दोहराना चाहता हूं कि इस समय मैं बहुत धर्मसंकट में पड़ गया हूं कि यह विधेयक सेलेक्ट कमेटी में जाय या कहां जाय लेकिन परिधि बढ़ाने वाली जो बात है, अगर इसकी परिधि बढ़ा कर इस बिल द्वारा और व्यापक अधिकार दिया जाता और जो अच्छी बातें हैं वे इसमें आ जातीं तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा होता।

श्री रामस्वरूप यादव—उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री मोतीलाल अवस्थी के इस संशोधन का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं बड़े गौर से सुन रहा था, मुमकिन है मेरे कहने के बाद वे सन्तुष्ट हो जायं कि मैंने गलती नहीं की है। मैं समझ रहा था कि इस संशोधन में जो परिधि के बढ़ाने का विषय है उसके बारे में मुझे कुछ सुनने को मिलेगा और माननीय मंत्री जी भी मुझे यह चलते हुये कह गये कि इस विषय को विशेष ध्यान से सुनना। लेकिन केवल माननीय गेंदासिंह जी ने इस विषय का कुछ जिक्र किया। लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट पुराना ऐक्ट है सम्भव है उसमें कुछ तब्दीली आवश्यक हो, वह तो अपनी जगह पर विचार हो सकता है लेकिन जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है, मैंने दो बातें ही मुख्यतः सुनीं। एक तो कागज दुरुस्ती की बात का जिक्र किया गया और दूसरे माननीय अवस्थी जी और उन्हीं की पार्टी के एक माननीय सदस्य श्री उग्रसेन इन दोनों के विचार इस विषय पर एक नहीं हैं कि आया मुकदमे को काश्तकारों को सहूलियत देने के लिये तहसीलों में करना चाहिये या उसे हाकिम परगना के यहां भेज देना चाहिये। वैसे तो मेरा भी ऐसा ख्याल है कि ऐसा विषय जब आवे तो पार्टी की एक निश्चित राय हुआ करती है। लेकिन माननीय अवस्थी जी और श्री उग्रसेन जी, इन दोनों की इस विषय पर एक राय नहीं है।....

श्री मोतीलाल अवस्थी—एक ही राय है, आपने गलत समझा।

श्री रामस्वरूप यादव—शायद वे एक दूसरे को समझ कर ठीक कर लेवें, लेकिन मैं समझता हूं कि वे ठीक ही समझते हैं।

जहां तक दुरुस्ती कागजात का संबंध है मैं निवेदन कर दूं कि इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि गलतियां कागजात में हैं और रहेंगी और वह आसानी से कतई दूर नहीं हो सकतीं। यह जरूर है कि सरकार की तरफ से इस तरह का प्रयत्न है कि यह गलतियां कम से कम हों। मुकम्मिल तौर से जो बन्दोबस्त हुये हैं उनको बहुत वर्ष हो गये, केवल बीच में ही कुछ रिवीजन्स हुये हैं उनमें तमाम गलतियां दूर नहीं हो सकतीं। जहांतक कानून का संबंध है वह तो मुकम्मिल है, उसमें धारायें हैं कि अगर कोई गलती हो तो दरख्वास्त दी जाय और उसको ठीक कराया जाय। मेरा कहने का मतलब यह है कि कानून पूरा है उस में परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। बाकी यह हो सकता है कि कर्मचारी उसका ठीक से पालन न करके जानबूझकर गलती करते हों, वही पुरानी गलत इंदराजों को लिखते चले आते हों। उसका उपाय एक यह हो सकता है कि बन्दोबस्त सब जगह किया जाय लेकिन आज की स्थिति में जब कि चकबन्दी का प्रोग्राम चल रहा है और शुरूआत से बन्दोबस्त उसमें होता है तो जहां-जहां चकबन्दी होती जायगी वहां कागजात दुरुस्ती साथ में होती जायगी।

यह जरूर है कि चकबन्दी के बाद भी गलती रह जाय और उसके बाद भी नये इन्दराज हो सकते हैं जो गलत हों, जैसे कोई ४ भाई हैं एक बम्बई में रहता है और पिता के मरने के बाद ३ के नाम चढ़ जायं और एक का रह जांय, इस तरह की गलती का इमकान तो हर वक्त है ही लेकिन गलतियों के लिये कानून बना है, वह अपनी जगह काम करता है। मैं कोई लेखपाल या नायब तहसीलदारों की वकालत नहीं करता, लेकिन यह जरूर है जैसा कि माननीय गौरीशंकर राय जी ने कहा कि लेखपालों को लोग हक देते हैं, वह देने वाले देते होंगे यह विषय आज का नहीं है। सरकार का यह कर्त्तव्य है कि कानून ऐसा हो कि कागजात में गलती न रहे और किसानों को सहूलियत मिले। नियम इतने कड़े बनाये गये हैं कि लेखपाल जानबूझकर गलती नहीं कर सकते। नियम है कि जब वह कोई नया इन्दराज करे तो उस की नकल हर फरीक को दे और प्रधान को भी दे। इस तरह से उसको बांधा गया है कि वह किसी तरह से अनियमितता न करे। जैसा कहा जाता है इतनी हालत कहीं नहीं बिगड़ी है। हो सकता है कि कुछ लोग खराब हों उन को पकड़ने की कोशिश की जाती है और अगर वह पकड़े जाते हैं तो उन को सजा भी दी जाती है। माननीय बालकराम जी ने कहा कि हम इस से सन्तुष्ट हो जायेंगे अगर गलती पकड़ी जाय तो अधिकारियों को सजा दी जाय। मैं उन को बता दूं कि सरकार की नीति है कि अगर कोई अधिकारी पकड़ा जाता है तो उसको सजा दी जाती है यह नहीं हो सकता कि किसी को भ्रष्टाचारी पाया जाय और उस को छोड़ दिया जाय।

माननीय अवस्थी जी ने अपनी तकरीर में इस बात का जिक्र किया था कि एस० डी० ओज का हेडक्वार्टर सब-डिवीजन में ही कर दिया जाय। यह विषय कई बार सरकार के सामने आ चुका है लेकिन साधारणतः यह संभव नहीं हो सका, कुछ खास-खास जगहों के लिये कर दिया गया है लेकिन आम तौर से ऐसा नहीं किया जा सकता क्योंकि ऐसा करने से एक तो खर्च बहुत बढ़ जाता है और कुछ और दिक्कतें काम में भी होती हैं। इमारतों पर खर्च बढ़ जायगा और पचासों तरह की दिक्कतें बढ़ जायेंगी और प्रशासकीय कारणों से भी यह संभव नहीं हो सका है। आज भी हमारा....

श्री उग्रसेन—जिन को आर्डर हो गये हैं कि जायं, क्या उन के वापस हो गये हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव—मैं निवेदन कर रहा था कि काश्तकारों को सुविधा देने लिये इस बिल में भी प्राविजन किया गया है। पहले कानून में था कि अगर कोई दरख्वास्त ट्रांसफर के आधार पर देता है तो वह एस० डी० ओ० के यहां जायगी लेकिन उसकी इन्क्वायरी तहसीली स्तर पर हो जायगी और वह रिपोर्ट शहादत के बाद एस० डी०ओ० को जायगी। एक भ्रम यह भी हो रहा था कि कुछ धारायें जैसे धारा ३५-३९-४० हैं उन की अपील न होगी। यह भ्रम है मैंने बीच में भी निवेदन किया था कि सिर्फ डुप्लीकेशन रोकने के लिये, बार-बार मुकदमें कई अदालतों में न लड़ने पड़ें, उसको रोकने के लिये यह किया गया है। कोई म्यूटेशन का मामला है या ट्रांसफर के आधार पर कोई मुकदमा लड़ा गया है, अगर उसमें पहला फैसला असिस्टेंट कलेक्टर का हो जायगा तो जैसी कि अपील इस वक्त है वह कलेक्टर को, कमिश्नर को और फिर बोर्ड को जाती है। उसके बाद भी हारे हुये व्यक्ति को अधिकार है कि डिक्लेयरेशन का दावा अदालत माल या अदालत दीवानी जिसको भी अधिकार हो, उसमें कर सकता है। अगर वही सिलसिला हो कि असिस्टेंट कलेक्टर हो, कलेक्टर हो, फिर कमिश्नर हो और फिर बोर्ड हो तो कुछ अमीर लोग ही उसमें जा सकते हैं। तो उस डुप्लीकेशन को रोकने के लिये और खर्चा रोकने के लिये और लोगों के झगड़े रोकने के लिये यह किया है कि अपील नहीं होगी। जो आर्डर कर दिया उससे संतुष्ट न हो तो वह डिक्लेयरेशन का दावा कर सकता है। डिक्लेयरेशन के दावे में कोर्ट फीस का बड़ा जिक्र कर दिया जाता है। मैं समझता हूं कि जो सज्जन जिक्र करते हैं उन्होंने कोर्ट फीस देकर ऐक्ट का जहां तक वह भूमि के बारे में लागू होता है, उसका अध्ययन नहीं किया है। उसमें कोर्ट फीस बहुत कम होती है। लगान पर लगती है। १००–२०० रुपये लगान के खेत नहीं होते हैं, २०–२५ रुपये लगान के होते हैं

[श्री रामस्वरूप यादव]

और आज की दर पर २० रुपये पर दो, ढाई रुपया करीब कोर्ट फीस लगती होगी। अगर कोई कानूनी गलती हुई है तो उसके लिये रिवीजन अब भी है। अपील हटा ली, लेकिन रिवीजन मौजूद है।

पंचायतों के अधिकार के बारे में भी कहा गया। एक समय पर उन्हें अधिकार दिया गया था, लेकिन अनुभव हुआ कि पंचायतों में मुकदमें वैसे ही पड़े रहे। आम आदमी को उससे बड़ी तकलीफ रही। तो इस वजह से नहीं किया कि पंचायतें काबिल नहीं हैं बल्कि इसलिये कि वास्तविक स्थिति क्या रही। बहुत सी पंचायतें अच्छी हो सकती हैं। लेकिन बहुत सी पंचायतों में ऐसे सीधे आदमी थे कि उनको अयोग्य कह दिया जाय तो कोई अतिशयोक्ति न होगी क्योंकि पढ़े-लिखे नहीं थे। कानून तो सारे प्रदेश के लिये था। बहुत सी पंचायतें ऐसी थीं जिन्होंने लिखकर ही नहीं भेजा कि उनका क्या निर्णय है कि बिरासत में क्या दाखिल खारिज होना चाहिये। तो उसमें दिक्कत पड़ी। आज तो हम कानूनगो को कोई अधिकार नहीं दे रहे हैं। पहले ही वह कानून में मौजूद है कि अगर निर्विवाद कोई मामला हो दाखिल-खारिज का तो सक्सेशन के सिलसिले में वह दाखिल-खारिज कर सकता है। लेकिन यह रुकावट कहां है कि कोई व्यक्ति अपने को वारिश समझता है तो दरख्वास्त न दे सके तहसीलदारों के लिये? तहसीलदार को अब भी अधिकार है, अगर उसके साथ ज्यादती हुई है तो उसकी सुनवाई हो सकती है।

लेखपाल के कार्य के बारे में भी समय-समय पर जब भी माल विभाग से संबंधित कोई विधेयक आता है तो जरूर जिक्र किया जाता है। सदन के माननीय सदस्यों को भी और आपको भी जानकारी है श्रीमन्, कि वह एक समय पटवारी था। यही सदन नाराज था, समझता था कि वह काश्तकार को तंग करता था। उनकी सेवायें समाप्त हुईं। अच्छे लड़के लिये गये। आशा की जाती है कि वह ठीक तौर से काम करेंगे, प्रतिबन्ध भी लगाये गये कि बेईमानी का मौका न मिले। इसके बाद भी बेईमानी होती है तो इसकी जिम्मेदारी समाज पर है। अगर ऐसे खराब लड़के हैं तो उनको ठीक करने का दूसरा उपाय होना चाहिये। बजाय इसके कि आज यह सोचा जाय कि सब बेईमान हैं तो बेईमान के पीछे चौकीदार और चौकीदार के पीछे चौकीदार तो इसका कोई अन्त नहीं हो सकता। खराब आदमियों को ठीक करना चाहिये, कानून के अन्दर सख्ती होनी चाहिये, और है। लेकिन जितनी सख्ती होगी उतने ही अकसर बढ़ेंगे। परन्तु फिर भी इंतजाम किया जाता है। कानून में ज्यादा पेचीदगी आम जनता के लिये हानिकारक होती है।

बाग का जिक्र किया गया कि उसके दर्ज होने की व्यवस्था नहीं है। जैसे पहले भूमि कानून था उसमें बाग टेन्योर था। लेकिन आज जैसा कानून है उसमें तो सीरदार और भूमिधर और असामी यह राज टेन्योर्स हैं। चाहे उसमें बाग लगा लिया हो वह भूमिधर और सीरदार कहलायेगा। दोनों बाग लगा सकते हैं। इस वक्त अलग से तो कोई कानून नहीं है। लेकिन जहां चकबन्दी होती है वहां देखा जाता है कि बाग कहां है, वहीं लिख दिया जाता है। कानून सरकार ने बनाया है, टिम्बर के बाग पर लगान माफ होगा। जैसे कहा जा सकता है कि उस परिभाषा में आ जाना चाहिये तो उनके बारे में जानकारी करा ली जायगी क्योंकि लगान का प्रश्न है। बाकी बाग के लिये अलग खाना कैफियत में अब भी लेखपाल इंदराज कर सकता है कि दरख्त कितने हैं। यह उनको करना चाहिये।

मैं यह नहीं कहता कि इधर के बैठने वाले ही किसान की तकलीफ से चिन्तित रहते हैं। मैं मानता हूं कि उधर भी बैठने वाले बहुत से सज्जन हैं। यह दूसरी बात है कि उन किसानों से उनका सम्पर्क बहुत न रहता हो इस वजह से वह जानते न हों कि तहसील पर क्या स्थिति है। काश्तकार चाहता है कि उसकी तहसील पर मुकदमा हो न कि जिले पर हो? क्योंकि उनसे मिलने की फुरसत नहीं होगी। आम तौर पर वकीलों से सम्पर्क हो जाता है तो उसी

से उन्होंने सोच लिया कि तहसील पर अगर मुकदमें होंगे तो वकीलों का नुकसान होगा। अगर इस दृष्टि से चलेंगे तो किसान का हित नहीं है। एक कानून बना हुआ है उसके अन्तर्गत काम होता है। मैं तो केवल यही कह सकता हूं कि अगर स्थायी विभाग की बात की जाय तो माल विभाग सबसे पुराना है और जिन दिक्कतों से इस विभाग में काम किया जाता है, सब तरह के आदमी इसमें आते हैं। लेकिन जैसी भी स्थिति हो, शायद मुझे कहने में दिक्कत नहीं होती कि उसके कार्य में इतनी खराबी नहीं है जितने का जिक्र किया जाता है। यह हो सकता है कि सरकारी अधिकारी उस स्नेह से बात न करता हो जितना चुना हुआ आदमी करता है। ऐसा संभव हो सकता है। चाहते हम भी हैं कि स्नेह से बात करें और मेरा मतलब यह नहीं है कि लोगों की वह जेब तराश करें बल्कि वास्तविक रूप से सहायता दे। इसी वजह से हमारी मंशा यह है कि काश्तकार का खर्चा कम हो।

चकबन्दी भी इसीलिये की जा रही है कि काश्तकार अपनी भूमि पर अधिक समय दे सके और अगर कोई गलती है तो वहीं पर उसका सुधार हो जाय। इन शब्दों के साथ में निवेदन करूंगा कि इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजना अनावश्यक है। भूमि व्यवस्था ऐसा प्रश्न है जिसके संबंध में फिर भी ऐसे विषय आ सकते हैं जिन पर स्टैंडिंग कमेटी में विचार हो सकता है। लेकिन आज का विधेयक सिर्फ इसलिये लाया गया है कि जो कुछ भी हमने ११ साल में काम किया है उसके तजुर्बे पर ऐसा होना जरूरी है।

नायब-तहसीलदार ने सनद दिलाने में जो कुछ काम किया है वह हम सब जानते हैं। लोगों को यह शिकायत नहीं थी कि नायब तहसीलदार को क्यों अधिकर दिये गये। हजारों सनदें हर महीने जिलों में तैयार होती थीं, वहां यह शिकायत नहीं थी। मुकदमे जो लड़े जाते थे उनकी संख्या बहुत कम थी। लिहाजा यह कहना कि नायब तहसीलदार सनद देने के योग्य नहीं थे यह समझ में नहीं आता। यह फैसला न होने के पूर्व मैंने यह कभी नहीं सुना कि नायब तहसीलदार को अधिकार क्यों दे दिये और तहसीलदार को फर्स्ट क्लास के अधिकार क्यों दे दिये। यह गड़बड़ी हो गयी, यह पहले कभी नहीं कहा जाता था। यह एक फैसला हुआ जिससे यह संशोधन विधेयक लाना पड़ा। इसलिये यह कहा जाता है। वास्तव में उन्होंने इतनी गड़बड़ी की नहीं। लेकिन एक निर्णय हुआ उस निर्णय का हमें आदर करना है और यह भी देखना है कि वह काश्तकार बरबाद न हों। ४९ से ६१ तक की सब सनदों को कैंसिल करके उन गरीबों को यों ही छोड़ दिया जाय यह समझ में नहीं आता। इन शब्दों के साथ में मोतीलाल जी अवस्थी के संशोधन का विरोध करता हूं।

*श्री मोतीलाल अवस्थी—उपाध्यक्ष महोदय, आज इस विवाद में अनेक सदस्यों ने भाग लिया पक्ष और विपक्ष से, मैं उनका हर तरह से अपना आभार प्रकट करता हूं और यादव जी ने जो जवाब दिया उस जवाब से मुझे इतनी निराशा नहीं हुई जितनी कि अपने साथी गेंदा-सिंह जी के भाषण को सुन कर हुई। चार साल साथ बैठने के बाद मैं आज अगर यह बात कह दूं तो अपराध नहीं करूंगा कि मैंने जो राय अपने बारे में कायम की थी उसे मुझे आज बदलनी पड़ रही है। उन्होंने मुझे लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट पढ़ने के लिये कहा। मैं शौक से पढ़ूंगा और शायद मैंने आज पढ़ा भी। लेकिन जो बातें उन्होंने कहीं उनसे मुझे ऐसा लगता है क्या उनका ज्ञान लैन्ड रेवेन्यू के बारे में सही ज्ञान है? उन्होंने शायद यह जानने की कोशिश नहीं की कि २३४ धाराओं में १३० धारायें पहले से डिलीट हो चुकी हैं और बहुत छोटा सा कानून यह रह गया है। उन्हें शायद मौका नहीं मिला कि वह उसे पूरा पढ़ पाते। उन्होंने जो दो तीन चीजें सदन के सामने रखीं उन्हें देख कर मुझे आश्चर्य हुआ। इस कानून से किसानों को सुविधा होगी यह सुन कर मुझे दुख हुआ। सुविधा के बजाय आज किसानों पर बोझा लादा जा रहा है। उन्होंने जब यह कहा कि भूमि तथा काश्त के बारे में रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधिकारी सारे अधिकार अपने हाथ में ले लें तो यह सुन कर मुझे और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

अधिक आश्चर्य हुआ। यह बात केवल गेंदासिंह जी के मुंह से ही सुनने को मिली। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के अन्य वक्ताओं ने ऐसी कोई बात कभी नहीं कही। मैं मानता हूं कि उन्होंने जो कुछ भाषण दिया उससे उन्होंने राजस्व मंत्री तथा यादव जी दोनों का धन्यवाद प्राप्त कर लिया और मौके पर धन्यवाद उन्हें मिला भी। मैं इसे इस रूप में नहीं लेता कि सरकारी पक्ष के हो गये हैं। लेकिन जब वह यह कहते हैं कि भूमि के अधिकार की जानकारी एक लैन्ड रेवेन्यू अधिकारी ही रखता है तो मुझे आश्चर्य हुआ।

लेकिन भाषण के अन्त में कुछ अच्छी बातें भी माननीय गेंदासिंह जी ने कहीं। उस पिछले भाग को अगर पहले सोच कर कहते तो मुझे ज्यादा संतोष होता। उन्होंने यह भी कहा कि इस भूमि की व्यवस्था में कलेक्टर, कमिश्नर को ज्यादा दिलचस्पी लेनी चाहिये और उनको ज्यादा अधिकार होना चाहिये। ठीक यही मंशा मेरी थी। इस कानून के अन्तर्गत जितने भी अधिकार लौटा कर तहसीलदार, कानूनगो तथा नायब तहसीलदार को दिये जा रहे हैं वे नहीं दिये जाने चाहिये। हमारे माननीय मंत्री यादव जी ने तो उन्हें तहसीलदारों के समर्थन में बड़ा लम्बा चौड़ा व्याख्यान दे डाला कि नहीं साहब, वे बड़े अच्छे आदमी हैं। लेकिन यह बात कोई मानने को तैयार नहीं है क्योंकि हमारा उनसे रोज सामना पड़ता है। हां, मैं गेंदासिंह जी से कहूंगा कि इस लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट को वे उसी प्रेम और ध्यान से पढ़ें जिस ध्यान से वे गन्ने के कानून को पढ़ा करते हैं। इस कानून से किसानों की उससे बहुत ज्यादा तादाद से संबंध है जितनी कि गन्ने के कानून से संबंधित है। मैं उनका हमेशा आदर करता हूं, अपने से श्रेष्ठ मानता हूं और जानता हूं कि पार्लियामेंटरी काम में उनका मुझ से कई गुना ज्यादा अनुभव है। मगर जब मौका पड़ता है तो कहना पड़ता है।

आज जो हमारे मंत्री जी उठ कर चले गये उन्होंने उग्रसेन जी और हमारे बीच में कुछ फर्क पैदा करना चाहा। मालूम होता है उन्होंने बात को गौर से सुना नहीं। हम दोनों एक मत हैं कि अगर आप अपील के अधिकारों को काटते हैं तो काट सकते हैं लेकिन मुकदमेबाजी को कम करिये। मैं आपको दिखाऊं कि इसमें मुकदमेबाजी कम नहीं होगी। इसमें कहा गया है कि:—

"No appeal shall lie against an order passed under sections 33, 35, 39 and 40".

खंड ६ में यह लिखा हुआ है कि यह दफा ६ नयी बढ़ायी गयी है और ठीक इसके पहले इसमें अपील की बातें मौजूद हैं कि·····

श्री उग्रसेन—श्रीमन्, सदन में फिर कोरम नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—श्रीमन्, यह व्यवस्था का सवाल है कि जब हाउस में यह विधेयक चल रहा है मैं समझता हूं कि सरकार का कोई भी प्रतिनिधि सदन में नहीं है।

(श्री हुकुमसिंह विसेन लौट आये)

श्री उपाध्यक्ष—माननीय अवस्थी जी, आप जारी रखें।

श्री मोतीलाल अवस्थी—मैं नहीं समझ पाया कि मंत्री जी हाउस किस पर छोड़ कर जा रहे थे। उपमंत्री जी तो उठ कर चले गये। कुछ तो आपको मुकाबले में बैठना चाहिये। मैं यह कह रहा था कि अपील की गुंजाइश दफा २१० में मौजूद है। केवल ६ वीं उपधारा ही बढ़ाई गयी है जिसमें यह कहा गया है कि इन निश्चित सेक्शनों के अन्दर अपील नहीं हो पायेगी। लेकिन मेरा विवाद दूसरे प्रकार का है। दफा ४० को देखा जाय। उसमें लिखा है:—

"All disputes regarding entries in the annual registers shall be decided on the basis of possession.

No order as to possession passed under this section shall debar any person from establishing his right to the property in any civil or revenue court having jurisdiction."

इसी सेक्शन ४० के बारे में कहा गया है कि किसी को डिबार नहीं किया गया लेकिन धारा ४० की उपधारा (३) को निकाल कर अब जो सुधार कर रखा गया है उसमें यह कहा गया है:—

"No order passed under section 33, 35, 39 or 40 shall debar any person from establishing his right to the property in any civil or revenue court having jurisdiction".

पहले जहां एक ही सेक्शन में अपील का अधिकार था वहां अब चार-चार में मौका दिया गया है। तो इससे मुकदमेबाजी बढ़ी या घटी? इस चीज को माननीय गेंदा सिंह जी नहीं देखना चाहते हैं फिर सरकार कैसे देखेगी। हमारा एतराज तो यह है कि सेक्शन ३३,३५ ३९ और ४० ये स्वयं ही ऐसी धारायें हैं जिन्होंने एकांगी अख्तियार तहसीलदार और नायब तहसीलदार को दे रखा है। मैं थोड़ा सा आपको पढ़ कर सुना दूं। उसमें लिखा है—

"Where a person obtains possession of any land by succession, the Kanungo shall make such inquiry as may be prescribed and if the case is not disputed record the same in the annual register".

अब इसमें कानूनगो को पजेशन के बारे में कोई अधिकार नहीं है। जब कलेक्टर के पास इंक्वायरी जाती है तो कहा जाता है कि:—

"If in the course of enquiry into a dispute under this section (Collector or the Tahsildar) is unable to satisfy himself as to which party is in possession, he shall ascertain by summary enquiry who is the person best entitled to the property and shall put such person in possession".

श्रीमन्, एक तरफ तो कानूनगो लिख देता है और कलेक्टर उसकी समरी इंक्वायरी कराता है तो इसका परिणाम यह होगा कि उसको कोर्ट में जाना होगा। अभी वारिस के हक में फर्क किया गया है। दफा १७१ के ई० और एफ० को मैं पढ़ रहा हूं। वह इस प्रकार है कि:—

"(*e*) Unmarried daughter,
(*f*) brother, being the son of the same father as the deceased".

मैं एक मिसाल दूं कि एक पुरुष जिसके पास जमीन है उसकी मृत्यु हो जाय। उसकी लड़की नौ साल की है और उसका भाई उससे दस साल बड़ा है। उसके मुकाबले में उसका भाई जबरिया कर सकता है। वह कानूनगो से लिखा सकता है और मुकदमेबाजी में कब्जा भी दिखा सकता है और कलेक्टर कब्जा देखकर फौरन लिख देगा कि·····

श्री उपाध्यक्ष—दस मिनट हो गये हैं, जल्दी खत्म करें।

श्री मोतीलाल अवस्थी—श्रीमन्, मैं यह कह रहा था कि उस लड़की का हक ख्वामख्वाह खत्म हो जाता है। उसका भाई कानूनगो से लिखा सकता है और कब्जा भी दिखा सकता है। अब सिवाय इसके कोई चारा नहीं है कि लड़की सिविल सूट में जाय। मेरे कहने का मतलब यह है कि मुकदमेबाजी बढ़ी है। लेकिन गेंदासिंह जी ने कहा कि बढ़ी नहीं बल्कि घटी है। सरकार कहती है कि हम दोहरे तरीके को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन मैं नहीं समझ पाया कि यह घटी कहां है एक तरफ तो सेक्शंस ३३ से ३५ में सिविल सूटस की गुंजायश बढ़ी है। फिर कैसे कह सकेंगे कि अपील की गुंजायश रोककर अच्छा काम किया है। उग्रसेन जी ने कहा था कि अपील इस माने में अच्छी मानी गई है कि गरीब जनता न्याय पा सके। आजकल नीचे के अधिकारी न्याय नहीं कर रहे हैं। इसलिये मैंने कहा था कि आज मैजिस्ट्रेट कोर्टस पुलिस कोर्टस हो गई हैं। इस आधार पर मैं कह रहा हूं और तहसीलदारों में भ्रष्टाचार है। मंत्री जी ने कहा कि उन्होंने लेखपालों की जांच करने के लिये कमेटी बनाई है। इससे क्या सुधार होगा। जिस चीज को टालना हो उसके लिये कमेटी बना दो साल भर तक आपकी कमेटी की रिपोर्ट नहीं आयगी और १९६२ तक पिटारा बंद

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

रहेगा । इन चालों को हम समझते हैं। आपने जो लेखपाललों की जांच के लिये कहा है तो हम उसका स्वागत करते हैं और आप कानूनगो की जांच कराइये और उनके कारनामों को देखिये । आपने कहा है कि पंचायतों में लोगों ने न्याय करना सीखा नहीं है । मैं पूछना चाहता हूं कि किस मुंह से आपने कहा था कि पंचायतों में विकेन्द्रीकरण करेंगे । आप बिनोबा जी के शब्दों को भूल गये । उनका कहना है कि पंचायतों को प्राणदंड तक का अधिकार होना चाहिये । आपने दाखिल खारिज का अधिकार दिया था उसको भी वापस ले रहे हैं और कहते हैं कि वह नहीं कर पायेंगे । तब आपका कानूनगो अकेला कैसे कर लेगा। गेंदासिंह जी ने कहा है कि रेवेन्यू विभाग का अफसर कर सकेगा ऐसी बात कह कर वह सरकार से धन्यबाद प्राप्त करते हैं । इसमें सब से बड़ी चीज यह है कि जिन चीजों को हम गांव में प्रेम के साथ कर सकते थे यानी बाप के मरने के बाद लड़के का नाम लिखा लेते, गल्ती ठीक करा लेते, उन्हीं को आपने कानूनगो के द्वारा कराने की बात से जहर फैला दिया है और गांवों में विरोध फैलाया है । प्रेम की जगह आपने दुश्मनी बढ़ाई, फौजदारियां बढ़ायीं । जो गरीब हैं उसको मुकदमेबाजी में घसीट कर तबाह कर रहे हैं। बहुत से साथियों ने इस बात को पकड़ा है । बहुत से आदमी कानून की किताबें ले आया करते हैं लेकिन वह किसानों के पास गये नहीं हैं । लेकिन जिन्होंने इसका समर्थन किया है, हमारे वही साथी आगे बढ़ें और इस कानून को पास न करें जब तक वह यह न देख लें कि सरकार किसानों के साथ न्याय करने के लिए तैयार है ।

श्री हुकुमसिंह विसेन—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे भाई रामस्वरूप यादव जी ने, जितने तर्क उधर से इस विधेयक के खिलाफ उठाये गये, उनका पूरा पूरा उत्तर दिया । मेरे बोलने की कोई आवश्यकता न थी । लेकिन मैं यह कैसे कहूं कि पहले श्री गेंदासिंह को धन्यवाद दूं, मैं पहले अवस्थी जी को धन्यवाद दूंगा । (व्यवधान) मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं चाहे आप मंजूर करें या न करें । हमारे मित्र ने जो कहा, मैं तहसीलदार को भी देखूंगा, नायब तहसीलदार को भी देखूंगा, लेखपाल को भी देखूंगा और मेरा इरादा है कि मैं अध्यापकों को भी देखूं, अगर मुझे इजाजत हो जाय । (व्यवधान) अब जरा तिलमलाइये नहीं । चुपचाप बैठे रहिए । अगर मुझको अधिकार हो तो मैं अध्यापकों को भी देख सकता हूं ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—अक्ल से देखिये ।

श्री हुकुमसिंह विसेन—जरा अदब सीखिये । यहां जब कोई बोलने लगता है तो दूसरा ऐतराज नहीं करता है । अगर आप इसी बेअदबी का इजहार करेंगे तो लड़कों को क्या सिखाएंगे ?

जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है आया यह प्रवर समिति को भेजा जाय या न भेजा जाय इसमें गेंदा सिंह जी और अवस्थी जी में विरोध है । इसमें वह भी मशकूक हैं कि भेजें या न भेजें । अवस्थी जी भी उनकी बातों का माकूल जवाब दे नहीं सके । मेरे लिए बड़ी मुश्किल है । उधर से आपस में एक हो नहीं सकते हैं तो ऐसे प्रस्ताव को मान लेना अक्ल के बईद बात होगी । लिहाजा मैं भी इसका विरोध करता हूं ।

(व्यवधान)

जब मैं बोलने लगता हूं इतनी खलबलाहट क्यों होती है । मैं तो बड़ी खामोशी से सुनता हूं और मैं कोई सख्त बात भी नहीं कहना चाहता ।

जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है इसका ध्येय यह है कि जो दो मर्तबा अखराजात हमारा गरीब किसान करता है, एक दुरुस्ती कागजात के सिलसिले में बोर्ड आफ रेवेन्यु तक जाय और सारी जिन्दगी खत्म कर दें और जब वहां खत्म हो जाय तो जो फरीक हार जाय वह रेगुलर सूट दायर कर के फिर देर तक लड़े । इसीलिए रखा है कि तहसीलदार के यहां दायर हो, कलेक्टर यहां फैसला हो जाय । उसमें अपील न हो और ऐग्रीव्ड पार्टी रेगुलर सूट दायर कर दे । इस तरह से गरीब किसान लिटिगेशन से बचेगा ।

(व्यवधान)

हम तो समझाने की कोशिश कर सकते हैं, समझने के लिए अक्ल नहीं दे सकते हैं क्योंकि मेरे पास भी थोड़ी ही है। अभी तक यह था ट्रांस्फर और अक्वीजीशन के बारे में कि पहले हाकिम परगना के यहां दायर हो, वह उस बंडल को बांध कर तहसीलदार के यहां भेजे। फिर तहसीलदार इन्क्वायरी करें। कुछ हाकिम परगना ऐसा करते थे कि खुद फैसला करते थे, वही इन्क्वायरी करते थे। गरीब किसान जिले के हेड क्वार्टर पर गवाह लेकर जायं, कई पेशियां होतीं, बड़े अखराजात होते। अगर यह तरीका कर दिया जाय कि तहसीलदार के यहां यह सब करेक्शन के और म्युटेशन के केस दायर हो जायं और तहसीलदार अपनी समरी एन्क्वायरी कर ले और वहीं शहादत वगैरह ले ले, फिर अपनी रिपोर्ट हाकिम परगना के पास भेज दे और वह अपने यहां फरीकैन के एविडेंस वगैरह लेकर फैसला कर दे, उसके बाद फिर रेगुलर सूट के जरिये से जिसको पैरवी करना हो करे, तो यह जो हमने रखने की कोशिश की है वह इसलिए कि हम समझते हैं कि इससे लोगों को मुकदमेबाजी में सहूलियत हो, बेजा अखराजात उनके न हों। लेकिन यहां बिलकुल खिलाफ बात कही गई। अवस्थी जी ने बिलकुल खिलाफ बात कही।

मैं तो यह पूछना चाहता हूं—जोर से बोलने से आर्ग्यूमेंट में कोई ज्यादा जोर नहीं आ जाता वह यह बतायें कि इसमें उनको सहूलियत होगी या नहीं कि यहीं तहसीलदार के यहां तहसील हेडक्वार्टर पर ही एविडेंस वगैरह हो जाय और वह अपनी रिपोर्ट हाकिन परगना के पास भेज दें, वह फैसला कर दें तो इसमें उनको सहूलियत होगी कि हाकिम परगना के यहां वह दायर हो तमाम फरीकैन मय अपने गवाहान के जिले के हेडक्वार्टरपर बार-बार दौड़ें, उनको पूड़ी खिलायें बाजार से, और सब तमाम अखराजात और दिक्कतें उठायें, इसमें सहूलियत होगी? हम तो यह सब कम करना चाहते हैं। हमारी नीयत यह है। हमारी नीयत पर शक न कीजिए। नीयत पर शक करना ठीक नहीं है। हमारी ऐसी मंशा है। मुमकिन है हम कोई गलती करते हों लेकिन मंशा हमारी यही है कि जो दिक्कतें म्युटेशन और करेक्शन आफ रेकार्ड्स तथा ट्रांसफर आदि के केसेज में होती थीं उन्हें आसान किया जाय।

एक तरमीम हम लैंड रेवेन्यू ऐक्ट की दफा १८ में भी कर रहे हैं। हाई कोर्ट की कुछ रूलिंग हो गई इस सिलसिले में। पंचायत राज ऐक्ट में यह था कि हाकिम परगना एलेक्शन पेटीशन सुनेगा। बहुत सी जगह पर चकबन्दी जहां होती हैं वहां ऐडीशनल सब-डिवीजनल आफिसर मुकर्रर होते हैं। वहां हाकिम परगना नहीं होता है। वही वहां इन्चार्ज हो जाते हैं। तो ऐडीशनल सब-डिवीजनल आफिसर्स ने जब पेटीशंस सुने तो उनका फैसला रद हो गया इस बिना पर कि इनको तो जूरिस्डिकशन ही नहीं है। तो पंचायत राज ऐक्ट तरमीम होकर उसमें ऐडीशनल सब-डिवीजनल आफिसर भी बढ़ाया गया। उसके बाद फिर जब केस आया तो उसमें यह फैसला हुआ कि जब लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट में ऐडीशनल सब-डिवीजनल आफिसर मुकर्रर करने का कोई प्राविजन ही नहीं है तो पंचायत राज ऐक्ट में बढ़ा देने से कोई काम नहीं चल सकता। लिहाजा हमको यह संशोधन लाना पड़ा कि ऐडीशनल सब-डिवीजनल आफिसर के एप्वाइंटमेंट का प्राविजन इसमें किया जाय। तो इन दिक्कतों को रफा करने के लिए यह संशोधन आया है।

इसके अलावा जमींदारी अबालीशन के सिलसिले में कितने ही फैसले नायब तहसीलदारों और तहसीलदारों ने भी किये, लाखों की तादाद में, उसमें हमको दिक्कत यह पड़ती है कि धारा २२४ जो है वह सरकार के अख्तियारात को महदूद करती है, लिहाजा नायब तहसीलदार को हम असिस्टेंट कलेक्टर कर ही नहीं सकते और अगर नहीं कर सकते हैं तो उनके ऊपर असिस्टेंट कलेक्टर की पावर हम कनफर करें तब भी उनका फैसला नाजायज हो जायगा और उससे हजारों गरीब आदमियों की दस गुना की रकम जो उन्होंने अदा की है उसकी सनदें रद्द हो जायेंगी। इसलिये हमने इसमें रखा है कि हम उनके ऊपर असिस्टेंट कलेक्टर सेकेंड क्लास की पावर कनफर कर सकें। यह तरमीम हमने २२४ में रखी है। अब उससे फायदा है कि नहीं? हम तो समझते हैं कि गरीबों को उससे बड़ा फायदा है क्योंकि ५३ से ५८ तक के दरमियान में लाखों मुकदमें उन्होंने फैसले किये हैं। खतरा है कि अगर कोई सूट दाखिल हो जाय तो वह सब फैसले

[श्री हुकुमसिंह विसेन]

नाजायज हो जायेंगे। इसलिए उस खतरे को मद्देनजर रख कर हमने ऐसा करना मुनासिब समझा है। यह इस बिल की खास खास बातें हैं और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जिससे किसी को नुकसान पहुंचता हो।

मैं भाई गेंदा सिंह जी का बड़ा आभारी हूं जिन्होंने कुछ सजेशंस ऐसे दिये कि जिन पर हमको मनन करने का मौका मिलेगा। और अवस्थी जी ने अपने प्रस्ताव में एक तो रख दिया कि इसकी परिधि भी बढ़ायी जाय, अपनी परिधि भी यह बढ़ाय—उस समय मैंने भाई रामस्वरूप जी से कहा था कि जरा सावधानी से कान खोलकर वह सुन लेंगे और देखेंगे कि अवस्थी जी के दिमाग में है क्या चीज ? कौन सा संशोधन और सुधार वह हमको बताना चाहते हैं ? लेकिन दिमाग उनका बिलकुल ब्लैंक, एक लब्ज भी उन्होंने नहीं बताया कि क्या संशोधन चाहत हैं। तो जब आपके दिमाग में कोई चीज है ही नहीं तो परिधि बढ़ा कर क्या करेंगे ? हम तो यह आशा करते थे कि परिधि बढ़ाने के सिलसिले में वह कोई बात बतलायेंगे लेकिन हमें निराशा हुई। गेंदा सिंह जी ने कुछ बतलाया लेकिन अवस्थी जी ने एक सजेशन भी परिधि बढ़ाने के सिलसिल में नहीं दिया कि वह कौन सा और संशोधन करना चाहते हैं। यहां पर संशोधन तो यह रख दिया कि इसको प्रवर समिति में भेज दिया जाय लेकिन उनके दिमाग में कोई बात आई नहीं। जब दिमाग में कोई बात नहीं आई तो फिर कह क्या। जब वह किसी बात को कहने के लिये तैयार नहीं हैं तो हम ऐसे प्रस्ताव को कैसे मान सकते हैं। यह हमारी दिक्कत है। इन शब्दों के साथ में इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि यह सदन निश्चय करता है कि उत्तर प्रदेश भूमि विधि संशोधन विधेयक, १९६०, को जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जावे जिसे अपनी परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो और जो अपना प्रतिवेदन एक सप्ताह में प्रस्तुत कर देवे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश भूमि विधि संशोधन, विधेयक, १९६० जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २

यू० पी० एक्ट संख्या ३, १९०१ की धारा १८ का संशोधन

२—यू० पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ (जिसे "आगे मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा १८ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय और सदैव से ही रखा गया समझा जाय:—

Sub-Divisional Officer and Additional Sub-Divisional Officer

"18. (1) The State Government may place any Assistant Collector of the first class in charge of one or more sub-divisions of a district, and may remove him therefrom.

(2) Such Assistant Collectors shall be called an Assistant Collector in charge of a sub-division of a district or a Sub-Divisional Officer and shall exercise all the powers and discharge all the duties onferred and imposed upon him by this Act or by any other law for ethetimcbeing in force, subject to the control of the Collector.

(3) The State Government may designate any Assistant Collector of the first class appointed to a district to be Additional Sub-Divisional Officer in one or more sub-divisions of the district.

(4) The Additional Sub-Divisional Officer shall exercise such powers and perform such duties of an Assistant Collector incharge of a sub-division of a district in such cases or classes of cases as the State Government may direct.

(5) The provisions of this Act and of every other law for the time being applicable to a Sub-Divisional Officer shall apply to every Additional Sub-Divisional Officer when exercising any powers or discharging any duties under sub-section (4) as if he were a Sub-Divisional Officer.

(6) The State Government may delegate its powers under this section to the Collector of the district and may revoke such delegation."

***श्री मोतीलाल अवस्थी**—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ में वर्णित मूल अधिनियम की धारा १८ की उपधारायें (३), (४) तथा (५) निकाल दी जायं ।

श्रीमन्, यह जो आवश्यकातायें सरकार ने बतलाई कि इन नये पदों को कायम करना जरूरी था तो इस सम्बन्ध की ३, ४, ५ धारायें इस प्रकार से हैं:—

"(3) The State Government may designate any Assistant Collector of the first class appointed to a district to be Additional Sub-Divisional Officer in one or more sub-divisions of the district.

(4) The Additional Sub-Divisional Officer shall exercise such powers and perform such duties of an Assistant Collector incharge of a sub-division of a district in such cases or classes of cases as the State Government may direct.

(5) The provisions of this Act and of every other law for the time being applicable to a Sub-Divisional Officer shall apply to every Additional Sub-Divisional Officer when exercising any powers or discharging any duties under sub-section (4) as if he were a Sub-Divisional Officer."

इस सम्बन्ध में हमारे उपमंत्री जी ने जो अपनी दिक्कतें बतलाईं कि इसको न करने से बहुत से वाद सुप्रीम कोर्ट में पैदा हो जायंगे । इस दिक्कत को सुनने के बाद भी मैं अपनी बात पर कायम हूं कि इन ३, ४ और ५ के रखने की कतई आवश्यकता नहीं है । हमारे सुप्रीम कोर्ट में जो न्याय होता है वह सरकार की गलतियों को जांचने के लिये होता है । जिस बात को हम बतलाते हैं उसको सरकार नहीं मानती है । हाई कोर्ट जो बात कहता है उसको सरकार मानने के लिये बाध्य होती है । इसी कारण से यह सरकार इस विधेयक को लाने के लिये मजबूर हुई है किन्तु इस सुधार से यह विधेयक सही नहीं बन सकता क्योंकि यह संशोधन उचित नहीं है । जो वास्तविक स्थिति मूल विधेयक में है वही रहनी चाहिये ।

श्री रामस्वरूप यादव—उपाध्यक्ष महोदय, जो सुझाव अवस्थी जी ने दिया है मैं उस का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं । अभी इसके ऊपर बहस हो चुकी है । यह जो संशोधन किया गया इसकी आवश्यकता थी । संशोधन इस वजह से किया गया कि एडीशनल सब डिवीजनल आफिसर उन क्षेत्रों में रखे जायं जहां पर चकबन्दी हो । चकबन्दी हो रही है । काम इतना अधिक है कि वहां पर एक सब डिवीजनल आफिसर से काम नहीं चल सकता ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री रामस्वरूप यादव]

अब भी चकबन्दी का काम सब डिवीजनल आफिसर कर रहे हैं। उनका जो निर्णय हो उसको वैध करार देने के लिये यह संशोधन है। वह भी उतनी योग्यता रखते हैं। जिस तरह से भूमि संबंधी कानून आये उसी हैसियत से काम भी बढ़ गया और वाद भी बढ़ेंगे। यह कृषि प्रधान प्रदेश है, भूमि उनकी खास संपत्ति है और उसको कायम रखने के लिये और इसलिये भी कि निर्णय जल्दी हो जायं, चकबन्दी के सिलसिले में जो अधिकारी हैं वे भी काम कर सकें, इसलिये आवश्यक था कि ये अतिरिक्त अधिकार हाकिम परगना को दिये जायं और इसीलिये उसको सम्मिलित किया गया है।

श्री मोतीलाल अवस्थी--श्रीमन्, मंत्री जी की बात सुन कर मुझे संतोष नहीं हुआ और मैं अपनी जगह पर कायम हूं।

श्री उपायध्क्ष---प्रश्न यह है कि खंड २ में वर्णित मूल अधिनियम की धारा १८ की उपधारायें (३), (४) तथा (५) निकाल दी जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ३

यू० पी० ऐक्ट संख्या ३, १९०१ की धारा २२४ का उन क्षेत्रों में प्रवृत्ति के संबंध में संशोधन जहां उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १, १९५१ प्रचलित है

३--मूल अधिनियम की धारा २२४ के, जैसी कि वह उन क्षेत्रों में प्रवृत्त है जिनमें १९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम प्रचलित है, अंत में निम्नलिखित शब्द बढ़ा दिये जायं और सदैव से ही बढ़ाये गये समझे जायं:--

"or an Assistant Collector of the second class".

*श्री मोतीलाल अवस्थी--श्रीमन्, धारा ३ इस प्रकार है :

३--मूल अधिनियम की धारा २२४ के, जैसी कि वह उन क्षेत्रों में प्रवृत्त है जिनमें १९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम प्रचलित है, अंत में निम्नलिखित शब्द बढ़ा दिये जायं--और सदैव से ही बढ़ाये गये समझे जायं:--

'or an Assistant Collector of the second class'.

और धारा २२४ इस प्रकार है :

"The State Government may confer on any Tahsildar all or any of the powers of any Assistant Collector of the first or second class, and on any Naib-Tahsildar all or any of the powers of a Tahsildar".

अब आप देखें कि पहले ही सरकार ने काफी पावर ले रखी है। तहसीलदार को असिस्टेंट कलेक्टर और नायब तहसीलदार को तहसीलदार की पावर वह दे सकती है। अब से असिस्टेंट कलेक्टर की भी पावर देने की बात है। यह विश्वास किया जाता है कि कलेक्टर एक ऊंचा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अधिकारी है और वह जिम्मेदारी के साथ अपना काम करेगा । लेकिन वह ऊंचा अधिकारी अपने अधिकारों को डेलीगेट कर सकता है और उसके बाद नीचे के अधिकारी को उस के सारे अधिकार मिल जाते हैं । यदि नायब तहसीलदार को असिस्टेंट कलेक्टर के अधिकार मिल जायं तो मैं ऐसा मानता हूं कि वह अपने काम को उस जिम्मेदारी के साथ नहीं कर सकेगा जैसा कि असिस्टेंट कलेक्टर कर सकता था । वह योग्यता उसमें नहीं हो सकती । भूमिधरी की जो बहुत सी सनदें थीं उनमें नायब तहसीलदारों के दस्तखत थे और कोर्टों ने उनको अवैध घोषित किया है । मैं जानना चाहूंगा कि सरकार ने ऐसी गलती क्यों की ? उस वक्त तो सरकार को इतनी जल्द-बाजी थी कि किसी तरह से दस गुना मिल जाय । उस वक्त जिसने जमीन पर नाजायज भी कब्जा कर लिया वह दसगुना जमा करके उसका मालिक बन बैठा, उसको सनद मिल गयी और उसका नाम लिख दिया गया । नायब तहसीलदारों को तो रुपया वसूल करना था और दसगुना फंड बढ़ाना था । उस वक्त तो सरकार को रुपये की जरूरत थी, जमींदारी बांड्स में रुपया देने की जरूरत थी और रुपये की कमी पड़ रही थी इसलिये भूमिधरी की सनदों को उनके द्वारा ही वैलिड किया गया और अब उस गलती को सरकार महसूस कर रही है ।

मैं सरकार पर आरोप लगाता हूं कि यह उसकी इनएफीशियेन्सी है । यह उसकी दूर-दर्शिता नहीं है और इस गलती के कारण ही हाई कोर्ट द्वारा सुझाये जाने पर वह जो संशोधन लाती है उसमें जनता का धन व्यय होता है । इस तरह से बार-बार गलती करना और उसके बाद संशोधन विधेयक लेकर यहां आना, यह कहना कि निम्नलिखित शब्द बढ़ा दिये जायं और सदैव से ही बढ़ाये गये समझे जायं, यह उपहासास्पद है और इस आधार पर मैं इसका विरोध करता हूं ।

*श्री रामस्वरूप यादव—मान्यवर, माननीय अवस्थी जी ने यह कहा है कि ऐसी गलती क्यों की ? श्रीमन्, उस वक्त जो धारा २२४ थी वह इस प्रकार थी—

"The State Government may confer on any Tahsildar all or any of the powers of any Assistant Collector of the first or second class, and on any Naib-Tahsildar all or any of the powers of a Tahsildar".

तो माननीय अवस्थी जी ने जो कुछ कहा है, उससे ऐसा लगता है उनके इन्टरप्रिटेशन में कुछ भ्रम है । उसमें यह था कि तहसीलदार या नायब तहसीलदार को अधिकार दिये जा सकते थे । उस वक्त यह सोचा गया था कि यह अधिकार है हमको उनको अधिकार देने का । यह मालूम नहीं था कि अवैध घोषित हो जायेगा । अब उन लाखों आदमियों के खिलाफ जो निर्णय हो चुके हैं, हम उनको एक परेशानी में डाल दें, इसे पास न करके, यह मेरी समझ में नहीं आता और जो संशोधन रखा है वह उचित है ।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि चूंकि समय कम है इसलिये आप पढ़ें न और जो कुछ कहना हो वो कहें ।

खण्ड ४

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ३७, १९५८ की धारा ८४ का संशोधन ।

४—उत्तर प्रदेश भूमि व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम, १९५८ को वर्तमान धारा ८४ की संख्या बदलकर ८४(१) कर दी जाय और तत्पश्चात् निम्नलिखित उपधारा (२) के रूप में बढ़ा दिया जाय :—

"(२) उक्त अनुसूची की क्रम संख्या ६ पर उल्लिखित संशोधन १ जनवरी, १९५३ से प्रचलित हुआ समझा जायगा ।"

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—श्रीमन्, इसमें यह है कि उत्तर प्रदेश भूमि व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम १९५८ की वर्तमान धारा ८४ की संख्या बदल कर ८४ (१) कर दी जाय और तत्पश्चात् निम्नलिखित उपधारा (२) के रुप में बढ़ा दिया जाय—

"(२) उक्त अनुसूची की क्रम संख्या ६ पर उल्लिखित संशोधन १ जनवरी, १९५३ से प्रचलित हुआ समझा जायगा ।"

माननीय मंत्री जी का कहना यह है कि हम यह जो कुछ कर रहे हैं वह सब पहले से ही पास शुदा है । वे यह चाहते हैं कि इस पर कोई विवाद न हो । वे यह चाहते हैं कि जो धारा ६ है उसको सन् १९५३ से स्वीकृत समझा जाय । यानी ८ साल पहले से यह मंजूर समझा जाय । वही बात है कि 'जबरदस्त के सर पर ठेंगा । मैं तो ८४ ए० के सम्पूर्ण रूप से विरोध में था, किन्तु अब जो संशोधन है उसी का मैं विरोध करता हूं ।

श्री रामस्वरूप यादव—श्रीमन्, इसमें यह दिया हुआ है कि यह सन् १९५८ में संशोधित हो चुका है जिसके जरिये अधिकार तहसीलदार को फर्स्टक्लास के दिये गये हैं । लेकिन बहुत से मुकदमें असिस्टेंट कलेक्टर की हैसियत से सन् ५८ से पहिले हो गये थे । अगर इसको छोड़ दिया जाता है तो वे मुकदमें किसी भी समय अवैध घोषित हो सकते हैं । तो यह संशोधन तो इसलिये किया जा रहा है कि लोग आफत में न पड़ें । लिहाजा यह जो धारा रखी गयी है यह उचित है और मैं माननीय मोतीलाल अवस्थी जी की बात से सहमत नहीं हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड ५ तथा सूची

यू० पी० ऐक्ट संख्या ३, १९०१ का उन क्षेत्रों में प्रवृत्ति के सम्बन्ध में संशोधन, जहां १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० १ प्रचलित है ।

५—मूल अधिनियम, जैसा कि वह उन क्षेत्रों में प्रवृत्त है जहां १९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम प्रचलित है, उक्त क्षेत्रों में प्रवृत्ति के संबंध में इस प्रकार संशोधित किया जायगा जैसा कि संलग्न अनुसूची में दिया गया है । १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० १

अनुसूची

(धारा ५ देखिये)

ऐक्ट की धारा	संशोधन
३५	वर्तमान धारा ३५ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"(1) On receiving a report of succession under section 34, or on facts otherwise coming to his knowledge, the Tahsildar shall make such inquiry as appears necessary and if, in an undisputed case, succession appears to have taken place, direct the annual registers to be amended accordingly.

*क्ताव ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

If the succession is disputed he shall dispose it off after deciding the dispute in accordance with the provisions of section 40.

(2) On receiving a report of transfer under section 34, or on facts otherwise coming to his knowledge, the Tahsildar shall make such inquiry as appears necessary and then refer the case to the Collector who shall, after making such further inquiry as may be necessary, dispose it off."

३९ वर्तमान धारा ३९ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

"(1) An application for correction of any error or omission in the annual register shall be made to the Tahsildar.

(2) On receiving an appilcation under sub-section (1) or any error or omission in the annual register coming to his knowledge otherwise, the Tahsildar shall make such inquiry as appears necessary and then refer the case to the Collector, who shall dispose it off, after deciding the dispute in accordance with the provisions of section 40.

(3) The provisions of sub-sections (1) and (2) shall prevail, notwithstanding anything contained in the U. P. Panchayat Raj Act, 1947."

४० धारा ४० की उपधारा (३) निकाल दी जाय और तत्पश्चात् निम्न लिखित नई धारा ४०-ए के रूप में बढ़ा दिया जाय--

"40-A. No order passed under section 33, 35, 39 or 40 shall debar any person from establishing his right to the property in any civil or revenue court having jurisdiction".

२१० धारा २१० में निम्नलिखित नयी उपधारा (६) के रूप में बढ़ा दिया जाय--

"(6) No appeal shall lie against an order passed under section 33, 35, 39 or 40".

२१४ वर्तमान धारा २१४ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

"No appeal shall be brought after the expiration of 30 days from the date of the order complained of, unless otherwise expressly provided in this Act".

*श्री मोतीलाल अवस्थी--श्रीमन्, खंड ५ में मेरे संशोधन इस प्रकार हैं--

खंड ५ में संलग्न अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन कर दिये जायं :--

(अ) मूल अधिनियम की धारा ३५ (१) की पंक्ति वे दो में शब्द "coming" और शब्द "to" के बीच शब्द "or being brought" रख दिया जाय।

(ब) मूल अधिनियम की धारा ३५ (२) की पहली तथा दूसरी पंक्ति में शब्द "coming" और शब्द "to" के बीच शब्द "or being brought" रख दिया जावे तथा पंक्ति दो के शब्द "the Tahsildar" से लेकर शब्द "refer the case to" तक का अंश निकाल दिया जाय और अंतिम पंक्ति के शब्द "further" को भी निकाल दिया जाय और शब्द "Collector" के बाद शब्द "who" भी निकाल दिया जाय।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

(स) मूल अधिनियम की धारा ३९ की उपधारा (१) को निकाल दिया जाय तथा उपधारा (२) की पहली पंक्ति के शब्द "under sub-section(1)" निकाल दिया जाय ।

(द) मूल अधिनियम की धारा २१० व २१४ में प्रस्तावित संशोधन निकाल दिये जांय ।

यह जो खंड ५ है, श्रीमन, वह सचमुच एक लम्बा सा खंड है, क्योंकि इसी के अन्तर्गत कई धाराओं, यू० पी० लैंड लेवेंन्यू ऐक्ट की, में संशोधन किया गया—दफा ३५, ३९, ४०, २१० और २१४—यानी पांच धाराओं का संशोधन एक ही अनुसूची में शरीक है । दफा ३३ में यह दिया हुआ है कि—

"The Collector shall maintain the record of rights, and for that purpose shall annually, or at such longer intervals as the State Government may prescribe, cause to be prepared...."

श्री प्रतापसिंह—हिन्दी में पढ़िये ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—मैं हिन्दी में तजुर्मा कर सकता हूं । क्या करूं, यह अंग्रेजी में ही है—

"No such change or transaction shall be recorded without the order of the Tahsildar or the Panchayati Adalat as constituted under section 42 of the U. P. Panchayat Raj Act, 1947".

अब उसमें तीसरा जो भाग था जिसको सरकार ने दुरुस्त कर दिया अपने मन से, अपने मनमुआफिक वह यह था कि—

"If the succession is disputed the Panchayati Adalat shall refer the case to the Tahsildar, who shall dispose it off after deciding the dispute in accordance with the provisions of section 40.

(2) The Panchayati Adalat shall make inquiries in the prescribed manner in all cases of transfer and shall submit them with its report to the Tahsildar.

(3) The Tahsildar shall, if the case is not disputed before him...."

तो पिछला हिस्सा जो सारे जहर के अन्दर अमृत था, उसको खत्म कर दिया और यह कह दिया कि जितने चेंजेज ट्रांजेक्शन के होंगे वह कलेक्टर करेगा, तहसीलदार करेगा और पंचायत अदालत करेगी, तो पंचायत अदालत को खत्म कर दिया । उसकी जगह कानूनगो आ गया । अब कलक्टर को यह अधिकार दे दिया गया कि जितने ऐनुअल रजिस्टर में प्यूट पैदा हो जायं तो पजेशन के आधार पर होंगे—

"All disputes regarding entries in the annual register shall be decided on the basis of possession".

गौरीशंकर राय—ये तो अंग्रेजी में पढ़े चले जा रहे हैं ?

श्री मोतीलाल अवस्थी—अगर वह कहेंगे तो मैं तर्जुमा कर दूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष—अगर कोई हिन्दी ही जानने वाला एतराज करता तो ठीक था । अवस्थी जी, आप तर्जुमा न कीजिये । आप इन लोगों की क्लास लिया कीजिये विधान सभा के बाहर ।

(हंसी)

श्री मोतीलाल अवस्थी—अगर चाहें तो सबको हिन्दी पढ़ाऊं और राजस्व मंत्री जी को भी ।

श्री हुकुमसिंह विसेन—हमको बख्शे रहिये, चाहे जिसको पढ़ाइये ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—तो यहां पर केवल दो डिसप्यूट होंगे । उनके बारे में यह कहा गया है कि कलेक्टर जब देख ले कि वह किसी नतीजे पर नहीं पहुंच रहा है कि किसका कब्जा है तो समरी इंक्वायरी करेगा और फैसला करेगा । लेकिन इस सेक्शन के अन्तर्गत किसी आदमी को यह मजबूरी नहीं होगी कि वह सिविल रेवेन्यू कोर्ट में अपने इस्तकरार का दावा न कर सके, ऐसा दफा ४० में कहा गया । लेकिन बीच में जो यह बताया गया कि किस तरह से तहसीलदार के पास भी यह रिपोर्ट आया करें— आप देखें कि धारा ३३ में रेकार्ड कायम करने की बात है, और दफा ३४ में कहा गया है :

"Every person obtaining possession of any land in a village—

(*a*) by succession and such succession has not been recorded in the annual register under section 33-A."

जिस आदमी को किसी जमीन पर कब्जा मिला हो और वह ३३—ए के अन्तर्गत न लिखा गया हो यानी कानूनगो ने उनमानी कर दी हो रिश्वत वगैरह के कारण तो वह अपने उत्तराधिकार के लिये तहसीलदार को रिपार्ट करेगा । अब यह रिपोर्ट जो होगी उसके लिये आगे कहा गया है :

"The report under sub-section (i) shall be made—

(*a*) in the case of a transfer other than a lease, immediately after such transfer has taken place ;

(*b*) in the case of succession, immediately after the person so succeeding learns that the Kanungo has not recorded the succession under section 33-A ; and

(*c*) in the case of lease, immediately after the lessee has obtained the possession thereunder".

यानी अगर कानूनगो इस तरह से न करे तो तहसीलदार करेगा सक्सेशन के बारे में । और ट्रान्सफर के बारे में भी न हो सके तो वह भी किया जायगा ।

अब आप देखेंगे कि ३४ में जो बातें मिलीं उनको बढ़ाते हुये ३५ में सरकार हेरफेर करने जा रही है । उसी में मेरे कुछ संशोधन हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं । इसमें है :

"On receiving a report of succession under section 34 or on facts otherwise coming to his knowledge".

इसका मैं स्वागत करता हूं । इससे सुविधा होगी । तहसीलदार अपने इनीशिएटिव पर भी उसको कर सकेगा ।

अब मेरा जो संशोधन है वह सोने में सुहागा मिलाता है । मेरा संशोधन है कि इसमें "or being brought" और बढ़ा दिया जाय । इसका मतलब है कि उसको इत्तला मिले या इत्तला दी जाय । मान लीजिये तहसीलदार दौरे पर गये तो अगर कोई आदमी चाहे तो उनकी नोटिस में अपनी बात ले आये ।

अब ३५ (२) में भी ट्रान्सफर के बारे में लिखा है "facts otherwise coming to his knowledge" इसमें भी मैंने ध्यान में लाने की बात लिखी है । इसमें जो मेरी मंशा है वही सरकार की मंशा है । लेकिन इसके आगे जो और इसमें दिया हुआ है कि तहसीलदार इंक्वायरी करेगा, इस डुप्लीकेशन को मैं नहीं चाहता क्योंकि यह इंक्वायरी कानूनगो,

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

नायब तहसीलदार या लेखपाल के जरियें ही होगी। और कलेक्टर के पास जो फर्दर इंक्वायरी की बात है उसके लिये भी मैं नहीं समझता कि उनके पास कौन सा मुहकमा है जिसे वह इंक्वायरी करायेंगे। इन्हीं लोगों से वह होगी जिसमें डुप्लीकेशन होगा और जहां दो महीने में होता वहां ६ महीने लग जायेंगे। अतएव मैं इसको पसंद नहीं करता। इसको हम क्यों पसंद करते? इसलिये मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि वह इस संशोधन को गंभीरता पूर्वक समझ कर मान ले और मान लेने में अपना छुटपन न समझे, बढ़प्पन समझे।

इसके अलावा मैंने यह भी संशोधन रखा है कि मूल अधिनियम की धारा ३९-ए निकाल दी जाय। एरर और ओमीशन के बारे में कोई दुरुस्ती या शुद्धि कराना हो तो तहसीलदार के यहां दरख्वास्त करे। उस दरख्वास्त की बिना पर या गलती को स्वतः बताये जाने पर, जैसी भी आवश्यकता हो कलेक्टर के पास भेज देगा, जो धारा ४४ के अनुसार कार्यवाही करेगा। अब इस धारा ४४ में समरी जांच करने का अधिकार दिया गया और कहा गया कि तब यह सिविल कोर्ट में जा सकता है। पहले समरीली कोई बात करे और फिर कहा जाय कि कोर्ट में जाओ। इससे मुकदमेबाजी बढ़ेगी या घटेगी? अब तहसीलदार के पास जाने की क्या आवश्यकता है जब कि कलेक्टर के द्वारा ही अन्तिम रूप से होना है। सीधे उसी के पास क्यों न जाया जाय। लेकिन सरकार तहसीलदार को रखना चाहती है। सरकार कहती है कि तहसीलदारी सीगे के लोग बड़े ईमानदार हैं। लेकिन जितना ही वे तारीफ करने पर आमादा होते हैं उतना ही मैं अलोचना करने पर आमादा होता हूं। तहसीलदारी महकमा जैसा भ्रष्ट महकमा आजकल न पुलिस है और न नहर विभाग। यह मेरी निजी नालेज है। आज इस महकमे में अंधेर मचा हुआ है। इसलिये मेरा यह संशोधन स्वीकार किया जाय कि करेक्शन और ओमीशन की दरख्वास्तें सीधे कलेक्टर के पास दी जायं।

अब मेरे विचार से मूल अधिनियम की धारा ३९ के स्थान पर इस प्रकार से रख दिया जाय---

"(3) The provisions of sub-sections (1) and (2) shall prevail, notwithstanding anything contained in the U. P. Panchayat Raj Act, 1947."

अब आप ही देखिये कि इसमें पहले क्या था। लेकिन अब तो आप इसके द्वारा पंचायत राज की जड़ ही मिटा देना चाहते हैं। धारा ३९ में यह दिया हुआ है--

"Notwithstanding anything contained in the U. P. Panchayat Raj Act, 1947, the Collector may on his own motion and shall on the application of any person correct any error or omission in the annual register".

इसमें यह है कि पंचायत राज ऐक्ट में बहुत सी बातों के होने के बावजूद भी कलेक्टर अपने ही मोशन पर, किसी आदमी की दरख्वास्त पर कोई दुरुस्ती कर देगा। अब अगर पंचायत राज ऐक्ट में कोई बात है भी तो भी वह दुरुस्ती कर सकता है। लेकिन अब पंचायत राज ऐक्ट में कोई अधिकार नहीं रखा गया है। हम यह चाहते हैं कि जो अधिकार पंचायत राज ऐक्ट में दुरुस्ती के बारे में, सक्सेशन के बारे में या करेक्शन के बारे में, अबतक थे वे कायम रहने चाहिये और उसके खिलाफ जो धारायें बढ़ाई गयीं हैं उनको रखना अनावश्यक है।

आखिर में २१० और २१४ को संशोधित करने के लिये मैंने संशोधन उपस्थित किया है। ४० में सरकार ने यह बताया है धारा ३३,३५,३९ और ४० में गुंजाइश रखी जायगी और कोई भी आदमी सिविल सूट कर सकता है और रेवेन्यू कोर्ट में जा सकता है। उसको ऐसा करने की मनाही नहीं होगी। मैंने कई दफा बतलाया है कि इन सभी धाराओं में तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानूनगो तथा और अधिकारियों को नये अधिकार बढ़ा कर जो कि अब तक पहले नहीं थे, इतने अधिकार बढ़ाने के बाद भी अगर सब मामले में चारा-जोई करके के लिये कोई सिविल कोर्ट में जायं तो मैं जरूर कहूंगा कि इससे मुकदमेबाजी

बढ़ेगी। यद्यपि सिद्धान्तः मुझे कोई विरोध नहीं है और मैंने कोई संशोधन उसके लिये पेश नहीं किया है लेकिन आगे चलकर २१० में जो यह बढ़ाया जाता है।

"No appeal shall lie against an order passed under section 33, 35, 39 or 40".

तो ऐक्ट के अन्दर साफ लिखा है:--

"Appeals shall lie under this Act as follows:

(*a*) to the Record Officer from orders passed by any Assistant Record Officer ;

(*b*) (i) to the Commissioner from orders passed by a Collector or any Assistant Collector first class or Assistant Collector incharge of sub-division ;

(i) to the Collector from orders passed by an Assistant Collector second class or Tahsildar".

तो ये तीनों काम जो हैं नकारात्मक रूप में हमारे सामने आते हैं।

इसका मतलब यह है कि तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानूनगो को बिलकुल सुरक्षित बैठाया गया है और इनके द्वारा किये हुए कामों की अपील नहीं होगी। इस पर मुझे एतराज है कि ऐसा क्यों, इनको बचाने की कोशिश क्यों की जाती है ? अगर अपील का प्रोविजन इस ऐक्ट के अन्दर मौजूद है तो अपील की बात को खतम करके नयी बात क्यों कर रहे हैं। और शिगे तो नहीं बचे रहेंगे लेकिन आप इस शिगे को बचाने के लिये अपील का दरवाजा बन्द कर रहे हैं जब कि बाकी के लिये अपील का दरवाजा खुला रहेगा। धारा २१४ में टाइम आफ लिमिटेशन की बात है। तो मैं अधिक न कहते हुए संक्षेप में सदन से यही प्रार्थना करता हूं कि वह मेरे संशोधन का समर्थन करे।

(इस समय ४ बजकर २५ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

श्री रामस्वरूप यादव--अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मोतीलाल अवस्थी के संशोधन का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, श्री मोतीलाल अवस्थी ने जो पहला संशोधन दिया है। उसमें यह लिखा है (अ) मूल अधिनियम की धारा ३५ (१) की पंक्ति दो में शब्द "coming" के बाद "or being brought" रख दिया जाय। इससे भाषा की स्थिति यह हो जायगी।

"otherwise coming or being brought to his knowledge"

तो यह कौन सा ग्रामर है, मेरी समझ में तो आया नहीं, वैसे माननीय अवस्थी जी मान्य और योग्य अध्यापक हैं, लेकिन कानून के कुछ चक्कर में उन्होंने यह ख्याल नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--ऐसी बात तो नहीं है। उन्होंने अपने संशोधन में रखा है कि "coming" और शब्द " to " के बीच शब्द "or being brought" रख दिया जाय।

इस तरह से इसकी भाषा इस तरह से हो जायगी--

"otherwise coming or being brought to his knowledge." अगर कोई गलती है तो वह "who" की है जो उन्होंने बाद में कायम रखा है, वह रिडन्डेन्ट है।

श्री रामस्वरूप यादव--मेरे पास कल वाला था, उसमें " or " नहीं था यह "coming" वाला ही इतना काफी है जो हर चीज को कवर करता है। "coming" का मतलब है कि "On receiving such reports or from the facts" और आगे उसमें है कि या किसी तरह से वह उनकी नालेज में आ जाय। इसका मतलब है कि अगर कोई दरख्वास्त दे....

श्री अध्यक्ष—"coming" ज्यादा व्यापक है।

श्री रामस्वरूप यादव—इसलिये मैं इसको अनावश्यक समझता हूं और मैं इसको स्वीकार करने में असमर्थ हूं।

इसी तरह से जो संशोधन उन्होंने ३५ (२) में दिया है उसमें भी इतना ही है कि "on receiving such report or from the facts otherwise coming to his knowledge" में सब आ जाता है वह बहुत व्यापक है इसलिये यह दूसरा भी मुझे स्वीकार नहीं है।

तीसरा जो (स) है वह भी संशोधन मेरी समझ में नहीं आया। अगर इस को माना जाय तो स्थिति यह होगी कि सारा मतलब ही खत्म हो जायगा। जबतक यह अधिकार न दें कि दुरुस्ती कागजात की दरख्वास्त किस को दी जाय तो इस संशोधन का मन्शा ही खत्म हो जायगा। मैंने पहले भी निवेदन किया था दुरुस्ती कागजात के अधिकार इसीलिये तहसील में दिये जा रहे हैं कि हाकिम परगना को लोग दरख्वास्त दें और वह फिर सारा बंडल तहसील में भेजें और फिर वह सारी कायवाही करें और फिर सारे कागजात का बंडल हाकिम परगना को भेजें। इस तरह की असुविधा दूर करने और समय की बचत के लिये यह किया गया है। इसलिये इससे और दिक्कत बढ़ेगी और यह संशोधन भी मुझे अस्वीकार है।

यह चौथा संशोधन मूल अधिनियम की धारा २१० और २१४ को निकालने के बारे में है। इस विषय में जिस वक्त इस पर बहस हो रही थी मैंने निवेदन किया था कि यह डुप्लीकेशन बचाने के लिये किया जा रहा है। पहले काश्तकारों को दाखिल खारिज का मुकदमा या करेक्शन का मुकदमा लड़ना पड़ता था और उसके फैसले के बाद वह बोर्ड तक लड़े वह अमान्य हो जाता है और इस तकरार हक का दावा कर देता है और बाद में फिर लड़े। ऐसा था। अब जमींदारी खत्म हो चुकी है। अब तो भूमिधरी और सीरदारी के ही केसेज हैं वह अदालत में ही इस तकरार हक का दावा कर सकते हैं। वहां पर सब अधिकार मौजूद हैं। जब एक जगह ही सब काम हो सकता है तो काश्तकारों को दो तरह से क्यों लड़ाया जाय और बिला वजह मुकदमेबाजी में डाला जाय। इसी चीज को खत्म करने के लिये ऐसा किया गया है। लेकिन अगर फिर भी किसी को शौक है या कहीं अन्याय हुआ है तो वह रिवीजन बोर्ड में दायर कर सकता है। इसलिये इस बिल में इस धारा का रहना आवश्यक है।

अब २१४ के बारे में भी वह कहते हैं कि इस को निकाल दिया जाय। आप ने २१४ पढ़ा, २१० में अपील दायर कर सकते हैं। २१० में है कि:—

"Appeals shall lie under this Act as follows :

(*a*) to the Record Officer from orders passed by any Assistant Record Officer".

अपील तो प्रोवाइड की गई है लेकिन उसका लिमिटेशन जरूरी था और इसी वजह से इसको जोड़ा गया है कि कलेक्टर को अपील लाई करना चाहिये। जब अपील है तो लिमिटेशन भी होना चाहिये। इसलिये यह जरूरी है और मैं इन संशोधनों का विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष—माननीय मोतीलाल अवस्थी। आप ५ मिनट में ही कह लें।

***श्री मोतीलाल अवस्थी**—जी हां। मुझे दो बातें कहनी है। एक तो यह है कि जहां केवल मात्र शाब्दिक परिवर्तन थे और कहीं भी जो सरकार की भावना थी उसमें घटती-बढ़ती नहीं होती थी, बल्कि आपने भी सुझाव दिया, और उसका स्कोप बढ़ रहा था, और सरकार ने ऐसे-ऐसे कानून बनाये हैं स्कोप बढ़ाने वाले, सेल्स टैक्स ऐक्ट वगैरह, कि अनलिमिटेड स्कोप बढ़ा दिया है, वहां तो सरकार ने कहीं-कहीं अनवील्डी भी बना दिया, लेकिन यहां जो मैंने कहा तो नहीं माना।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अगर मैं क्लास में बच्चों को समझाता तो समझ जाते, लेकिन यह समझ भी गये तब भी इंकार करते हैं तो क्या करूं ? अध्यापक सिर पटक दे कहीं पर ! और बातों को क्या कहूं ? मैंने मूलभूत बात यह कही कि दफा ३३,३५, ३९, ४० जिनका कि सरकार अपील का हक ले रही है । इस्तकरार दावे की बात कह कर, ये दफायें ऐसी हैं जिनकी वजह से उन अधिकारियों को अधिकार मिलता है जिनसे हमको भय है---नायब तहसीलदार, तहसीलदार और कानूनगो ।

आप कहते हैं कि पैसा बचता है, लेकिन हम कहते हैं कि ऐसे पैसे पर लानत जिसकी वजह से तहसीलदार और कानूनगो की मनमानी चले और दूध का दूध पानी का पानी न हो सके । इसलिये मैं कह रहा हूं लेकिन मंत्री जी के समझ में नहीं आता । जब सुनने को कान न हों और विचार करने को बुद्धि न हो तो क्या किया जाय ? ठाकुर साहब हंस रहे हैं । वह इसलिये हंस रहे हैं कि जगह पर मजबूत बैठे हैं, कोई हिला नहीं सकता । उनका स्थान मजबूत है । इसलिये मैं अधिक न कह कर सरकार से प्रार्थना करूंगा कि सोचे और मेरी बात को मान ले ।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि "खंड ५ में संलग्न अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन कर दिये जांय ---

(अ) मूल अधिनियम की धारा ३५ (१) की पंक्ति दो में शब्द "coming" और शब्द "to" के बीच शब्द "or being brought" रख दिया जाय ।

(ब) मूल अधिनियम की धारा ३५(२) की पहली तथा दूसरी पंक्ति में शब्द "coming" और शब्द "to" के बीच शब्द "or being brought" रख दिया जावे तथा पंक्ति दो के शब्द "the Tahsildar" से लेकर शब्द "refer the case to" तक का अंश निकाल दिया जाय और अन्तिम पंक्ति के शब्द "further" को भी निकाल दिया जाय और शब्द "Collector" के बाद शब्द "who" भी निकाल दिया जाय ।

(स) मूल अधिनियम की धारा ३९ की उपधारा (१) को निकाल दिया जाय तथा उपधारा (२) की पहली पंक्ति के शब्द "under sub-section (1)" निकाल दिया जाय ।

(द) मूल अधिनियम की धारा २१० व २१४ में प्रस्तावित संशोधन निकाल दिये जांय ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ५ और संलग्न अनुसूची इस विधेयक के अंग माने जांय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड ६

कतिपय कार्यों का वैधीकरण

६---(१) तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि में कोई बात होने पर भी, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व असिस्टेंट कलेक्टर द्वारा, जो परगने का प्रभारी (Incharge of the sub-division) न हो, या तहसीलदार अथवा नायब-तहसीलदार द्वारा, उन क्षेत्रों में, जहां १९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम प्रचलित है, मूल अधिनियम के अधीन, या तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि के अधीन की गई या की गई भावित होने वाली कोई बात और किया गया किया गया भावित होने वाला कोई कार्य (जिसके अन्तर्गत कोई दिया गया आदेश, की गई कार्यवाही, प्रचारित

निदेश, प्रयुक्त क्षेत्राधिकार तथा दिया गया निर्णय भी है) ठीक और वैध होगा, तथा सदैव से ही ठीक और वैध समझा जायगा मानो सभी महत्वपूर्ण दिनांकों पर—

(१) ऐसा असिस्टेंट कलेक्टर यथाविधि नियुक्त उस परगने का प्रभारी असिस्टेन्ट कलेक्टर था,

(२) ऐसा तहसीलदार यथा विधि नियुक्ति प्रथम श्रेणी का असिस्टेंट कलेक्टर था, और

(३) ऐसा नायब तहसीलदार यथाविधि नियुक्त द्वितीय श्रेणी का असिस्टेन्ट कलेक्टर था ।

(२) उपधारा (१) उस मामले में प्रवृत्त न होगी जिसमें असिस्टेन्ट कलेक्टर या तहसीलदार अथवा नायब तहसीलदार द्वारा की गई कोई बात या किया गया कोई कार्य सक्षम न्यायालय द्वारा निम्नलिखित किसी कारण से अन्तिम रूप से अवैध ठहराया गया हो :—

(१) ऐसा असिस्टेन्ट कलेक्टर यथा विधि नियुक्त परगने का प्रभारी असिस्टेन्ट कलेक्टर नहीं था, या

(२) ऐसा तहसीलदार यथाविधि नियुक्त प्रथम श्रेणी का असिस्टेंट कलेक्टर नहीं था, या

(३) ऐसा नायब तहसीलदार यथाविधि नियुक्त द्वितीय श्रेणी का असिस्टेंट कलेक्टर नहीं था ।

श्री अध्यक्ष—(श्री मोतीलाल अवस्थी जी से), आप खाली पेश कर दें ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ६ के उपखंड (१) को निकाल दिया जाय । यह कतिपय कार्यों के वैधीकरण के लिये है और इस वैधीकरण कार्य से सरकार बेजा फायदा उठाना चाहती है इसलिये हम इस सिद्धांत का विरोध करते हैं ।

श्री रामस्वरूप यादव—श्रीमन्, इस धारा का रहना बहुत आवश्यक है । मैंने इसके बारे में पहले ही निवेदन कर दिया है ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ६ का उपखंड (१) निकाल दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ६ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

शीर्षक, प्रस्तावना तथा खंड १

उत्तर प्रदेश भूमि-विधि संशोधन विधेयक, १९६०

यू० पी० ऐक्ट संख्या ३, १९०१
उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ३७, १९५८

कुछ प्रयोजनों के लिये यू० पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ तथा उत्तर प्रदेश भूमि व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम, १९५८ को संशोधित करने और असिस्टेंट कलेक्टरों, तहसीलदारों तथा नायब तहसीलदारों के कतिपय कार्यों के वैधीकरण की व्यवस्था करने के लिये

विधेयक

आगे प्रकट होने वाले प्रयोजनों के निमित्त यू० पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ तथा उत्तर प्रदेश भूमि व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम, १९५८ को संशोधित करना और असिस्टेन्ट कलेक्टरों, तहसीलदारों तथा नायब तहसीलदारों के कतिपय कार्यों के वैधीकरण की व्यवस्था करना इष्टकर है :

यू० पी० ऐक्ट संख्या ३,१९०१ उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ३७,१९५८

अतएव भारतीय गणतंत्र के ग्यारहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश भूमि–विधि संशोधन अधिनियम, १९६० कहलायेगा ।

संक्षिप्त शीर्षनाम तथा प्रसार

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री रामस्वरूप यादव—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश भूमि विधि संशोधन विधेयक १९६० (The Uttar Pradesh Land Laws Amendment Bill, 1960.) जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय ।

श्री मोती लाल अवस्थी—श्रीमन्, मैं इसका विरोध इसलिये कर रहा हूं कि जो कानून हमारे सामने आज आया है यह सचमुच पिछले १९५८ के भूमि सुधार कानून का ही पीछे आने वाला भाग है । हम सब १९५८ के भूमि सुधार कानून के पास होने में अनुपस्थित थे और उसका कारण आप जानते हैं कि हम लोगों के साथ बहुत कुछ अन्याय इस सदन में हुआ और अनुचित तौर से इस सदन से निकाले गये थे और उसका विरोध स्वयं हमने ही नहीं किया वरन् सारे विरोधी पक्ष ने किया था और उसी समय यह कानून १९५८ का पास किया गया था । उस पृष्ठभूमि में यह सन् ६० का कानून आया है जो पिछले पाये हुये अनाधिकारों पर आश्रित है । इसलिये मैं इसकी बुनियाद को स्वीकार करते हुये इसका विरोध करता हूं ।

श्री उग्रसेन—मैं इस अवसर पर इस विधेयक का विरोध करता हूं । इस सम्बन्ध में मैं एक दो बातें कहूंगा । सरकार ने जो प्रथम इकाई का अधिकार छीन कर अपने विभागीय अधिकारियों को दे दिया है और कानूनगो रख दिया है उसका मैं तीव्र विरोध करता हूं । सरकार सत्ता के विकेन्द्रीकरण की बात भूल जाती है और जो जनता से सम्पर्क रखने की बात है उस पर सरकारी अधिकारी को बैठा देती है । इससे जनता को न्याय नहीं मिल सकता है । इसलिये मेरी सरकार से मांग है कि सरकार इसे वापस ले और एक ठोस विधेयक लाये जिसमें किसानों के खेतों पर इन्दराजात कौन करे, किस आधार पर किये जायं इस सब की समुचित रीति से व्यवस्था हो ताकि हमेशा के लिये यह मुसीबत साढ़े ३ करोड़ किसानों की दूर हो जाय तभी सोशलिस्ट पार्टी उसका समर्थन कर सकेगी इन शब्दों के साथ मैं इसका विरोध करता हूं ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश भूमि-विधि संशोधन विधेयक, १९६० (The Uttar Pradesh Land Laws Amendment Bill, 1960), जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(इसके बाद सदन ४ बजकर ५८ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ,
९ मार्च, १९६१।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न १२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७२५ पर)

प्रश्न संख्या १२ (ग) का उत्तर

(अ) करघा खरीदने के लिये ऋण २,५०० रु० प्रति करघा की दर से।

(ब) शेयर कैपिटल के लिये ऋण ८७ १/२% प्रति १०० रु० के शेयर के हिसाब से।

(स) वर्किंग कैपिटल के लिये ऋण १,००० रु० प्रति करघा की दर से।

विधान सभा सचिवालय, उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७४३ पर)

सूची

क्रम-संख्या	कारखाने का नाम		श्रेणी
१	एन० ई० रेलवे कैरेज एण्ड वैगन वर्कशाप, गोरखपुर	..	१
२	एन० ई० रेलवे लोकोमोटिव वर्कशाप, चारबाग, लखनऊ	..	१
३	सेन्ट्रल रेलवे कैरेज एन्ड वैगन वर्कशाप, झांसी	..	१
४	एन० आर० एन्ड वैगन वर्कशाप, आलमबाग, लखनऊ	..	१
५	एन० ई० रेलवे कैरेज एन्ड वैगन वर्कशाप, इज्जतनगर, बरेली	..	२
६	एन० ई० रेलवे इन्जी० प्लांट डिपो, मुगलसराय, वाराणसी	..	३

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७४५ पर)

सूची "क"

वेतन—

वेतन निर्धारण के सम्बन्ध में टेक्सटाइल वेज बोर्ड ने देश की सभी सूती मिलों को दो श्रेणियों में विभाजित किया है। इस राज्य में पहली श्रेणी में केवल मोदीनगर की सूती मिल आती है। कानपुर की समस्त मीलें तथा अन्य स्थानों पर स्थित मिलें श्रेणी "दो" में आती हैं।

मोदीनगर की मिल के मजदूरों को ८ रु० प्रति मास की वतन वृद्धि मिली है तथा कानपुर व अन्य स्थानों पर स्थित सूती मिलों के मजदूरों को छः रुपया प्रति मास की वेतन वृद्धि प्राप्त हुई है।

कानपुर में स्थित सूती मिलों के क्लर्कों का अब तक कोई वेतन-क्रम निर्धारित नहीं था। उनका वेतन-क्रम अब वेज बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार निर्धारित कर दिया गया है। मोदीनगर तथा अन्य स्थानों पर स्थित मिलों के क्लर्कों तथा सेवायोजकों के मध्य इस सम्बन्ध में अन्तरिम समझौता हो गया है।

महंगाई भत्ता—

कानपुर का १९५९ के पहले ६ महीनों के निकाले गये औसत महंगाई भत्ते की धनराशि का तीन चौथाई भाग वेज बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार मजदूरों के मूल वेतन में समाविष्ट कर दिया गया है। शेष एक चौथाई भाग महंगाई भत्ते के रूप में दिया जाना जारी रहेगा। इसी प्रकार क्लर्कों के लिये वेतन-क्रम निर्धारित होने के कारण उपरोक्त महंगाई भत्ते की धनराशि को समाविष्ट न करके क्लर्कों को उसी अनुपात में स्पेशल हायर कास्ट एलाउन्स दिया गया है। जूनियर क्लर्कों को उक्त एलाउन्स तथा महंगाई भत्ता के अलावा निम्नलिखित भत्ता भी मिलता है:

रु०	
७–१/२	१०० रु० तक के मूल वेतन पर।
१५	१०१ रु० से २०० रु० तक के मूल वेतन पर।
२२–१/२	२०१ रु० से ३०० रु० तक के मूल वेतन पर।
२५	३०० रु० से अधिक के मूल वेतन पर।

अन्य स्थानों की मिलों में संयुक्त वेतन दिये जाने के कारण महंगाई भत्ते से सम्बन्धित सिफारिशें अभी लागू नहीं की गई हैं। यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८७ पृष्ठ ७४६ पर)

प्रश्न संख्या ८७ का विवरण

अधिकारी व कर्मचारी की श्रेणी	३१-८-१९६० को कर्मचारियों व अधिकारियों की संख्या	अनुसूचित जातियों की संख्या व प्रतिशत		पिछड़ी जातियों की संख्या व प्रतिशत		शैक्षिक योग्यता	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	सीधी नियुक्ति	विभागीय पदोन्नति
विकास क्षेत्र अधिकारी	५५२	४२	७.६	२२	४	किसी विश्व विद्यालय की डिग्री व उसके समकक्ष	हाई स्कूल व उसके समकक्ष
सहायक विकास क्षेत्र अधिकारी	२,६९४	८७	३.२	१५३	५.६	(१) सहायक विकास अधिकारी (कृषि)—बी० एस० सी० (कृषि) (२) सहायक विकास अधिकारी (सहकारी व पंचायत) —बी० ए० (३) सहायक विकास अधिकारी (समाज शिक्षा)— बी० ए०, एल० टी० व बी० ए०, बी० टी० । (४) सहायक विकास अधिकारी [समाज शिक्षा (महिला)]—इन्टर ।	हाई स्कूल

उत्तर प्रदेश विधान सभा

						(५) सहायक विकास अधिकारी (पशुपालन)—वेटरनरी ग्रेजुएट अथवा लाइवस्टाक सुपरवाइजर डिप्लोमा। (६) सहायक विकास अधिकारी (रूरल इंजीनियरिंग)—सिविल इन्जीनियरिंग का डिप्लोमा। (७) सहायक विकास अधिकारी (स्वास्थ्य) सेनेटरी निरीक्षक का डिप्लोमा।
ग्राम सेवक	५,२००	५३९	१०.२	७४५	१४.३	हाई स्कूल केवल भूतपूर्व फौजी सैनिक के लिये योग्यता घटा कर हिन्दुस्तानी मिडिल स्कूल अथवा इंडियन आदमी क्लास दो परीक्षा कर दी गई है।
विकास क्षेत्र कार्यालयों के लिपिक।	१,५८३	५९	३.८	१२४	८	हाई स्कूल

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिए पीछे पृष्ठ ७५१ पर)

उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय विधेयक, १९६१

उत्तर प्रदेश में कतिपय विश्वविद्यालयों से संबंधित विधि का संशोधन करने के लिये

विधेयक

उत्तर प्रदेश में कतिपय विश्वविद्यालयों पर प्रवृत्त होने वाली विधि का, इसके पश्चात् प्रतीत होने वाले प्रयोजनों के लिये, संशोधन करना इष्टकर है;

अतएव भारतीय गणतंत्र के बारहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त शीर्षनाम

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, १९६१ कहलायेगा ।

परिभाषायें

२—विषय या प्रसंग में किसी बात के प्रतिकूल न होने पर, इस अधिनियम में—

यू० पी० ऐक्ट संख्या ८, १९२६ यू० पी०ऐक्ट संख्या३, १९२१ उ०प्र० अधिनियम संख्या २०, १९५६ यू० पी० ऐक्ट, संख्या ५, १९२० उ० प्र० अधिनियम संख्या २८, १९५६

(क) "मूल अधिनियम" का तात्पर्य, यथास्थिति, आगरा यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२६ , इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२१, गोरखपुर विश्वविद्यालय अधिनियम , १९५६, लखनऊ यूनिवर्सिटी ऐक्ट , १९२० या वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, १९५६ से है;

(ख) "विश्वविद्यालय" का तात्पर्य, यथास्थिति, आगरा यूनिवर्सिटी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, गोरखपुर, विश्वविद्यालय, लखनऊ यूनिवर्सिटी या वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय से है; और

(ग) उन शब्दों तथा पदों के, जो यहां पर परिभाषित नहीं है, वही अर्थ होंगे जो उनके लिये विश्वविद्यालय से सम्बद्ध अधिनियम में दिये गये हैं ।

यू०पी० ऐक्ट ८, १९२६ का संशोधन

३—आगरा यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२६ में—

(१) धारा ४ के खन्ड (५) के प्रतिबन्धात्मक खन्ड में शब्द "eonsent of the" तथा शब्द "University concerned" के बीच में शब्द "Chancellor of the" रख दिये जायं ;

The Vice-Chancellor

(२) धारा ९ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"9. (1) The Vice-Chancellor shall be a whole-time officer of the University and shall be appointed by the Chancellor from amongst the persons whose names are submitted to him by the Committee constituted in accordance with the provisions of sub-section (4).

(2) The Vice-Chancellor shall, except as otherwise provided, hold office for a period of three years but may relinquish office by resignation in writing addressed to the Chancellor. The resignation shall ordinarily be delivered to the Chancellor sixty days prior to the date on which the Vice-Chancellor wishes to be relieved.

(3) Subject to the provisions of sub-section (2), the emoluments and other conditions of service of the Vice-Chancellor shall be such as are, or may be, prescribed by Statutes.

(4) (i) The Committee referred to in sub-section (1) shall consist of three persons, namely—

(*a*) one person, not being a person who is connected with the University, an Affiliated College, or a Hostel, to be elected by the Executive Council ;

(*b*) another person, who is or has been a Judge of the High Court of Judicature at Allahabad, to be nominated by the Chief Justice of that High Court ; and

(*c*) a third person, to be appointed by the Chancellor, who shall also be the Convener of the Committee.

(ii) The Committee shall, as far as may be, at least thirty days before the date on which a vacancy in the office of the Vice-Chancellor is due to occur by reason of expiry of term or resignation under sub-section (2), and also whenever so required by the Chancellor, submit to the Chancellor the names of three persons suitable to hold the office of Vice-Chancellor. The Committee shall, while submitting the names, also forward to the Chancellor a concise statement showing the academic qualifications and other distinctions of each of the said three persons, but shall not indicate any order of preference.

(5) Where a vacancy in the office of Vice-Chancellor occurs or is likely to occur by reason of leave, or any cause, other than resignation or expiry of term, the Registrar shall report the fact forthwith to the Chancellor, who shall—

(i) in case the vacancy is or is likely to last for a period exceeding six months, take steps for the appointment of the Vice-Chancellor in accordance with the provisions of sub-sections (1) and (4) ;

(ii) in case the vacancy is for a period of six months or less, appoint any suitable person to the office of Vice-Chancellor.

(6) Notwithstanding anything to the contrary contained in this section, the Chancellor may, in any case of emergency, of which the Chancellor shall be the sole judge, and in any case where the vacancy cannot be conveniently and expeditiously filled in accordance with the provisions of sub-sections (1) and (4), appoint any suitable person to the office of Vice-Chancellor ;

Provided that no appointment under this sub-section shall be made for a period of more than six months ;

Provided further that the appointment so made shall determine on appointment of the Vice-Chancellor in accordance with the provisions of sub-sections (1) and (4).

Explanation—A vacancy in the office of Vice-Chancellor caused under section 8 of the U. P. Universities Act, 1961, shall also be deemed to be an emergency for the purposes of this section.

(7) Where an appointment is made under sub-section (6), the Chancellor shall, as soon as may be, take steps for the appointment of a Vice-Chancellor in accordance with the provisions of sub-sections (1) and (4).

(8) Till such time as an appointment is made by the Chancellor under sub-section (5) or sub-section (6), the Registrar shall carry on the current duties of the Vice-Chancellor but he shall not preside at any meeting of the University authorities."

(३) धारा ९ के पश्चात् नई धारा ९–ए के रूप में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय:—

Removal of Vice-Chancellor

"9-A. Notwithstanding anything contained in section 9, the Chancellor may, at any time, remove a Vice-Chancellor on one or more of the following grounds :

(*a*) that he has become insane ;

(*b*) that he is an undischarged insolvent ; or

(*c*) that he has been convicted of any offence involving moral turpitude ;

and his term of office shall thereupon determine."

(४) धारा १७ में—

(१) उपधारा (१) की मद (ii) के पश्चात् नई मद (ii–ए) के रूप में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय :—

"(ii-*a*) The Director of Medical and Health Services, Uttar Pradesh," और

(२) उपधारा (१) का प्रतिबन्धात्मक खन्ड निकाल दिया जाय; और

(५) धारा ३० की उपधारा (१) के द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खन्ड के रूप में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय:—

"Provided further that a holder of the B. M. S. Diploma or the G. H. M. S. Degree of the State Board of Homeopathic Medicine, Uttar Pradesh, may be admitted to a course of study for the G. H. M. S. (Agra) Degree in the Faculty of Homeopathic Medicine, even though he has not passed the examinations referred to in this section."

यू० पी० ऐक्ट संख्या ३, १९२१ का संशोधन

(४) इलाहबाद यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२१ में—

(१) धारा २ में—

(१) खन्ड (ए) के पश्चात् नये खन्ड (एएए) के रुप में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय—

"(*aaa*) 'Constituent College' means an institution maintained by the University or by the

State Government and authorized to conduct all the teaching necessary for admission to a degree of the University.";

(२) खन्ड (एफ) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय: —

"(*f*) 'Principal' means the head of a College, an Associated College or a Constituent College, as the case may be ;"

(३) खन्ड (जी जी) में शब्द "in the University" तथा शब्द "for taking a course" के बीच में शब्द "or a Constituent College" रख दिये जायं;

(४) खन्ड (एच) में शब्द "an Associated College" तथा शब्द 'or a Hostel" के बीच में कामा तथा शब्द "a Constituent College" रख दिये जायं; और

(५) खन्ड (आई) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

"(i) 'Teacher of the University' means a person appointed and paid by the University to give instruction for degrees or to guide or conduct research in the University, or a Constituent College maintained by the University" ;

(२) धारा ५ में—

(१) खन्ड (२) के उपखन्ड (ए) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

"(*a*) shall have pursued a course of study in the University, a Constituent College or an Associated College, or carried on research in the University, an Associated College or a Constituent College under conditions prescribed in the Statutes or Ordinances, or" ; और

(२) खन्ड (११) में शब्द "and manage" तथा शब्द "Colleges" के बीच में शब्द तथा कामा "Constituent Colleges", रख दिये जायं ।

(३) धारा ७ में .—

(१) उपधारा (१) में शब्द "by the University" तथा शब्द "or in an Associated College" के बीच में शब्द "or in a Constituent College" रख दिये जायं, और

(२) धारा ७ की उपधारा (३) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जायं—

"Teaching given by the teachers of the University shall be supplemented by tutorial and other supplementary instructions given in the University or under the authority of the University in a College, a Constituent College maintained by the University or a Hostel.

Teaching given by the teachers of an Associated College or a Constituent College maintained by the State Government shall be supplemented by tutorial and other supplementary instructi ns given in the Associated or such Constituent College, or in a residentia unit attached to an Associated or such Constituent College, or in the University, under an arrangement between such Associated or Constituent College and the University."

(४) धारा ८ की उपधारा (१) के अन्त में आये हुए शब्द "or an Associated College" के स्थान पर कामा तथा शब्द, "an Associated College or a Constituent College " रख दिये जायं :

(५) धारा ११ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :--

The Vice-Chancellor

"11. (1) The Vice-Chancellor shall be a whole-time officer of the University and shall be appointed by the Chancellor from amongst the persons whose names are submitted to him by the Committee constituted in accordance with the provisions of sub-section (4).

(2) The Vice-Chancellor shall, except as otherwise provided, hold office for a period of three years but may relinquish office by resignation in writing addressed to the Chancellor. The resignation shall ordinarily be delivered to the Chancellor sixty days prior to the date on which the Vice-Chancellor wishes to be relieved.

(3) Subject to the provisions of sub-section (2), the emoluments and other conditions of service of the Vice-Chancellor shall be such as are, or may be, prescribed by Statutes.

(4) (i) The Committee referred to in sub-section (1) shall consist of three persons, namely—

(*a*) one person, not being a person who is connected with the University, a College, an Associated College, a Constituent College or a Hostel, to be elected by the Executive Council ;

(*b*) another person, who is or has been a Judge of the High Court of Judicature at Allahabad, to be nominated by the Chief Justice of that High Court ; and

(*c*) a third person, to be appointed by the Chancellor, who shall also be the Convener of the Committee.

(ii) The Committee shall, as far as may be, at least thirty days before the date on which a vacancy in the office of the Vice-Chancellor is due to occur by reason of expiry of term or resignation under sub-section (2), and also whenever so required by the Chancellor, submit to the Chancellor the names of three persons suitable to hold the office of Vice-Chancellor. The Committee shall, while submitting the names, also forward to the Chancellor a concise statement showing the academic qualifications and other distinctions of each of the said three persons, but shall not indicate any order of preference.

(5) Where a vacancy in the office of Vice-Chancellor occurs or is likely to occur by reasons of leave, or any cause, other than resignation or expiry of term, the Registrar shall report the fact forthwith to the Chancellor, who shall—

(i) in case the vacancy is or is likely to last for a period exceeding six months, take steps for the appointment of the Vice-Chancellor in accordance with the provisions of sub-sections (1) and (4) ;

(ii) in case the vacancy is for a period of six months or less, appoint any suitable person to the office of Vice-Chancellor.

(6) Notwithstanding anything to the contrary contained in this section, the Chancellor may, in any case of emergency, of which the Chancellor shall be the sole judge, and in any case where the vacancy cannot be conveniently and expeditiously filled in accordance with the provisions of sub-sections (1) and (4), appoint any suitable person to the office of Vice-Chancellor ;

Provided that no appointment under this sub-section shall be made for a period of more than six months :

Provided further that the appointment so made shall determine on appointment of the Vice-Chancellor in accordance with the provisions of sub-sections (1) and (4).

Explanation—A vacancy in the office of Vice-Chancellor caused under section 8 of the U. P. Universities Act, 1961, shall also be deemed to be an emergency for the purposes of this section.

(7) Where an appointment is made under sub-section (6), the Chancellor shall, as soon as may be, take steps for the appointment of a Vice-Chancellor in accordance with the provisions of sub-sections (1) and (4).

(8) Till such time as an appiontment is made by the Chancellor under sub-section (5) or sub-section (6), the Registrar shall carry on the current duties of the Vice-Chancellor but he shall not preside at any meeting of the University Authorities."

(६) धारा ११ के पश्चात् नई धारा ११–ए के रूप में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय:—

Removal of Vice-Chancellor

"11-A. Notwithstanding anything contained in section 11, the Chancellor may, at any time, remove a Vice-Chancellor on one or more of the following grounds:

(*a*) that he has become insane ;

(*b*) that he is an undischarged insolvent ; or

(*c*) that he has been convicted of any offence involving moral turpitude ;

and his term of office shall thereupon determine".

(७) धारा १३ की उपधारा (३) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

"(3) The provisions relating to resignation, conditions of service, filling of temporary vacancies and arrangements for the carrying on of current duties of the Treasurer shall be such as may be prescribed by Statutes.";

(८) धारा १७ की उपधारा (१) में

(१) मद (viii) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

"(viii) all Principals of Colleges, Associated Colleges and Constituent Colleges," ;

(२) मद (ix) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

"(ix) all Heads of Departments of teaching in the University or in a Constituent College and all Professors of the University or a Constituent College who are not Heads of Departments,";

(३) मद (१२) में शब्द "University" तथा तत्पश्चात आये हुये कामा के बीच में शब्द "or a Constituent College" रख दिये जायं;

(४) मद (१४) में शब्द "the University" तथा शब्द "donations" के बीच में शब्द " or a Constituent College" रख दिये जायं;

(५) मद (१७) में शब्द तथा कामा "a College" तथा शब्द "an Associated College" के बीच में शब्द तथा कामा "a Constituent College," रख दिये जायं;

(६) मद (१९) के नीचे निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जाय:—

"*Explanation*—In this item, the expression 'teachers of the University' shall include teachers of a Constituent College maintained by the State Government"; और

(७) मद (२०) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

"(xx) Not more than seven persons to be appointed by the Chancellor, one of whom shall be member of the management of an associated college imparting instruction in Engineering, and another who is a member of the managements of any of the other Associated Colleges".

(९) धारा २० की उपधारा (१) में—

(१) मद (ii) के पश्चात नयी मद (ii-ए) तथा (ii-बी) के रूप में निम्नलिखित बढ़ा दिये जायं:—

"(ii-*a*) The Director of Education, Uttar Pradesh ;

"(ii-*b*) The Director of Medical and Health Services, Uttar Pradesh" ;

(२) मद (iv) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

"(iv) two Principals of Colleges or Associated Colleges, one of whom being the Principal of an Engineering College, and the other taking office by rotation according o seniority.";

(३) मद (iv) के पश्चात नयी मद (iv-ए) के रूप में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय:—

"(iv-*a*) One Principal of a Constituent College who is not otherwise a member of the Council, to be appointed in such manner, by such authority and for such term, as may be prescribed by Statutes.";

(४) मद (vii) के नीचे निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जाय:—

"*Explanation*—In this item the expression 'teachers of the University' shall include teachers of a Constituent College maintained by the State Government."

(५) मद (viii) में शब्द तथा कामा "a College," और शब्द "an Associated College" के बीच में शब्द तथा कामा "a Constituent College," रख दिये जायं; और

(६) इसका प्रतिबन्धात्मक खन्ड तथा स्पष्टीकरण निकाल दिये जायं,

(१०) धारा २३ की उपधारा (१) की मद (iii) में शब्द तथा कामा "a College" तथा शब्द "an Associated College" के बीच में शब्द तथा कामा "a Constituent College," रख दिये जायं;

(११) धारा ३० के खन्ड (सी) में शब्द "Colleges" तथा शब्द "and Hostels" के बीच में कामा तथा शब्द "Constituent Colleges" रख दिये जायं।

(१२) धारा ३२ की उपधारा (२) के खन्ड (ए) में शब्द "the University" और शब्द "and their enrolment" के बीच में शब्द "and a Constituent College" रख दिये जायं;

(१३) धारा ३६–ए में—

(१) उपधारा (१) में शब्द "and shall not exceed four in number" निकाल दिये जायं, और

(२) उपधारा (३) में शब्द "Associated College" और शब्द "shall be authorized" के बीच में शब्द "other than one imparting instruction in Engineering, Technology or Agriculture" रख दिये जायं;

(१४) धारा ३६–ए के पश्चात् नई धारा ३६–ए ए के रूप में निम्नलिखित रख दिया जाय:–

"36-AA. (1) Constituent Colleges shall be such as may be named by Statutes. **Constituent College**

(2) The Principal of a Constituent College shall be responsible for the maintenance of discipline amongst students enrolled in that College. He shall also have general control over the ministerial and inferior staff of that College, and shall exercise such other powers as may be prescribed by Statutes.";

(१५) धारा ३७ की उपधारा (४) में शब्द "the University" तथा शब्द "or an Associated College" के बीच में कामा तथा शब्द "a Constituent College" रख दिये जायं; और

(१६) धारा ३८ की उपधारा (३) में शब्द तथा कामा "in the University" और शब्द "an Associated College" के बीच कामा तथा शब्द "a Constituent College" रख दिये जायं।

५—गोरखपुर विश्वविद्यालय अधिनियम, १९५६ में—

(१) धारा २ में खन्ड (क) के पश्चात नये खन्ड (कक) तथा (ककक) के रूप में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय—

उ० प्र० अधिनियम संख्या २०, १९५६ का संशोधन।

"(कक) स्वायत्त कालेज, '(Autonomous College)' का तात्पर्य धारा ३४—क की उपधारा (१) के उपबन्धों के अनुसार विश्वविद्यालयों द्वारा इस रूप में घोषित सम्बद्ध कालेज से है;

(ककक) "कर्मकार कालेज" '(Working Men's College)' का तात्पर्य धारा ३४ क की उपधारा (२) के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा अभिज्ञात संबद्ध कालेज से है";

(२) धारा १३ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

उपकुलपति

"१३—(१) उपकुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक (whole-time) पदाधिकारी होगा और कुलपति द्वारा उन व्यक्तियों में से नियुक्त किया जायगा जिनके नाम उपधारा (४) के उपबन्धों के अनुसार संघटित समिति कुलपति को प्रस्तुत करे।

(२) उप-कुलपति, सिवाय उस दशा के जब अन्यथा व्यवस्था की गयी हो, तीन वर्ष के लिये पदासीन रहेगा किन्तु कुलपति को संबोधित लिखित-त्याग पत्र द्वारा पदत्याग कर सकता है। सामान्यतया त्याग-पत्र उस दिनांक से, जब से उप-कुलपति कार्यभार से मुक्त होना चाहता है, साठ दिन पूर्व कुलपति को दिया जायगा।

(३) उपधारा (२) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए उप-कुलपति के पारिश्रमिक तथा सेवा की अन्य शर्तें वे होंगी जो परिनियमों में नियत हों या परिनियमों द्वारा नियत की जायं।

(४) (१) उपधारा (१) में उल्लिखित समिति में तीन व्यक्ति होंगे, अर्थात्:—

(क) एक व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय, घटक कालेज (Constituent College), सम्बद्ध कालेज, हाल या छात्रावास से संबद्ध (connected), न हो, कार्यकारिणी परिषद् द्वारा निर्वाचित किया जायगा;

(ख) दूसरा व्यक्ति, जो उच्च संन्यायालय (High Court of Judicature) इलाहाबाद, का न्यायाधिपति हो या न्यायाधिपति रहा हो, उक्त उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायगा; और

(ग) तीसरा व्यक्ति, जो समिति का संयोजक (Convener) भी होगा, कुलपति द्वारा नियुक्त किया जायगा।

(२) समिति, उस दिनांक से, जब उप-कुलपति का कार्यकाल समाप्त होने या उपधारा (२) के अधीन उसके त्याग-पत्र देने के कारण उसका पद रिक्त होने वाला हो, यथासंभव कम से कम तीस दिन पूर्व, और जब कभी कुल पति ऐसी उपेक्षा करे तब भी, कुलपति को ऐसे तीन व्यक्तियों के नाम प्रस्तुत करेगी जो उपकुलपति का पद धारण करने के लिये उपयुक्त हों। समिति, नाम प्रस्तुत करते समय कुलपति को एक संक्षिप्त विवरण भी प्रस्तुत करेगी, जिसमें उक्त

तीन व्यक्तियों में से प्रत्येक की शैक्षिक अर्हतायें तथा अन्य विशिष्ट तायें दी जायंगी किन्तु वह उसमें कोई अधिमान-क्रम (Order of preference) प्रकट न करेगी ।

(५) यदि उप-कुलपति का पद, छुट्टी लेने के कारण अथवा त्याग-पत्र या कार्यकाल की समाप्ति से भिन्न किसी अन्य कारण से रिक्त हो जाय या उसके रिक्त होने की संभावना हो, तो रजिस्ट्रार इस बात की सूचना तुरन्त कुलपति को देगा, जो—

(१) उस दशा में, जब उक्त रिक्ति छः मास से अधिक अवधि के लिये हो या होने की संभावना हो, उपधारा (१) तथा (४) के उपबन्धों के अनुसार उप-कुलपति की नियुक्ति करने की कार्यवाही करेगा,

(२) उस दशा में, जब रिक्ति छः मास या उससे कम अवधि के लिये हो, किसी उपयुक्त व्यक्ति को उप-कुलपति के पद पर नियुक्त करेगा ।

(६) इस धारा में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, कुलपति, किसी आपात (emergency) की दशा में, जिसका कि कुलपति एकमात्र निर्णायक होगा, और किसी भी ऐसी दशा में, जब रिक्ति की पूर्ति उपधारा (१) तथा (४) के उपबन्धों के अनुसार सुविधा-पूर्वक तथा शीघ्रता से न की जा सकती हो, किसी उपयुक्त व्यक्ति कोउप-कुलपति के पद के पर नियुक्त कर सकता है:

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा के अधीन कोई भी नियुक्ति छः मास से अधिक अवधि लिये न की जायगी:

प्रतिबन्ध यह भी है कि इस प्रकार की गई नियुक्ति, उपधारा (१) तथा (४) के उपबन्धों के अनुसार उप-कुलपति की नियुक्ति हो जाने पर समाप्त हो जायगी ।

स्पष्टीकरण—उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, १९६१ की धारा ८ के अधीन हुई उप-कुलपति के पद की रिक्ति इस धारा के प्रयोजन के लिये आपात समझी जायगी । उ० प्र० अधिनियम संख्या, १९६१

(७) यदि उपधारा (६) के अधीन कोई नियुक्ति की जाय तो कुलपति, उपधारा (१) तथा (४) के उपबन्धों के अनुसार, यथाशक्य शीघ्र, उपकुलपति नियुक्त किये जाने के निमित्त कार्यवाही करेगा।

(८) उस समय तक, जब तक कि कुलपति उपधारा (५) या उप-धारा (६) के अधीन उप-कुलपति की नियुक्ति न कर दे, रजिस्ट्रार उप-कुलपति के पद के साम्प्रतिक कर्तव्यों (current duties) का पालन करेगा किन्तु वह विश्वविद्यालय-प्राधिकारियों की किसी भी बैठक का सभापतित्व नहीं करेगा ।"

(३) धारा १३ के पश्चात् नई धारा १३-क के रूप में निम्न-लिखित बढ़ा दिया जाय:—

"१३-क—धारा १३ में किसी बात के होते हुए भी, कुलपति, किसी भी समय, उप-कुलपति को निम्नलिखित कारणों में से किसी एक या अधिक से हटा सकता है, अर्थात— उप-कुलपति को हटाना

(क) वह उन्मत्त हो गया है ;

(ख) वह अनुन्मुक्त दिवालिया है; या

(ग) वह नैतिक पतन समन्वित अपराध के लिये सिद्ध दोष ठहराया गया है;

और तदुपरान्त उसका कार्यकाल समाप्त हो जायगा ;"

(४) धारा १५ की उपधारा (३) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"(३) कोषाध्यक्ष के त्याग-पत्र, उसकी सेवा की शर्तों, उसके पद में अस्थाई रिक्तियों की पूर्ति तथा उसके साम्प्रतिक कर्त्तव्यों के सम्पादन के प्रबन्ध संबंधी व्यवस्थायें वहीं होंगी जो परिनियमों द्वारा नियत की की जायं; "

(५) धारा २० में—

(१) उपधारा (१) की मद (२) के पश्चात् नई मद (२-क) के रूप में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय :—

"(२-क) शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश", और (२) उपधारा (१) का प्रतिबन्धात्मक खन्ड निकाल दिया जाय; तथा

(६) धारा ३४ के पश्चात् नई धारा ३४-क के रूप में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय:—

"३४-क (१) विश्वविद्यालय के लिये यह वैध होगा कि वह किसी सम्बद्ध कालेज को, जो परिनियमों द्वारा इस संबंध मे नियत शर्तों को पूरा करे, ऐसे कालेज में शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिये, उन पाठ्यक्रमों में जो विश्वविद्यालय द्वारा नियत किये गये हों परिवर्तन करने और इस प्रकार परिवर्तित पाठ्यक्रमों में परीक्षा लेने का विशेषाधिकार प्रदान करे । ऐसे कालेज द्वारा पाठ्यक्रम में परिवर्तन करने की सीमा तथा परीक्षा लेने की रीति प्रत्येक मामले में विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित की जायगी । ऐसा कालेज परिनियमों द्वारा नियत रीति से "स्वायत्त कालेज" घोषित किया जायगा ।

(२) परिनियमों द्वारा नियत शर्तों के अधीन विश्वविद्यालय, ऐसे व्यक्तियों के लिये उपाधि पाठ्यक्रम की व्यवस्था करने के प्रयोजनार्थ, (जो ऐसे पाठ्यक्रमों मे प्रवेश पाने के लिये अन्यथा पात्र हों) जो व्यवसाय, व्यापार, कृषि या उद्योग में लगे रहने अथवा अन्य प्रकार की सेवा में नियोजित होने के कारण पूर्णकालिक विद्यार्थियोंके रूप में अपना नाम लिखाने में असमर्थ हों, किसी सम्बद्ध कालेज को "कर्मकार कालेज" के रूप में अभिज्ञात कर सकता है। ऐसे विद्यार्थियों के लिये पाठ्यक्रम की अवधि उस पाठ्यक्रम के लिये नियत अवधि की डेढ़ गुनी से कम न होगी । ऐसे पाठ्यक्रमों का आयोजन पृथक रूप से किया जायगा ।"

यू०पी० ऐक्ट सं० ५, १९२० का संशोधन ।

६—लखनऊ यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२० में—

(१) धारा १० के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

The Vice-Chancellor

"10. (1) The Vice-Chancellor shall be a whole-time officer of the University and shall be appointed by

the Chancellor from amongst the persons whose names are submitted to him by the Committee constituted in accordance with the provisions of sub-section (4).

(2) The Vice-Chancellor shall, except as otherwise provided, hold office for a period of three years but may relinquish office by resignation in writing addressed to the Chancellor. The resignation shall ordinarily be delivered to the Chancellor sixty days prior to the date on which the Vice-Chancellor wishes to be relieved.

(3) Subject to the provisions of sub-section (2), the emoluments and other conditions of service of the Vice-Chancellor shall be such as are, or may be, prescribed by Statutes.

(4) (i) The Committee referred to in sub-section (1) shall consist of three persons, namely—

(*a*) one person, not being a person who is connected with the University, a Constituent College, an Associated College or a Hall, to be elected by the Executive Council ;

(*b*) another person, who is or has been a Judge of the High Court of Judicature at Allahabad, to be nominated by the Chief Justice of that High Court ; and

(*c*) a third person, to be appointed by the Chancellor, who shall also be the Convener of the Committee.

(ii) The Committee shall, as far as may be, at least 30 days before the date on which a vacancy in the office of the Vice-Chancellor is due to occur by reason of expiry of term or resignation under sub-sec ion (2), and also whenever so required by the Chancellor, submit to the Chancellor the names of three persons suitable to hold the office of the Vice-Chancellor. The Committee shall, while submitting the names, also forward to the Chancellor a concise statement showing the academic qualifications and other distinctions of each of the said three persons, but shall not indicate any order of preference.

(5) Where a vacancy in the office of Vice-Chancellor occurs or is likely to occur by reason of leave, or any cause, other than resignation or expiry of term, the Registrar shall report the fact forthwith to the Chancellor, who shall—

(i) in case the vacancy is or is likely to last for a period exceeding six months, take steps for the appointment of the Vice-Chancellor in accordance with the provisions of sub-sections (1) and (4) ;

(ii) in case the vacancy is for a period of six months or less, appoint any suitable person to the office of Vice-Chancellor.

(6) Notwithstanding anything to the contrary contained in this section, the Chancellor may, in any case of emergency, of which the Chancellor shall be the sole judge, and in any case where the vacancy cannot be conveniently and expeditiously filled in accordance with the provisions of sub-sections (1) and (4), appoint any suitable person to the office of Vice-Chancellor :

Provided that no appointment under this sub-section shall be made for a period of more than six months.

Provided further that the appointment so made shall determine on appointment of the Vice-Chancellor in accordance with the provisions of sub-sections (1) and (4).

U. P. Act of 1961

Explanation—A vacancy in the office of Vice-Chancellor caused under section 8 of the U. P. Universities Act, 1961, shall also be deemed to be an emergency for the purpose of this section.

(7) Where an appointment is made under sub-section (6), the Chancellor shall, as soon as may be, take steps for the appointment of a Vice-Chancellor in accordance with the provisions of sub-sections (1) and (4).

(8) Till such time as an appointment is made by the Chancellor under sub-section (5) or sub-section (6), the Registrar shall carry on the current duties of the Vice-Chancellor but he shall not preside at any meeting of the University Authorities.";

(२) धारा १० के पश्चात् नई धारा १०-ए के रूप में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय:—

Removal of Vice-Chancellor.

"10-A. Notwithstanding anything contained in section 10, the Chancellor may, at any time, remove a Vice-Chancellor on one or more of the following grounds :

(*a*) that he has become insane ;

(*b*) that he is an undischarged insolvent ; or

(*c*) that he has been convicted of any offence involving moral turpitude ;

and his term of office shall thereupon determine.";

(३) धारा १२ की उपधारा (३) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

"(3) The provisions relating to resignation, conditions of service, filling of temporary vacancies and arrangements for the carrying on of current duties of the Treasurer, shall be such as may be prescribed by Statutes."; और

(४) धारा १९ की उपधारा (१) में—

(१) मद (ii) के पश्चात नई मद (ii-ए) तथा (ii-बी) के रूप में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय:—

"(ii-*a*) The Director of Education, Uttar Pradesh ;

(ii-*b*) The Director of Medical and Health Services, Uttar Pradesh;" और

(२) उसका प्रतिबन्धात्मक खण्ड और स्पष्टीकरण जो मद (ix) के पश्चात् हैं, निकाल दिये जायं ।

७—वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, १९५६ —

१—धारा १२ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

"१२-(१) उपकुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक (whole-time) पदाधिकारी होगा और कुलपति द्वारा उन व्यक्तियों में से नियुक्त किया जायगा । जिनके नाम उपधारा (४) क उपबन्धों के अनुसार संघटित समिति कुलपति को प्रस्तुत करे । उ० प्र० अधिनियम संख्या २८, १९५६ का संशोधन उपकुलपति

(२) उप-कुलपति , सिवाय उस दशा के जब अन्यथा व्यवस्था की गई हो, तीन वर्ष के लिये पदासीन रहेगा, किन्तु कुलपति को लिखित त्याग-पत्र द्वारा पद त्याग कर सकता है । सामान्यता सम्बोधित त्याग-पत्र उस दिनांक से जब से उपकुलपति कार्यभार से मुक्त होना चाहता है, साठ दिन पूर्व कुलपति को दिया जायगा ।

(३) उपधारा (२) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए उप-कुलपति के पारिश्रमिक तथा सेवा की अन्य शर्तें वे होंगी जो परिनियमों में नियत हैं या परिनियमों द्वारा नियत की जायं ।

(४) (१) उपधारा १ में उल्लिखित समिति में तीन व्यक्ति होंगे, अर्थात:—

(क) एक व्यक्ति , जो विश्वविद्यालय , सम्बद्ध महाविद्यालय (Affiliated College) या छात्रावास से सम्बद्ध (connected) न हो, कार्यकारिणी परिषद् द्वारा निर्वाचित किया जायगा;

(ख) दूसरा व्यक्ति, जो उच्च न्यायालय (High Court of Judicature) इलाहाबाद का न्यायाधिपति हो या न्यायाधिपति रहा हो, उक्त उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जायगा; और

(ग) तीसरा व्यक्ति, जो समिति का संयोजक (Convener) भी होगा , कुलपति द्वारा नियुक्त किया जायगा ;

(२) समिति, उस दिनांक से जब उपकुलपति का कार्यकाल समाप्त होने या उपधारा (२) के अधीन उसके त्यागपत्र देने के कारण उसका पद रिक्त होने वाला हो, यथासम्भव कम से कम तीस दिन पूर्व, और जब कभी कुलपति ऐसी अपेक्षा करे तब भी, कुलपति को ऐसे तीन व्यक्तियों के नाम प्रस्तुत करेगी जो उपकुलपति का पद धारण करने के लिये उपयुक्त हों । समिति , नाम प्रस्तुत करते समय, कुलपति को एक संक्षिप्त विवरण भी प्रस्तुत करेगी, जिसमें उक्त तीन व्यक्तियों में से प्रत्येक की शैक्षिक अर्हतायें तथा अन्य विशिष्टतायें दी जायंगी, किन्तु वह उसमें कोई अधिमान-क्रम (Order of preference) प्रगट न करेगी ।

(५) यदि उपकुलपति का पद, छुट्टी लेने के कारण अथवा त्यागपत्र या कार्यकाल की समाप्ति से भिन्न किसी अन्य कारण से रिक्त हो जाय या उसके रिक्त होने की संभावना हो, तो प्रस्तोता इस बात की सूचना तुरन्त कुलपति को देगा, जो:—

(१) उस दशा में, जब उक्त रिक्ति छः मास से अधिक अवधि के लिये हो या होने की संभावना हो, उपधारा (१) तथा (४) के उपबन्धों के अनुसार उप-कुलपति की नियुक्ति करने की कार्यवाही करेगा ;

(२) उस दशा में, जब रिक्ति छः मास या उससे कम अवधि के लिये हो या किसी उपयुक्त व्यक्ति को उप-कुलपति पद पर नियुक्त करेगा ।

(६) इस धारा में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, कुलपति, किसी आपात (emergency) की दशा में, जिसका कि कुलपति एकमात्र निर्णायक होगा, और किसी भी ऐसी दशा में, जब रिक्ति की पूर्ति उपधारा (१) तथा (४) के उपबन्धों के अनुसार सुविधापूर्वक तथा शीघ्रता से न की जा सकती हो, किसी उपयुक्त व्यक्ति को उप-कुलपति के पद पर नियुक्त कर सकता है:

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा के अधीन कोई भी नियुक्त छः मास से अधिक अवधि के लिये न की जायगी;

प्रतिबन्ध यह भी है कि इस प्रकार की गई नियुक्ति, उपधारा (१) तथा (४) के उपबन्धों के अनुसार उप-कुलपति की नियुक्ति हो जाने पर, समाप्त हो जायगी ।

उ०प्र० अधिनियम संख्या १९६१

स्पष्टीकरण—उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, १९६१ की धारा ८ के अधीन हुई उप-कुलपति के पद की रिक्ति इस धारा के प्रयोजन के लिये आपात समझी जायगी ।

(७) यदि उपधारा (६) के अधीन कोई नियुक्ति की जाय तो कुलपति उपधारा (१) तथा ४ के उपबन्धों के अनुसार, यथाशक्य शीघ्र, उप-कुलपति नियुक्त किये जाने के निमित्त कार्यवाही करेगा ।

(८) उस समय, तक, जब तक कि कुलपति उपधारा (५) या उपधारा (६) के अधीन उप-कुलपति की नियुक्ति न कर दे, प्रस्तोता उप-कुलपति के पद के साम्प्रतिक कर्त्तव्यों (current duties) का पालन करेगा। किन्तु वह विश्वविद्यालय प्राधिकारियों की किसी भी बैठक का सभापतित्व नहीं करेगा ।"

(२) धारा १२ के पश्चात नई धारा १२—क के रूप में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय:—

उप-कुलपति को हटाना

"१२—क—धारा १२ में किसी बात के होते हुए भी कुलपति, किसी भी समय, उप-कुलपति को निम्नलिखित कारणों में से किसी एक या अधिक से हटा सकता है—

(क) वह उन्मत्त हो गया है,

(ख) वह अनुन्मुक्त दिवालिया है; या

(ग) वह नैतिक पतन समन्वित अपराध के लिये सिद्ध-दोष ठहराया गया है ;

और तदुपरान्त उसका कार्यकाल समाप्त हो जायगा ।

उप-कुलपति के कार्यकाल की समाप्ति।

८—मूल अधिनियम में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के प्रचलित होने के दिनांक से विश्वविद्यालय के यथास्थिति ऐसे वाइस-चांसलर या उपकुलपति का कार्यकाल, जो उक्त दिनांक के ठीक पहले उपकुलपति के पद पर आसीन हो, समाप्त हो जायगा और समाप्त हुआ समझा जायगा और मूल अधिनियम के अधीन उसके पद के कार्यकाल से संबंधित व्यवस्थायें उक्त सीमा तक तदनुसार परिष्कृत की गई समझी जायगी और तत्पश्चात इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार, यथास्थिति , एक नया वाइस चांसलर या उपकुलपति नियुक्त किया जायगा ।

संक्रमणीय उपबन्ध

९—(१) इस अधिनियम के प्रचलित होने के पश्चात किसी भी समय, राज्य सरकार के लिये कोई भी ऐसा कार्य करना वैध होगा, जो इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी बनाने के लिये सामान्यतः आवश्यक हो, और जिसके अन्तर्गत कोई भी परिनियम बनाना अथवा उसका संशोधन करना तथा ऐसे परिनियमों अथवा संशोधनों के प्रचलन के लिये दिनांकों को निश्चित करना भी है ।

(२) उपधारा (१) के अधीन प्रदत्त अधिकार का प्रयोग राज्य सरकार, जितनी बार भी अपेक्षित हो, कर सकता है, परन्तु इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के बारह महीनों के पश्चात नहीं ।

कठिनाइयों को हटाने का आदेश

१०—(१) राज्य सरकार किसी कठिनाई को विशेष रूप से मूल अधिनियम के उपबन्धों से, इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों में संक्रमण (transition) करने से सम्बद्ध कठिनाई को दूर करने के लिये गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा—

(क) निदेश दे सकती है कि मूल अधिनियम अथवा इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम उस अवधि में जो उक्त आदेश में निर्दिष्ट की जाय, एसे अनुकूलनों क अधीन रहते हुए प्रभावी होगा जिन्हें वह आवश्यक या इष्टकर समझ चाहे वे अनुकूलन परिष्कार के रूप में किये जायं या परिवर्द्धन अथवा लोप (omission) के रूप में, किन्तु सार (substance) पर प्रभाव न डालते हों, अथवा

(ख) निदेश दे सकती है कि विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के अधिकारों, कर्त्तव्यों तथा कृत्यों को जिसके द्वारा और किस रीति से उस समय तक यथास्थिति प्रयोग में लाया या निर्वहित किया जायगा जब तक कि धारा ९ के अधीन बने परिनियमों के अनुसार उक्त प्राधिकारियों का गठन न कर लिया जाय; या

(ग) ऐसे अन्य अस्थाई उपबन्ध बना सकती है जिन्हें वह आवश्यक या इष्टकर समझें :

प्रतिबन्ध यह है कि इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से बारह महीनों के पश्चात ऐसा कोई भी आदेश नहीं दिया जाय जायगा ।

(२) उपधारा (१) के अधीन दिये गये आदेश पर किसी विधि न्यायालय में इस आधार पर आपत्ति न की जा सकेगी कि उक्त उपधारा में निर्दिष्ट कोई भी कठिनाई विद्यमान नहीं थी अथवा ऐसी किसी कठिनाई को हटाना अपेक्षित नहीं था ।

उद्देश्य तथा कारण

विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र की हाल की प्रवृत्तियां तथा घटनाक्रम सरकार के लिये गंभीर चिन्ता के विषय रहे हैं। विश्वविद्यालय की शिक्षा संबंधी विभिन्न समस्याओं की जांच करने के लिये जो आयोग नियुक्त किया गया है, उसे उन समस्त प्रश्नों की जांच करने में काफी समय लगने की संभावना है जो उसके विचारणीय विषयों के अन्तर्गत आते हैं। इस बीच में इस बात का तीव्रता से अनुभव किया गया है कि निर्वाचन पद्धति द्वारा उप-कुलपतियों की नियुक्ति करने की वर्तमान प्रक्रिया उतनी सन्तोषप्रद सिद्ध नहीं हुई जितनी आशा की जाती थी। इसके विपरीत उसने विश्वविद्यालयों के भीतर दलबन्दी और गुटबन्दी को जन्म दिया है। इसका प्रतिकूल प्रभाव न केवल उप-कुलपतियों के चयन पर वरन विश्वविद्यालयों के प्रशासन पर भी पड़ा है। इसके अतिरिक्त, वर्तमान पद्धति के अन्तर्गत पात्रता का क्षेत्र केवल उन्हीं तक सीमित रहता है जो निर्वाचन के लिये सफलतापूर्वक प्रचार कार्य कर सकते हैं। जब कि असाधारण प्रतिभा एवं विशिष्टताओं से सम्पन्न व्यक्ति पीछे रह जाते हैं। यह बात विश्वविद्यालय की शिक्षा के हित में नहीं है। इन कारणों से यह निश्चय किया गया है कि विभिन्न विश्वविद्यालय अधिनियमों में नियत की गई वर्तमान प्रक्रिया में उपर्युक्त परिवर्तन किया जाना चाहिये और निर्वाचन पद्धति के स्थान पर चयन पद्धति प्रचलित की जानी चाहिये। गोरखपुर विश्वविद्यालय अधिनियम में चयन करने की जो प्रक्रिया नियत की गई है वह सबसे उपयुक्त समझी जाती है और इसलिये यह प्रस्ताव है कि उसमें कुछ सुधार करके उसे आगरा, इलाहाबाद, लखनऊ तथा गोरखपुर के विश्वविद्यालयों तथा वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालयों के लिये समान रूप से अंगीकार कर लिया जाय। इस प्रयोजन के लिये यह आवश्यक है कि उक्त पांचों विश्वविद्यालयों से संबंधित अधिनियमों में संशोधन किये जायं। यह भी प्रस्ताव है कि इस संशोधन अधिनियम के प्रचलित होने के दिनांक से वर्तमान उप-कुलपतियों के कार्यकाल समाप्त कर दिये जायं जिससे कि उसके बाद, संशोधित विधि के अनुसार, नये उप-कुलपति नियुक्त किये जा सकें।

कतिपय अन्य आवश्यक संशोधन करने के लिये भी इस अवसर का उपयोग किया जा रहा है। उनमें से प्रमुख संशोधन निम्नलिखित हैं:—

(१) उपकुलपति को हटाने के लिये उपबन्ध,

(२) उस निर्बन्धक उपबन्ध (restrictive provision) का निकाला जाना, जिसके द्वारा कार्य-कारिणी परिषदों के वाह्य (external) सदस्यों को लगातार तीसरे कार्यकाल के लिये निर्वाचित या नाम निर्दिष्ट होने से रोका जाता है,

(३) चूंकि इलहाबाद में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के घटक कालेज और सहयुक्त कालेज (Associated College) के रूप में क्रमशः एक मेडिकल कालेज और एक इंजीनियरिंग कालेज स्थापित करने का प्रस्ताव है इसलिये उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये इलाहाबाद यनिवर्सिटी ऐक्ट में आवश्यक संशोधन करने का प्रस्ताव है;

(४) नेशनल कालेज आफ होम्योपैथिक मेडीसिन, लखनऊ को आगरा व यूनिवर्सिटी से सम्बद्ध किया जा रहा है। चूंकि इस कालेज के बहुसंख्यक विद्यार्थी केवल मैट्रिक पास हैं इसलिये आगरा यनिवर्सिटी में आवश्यक संशोधन करके उन्हें इंटरमीडिएट परीक्षा पास होने की न्यूनतम अर्हता से मुक्त करने का प्रस्ताव है, जिससे कि वे आगरा यूनिवर्सिटी की जी० एच० एम० एस० डिग्री के संक्षिप्त पाठ्यक्रम के लिये प्रवेश प्राप्त कर सकें।

अतएव उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय विधेयक, १९६१ सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

जुगल किशोर,
शिक्षा मंत्री।

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—२९६ एल० एए—१९६१—८४५।